चतुर्दश माला, खंड 26, अंक 20

शनिवार, 28 अप्रैल, 2007
8 वैशाख, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No......
Dated......

(खण्ड 26 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 26, दसवां सत्र, 2007/1929 (शक)]

अंक 20, शनिवार, 28 अप्रैल, 2007/8 वैशाख, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
राज्य सभा से संदेश	2
लोक लेखा समिति	
बयालीसवां, पैंतालीसवां और छियालीसवां प्रतिवेदन	3
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
पंद्रहवां और सोलहवां प्रतिवेदन . .	3
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
इक्यावनवें से पचपनवां प्रतिवेदन	4
जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति	
सातवां प्रतिवेदन	4
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति	
तेइसवें से छब्बीसवां प्रतिवेदन . . .	5
सभा का कार्य	18–21
कार्य मंत्रणा समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	22
अनुदानों की मांगे (सामान्य), 2007-2008	
गृह मंत्रालय	
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	25
श्री मधुसूदन मिस्त्री	32
श्री रामजीलाल सुमन	43
मो. सलीम	48
श्री गिरिधारी यादव .	59
श्री इलियास आजमी.	62
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	68
श्री सुग्रीव सिंह	74
श्री अजय चक्रवर्ती	76
श्रीमती मेनका गांधी	80
श्री निखिल कुमार	86

विषय	कॉलम
प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन	95
डा. सत्यनारायण जटिया	99
डा. रामेश्वर उरांव	105
श्री प्रभुनाथ सिंह	107
श्री हितेन बर्मन	112
श्री किन्जरपु येरननायडु	114
श्री किरिप चालिहा	118
डा. एच.टी. संगलिअना	122
श्री सर्वानन्द सोनोवाल	125
श्री असादुद्दीन ओवेसी	127
सुश्री महबूबा मुफ्ती	130
श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश	137
श्री डब्ल्यू वांग्यू कोन्यक	139
श्री तापिर गाव	141
श्री देवव्रत सिंह	144
श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल	148
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा	149
श्री टी.के. हमज़ा	152
डा. के.एस. मनोज	154
श्रीमती सी.एस. सुजाता	156
श्री कीरेन रिजीजू	158
श्री सुकदेव पासवान	158
श्री शिवराज वि. पाटील	159
सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत शेष अनुदानों की मांगे (गिलोटीन)	177-194
विनियोग (संख्यांक-2) विधेयक, 2007—पुरःस्थापित	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	193
खण्ड 2 से 4 और 1	194
पारित करने के लिए प्रस्ताव	195

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

शनिवार, 28 अप्रैल, 2007/8 वैशाख, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : सर, गुजरात के मुख्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए, *(व्यवधान)*

جناب اسد الدین اویسی (حیدر آباد): سر، گجرات کے وزیر اعلیٰ کو برخاست کیا جائے ۔۔۔ (مداخلات)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक चीज का समय निर्धारित है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मुझे कार्य शुरू करने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वी०के० ठुम्मर (अमरेली) : सर, गुजरात में नरेन्द्र मोदी ने लोगों को मरवाया है *(व्यवधान)*

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और यू०पी० में जितनी फर्जी मुठभेड़ें हुई हैं, उन सबकी सी०बी०आई० जांच कराई जाए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं आप सबकी बात सुनना चाहूंगा। कृपया अध्यक्षपीठ से सहयोग करें। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा नहीं करें। यह क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप ऐसा चाहते हैं कि सभा स्थगित हो? कृपया बैठ जाये। आपको सहयोग करने की आदत डालना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री इलियास आजमी, कृपया बैठ जाएं जब मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बैठिये, इसके लिए यह टाइम नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : आप अपने चीफ व्हिप को समझाइये। रूलिंग पार्टी के चीफ व्हिप इस तरह की बातें करते हैं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप ऐसा चाहते हैं कि सभा स्थगित हो। यदि आप सभा नहीं चलने देना चाहते हैं तो मैं सभा स्थगित कर दूंगा। कृपया मुझे सभापटल पर रखे जाने वाले पत्रों को रखे जाने की प्रक्रिया शुरू करने दें।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:—

> "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोकसभा को यह बताने का निर्देश हुआ है। कि राज्य सभा 27 अप्रैल, 2007 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 19 मार्च, 2007 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए विधेयक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (जम्मू-कश्मीर पर विस्तार) विधेयक, 2007 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.01½ बजे

लोक लेखा समिति

बयालीसवां, पैंतालीसवां और छियालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : मैं लोक लेखा समिति (2006-07) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:—

(1) "दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शैक्षिक संस्थाओं को भूमि का आबंटन" के संबंध में बयालीसवां प्रतिवेदन।

(2) "स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों 2003-04) से अधिक व्यय" के बारे में लोक लेखा समिति (चौदहवीं लोक सभा) के 21वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी पैंतालीसवां प्रतिवेदन।

(3) "केन्द्रीय विद्यालय संगठन" के बारे में लोक लेखा समिति (चौदहवीं लोक सभा) के 24वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी छियालीसवां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.01¾ बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

पंद्रहवां और सोलहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव) : मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2006-07) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति प्रस्तुत करता हूं:—

(1) वर्ष 2006-07 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पन्द्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वर्ष 2007-08 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में सोलहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

इक्यावनवें से पचपनवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री के०एस० राव (एलूरू) : मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय और विनिवेश विभाग) की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 51वां प्रतिवेदन;

(2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 52वां प्रतिवेदन;

(3) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 53वां प्रतिवेदन;

(4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 54वां प्रतिवेदन;

(5) कंपनी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 55वां प्रतिवेदन;

पूर्वाह्न 11.02½ बजे

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

सातवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रायापति सांबासिवा राव (गुंटूर) : मैं जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

पूर्वाह्न 11.02¾ बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

तेइसवें से छब्बीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2006-07) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं:-

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तेइसवां प्रतिवेदन;

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में चौबीसवां प्रतिवेदन;

(3) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में पच्चीसवां प्रतिवेदन;

(4) अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में छब्बीसवां प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि कृपया एक दूसरे की बात सुनें। मैं सभा में सबको अवसर देने का प्रयास कर रहा हूं। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही सनसनीखेज और गम्भीर मामला सामने आया है, जिसमें फ्रांस की एक वेबसाइट और फ्रांस की इंटैलिजैन्स ने कहा है कि राजीव गांधी की हत्या की साजिश क्वात्रोची ने रची थी। 1991 में पूर्व प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी की हत्या की साजिश बोफोर्स मामले के मुख्य आरोपी क्वात्रोची ने लिट्टे के साथ मिलकर रची थी। पोलिटिक्स पार्टी डॉट कॉम नामक वैबसाइट ने दावा किया है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे नहीं पढ़िये। इस सभा के वरिष्ठ सदस्य होने के नाते यह आप जानते हैं।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : इस वैबसाइट ने यह दावा किया है कि एक फाइव स्टार होटल में क्वात्रोची ने लिट्टे के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर राजीव गांधी की हत्या की साजिश की। उनके पास इस बात के सबूत है। उन्होंने कहा है कि फ्रैन्च इंटैलिजैन्स के पास इसके पूरे सबूत हैं। और बाकियों के पास भी सबूत मौजूद हैं। यह इतना भयंकर सनसनीखेज मामला है और अभी तक भारत सरकार ने इस पर रिएक्ट नहीं किया है। मैंने अर्जुन सिंह जी का एक बयान देखा, जिसमें कहा गया है कि सरकार इसकी जल्दी से जल्दी जांच करायेगी। इस बारे में सरकार के पास क्या जानकारी है जबकि वहां पर फ्रांस की इंटेलीजेंसी एजेंसी और फ्रांस की पोलिटिक्स पार्टी डॉट कॉम नामक वेबसाइट पर लगातार इतने दिनों से यह बात आ रही है। अगर क्वात्रोची ने लिट्टे की मदद से इस हत्या की साजिश रची थी और राजीव गांधी, देश के पूर्व प्रधान मंत्री की हत्या हुई तो यह कोई साधारण बात नहीं है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा होने वाली है। आप उस समय यह बात उठा सकते हैं।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : यह सच है किन्तु सरकार को इस पर प्रतिक्रिया देनी होगी। यह कोई छोटी बात नहीं है।

[हिन्दी]

उसमें लिखा है कि क्वात्रोची को लगा कि कांग्रेस पार्टी हार जाएगी और बाद में जो सरकार आएगी, वह उसको फंसा लेगी। इसलिए उन्होंने राजीव गांधी की हत्या करा दी। लिट्टे इसे कराना चाहता था। यह छोटी बात नहीं है। यह भूतपूर्व प्रधानमंत्री से संबंधित मामला है। जिसके नाम पर आज आप देश में सरकार चला रहे हैं। इतनी बड़ी हत्या का मामला हो और सरकार चुप्पी साधे बैठी रहे। सर, यह बहुत ही गंभीर मामला है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर रेस्पांड करे और सदन को इस बारे में जानकारी दे। *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत ही गंभीर है और जैसा कि यह पोलिटिक्स पार्टी डॉट कॉम नामक

[श्री रामजीलाल सुमन]

वेबसाइट पर दावा किया गया है कि पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी की हत्या पेरिस के एक होटल में रची गई थी और इस साजिश के सूत्रधार और कोई नहीं क्वात्रोची थे जो राजीव गांधी परिवार के अनन्य मित्र थे और जो बोफोर्स कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं। उन्हीं क्वात्रोची ने लिट्टे के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची थी और इस साजिश को रचने के लिए लिट्टे के थिंक टैंक कहे जाने वाले ए०के० बालासिंघम से पेरिस में मुलाकात की। इसका खुलासा वहां की खुफिया एजेंसी ने किया है एक और तथ्य प्रकाश में आया है कि पेरिस में जो होटल हैं, उन सब होटलों में वहां का खुफिया तंत्र सक्रिया रहता है। जो फोटोज वगैरह खींचे जाते हैं, उनके पास इस सिलसिले में तमाम सबूत हैं। क्वात्रोची का मकसद चूंकि वह बोफोर्स कांड के मुख्य आरोपी हैं, उनका मकसद पूरे तथ्यों को छुपाना और अपने आप को बचाना है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सबको अवसर देने का प्रयास करूंगा। कृपया सहयोग करें।

... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रामजीलाल सुमन, आपने मामला उठाया है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : सर, मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मेरा निवेदन सिर्फ यह है कि फ्रांस की सरकार ने इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि ये तथ्य जो प्रकाश में आए हैं और वेबसाइट पर आए हैं, सरकार गंभीरता के साथ इस बात को ले तथा सरकार देश और सदन को बताए कि सही मायनों में वास्तविकता क्या है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे यकीन है कि यदि यह सच है तो कुछ किया जाना चाहिए। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है। ... *(व्यवधान)* सरकार को इस बारे में सदन को जानकारी देनी चाहिए। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है?

अध्यक्ष महोदय : प्रो० मल्होत्रा, आप जानते हैं कि यह उत्तर देने का समय नहीं है। हर पल सवाल-जवाब नहीं हो सकता है।

... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपकी जो मांग है, वह भी सुननी होगी।

[अनुवाद]

***श्री पी० मोहन** (मदुरै) : तमिलनाडु में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति किए जाने के लिए 12 हजार मीट्रिक टन गेहूं और 17 हजार किलो लीटर केरोसिन जारी किए जाने की केन्द्र से आशा है। किन्तु दुर्भाग्यवश केन्द्रीय पूल से गत कई महीनों से 12 हजार मीट्रिक टन के स्थान पर मात्र 3500 मीट्रिक टन गेहूं और 17 हजार किलो लीटर के स्थान पर मात्र 5900 किलोलीटर केरोसिन जारी किया जा रहा है। अभी हाल ही में 40 लाख नए राशन कार्ड धारक पंजीकृत किए गए हैं और इन आवश्यक वस्तुओं के बिना उन्हें बहुत कठिनाई हो रही है।

तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के संबद्ध मंत्री ने केन्द्रीय खाद्य मंत्री से स्वयं तथा पत्रों के माध्यम से इस मसले को उठाया है। किन्तु अभी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति किए जाने के लिए गेहूं और केरोसिन की अतिरिक्त आवश्यक मात्रा को अभी भी जारी नहीं किया जा रहा है। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि इस संदर्भ में तमिलनाडु के लोग केन्द्र से असंतुष्ठ हो रहे हैं। इसका शीघ्र हल निकाला जाना चाहिए। इस मामले में कम से कम सात पत्र लिखे गए हैं। किन्तु उनपर अब तक कार्रवाई की जानी शेष है। अतएव मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति किए जाने के लिए यथाशीघ्र गेहूं और केरोसिन जारी करे।

श्री ए० कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर) : श्री पी० मोहन ने जो अभी कहा उससे स्वयं को संबद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री पी० मोहन ने जो अभी कहा उससे स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति श्री ए० कृष्णास्वामी, श्री ई० पोन्नुस्वामी, डा० सी० कृष्णन और श्री सिप्पीपाराई रविचंदन को दी जाती है।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। वर्ष 2001 में जब केन्द्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एन०डी०ए० की सरकार थी तो शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के लिये उसका सार्वजनिकीकरण करने के लिये, सर्वजन सुलभ प्राथमिक शिक्षा के लिये एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। उसके अंदर यह निश्चय किया गया था और यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि वर्ष 2010 तक सारे हिन्दुस्तान के अंदर 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के जितने बच्चे हैं, उन्हें प्राथमिक या उच्च शिक्षा प्रदान करने की सारी सुविधायें प्रदान की जायेगी। इस कार्यक्रम को सब स्कूलों में ले जाया जायेगा। स्कूलों में भवन और कमरे बन जायेंगे और जो भी समस्यायें वहां हैं, जैसे इनफ्रास्ट्रक्चर आदि, वे तैयार हो जायेंगे। परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि वर्तमान यू०पी०ए० सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत 329 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गई है। श्री चिदम्बरम साहब यहां बैठे हुये हैं। उन्हें मालूम है कि जहां विगत वर्ष इस कार्यक्रम के लिये 11 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान था, इस बार यह 10 हजार 671 करोड़ रुपये है। राज्यों के लिये इस आबंटन में कमी कर दी गई है। एन०डी०ए० सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यों के लिय 85:15 का अनुपात रखा था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रिपीट करने की जरूरत नहीं है।

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : हम क्या करेंगे, हमारी क्या पॉवर है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कोई पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, 10वीं पंचवर्षीय योजना में 75 प्रतिशत राशि केन्द्र और 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा देने के लिये कहा गया और इस 11वीं पंचवर्षीय योजना में वह राशि 50:50 के अनुपात में कर दी गई है कि 50 प्रतिशत राशि केन्द्र देगी और 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देगी। अध्यक्ष महोदय, यह संवैधानिक मान्यता है कि राज्यों के पास पैसा नहीं है। अभी 11-12 अप्रैल को दिल्ली में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें 75:25 के अनुपात से राज्यों को धनराशि आबंटित करने के लिये केन्द्र सरकार से मांग की गई ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दे सकता हूं।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : अगर इसी साल का 50:50 का अनुपात रह गया तो सारे किये-कराये पर पानी फिर जायेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करूंगा कि सर्व शिक्षा अभियान जैसे शैक्षिक कार्यक्रम के लिये राज्यों की मांग के अनुसार और देश की चिन्ता को अनुभव करते हुये 75:25 अनुपात की राशि दी जाये ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, यह 75:25 अनुपात में राशि आबंटित की जाये।

[अनुवाद]

श्री ए०वी० बेल्लारमिन (नागरकोइल) : महोदय, यथोचित व्याकुलता के साथ मैं सरकार का ध्यान मछुआरों पर बीच समुद्र में हो रहे लगातार हमलों और गोलीबारी होने के बाद तमिलनाडु के तटीय गांवों के मछुआरों में फैली घबराहट और चिंता की ओर दिलाना चाहता हूं।

ऐसे कायरतापूर्ण हमले की अति तब हो गई जब 29.3.2007 को कन्याकुमारी जिले की मछुआरों की बस्तियों पर गोलीबारी करके 5 लोग मार दिए गए और इससे पहले रामनाड जिले के वेडारानायम में एक व्यक्ति को मारा दिया गया और उसके बाद उन्हें अगवा करने, निहत्थे मछुआरों पर हमला करके उन्हें गंभीर रूप से घायल करने की कई घटनाएं हुई। कन्याकुमारी के कोडीमुनई गांव के 21 मछुआरों, जिन्हें 3.3.07 को मछली पकड़ते समय अगवा कर लिया गया था, का अभी तक कोई अता-पता नहीं है।

[श्री ए०वी० बेल्लारमिन]

ये सारे अत्याचार उन मछुआरों पर हुए हैं जो उकसावे की कोई कार्रवाई किए बिना भारतीय समुद्र क्षेत्र में मछलियां पकड़ रहे थे और उन्होंने कभी भी समुद्री सीमाओं को पार नहीं किया था।

लाखों मछुआरों ने प्रदर्शन करके विरोध व्यक्त किया। जिले के सारे लोगों ने शांतिपूर्ण हड़ताल आदि रखी, तमिलनाडु विधानसभा में सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया और मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखे गए। तमिलनाडु सरकार ने गोलीबारी में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपये की सांत्वना राशि स्वीकृत की है। सभी राजनैतिक दलों ने सरकार से दक्षेस शिखर सम्मेलन में एक मुद्दे को सुलझाने की मांग की है।

सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में एक त्वरित और सुविचारित रिपोर्ट आने की आशा है कि क्या श्रीलंकाई सरकार के साथ कोई बातचीत शुरू की जाए और इस बात का उल्लेख किया जाए और क्या सरकार ने सरकार का उपहास करने वालों का पता लगाने का कोई प्रयास किया है और सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे अत्याचारों को रोकने के लिए और मछुआरों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है तथा केन्द्र सरकार द्वारा अभी घोषित की जाने वाली सांत्वना राशि का ब्यौरा क्या है *(व्यवधान)*

श्री ए० कृष्णास्वामी : महोदय, डी०एम०के० पार्टी की ओर से हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे से संबद्ध होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि केन्द्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो भी सदस्य इस मामले से स्वयं को संबद्ध करना चाहते हैं वे कृपया अपने नाम भेज दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस देने की भी तकलीफ नहीं उठाई है। तथापि, मैं आपके नाम को संबद्ध करने की अनुमति दे रहा हूं। इतना ही काफी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री ए० कृष्णास्वामी, श्री ई० पोन्नुस्वामी, डा० सी० कृष्णन, श्री रविचन्द्रन सिप्पीपार ई० और डा० के० मनोज का नाम श्री ए०वी० बेल्लारमिन द्वारा उठाए गए मामले से संबद्ध कर दिया जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, आपका मामला सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यह मामला चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र का है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लीजिए। मैं इलैक्शन कमीशन के बारे में नहीं बोल रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि यह मामला सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन परिसीमन आयोग पर है। आयोग का जो एक्ट बना है, उस एक्ट की जो मूल मंशा है, उसका ही उल्लंघन हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो परिसीमन आयोग है, इतनी जल्दबाजी में है कि उसमें माइंड एप्लाई नहीं हो रहा है। इसमें कंप्यूटर एप्लाई किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसका केन्द्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : गृह मंत्री देख सकते हैं कि कंप्यूटर से क्या किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आप सुनेंगे तो ताज्जुब होगा। पूरी तरह से जो ड्राफ्ट प्रस्ताव है, उसके लिए 25 मार्च को बैठक हुई। आयोग के सदस्य उसमें बैठते हैं। उसमें कोई विचार नहीं हो रहा ह, सिर्फ कंप्यूटर में डाल दिया जाता है और कांस्टीट्यूएंसी को काट-छांट दिया जाता है। मेरा तो संसदीय क्षेत्र ही समाप्त हो गया है। कैसा समाप्त हो गया — कोसी नदी के बाहर एक एसेम्बली कांस्टीट्यूएंसी को तीन प्रमंडल में बांट दिया। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसपर आपत्ति नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : एक प्रमंडल सहरसा में डाल दिया, दूसरा कमला में डाल दिया और तीसरा दरभंगा में डाल दिया। मेरा

कहना है कि कोई क्राइटीरिया है या नहीं। सब माननीय सदस्य जानते हैं कि सब क्षेत्रों में यह हालत है। हमारा तो लोक सभा क्षेत्र ही समाप्त हो गया।···*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमारा भी गया।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आपका केवल नाम समाप्त हुआ है। मेरा तो क्षेत्र ही समाप्त हो गया। झंझारपुर लोक सभा क्षेत्र का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया है। कोसी नदी जो 245 किलोमीटर दूर है जहां नेपाल होकर रास्ता है, भारत होकर रास्ता भी नहीं है, वहां लौकहा विधान सभा क्षेत्र डाल दिया।···*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप तो इतने पॉपुलर हैं कि जहां से खड़े होंगे, जीत जाएंगे।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : यह अजीब स्थिति हो रही है। इस पर यदि विचार नहीं होगा तो सभी माननीय सदस्य बाद में इस प्रश्न को उठाएंगे। मैं शुरू में ही कह रहा हूं चूंकि जो ड्राफ्ट प्रस्ताव आ रहे हैं, उस पर 25 मार्च को विचार हुआ। फिर उस प्रस्ताव को खत्म करके फिर नया ड्राफ्ट ले आते हैं। फिर नया ड्राफ्ट ले आते हैं कंप्यूटर से और परिसीमन आयोग में कहा जाता है कि हमारा माइंड एप्लाइ नहीं हुआ है, यह तो कंप्यूटर वाला प्रस्ताव है। इसलिए हम माइंड एप्लाई करेंगे। कब माइंड एप्लाइ करेंगे? केवल कंप्यूटर एप्लाइ करके यदि होता रहेता तो ठीक नहीं है। नाम खत्म नहीं हुआ, कांस्टीट्यूएंसी नहीं घटी। बिहार में 40 संसदीय क्षेत्र हैं लेकिन जो जिला है, जो थाना है, दूसरे जिले में भेज दिया गया। दो कांस्टीट्यूएंसी हैं मधुबनी जिले में। एक शकील अहमद साहब की और एक मेरी है।··· *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर न तो सभा और न ही सरकार निर्णय ले सकती है। मुझे खेद है। मैं इससे आगे अनुमति नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : पूरा जिला हैडक्वार्टर नहीं है एक कांस्टीट्यूएंसी का।···*(व्यवधान)* मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस पर ध्यान दें कि इस तरह से यदि डीलिमिटेशन कमीशन काम करेगा, सुधार नहीं करेगा, काम करने की कार्यशैली में माइंड एप्लाइ नहीं करेगा तो यह कंप्यूटर कहां से कहां छोड़ देगा। जो नदी है, नदियों में कोई रास्ता नहीं है। नदियों से उस पार कर दिया गया है।···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : फिर मैं चला जाऊंगा और आपसे यहां आने का अनुरोध करूंगा। यह मामला इस सभा के अधिकार क्षेत्र का नहीं है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : न अनुमंडल का ध्यान दिया गया है, न प्रमंडल का ध्यान दिया गया है, न असैम्बली, कांस्टीट्यूएंसी का ध्यान दिया गया है। मधुबनी जिले में एक असैम्बली गायब है, एक लोक सभा क्षेत्र झंझारपुर को भी गायब कर दिया गया है।··· *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें पता होना चाहिए कि कहां पर रूकना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : दो मधुबनी में दे दिया, एक सहरसा में दे दिया। यह क्या हो रहा है?···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : और ज्यादा बोलने की अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गृह मंत्री इस पर ध्यान दें नहीं तो इस डीलिमिटेशन कमीशन से अराजकता की स्थिति पैदा होने वाली है।···*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग करें। अब कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जा रहा है।

···*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शाहनवाज हुसैन जी, आप का मामला राज्य का मामला है।

[हिन्दी]

आप क्या करते हैं?

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं है।

[हिन्दी]

देवेन्द्र जी, यह सही नहीं है। एक ही बात को कितनी बार कहेंगे?

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : तब मैं सभा को स्थगित कर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री शाहनवाज़ हुसैन, आपका मामला राज्य का विषय है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं कह रहा हूं कि यह अव्यावहारिक है, प्रैक्टिकल नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या नहीं है? यहां से बैठकर हम क्या तय कर सकते हैं? गृह मंत्री जी को जाकर बोलिये। यह हाउस का मैटर नहीं है।

[अनुवाद]

श्री शाहनवाज़ हुसैन, आपका मामला राज्य का विषय है। हमें इस मामले को अनुमति नहीं देनी चाहिए। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। कृपया मेरे साथ सहयोग करें।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर) **:** अध्यक्ष महोदय, मैं इसे स्टेट सब्जैक्ट नहीं बना रहा हूं। ...*(व्यवधान)* अभी यू०पी० में चुनाव हो रहा है और वहां राज्य सरकार काम नहीं कर रही है, इसलिए मैं यह आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 25 तारीख को ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देवेन्द्र जी, आप अमेंडमेंट लेकर आइए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : देवेन्द्र जी, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, बिहार के एक लड़के की हत्या हुई है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, हम इस बात पर चर्चा नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लड़के पढ़ने जाते हैं, यह प्रेसटिजियस आर्गनाइजेशन है, देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। वहां की जो कानून-व्यवस्था है, यह बहुत खराब हो रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह काफी चिन्ता का विषय है। हम ऐसी घटनाओं की निन्दा करते हैं, परन्तु आप इस मुद्दे को यहां नहीं उठा सकते।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर का एक लड़का मोहम्मद कोसर, जो इंजीनियरिंग का छात्र था और मेरी कांस्टीट्युएंसी भागलपुर का रहने वाला था। ...*(व्यवधान)* वह एक होनहार लकड़ा था, उसकी गोली मार कर हत्या कर दी गई। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि वहां इस तरह की जो असामाजिक व्यवस्था हुई है, वहां प्रशासन को ठीक किया जाए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की चर्चा बहुत लोग करते हैं, लेकिन वहां जिस तरह से अपराधी हावी हो रहे हैं और असामाजिक तत्व ने कब्जा किया है और जिस तरह इस होनहार लड़के, इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले छात्र की हत्या हुई है, यह बहुत चिन्ताजनक बात है। वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए जो केन्द्र सरकार है, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हत्या का कोई मामला सिर्फ इसलिए केन्द्र का विषय नहीं बन जाता क्योंकि यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय में घटित हुआ।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अध्यक्ष महोदय, वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि उसे न्याय मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको यह बात अच्छी तरह मालूम है। आपने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता की सेवा की है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री पी० करूणाकरन (कासरगोड) : अध्यक्ष महोदय, मैं केरल में विद्यमान गम्भीर समस्याओं विशेषकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विद्यमान समस्याओं के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि आपको अच्छी तरह से ज्ञात है, केरल एक ऐसा राज्य है जहां काफी लम्बे समय से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक प्रभावी तंत्र मौजूद है। यह सच है कि मात्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सहायता से ही मूल्यवृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि केरल सरकार इन उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों अथवा आवश्यक वस्तुओं की प्रर्याप्त मात्रा मुहैय्या कराने में असमर्थ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत सरकार ने पिछले छह महीनों से खाद्यान्नों विशेषकर चावल, गेहूं, मिट्टी तेल तथा रसोई गैस का आवंटन कम कर दिया है। उदाहरणार्थ, पिछले छह महीनों से चावल के मामले में गरीबी रेखा से ऊपर के और गरीबी रेखा से नीचे के कार्डधारकों के लिए प्रति माह 20,000 टन चावल की कमी है। अन्य खाद्यान्नों के मामले में भी यही स्थिति है।

इसलिए, केरल सरकार उचित मूल्य की इन दुकानों को चलाने में कठिनाई महसूस कर रही है। उचित मूल्य की दुकानों के प्रबंधक भी दिल्ली आए हुए हैं क्योंकि वे समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त नहीं करने के कारण इन दुकानों को चला पाने में असमर्थ हैं। इसलिए, मैं केरल को अपेक्षित कोटा आवंटित करने हेतु तत्काल कदम उठाने के लिए सरकार से अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमारे लोक सभा क्षेत्र जालौन गरौठा, तहसील मोठ, ग्राम अमरोख, उत्तर प्रदेश में 26 तारीख को करीब एक बजे आग लग जाने से एक महिला और दो बच्चों की मृत्यु हो गई। सा। ही साथ करीब एक दर्जन लोगों के मकान जल गए। *(व्यवधान)** वहां उन्हें अभी कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। हमारी केन्द्र सरकार से मांग है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उत्तर प्रदेश सरकार का हवाला कार्यवाही-वृत्तांत का अंश नहीं बन सकता।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : वहां जो मकान जल गए हैं। *(व्यवधान)* यह कहा जा रहा है कि वहां मकान जला दिए गए हैं, इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि जिनके मकान जले हैं और जो बच्चे जल गए हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए और साथ ही यह जांच कराई जाए कि ये जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके घर में कहीं यह आग लगाई तो नहीं गई है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

डा० के०एस० मनोज (अलेप्पी) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुट्टानाड के पर्यावरण संरक्षण और आजीविका संकट के बारे में डा० एम०एस० स्वामीनाथन समिति की अंतरिम सिफारिशों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता के संबंध में सभा में उपस्थित माननीय कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारत सरकार ने केरल के अलाप्पुझा जिला के, जहां भीषण कृषि संकट था, कुट्टानाड नमभूमि के पर्यावरण संरक्षण और विकास के संबंध में अध्ययन करने व कार्यक्रम सुझाने हेतु एक बहुविषयक दल गठित किया था।

प्रख्यात वैज्ञानिक डा० एम०एस० स्वामीनाथन, जिन्हें हाल ही में राज्य सभा के लिए नामित किया गया है, कि अध्यक्षता वाले एम०एस० स्वामिनाथन रिसर्च फाउण्डेशन, चेन्नई ने भारत सरकार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट पहले ही सौंप दी है ताकि किसानों को जल्दी लाभ देने हेतु चालू कृषि सीजन के दौरान ही पुनर्वास कार्यक्रमों को शुरू किया जा सके। इस रिपोर्ट में धान के खेतों को खारे पानी और बाढ़ की स्थिति से बचाने हेतु अवसंरचनात्मक परिवर्तनों की बात कही गयी है। खेतों में खारे पानी का घुसना और बाढ़ की स्थिति कुट्टानाड में फसल हानि के मुख्य कारण हैं। वर्तमान फसलों को बचाने हेतु अवसंरचनात्मक परिवर्तन के कार्य तत्काल किए जाने चाहिएं।

इसलिए, मैं कुट्टानाड में पर्यावरण संरक्षण और आजीविका संकट के संबंध में डा० एम०एस० स्वामीनाथन समिति की अंतरिम सिफारिशों को क्रियान्वित करने का अनुरोध करता हूं।

पूर्वाह्न 11.26 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी की ओर से यह घोषणा करता हूं कि

[श्री विजय हान्डिक]

सोमवार, 30 अप्रैल, 2007 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किये जाएगें:—

1. वित्त विधेयक 2007 पर विचार तथा इसे पारित किया जाना।

2. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार तथा इसे पारित किया जाना।

3. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2007, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार तथा इसे पारित किया जाना।

अध्यक्ष महोदय : डा० सत्यनारायण जटिया — उपस्थिति नहीं। श्री हरिभाऊ जावले — उपस्थिति नहीं।

डा० के०एस० मनोज : महोदय, निम्नांकित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 में अलप्पुझा जिले को शामिल किए जाने की आवश्यकता।

2. रेलगाड़ी संख्या 331 तथा 332 (एर्नाकुलम — अलप्पुझा तथा अल्प्पुझा एर्नाकुलम सवारी गाड़ी), रेलगाड़ी सं० 337 तथा 338 (एर्नाकुलम — कोल्लम तथा अल्प्पुझा — एर्नाकुलम सवारी गाड़ी), रेलगाड़ी सं० 339 (एर्नाकुलम — कन्याकुलम सवारी गाड़ी) तथा रेलगाड़ी सं० 6341 तथा 6342 (एर्नाकुलम — त्रिवेन्द्रम तथा त्रिवेन्द्रम — एर्नाकुलम इंटर-सिटी एक्सप्रेस गाड़ी) में सवारी डिब्बों की संख्या में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता ताकि दैनिक यात्रियों की भीड़ को समायोजित किया जा सके।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें:—

1. भारतीय राजनीति से अपराधियों के राजनीतिकरण और राजनीति के अपराधीकरण जैसी दुष्प्रवृत्तियों का निराकरण करने तथा भ्रष्टाचार का मूलोच्छेदन करने हेतु संसद में 'लोकपाल विधेयक' अविलम्ब प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता।

2. अन्य राज्यों की भांति राजस्थान जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े और सीमावर्ती राज्य में 'केन्द्रीय विश्वविद्यालय' खोले जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

डा० बाबू राव मिडियम (भद्राचलम) : महोदय, मैं अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नांकित मदों को शामिल करने का अनुरोध करता हूं:

1. हमारे समाज में व्याप्त जाति प्रथा तथा अमानवीय भेदभावभूलक प्रथा को समाप्त किए जाने पर चर्चा।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक उप-योजना को तैयार किया जाना। न्यायमूर्ति सच्चर समिति अल्नसंख्यकों की दयनीय सामाजिक आर्थिक दशा को पहले ही उद्घाटित कर चुकी है।

श्री के० फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : महोदय, कृपया निम्नांकित विषयों को लोक सभा के अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करें:—

1. दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ (आसियान) के साथ होने वाला मुक्त व्यापार समझौता तथा पहले से लागू हो चुकी दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार संधि (साफ्टा) तथा सामान्यतया देश पर तथा विशेषकर कृषि क्षेत्र पर इसका प्रभाव;

2. ग्लोबल वार्मिंग तथा निकट भविष्य में भारत पर इसका प्रभाव तथा इसके दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए किए जाने वाले उपाय।

अध्यक्ष महोदय : मेरी राय में हमें ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा करने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए।

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख — उपस्थित नहीं।

श्री पी० मोहन (मदुरै) : महोदय, मेरा अनुरोध है कि निम्नांकित मामलों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:—

1. दृष्टिहीन तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में रोजगार अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई जाने वाले कार्यविधियों पर चर्चा करना।

2. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए होने वाली राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए उनके बीच से खिलाड़ियों की पहचान करने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु कार्यविधि तैयार करना।

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नांकित मदों को सम्मिलित किया जाए:—

1. खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हमारे खुदरा क्षेत्र के लिए, विशेषकर छोटे एवं मंझोले दुकानदारों एवं व्यापारियों के लिए काफी घातक होगा, जिनका व्यवसाय पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए का निवेश करना आरंभ कर दिया है ताकि दालए स्टेशनरी, फल, सब्जी तथा लोगों के दैनिक उपयोग के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं की बिक्री शुरू की जा सके। वे न सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि छोटे एवं मध्यम शहरों एवं गांवों में भी विशाल मॉल शुरू कर रहे हैं। अगर इसे नियंत्रित नहीं किया जाता है तो यह 'सुनामी' की तरह लाखों-करोड़ों दुकानदारों को समाप्त कर देगा। इस मामले पर संसद तथा सरकार द्वारा तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और इसके लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

2. ऐसी आशंका है कि केरल के इदुक्की जिले में स्थित सैकड़ों साल पुरानी एक बांध कभी भी टूट सकती है। केरल सरकार का विचार वर्तमान बांध के स्थान पर एक नया बांध बनाने का है, क्योंकि इसके टूटने से पांच जिले तथा इनमें रहने वाले सभी प्राणी बह जाएंगे। एक अनुबंध के अनुसार इस बांध से पानी तमिलनाडु को दिया जा रहा है, जो कि जारी रहेगा ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सिर्फ विषय का उल्लेख करने के लिए है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री थामस, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा; आपको सिर्फ विषय का उल्लेख करना है।

... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

... *(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपका हो गया, आप बैठ जाइये।

... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मद सं० 8, श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा; मैंने माननीय मंत्री जी को बोलने के लिए कहा है।

... *(व्यवधान)**

पूर्वाह्न 11.30 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 27 अप्रैल, 2007 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 27 अप्रैल, 2007 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.32 बजे

अनुदानों की मांगे (सामान्य), 2007-2008

गृह मंत्रालय

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 9; वर्ष 2007-2008 के लिए गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की "मांगों, पर चर्चा तथा मतदान" करेंगे।

यह सभा गृह मंत्रालय से सम्बन्धित मांग सं० 50 से 54 तथा 94 से 98 पर चर्चा तथा मतदान करेंगी।

इस सभा में उपस्थित माननीय सदस्यगण जिनके अनुदानों की मांगों के कटौती प्रस्ताव परिचालित कर दिए गए हैं, यदि चाहें तो अपना कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं तथा जिस प्रस्ताव को वे प्रस्तुत करना चाहते हैं उसकी क्रम संख्या इंगित करते हुए 15 मिनट के भीतर पटल पर पर्ची भिजवा दें। केवल उन्हीं कटौती-प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

इस बाद शीघ्र ही प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या दर्शाते हुए एक सूची नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगा। यदि किसी सदस्य को इस सूची में कोई विसंगति मिलती है तो वे शीघ्र इसे पटल के अधिकारी के ध्यान में लायें। इन दस मांगें अर्थात् मांग सं० 50 से 54 तथा 94 से 98 पर सायं 6.00 बजे तक चर्चा की जाएगा। जैसा कि सदस्यों के पहले से ही ज्ञात है, सायं 6.00 बजे गिलोटिन होगा तथा आज कोई मध्याह्न भोजनावकाश नहीं होगा।

प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में गृह मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 50 से 54 तथा 94 से 98 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियों भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जाए।"

लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2007-2008 के बजट (सामान्य) की अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का शीर्षक	दिनांक 16 मार्च, 2007 को सदन द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4	5	6
	गृह मंत्रालय				
50.	गृह मंत्रालय	1,28,05,00,000	11,78,00,000	6,37,72,00,000	58,90,00,000
51	मंत्रिमंडल	34,21,00,000	5,56,00,000	1,71,06,00,000	27,80,00,000
52	पुलिस	24,11,59,00,000	7,54,97,00,000	1,20,57,96,00,000	37,74,84,00,000
53	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	1,69,26,00,000	3,24,00,000	8,46,27,00,000	16,21,00,000
54	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	2,59,12,00,000	12,00,00,000	12,95,64,00,000	60,00,00,000
	विधान-मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र				
94	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,87,84,00,000	1,36,14,00,000	9,39,18,00,000	6,80,76,00,000

1	2	3	4	5	6
95	चंडीगढ़	1,98,39,00,000	31,96,00,000	9,91,96,00,000	1,59,80,00,000
96	दादरा और नगर हवेली	1,53,02,00,000	6,52,00,000	7,65,12,00,000	32,60,00,000
97	दमन और दीव	59,81,00,000	7,60,00,000	2,99,05,00,000	38,02,00,000
98	लक्षद्वीप	53,66,00,000	27,58,00,000	2,68,32,00,000	1,37,90,00,000

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या उत्तर देने में आपको एक घण्टे का समय लगेगा?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटील) : मुझे एक घण्टे का समय नहीं भी लग सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यह उठाए गए मुद्दे पर निर्भर करता है।

श्री शिवराज वि० पाटील : हां, महोदय।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : क्या मंत्री जी 6 बजे उत्तर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर उससे पहले दे दिया जाएगा।

श्री शिवराज वि० पाटील : मेरा उत्तर 5 बजे शुरू होगा।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का मुझे मौका दिया है।

मंत्री जी जितने अच्छे दिखते हैं, गृह मंत्रालय उतना ही खराब चल रहा है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन आज जो देश की स्थिति है, जब से यू०पी०ए० की सरकार आई है, सब चीजों में बढ़ोत्तरी हुई है। आटे दाल के भाव से लेकर आतंकवाद, नक्सलवाद तक कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसमें बढ़ोत्तरी नहीं हुई। लगता है कि यह सरकार यह तय कर चुकी है कि इस देश की समस्याओं को बढ़ाना है। इन्होंने डिमांड में जिस तरह का विषय यह पर मांगा, उसमें मैं सबसे पहले आधुनिकीकरण की तरह जाना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने 1645 करोड़ रुपये रखे हैं। मैं समझता हूं कि आधुनिकीकरण के नाम पर आज जो बड़ी चुनौती है, नक्सलवाद, टैरिज्म, इससे लड़ने के लिए यह राशि बहुत कम है। आधुनिकीकरण के नाम पर सरकार को यहां की फोर्स को जो कुछ उपलब्ध कराना चाहिए, जो बुलेटप्रूफ जैकेट्स और इक्विपमेंट देना चाहिए, वह नहीं दे रही है। वह जूते, वर्दी और जीप पर ही ज्यादा खर्च कर रही है। जितना आर्डर और टाइम लड़ने के लिए देना चाहिए, वह पब्लिक सैक्टर को दे रही है, जिसकी वजह से वह आर्डर पूरा नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जम्मू-कश्मीर का विषय पहले रखा है। हमने संकल्प लिया था कि गुलाम कश्मीर को हम वापस लेंगे, जो पार्लियामेंट का संकल्प था, लेकिन आज हमारा अपना कश्मीर खतरे में है। आज सरकार वहां पर सरकार चलाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इनका एक ही मकसद है कि किस तरह से कांग्रेस-पी०डी०पी० की गवर्नमेंट वहां चले। इसके लिए चाहे वहां एक भी सैनिक न रहे, उसके लिए भी ये तैयार हो जाएंगे। आज यह सरकार का मॉरल राइट है कि वहां से बड़ी तादाद में सेना की कटौती हो रही है। कौन लोग चाहते हैं कि वहां सेना न रहे? कौन लोग चाहते हैं कि वहां सी०आर०पी०एफ० के कैंप न हों? जो देश विरोधी संगठन हैं, पाकिस्तान के लोग हैं या आतंकवादी हैं, वे ही चाहते हैं कि वहां कोई न हो, ताकि उनको सब कार्यवाही करना आसान हो जाए। वहां जिस तरह की सरकार चल रही है, उसे देखें। पी०डी०पी० आकर दबाव डालती है, चूंकि इनको सरकार चलानी है, इसलिए इन्होंने वहां से सेना की कटौती का काम शुरू कर दिया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस पर कम से कम सियासत से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, लेकिन सरकार उससे ऊपर उठकर नहीं सोच रही है। वहां पर सिर्फ सरकार चलानी है, इसलिए सेना का मनोबल गिराया जा रहा है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आतंकवाद से लड़ने के लिए जो इन्होंने संकल्प दिखाया है, वह कैसा संकल्प है? जब नाइन-इलेवन की घटना होती है, तो अमेरिका सख्त कानून बनाता है, जब यूरोपीय देश इंग्लैण्ड में कोई घटना होती है, तो वह सख्त कानून बनाता है, लेकिन जब भारत पर हमला होता है, तो जो सख्त कानून हैं, जिससे आतंकवादियों के मन में डर होता था, आपने उस कानून को ही खत्म कर दिया। इससे

[श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन]

लोगों को लगने लगा कि भारत एक साफ्ट स्टेट है और हम यहां जाकर कुछ भी कर सकते हैं। जब संसद पर हमला हुआ, उसके बाद पोटा कानून बनाया गया। पोटा बनाने के बाद अफजल गुरू जैसे लोगों को सजा हुयी। आज उसकी सजा की माफी की बात करने वाले लोगों ने आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाया है। आज बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। सन् 1857 की 150वीं जयंती मनाये जाने के लिए हम तैयार हैं, तो आतंकवादियों की हिम्मत देखिए कि वे दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास पर हमला करना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले लश्करे-तोइबा के तीन आतंकवादी पकड़े गए। अभी उनकी एक टोली पकड़ी गयी है। सरकार इस बात के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने इस टोली को पकड़कर बहुत बड़ा काम कर लिया। पुलिस यह भी बयान दे रही है कि इस तरह की छ: टोलियां और हैं, जिसमें एक-दूसरे को यह मालूम नहीं है कि कौन सी टोली कब हमला करने वाली है? उनको एक दूसरे का एक्शन प्लान मालूम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत में आतंकवाद से लड़ने के लिए कब हम राजनीति से ऊपर उठकर काम करेंगे? क्या हम यह सोचना चाहते हैं कि अगर हम आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं, तो इससे कोई नाराज होगा? हम आतंकवाद के खिलाफ बोलेंगे, तो सिर्फ पाकिस्तान नाराज होगा। यदि आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, तो हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी पूजा-पद्धति कोई भी हो, कोई नाराज होने वाला नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि अगर आतंकवाद के खिलाफ आप बोलेंगे या कुछ कार्यवाही करेंगे, तो उससे कोई नाराज होने वाला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह कश्मीर पर राजनीति बंद करे। कश्मीर में किसकी सरकार आए, यह महत्वपूर्ण नहीं है। जब एन०डी०ए० की सरकार थी, तब हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी यह परवाह नहीं कि वहां कौन मुख्यमंत्री है, किसकी सरकार है? हम लोग कश्मीर की सरकार को किसी पार्टी की सरकार के तौर पर नहीं देखते हैं। वह भारत की रिप्रेजेंटेटिव है। हम उस सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहते हैं, लेकिन यह सरकार वहां पर राजनीति कर रही है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से गृहमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कश्मीर के मामले में नरम नीति पर चलने वाली जो आपकी सरकार है, इसको जनता कभी माफ नहीं करेगी, इसलिए आप और ज्यादा सख्ती अपनाएं। गृह मंत्री जी से मुझे पूरी अपेक्षा है। गृह मंत्री जी देश के प्रति साफ्ट इमेज रखें, लेकिन आतंकवादियों में इनके नाम से डर होना चाहिए। आतंकवादियों के मन में उनके नाम से टेरर पैदा होना चाहिए। यह मैसेज नहीं जाना चाहिए कि यू०पी०ए० की गवर्नमेंट सिंपल और सरल कानून बनाकर आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा रही है। *(व्यवधान)* महोदय, जब मैं बात करता हूं, तो मुझे लगता है कि आतंकवाद के विषय पर पूरा संसद एक होगा। *(व्यवधान)* क्योंकि अस्सी हजार लोगों की हत्या हो चुकी है। मैंने पहले ही कहा कि मैं इन पर कोई राजनीतिक कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं इनसे कह रहा हूं कि हम पूरी तरह आपके साथ हैं, आप मजबूत बनिए। अगर आप आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे तो आपको एन०डी०ए० का पूरा सपोर्ट है। फिर उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। *(व्यवधान)*

आज पूर्वोत्तर राज्यों की हालत आप जानते हैं। वहां पशुपति से तिरूपति तक रेड कॉरीडोर बनाने की नक्सलाइट्स की योजना है। अब उनकी हिम्मत यहां तक बढ़ गई है कि एक सांसद की हत्या कर दी गई। बगल में, झारखंड में एक सांसद की हत्या हो गई, इसके बाद भी सरकार नहीं जागी। बिहार में भी कई जगह उन्होंने जेल ब्रेक की। उनकी कई योजनाएं हैं। अभी खबर आई है कि वे भागलपुर में जेल ब्रेक करना चाहते हैं। हमारे भी एक-दो क्षेत्र कहीं न कहीं नक्सलवाद से प्रभावित हैं। *(व्यवधान)* जयप्रकाश जी हंस रहे हैं। इनके मुंगेर जिले में डी०एम०, एस०पी० की हत्या हुई थी, तब भी ये चेते नहीं हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर हंसने से काम नहीं चलने वाला है। यह विषय बहुत गंभीर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नक्सलवाद पर भी सामूहिक लड़ाई होनी चाहिए। इस पर भी राजनीति से ऊपर उठ कर काम होना चाहिए। लेकिन आज सरकार राजनीति से ऊपर उठ कर काम नहीं कर रही है। इस पर हमने कंट्रोल किया था चंद्रबाबू नायडु की सरकार ने कंट्रोल किया था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की रेड्डी जी की सरकार आई, आपने उन्हें टेबल पर बिठाकर बात की, उन्हें स्नैक्स खिला दिए, वे स्नैक्स और चाय पीकर गए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : थोड़ी टोका-टोकी अच्छी है, ज्यादा नहीं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब तक कि यह असंसदीय नहीं है, यह चल सकती है।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : जब मैं पहली बार मंत्री बना था तो मेरी उम्र सबसे कम थी। मुझे कोई ट्रैनिंग नहीं दी गई थी। लेकिन आपको देखकर हमने फॉलो किया कि मंत्री को अच्छा व्यवहार करना

चाहिए। लेकिन यह तो अभी भी इस फोबिया से बाहर नहीं आए। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बिहेवियर सब तरफ अच्छा होना चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया उनके भाषण में व्यवधान मत डालिए।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : इन्हें बताइए कि यह मंत्री बन गए हैं। इन्हें अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। मैं जामवंत की तरह इन्हें अपनी शक्ति का अंदाजा दिला रहा हूं कि अब आप मंत्री बन गए हैं, इसलिए थोड़ा संयम रखिए। ...*(व्यवधान)*

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव) : मैं तीन साल से मंत्री हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह आपको बोलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : इनका मुझसे बहुत प्यार और स्नेह है। आर०जे०डी० के मित्र मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, इसलिए जब मैं बोलता हूं तब ये खड़े होकर बहुत टोका-टाकी करते हैं। ...*(व्यवधान)* जब तक कोई टोकता नहीं है, तब तक हमें भी बात करने में उतना मजा नहीं आता।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो रेड कॉरीडोर बना है, उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, राज्य सरकारों से बातचीत करनी चाहिए। प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई थी, आपने जो ब्लू प्रिंट तैयार किया, वह नक्सलवादियों के पास पहुंच गया। एक मैगज़ीन में उसकी तस्वीर छपी है कि आप क्या एक्शन प्लान बनाने वाले हैं। जब आप मीटिंग करते हैं तो उसे सीक्रेट रखें। आपके एक्शन प्लान उनके पास नहीं जाने चाहिए। आपको ऐसे मामलों में सख्ती से अमल करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि नक्सलवाद से लड़ने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए, माइन डिटैक्टर चाहिए, माइन प्रोटैक्टर व्हीकल्स चाहिए, आधुनिक हथियार चाहिए। आपको यह सब देना चाहिए। सिर्फ वर्दी, जूता और दो राइफलें सप्लाई करने से आतंकवाद रुकने वाला नहीं है। आप सोचते हैं कि हमने बहुत चीजें सप्लाई कर दीं, आप बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने का कार्य पब्लिक सैक्टर को दे देते हैं और वहां से आने में काफी समय लग जाता है, जिसकी वजह से राज्य सरकारों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नक्सलवादियों से लड़ने के लिए राज्य सरकारों की पूरी मदद करनी चाहिए।

आज सीमा प्रबंधन के लिए धन मांगा गया है। सीमा प्रबंधन बहुत खराब हुआ है। एन०डी०ए० सरकार के समय सीमा पर तार लगाए गए थे, लेकिन अब वह काम बहुत धीमी गति से हो रहा है। खुद गृह मंत्री जी का बयान आया है कि हमें समुद्र रास्ते से खतरा है, सीमा से खतरा है, एयर से खतरा है, स्टॉक एक्सचेंज पर खतरा हो रहा है। कोई जगह सुरक्षित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस विषय को गृह मंत्रालय को बहुत मजबूती से लेना चाहिए। आज हमें बॉर्डर पर उतना खतरा नहीं है जितना इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कॉरीडोर बनाने वाली बात को बहुत मजबूती से उठाना चाहिए खासकर जो सीमा पर है। जहां-जहां एन०डी०ए० गवर्नमैंट थी वहां हमने नेपाल की सीमा पर, क्योंकि अब माओवादी भी सरकार में शामिल हो गये हैं और पशुपति से तिरुपति तक पूरा रेड कॉरीडोर है। उसके बगल में बंगाल और बिहार का बॉर्डर आता है। आज बंगाल और बिहार में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। जहां-जहां नेपाल का बॉर्डर लगता है वहां अपने एस०एस०बी० लगायी थी। अभी एस०एस०बी० लगाने का काम भी काफी स्लो हुआ है। एस०एस०बी० की 21 बटालियन का कैम्प जो बिहार के किशनगंज में बनना था, उसके लिए बिहार सरकार ने जमीन दे दी है। केन्द्र सरकार ने उसे एप्रूव कर दिया, लेकिन वहां के एक सांसद उसे रोके हुए हैं। उनको लगता है कि यदि एस०एस०बी० का कैम्प वहां बन जायेगा, तो पता नहीं उनको क्या दिक्कत आयेगी?

मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह कौन व्यक्ति है, कौन उसे रोक रहा है, किसने आपको पत्र लिखा है? इस बात को आप अपने जवाब में बताइये कि किशनगंज में एस०एस०बी० की 21 बटालियन का कैम्प बनाने में देरी का क्या कारण है? वह क्यों नहीं बन रहा? बिहार नेपाल के बॉर्डर पर लगता है इसलिए यह बहुत जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस विषय को गृह मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि सरकार अगर नक्सलवाद, आतंकवाद से लड़ने और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए गंभीर है, तो सिर्फ गंभीर

[श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन]

बात बोलने से कुछ नहीं होगा, उसे गंभीर दिखना भी पड़ेगा। सरकार को गंभीर दिखाई देने के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए। यदि आपने सख्त कानून नहीं बनाये, तो इस देश को बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि गृह मंत्री अपने जवाब में स्पष्ट करें कि सरकार इस पर क्या नीति अपनाने वाली है?

आज साइबर क्राइम भी बड़ी तेजी से इस देश में बढ़ रहा है। उसके लिए आपको जितना फंड एलोकेशन करना चाहिए, उस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। साइबर क्राइम पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरह की साजिश इस देश के खिलाफ हो रही है, जिस तरह से इस देश को तोड़ने की साजिश हो रही है, उसके लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है और उस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।

कश्मीर के बारे में मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूं। हमने इस विषय को जोरो ऑवर में उठाया था कि सैयद अली शाह गिलानी के नेतृत्व में जिस तरह वहां पर झंडा फहराया गया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाये गये, उस पर सरकारे ने चूं नहीं बोला। हम लोगों ने उस पर बोला, तो ऐसा लगा जैसे कुछ और लोग उनकी मदद के लिए खड़े हो गये हैं। बहुत से साथियों, कम्युनिस्ट और दूसरे कई साथियों ने इस विषय को गंभीरता से लिया और हमारी आवाज में अपनी आवाज मिलायी, लेकिन सरकारी पक्ष से, खासकर कांग्रेस के सदस्यों ने उस पर इतना हल्ला किया जिससे देश में अच्छा संदेश नहीं जाता।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरह की स्थिति बनी है, उस पर वह अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। आपने डिमांड में साम्प्रदायिक सौहार्द का जिक्र किया है। आप हर बार ऐसा एक्शन लेते हैं जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक सौहार्द सिर्फ भाषा और लिखने कर विषय न हो। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में साम्प्रदायिक सौहार्द हो। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पार्टी उसमें पूरा सपोर्ट करती है, लेकिन हम आपसे यह जरूर कहना चाहते हैं कि आप अपने मन से यह भ्रम निकाल दीजिए कि अगर आप आतंकवादियों के लिए नरम होंगे, तो उससे कोई खुश होने वाला है। हिन्दुस्तान का हर नागरिक चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब चाहते हैं कि आतंकवाद का सिर आप मजबूती से कुचलें। अगर आप इसको नहीं कुचलेंगे, तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। जनता इस दिक्कत को देखती है और चुनाव में आपको उसका नतीजा भुगतान पड़ता है। आप यह मत समझिये कि एक विषय से लोग आपसे नाराज हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर आप नरम दिख रहे हैं और जनता आप पर गरम हो रही है। आप जितने नरम होंगे, चुनाव में जनता उतना आप पर गरम हो जायेगी और उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। उससे अच्छा रिश्ता होना चाहिए इसमें कोई शक नहीं है। इसकी शुरूआत तो हमने ही की है लेकिन पाकिस्तान से इन शर्तों पर रिश्ता नहीं हो सकता कि पाकिस्तान हमारे अंदरूनी मामलों में सिर्फ बयान देता रहे। वह सिर्फ बयान देता है इसीलिए उस पर कभी यकीन नहीं किया जा सकता। एक साजिश चल रही है कि पाकिस्तान हिन्दुस्तान से वार्ता तो कर रहा है लेकिन उस वार्ता की आड़ में आतंकवादी घटना में कोई कमी नहीं आयी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के मुद्दे पर सरकार को गंभीर होना चाहिए और इस विषय को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि सरकार सेना का मनोबल बनाए रखेगी, नक्सलवाद से मजबूती से लड़ेगी, इस देश में आतंकवाद को रोकने के लिए सख्त कानून लाएगी, सरकार पूरे देश को एक साथ लेकर चलेगी और इस पर कोई राजनीति नहीं करेगी। इस देश में जो आपराधिक तत्व हैं, आतंकवादी और नक्सलवादी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। कश्मीर के बारे में संसद द्वारा पारित यह प्रस्ताव कि कश्मीर की एक-एक इंच जमीन पर हमारा अधिकार है और गुलाम कश्मीर को भी भारत का अंग बनाएंगे, सरकार उसके लिए प्रयास करेगी और सेना को कश्मीर से वापस बुलाकर सेना के मनोबल को नहीं गिराएगी और जिस तरह की आज साजिश कश्मीर में हो रही है, उसको रोकने के लिए प्रयास करेगी। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि गृहमंत्री जी की हम सभी के सामने जो "टफ मैन" की छवि है, उसके अनुरूप गृहमंत्री जी के नाम से आतंकवादियों के दिल में डर जरूर पैदा होना चाहिए। अभी तक यह सरकार इसमें नाकामयाब रही है और आतंकवादियों को लगने लगा है कि इस देश में धर्मशाला जैसी सरकार है, यहां कानून वापस हो जाता है। यहां कुछ भी करते चले जाएंगे, अगर पकड़े भी गए तो किसी न किसी तरह से छूट जाएंगे। इस तरह की स्थिति देश में अब नहीं बननी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं होम डिपार्टमेंट की डिमाण्ड्स फॉर ग्राण्ट्स को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मुझे यह जानकर हैरानी होती है कि मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री शाहनवाज हुसैन जी को भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए खड़ा किया है कि वे माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं और वे उनकी चमड़ी बचा सकें। ...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, इस माइनॉरिटी-मेजारिटी की बात कहना गलत है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया किसी सदस्य का व्यक्तिगत हवाला मत दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) **:** महोदय, माननीय सदस्य ने भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मिस्त्री, कृपया मुख्य विषय पर आइए। कोई व्यक्तिगत हवाला मत दीजिए।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, पोटा का बचाव करने के लिए माइनॉरिटी के आदमी को सामने लाया जा रहा है। इन लोगों को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला, इसलिए इनको खड़ा किया गया है। जिस गुजरात के समाज में 500 से ज्यादा लोग अभी तक गिरफ्तार थे, उनमें से 100 प्रतिशत माइनॉरिटी के हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, चूंकि मेरा नाम लिया गया है, इसलिए मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। ये लोग अल्पसंख्यकों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन इनको न तो कभी पहली पंक्ति में बैठने का मौका देते हैं और न कभी उनको बोलने का मौका देते हैं। उनको कभी भी आगे नहीं आने देते हैं। ये लोग अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मिस्त्री, कृपया आप मुझे संबोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप संसद के बहुत ही सम्मानीय सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया कोई व्यक्तिगत हवाला मत दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : अध्यक्ष महोदय, इनकी सबसे बड़ी समस्या इनका इनटॉलरेंस ही है। हमने इनको बार-बार याद दिलाया है, आज भी याद दिलाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप अपने प्वाइंट पर आइए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, मुझे बोलने का अधिकार है, इन्होंने जो बात उठाई है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, चूंकि वे लोग हम पर आतंकवाद के बारे में सॉफ्ट एटीट्युड रखने का आरोप लगाते हैं कि हमने पोटा को रिपील कर दिया। इसलिए मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब इस पार्लियामेंट पर हमला हुआ, उस समय पोटा अस्तित्व में था। मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय आपकी कौन सी नीति थी, यह सॉफ्ट थी या हार्ड थी? आप उस हमले को क्यों नहीं रोक पाए? गुजरात में मुख्यमंत्री के घर से 100 मीटर की दूरी पर, जो कि वर्तमान विपक्ष के नेता की कांस्टीट्वेंसी में है, अक्षरधाम मन्दिर पर हमला हुआ। उस समय भी पोटा था, फिर आप उसे क्यों नहीं रोक पाए? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रकार व्यवधान मत डालिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप बोलना चाहते हैं तो मैं आपको अनुमति दे दूंगा। आप अपना नाम भेजिए। आप इस प्रकार से एक-दूसरे की बात में व्यवधान नहीं डाल सकते।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : अध्यक्ष महोदय, किसे गिरफ्तार किया गया? आज भी गुजरात की जेलों में 500 से ज्यादा लोग, जो कि 100 प्रतिशत माइनॉरिटी के लोग हैं, पोटा के तहत गिरफ्तार हैं, वे बाहर नहीं आ सके। इतना ही नहीं, श्री वाइको जिन्होंने डेढ़ घंटे तक चर्चा में भाग लेकर पोटा का समर्थन किया, वे स्वयं भी इसकी वजह से कई महीने जेल में रहे।

आप बताएं कि क्या यूज हुआ पोटा का और आपका उस समय कौन सा एटीट्यूड था? इसलिए मैं कह रहा था कि आपको इसीलिए

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

खड़ा किया गया है ताकि आप इस पार्टी को डिफेंड कर सकें। मैं बड़ी असमंजस की स्थिति में हूं।

[अनुवाद]

मैं घुटन महसूस कर रहा हूं ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपकी टिप्पणी अच्छी है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं घुटन महसूस कर रहा हूं।

[हिन्दी]

जब-जब भी हमने क्राइम की बात यहां उठाने की कोशिश की, हमें ज्यादातर यही कहा गया कि यह राज्य का विषय है और राज्य इस पर कार्रवाई करेगा। आज परिस्थिति ऐसी है कि राज्यों के अंदर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, मर्डर्स की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो रही है, हालांकि कई जगहों पर इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, फिर भी क्राइम रेट बढ़ रहा है। मैंने नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के पिछले तीन-चार साल के फिगर्स देखे हैं। हो सकता है उसमें गंभीर अपराधों को रिकार्ड करने में गलती हुई हो, क्योंकि स्टेट इश्यू के कारण वे दर्ज नहीं हो पाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि क्राइम रेट बढ़ रहा है।

मैं सदन में बताना चाहता हूं कि गुजरात में कम्युनल डिवाइड दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमला करने वाले बिंदास होकर घूम रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वह ... के बारे में बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

... *(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पाठक जी, यह सही नहीं है।

... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। मैं हाउस को कंट्रोल कर रहा हूं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : राज्य सरकार को प्रदेश में कम्युनल हार्मोनी बनानी चाहिए, जबकि हमारे राज्य में कम्युनल डिवाइड बढ़ता जा रहा है। राज्य का मुखिया कम्युनल हार्मोनी का संरक्षक है। प्रोटेक्शन आफ लाइफ एंड प्रापर्टी राजधर्म है। राजधर्म की बात उस वक्त के प्रधान मंत्री जी ने गुजरात के मुख्य मंत्री को भी बताई थी, जो इस समय भी राज्य के मुख्य मंत्री हैं।

अध्यक्ष महोदय, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में माइनोरटीज पर दिन-प्रतिदिन हमले बढ़ रहे हैं, लेकिन हमला करने वालों का कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की जा रही है। इन क्रिमिनल्स को बचाया जाता है। ... *(व्यवधान)* जब आपको मौका मिलेगा, तब आप अपनी बात कहना।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मधुसूदन मिस्त्री, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए। ऐसे नहीं चल सकता।

... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपके समय में पोटा कानून रहते हुए भी गुजरात में, मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यकों पर जो हमले हुए, हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे कितने ही आपके आर्गेनाइजेशंस हैं, वी०एच०पी० और बजरंग दल में इनके आदमी शामिल होते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस और सरकार द्वारा नहीं की जाती है। इस तरह से वे लोग बिंदास घूमते हैं।

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक : महोदय, जिस सदस्य का यहां प्रतिनिधित्व नहीं है, यहां उसका नाम नहीं लिया जा सकता ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

... *(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : यह किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। मैं उन्हें यह भी बताऊंगा कि आर०एस०एस० इसमें शामिल है। वह क्या करेंगे? मैं संगठन के बारे में बात कर रहा हूं, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं। वह मुझे इसके लिए विवश नहीं कर सकते कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब आपकी बारी आए तो आप बोल सकते हैं। यदि आपको कोई अवसर चाहिए तो मैं आपको अवसर दूंगा। किसी संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है।

...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : यह बजरंग दल का नाम कैसे ले सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं ऐसा कर सकता हूं। मैं एक संगठन का नाम ले रहा हूं, किसी व्यक्ति का नहीं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो श्री मधुसूदन मिस्त्री बोल रहे हैं, उसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बिना अनुमति के उनकी बात पूरी हुए बिना ऐसा नहीं कर सकते। यहां इसकी कुछ प्रक्रिया है। आप जिस किसी बात का विरोध करना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको अवसर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : यह कैसे आइरनी है, मुझे यहां बोलने का मौका मिला है, मैं दिल की बात कह रहा हूं, लेकिन मुझे बोलने से रोका जा रहा है। एक आदमी, एक आर्गेनाइजेशन का आदमी, पूरे राज्य के सिनेमाघरों को थ्रैट करता है कि अगर आप 'परजानिया' फिल्म दिखाएंगे, तो अंजाम बुरा होगा। इस सवाल पर राज्य की सरकार चुप्पी साध लेती है और कोई कार्रवाई नहीं होती है।

[अनुवाद]

गुजरात में यह स्थिति है। क्या यह ऐसी स्थिति नहीं है जिसपर केन्द्र को ध्यान देना चाहिए?

[हिन्दी]

मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात में इस प्रकार बेबसी की परिस्थिति बन गई है, जिसमें राज्य के नहीं, राज्य के पैट्रोनेज के आदमी सरकार को डिक्टेट करते हैं कि इस राज्य में क्या होगा और क्या नहीं होगा।

मध्याह्न 12.00 बजे

कौनसी औरत किसके साथ शादी करेगी और अगर वह औरत शादी करती है तो उसे राज्य से निकाला जाता है। ऐसी परिस्थिति उस राज्य में हैं और ये कह रहे हैं कि राज्य का नाम मत लीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि यही परिस्थिति राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। हम कहना चाहते हैं कि यह जो क्राइम-रेट है, क्राइम की सिचुएशन है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, मैंने अभी तक अपनी बात समाप्त नहीं की है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, जब तक वे अपनी बात समाप्त नहीं कर लेते तब तक आप नहीं बोल सकते।

...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, महोदय इनमें सच सुनने का माद्दा नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : सच पर आप जिरह नहीं कर सकते हैं न ही आपके लीडर ऑफ अपोजीशन कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया किसी शहर के नाम का उल्लेख न करें यह ठीक नहीं है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : इसलिए एक बड़ी अजीब सी स्थिति वहां है और यहां कहा जाता है कि यह राज्य की घटना है इसलिए उसे आप यहां नहीं उठा सकते। सर, पूरे देश के अंदर आज जो चर्चा का विषय है, उसे मैं यहां कहना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हमारे यहां एक इंक्वायरी सी०आई०डी० के अदंर दी गयी और सी०आई०डी० की इंक्वायरी में पता चला कि गुजरात के अंदर एक फेक-एनकाउंटर दिन-दहाड़े हुआ। माननीय आडवाणी जी की कांस्टीटयूएंसी में हुआ। उस आदमी और औरत का हमारे हैदराबाद से ज्यादा कनैक्शन है ऐसा लगता है, क्योंकि फेक-पासपोर्ट में भी हैदराबाद का कनैक्शन निकला। जो हरिन पाठक थे, जिनका मर्डर हुआ था, उनके टैरिस्ट भी हैदराबाद से आये थे, ऐसा कहकर उनको भी मारा गया। *(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : सर, मुझे क्यों मार रहे हैं?

श्री मधुसूदन मिस्त्री : सॉरी, आप नहीं, हरिन पंड्या। आप सौ साल जीओ। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वे बहुत ही प्रबुद्ध पाठक है, लेकिन यहां पर अन्य पाठक भी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : क्षमा कीजिए मैं आपको नहीं कह रहा हूं। आप सौ साल जीओ, ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूं। जो कपल हैदराबाद से निकला था, सांगली के पास उतारा गया। जो रिपोर्ट आई है उसमें इनके एस०पी० लेवल के ऑफिसर ने रूम बुक कराकर एलीबी खड़ी की और उसके अंदर उनके आदमी रहे। उस कपल को सांगली से अहमदाबाद लाया गया और ऐसा पता चला है कि डी०आई०जी० के फार्म के अंदर रखा गया। वहां से वह आदमी जिसका नाम सौहराबुद्दीन है उस आदमी को अहमदाबाद शहर के अंदर लाया गया और दिन दहाड़े दो एस०पी० और एक डी०आई०जी०, जो ए०टी०एस० के हैं, उन्होंने उसे मार दिया। उसके साथ जो औरत थी उसको अलग किया गया और आज तक उसका कोई पता नहीं है। उस एनकाउंटर का जो विटनेस था उसको मेरी कांस्टीट्यूएंसी के अंदर, गुजरातियों के बड़े पिलग्रिमेज अम्बा जी में एनकाउंटर किया गया, जिससे न रहे बांस न बजे बांसुरी — ऐसी परिस्थिति खड़ी की गयी। यह कोई एक एनकाउंटर नहीं है, लेकिन मैं सुप्रीम-कोर्ट को बधाई दूंगा। जिसकी वजह से थोड़ा कुछ बाहर आया है। हम माननीय होम-मिनिस्टर साहब से यह मांग करते हैं कि इसमें जरूर सी०बी०आई० इंक्वायरी हो। हम यह भी मांग करते हैं कि होम-मिनिस्टर साहब इसके ऊपर यहां बयान दें। गुजरात में आज तक ऐसे 21 एनकाउंटर्स हुए हैं। दस से ज्यादा एनकाउंटर्स अभी के जो डी०आई०जी० हैं, उनकी लीडरशिप में हुए? वह उनमें इन्वौल्व थे। उसमें एक ऑफिसर चीफ मिनिस्टर साहब के भी कहे जाते हैं। जो रिपोर्ट आई है जो बहुत कंसर्न रखती है वह यह है कि जो इंक्वायरी सुप्रीम-कोर्ट ने इंस्टीटयूट की है और जो इंक्वयरी वहां चल रही है उससे ऐसा पता चला है कि

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कहां से पढ़ रहे हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, मैं समाचार पत्र में से पढ़ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक रिपोर्ट समाचार पत्र में छपी है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, मैं उस रिपोर्ट में से केवल दो वाक्य पढ़ रहा हूं। इसमें कहा गया है कि:

> "उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार की गई जांच में कहा गया है कि "इस पूरे प्रकरण का सबसे दुखद पहलू राज्य सरकार और राज्य के गृह मंत्रालय के बीच की टकराहट है" इसके अतिरिक्त इससे यह बात सामने आती है कि इस बड़े अपराध में राज्य सरकार भी संलिप्त थी।"

[हिन्दी]

जिस पुलिस एस्टेबलिशमेंट की खुद की जिम्मेदारी है कि लोगों की जान-माल की रक्षा करे, अगर वह खुद इसके अंदर हिस्सा ले या मारने वाला इंस्ट्रूमेंट बन जाए तो लोग कहां जाएंगे?

महोदय, इसके लिए कई मैकेनिज्म नहीं है। आज भी जो लोग पोटा के तहत गिरफ्तार हैं, वे डरते हैं कम्प्लेंट करने से, क्योंकि उन्हें

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डर है कि उनके परिवार वालों को कब कहां से उठा लिया जाए। ऐसी परिस्थितियां आज राज्यों के अंदर हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम केंद्र सरकार की तरफ से केवल देखते रहेंगे? हमें कोई प्रभावी मैकेनिज्म क्रियेट करना चाहिए कि हमें कहां इंटरवीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार को कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए। मेरा गृह मंत्री जी से आग्रह है कि ऐसे कई राज्यों के मामले होंगे, जहां लोग बेबसी कारण कुछ कह नहीं सकते और न ही उन्हें कोई रास्ता दिखाई देता है, अगर कोई रास्ता है, तो वह कोर्ट है। जिसके पास पैसा तथा हिम्मत होगी, वही कोर्ट में जाएगा या फ्री लीगल एंड के तहत कोर्ट में जा सकता है और अपनी बात कह सकता है, लेकिन उसके लिए भी हिम्मत चाहिए।

सबसे बड़ी बात यह है कि सभी इन्क्वायरीज़ के अंदर इनके होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का नाम आता है।

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक : महोदय, वे किसी के नाम का उल्लेख कैसे कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनका नाम मत लीजिए। इसे हटा दिया जाएगा।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : वह संवैधानिक प्रमुख है। आप उनका बचाव क्यों कर रहे हैं?

श्री हरिन पाठक : मैं उनका बचाव इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वे हमारे मुख्यमंत्री है। उनका ताल्लुक हमारी पार्टी से है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : आप गृह मंत्री का बचाव कर रहे है जिनका नाम जांच में सामने आया है।

श्री हरिन पाठक : महोदय, आप नामों का उल्लेख कैसे कर सकते है?

श्री मधुसूदन मिस्त्री : इसका निर्णय न्यायालय करेगा।

[हिन्दी]

महोदय, कम्यूनल विभाजन राज्यों में बढ़ता जा रहा है। कम्यूनल वायलेंस के ज्यादा-से-ज्यादा इंसीडेंट्स हमारे राज्य में या दूसरे राज्यों में हुए हैं, जो बहुत चिंता की बात है। यह हमारा सोशल फेब्रिक है, लेकिन कुछ लोग इस देश को विभाजित करने में लगे हुए हैं, जो इस देश के लिए बहुत गंभीरता की बात है, देश के संविधान के लिए बहुत गंभीरता की बात है। जिन राज्यों में ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं, वहां या तो क्राइम रेट का कमीशन बैठाया जाए या कुछ और फार्मूला ढूंढा जाए। जहां केंद्र सरकार को लगे कि कुछ संदेहजनक स्थिति है, वहां सुओमोटू एक्ट करना चाहिए या कुछ ऐसा मैकेनिज्म ढूंढ निकालना चाहिए, जिससे राज्यों की बिगड़ती हुई स्थिति में सुधार लाया जा सके।

इसके साथ जुड़ा हुआ जो दूसरा मुद्दा है, वह पूरे प्रशासन के अंदर भ्रष्टाचार का होना भी है। किसी भी गरीब आदमी को पुलिस प्रशासन द्वारा न्याय मिलना दिन-ब-दिन बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इस समस्या से कैसे निजात पाई जाए, यह मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक बात साफ है कि अगर कोई छोटी सी भी शिकायत दर्ज कराने जाएंगे, तो या तो वह शिकायत दर्ज नहीं की जाती है या उस पर कार्यवाही करने में डिले किया जाता है या उस शिकायत को इस तरह हैंडल किया जाता है ताकि उस पर उचित कार्यवाही न हो सके।

महोदय, मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। मैं एफ०सी०आर०ए० (फारेन कांट्रीब्यूशन रेग्यूलेशन एक्ट) के बारे में कह रहा हूं। मैं इस देश में स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए मूवमेंट के साथ बहुत समय से जुड़ा हुआ हूं। कई लोग मुझे अप्रोच करते हैं। मेरी होम मिनिस्टर से विनती है कि जो लोग एफ०सी०आर० के अंदर एप्लाई करते हैं और उसकी जो फील्ड रिपोर्ट आती है, उसके अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म किया जाए, जिससे किसी को कोई भी पैसा न देना पड़े, ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो। वालेंटरी मूवमेंट से जो लोग जुड़े हुए हैं और वाकई में अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को राहत दी जाए। स्टेब्लिशमेंट को थोड़ा टोन-अप किया जाए।

मैं दूसरी बात सेंसस डेटा के बारे में कहना चाहता हूं। वर्ष 2001 की जो डिस्ट्रिक्ट हैंड बुक है, वह शायद सी०डी० के अंदर होगी, लेकिन अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। ऐसी डिटेल्ड इंफोर्मेशन, हाउसहोल्ड इंफोर्मेशन या विलेज इंफोर्मेशन सभी को चाहिए, ताकि इस डेटा का ज्यादा से ज्यादा यूज हो सके, इसलिए जल्दी से जल्दी इस डेटा को पब्लिश किया जाए। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कई बार कुछ डाउट सेंसस डेटा के बारे में सामने आए हैं। स्टेट का डाटा? जो आर्गेनाइजेशन के पास से ली जाती है और जो एज ओल्ड होती है, उनकी वजह से जो नए चेंजिज या उस वक्त की जो स्थिति होती है, उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होती है। इसका असर प्लानिंग पर होता है। क्योंकि यही डाटा प्लानिंग में यूज करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन में यूज करते हैं। मुझे फाइनली यही कहना है, हालांकि मैंने थोड़ी बहुत बात पुलिस के बारे में की है, पुलिस एस्टाबलिश में जो लोग काम करने वाले हैं, उनके प्रति भी मेरी सिम्पेथी है, क्योंकि उनके वर्किंग ऑवर फिक्स्ड नहीं हैं, उनकी रेजिडेंशियल, पोजीशन काफी खराब है, पे पैकेज भी बहुत कम मिलता है, इस वजह से पुलिस कांस्टेबल्स और इंस्पेक्टर से नीचे के लैवल के जो आदमी हैं, उनको कुछ राहत

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

ट्रेनिंग में और आर्थिक सहायता दी जाए। इतना ही नहीं, खास तौर से उनके लिए इन्टेन्सिव ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जाना चाहिए। उनका एटीट्यूड चेंज करने के लिए और मॉडर्नाइजेशन के लिए काम होना चाहिए क्योंकि जो एज ओल्ड इक्विपमेंट्स हैं, वही चल रहे हैं। मैं स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ रहा था, मुझे उससे पता चला है कि पुलिस फोर्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए जो पैसा दिया जाता है, कितने ही राज्यों ने उस पैसे का यूज हाउसिंग के लिए किया है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स में अच्छी मोटर साईकिल, अच्छी गाड़ी और इन्स्ट्रूमेंट, देना है, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं जाता है। इतना ही नहीं, उनका माइंड मॉडर्नाइज करना चाहिए, क्रिमिनल्स को नैप करने के लिए उनकी सोच को बढ़ाना चाहिए और उनका एटीट्यूड चेंज करना ट्रेनिंग में शामिल करना चाहिए, ताकि बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेंड वर्कफोर्स और पुलिस फोर्स तैयार हो सके, ऐसी मेरी विनती है।

मैं अंत में कहना चाहता हूं कि होम डिपार्टमेंट की ओर से जो इंक्वायरी कमीशन सैट अप किए गए हैंए वें बहुत समय लेते हैं, उनकी रिपोर्ट 10, 12 या 15 साल के बाद आती है। हमारे यहां शाह कमीशन बैठा हुआ है, पता नहीं वह कब रिपोर्ट देगा? मुझे शंका है कि जब तक रिपोर्ट आएगी तब तक यह कहानी पूरी हो जाएगी, लोक भूल भी जाएंगे और जिनको न्याय चाहिए उनको न्याय भी नहीं मिलेगा। ऐसे जो इन्क्वायरी कमीशन बिठाए गए हैं, उनकी टाइम लिमिट तय की जाए, ताकि जिस केस की वे जांच कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट जल्दी दें, जिससे उस रिपोर्ट में जो लोग इंडीक्ट हुए हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके और लोगों को न्याय मिल सके।

इसके साथ, मैं गृह मंत्रालय की तरफ से जो डिमांड्स आई हैं, अपनी पार्टी की ओर से उन्हें सपोर्ट करता हूं। मैं होम मिनिस्टर साहब को बधाई देता हूं कि जिस तरह से वह पिछले तीन सालों से गृह मंत्रालय चला रहे हैं, उसी तरह आने वाले सालों में गृह मंत्रालय और भी एफिशिएंटली काम करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। *(व्यवधान)* आपको इससे क्या लेना, तुम ही तो करवाते हो।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में गृह मंत्रालय को अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। आज आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से देश की सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद और नक्सलवाद है। आज ही नहीं, पहले भी इस सदन में बहुत विस्तार से इस बारे में चर्चा हुई है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता कि कितने आतंकवादी मारे गए, कितने नक्सलवादी मारे गए, कितने कम हुए क्योंकि तुलनात्मक आंकड़ों से काम नहीं चलेगा, उससे महत्वपूर्ण यह है कि हिन्दुस्तान के लोगों को यह अहसास होना चाहिए कि इस समस्या से निजात दिलाने, के लिए सरकार सकारात्मक दिशा में पहल कर रही है। आज की इस बहस के बाद मैं गृह मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि हिन्दुस्तान में यह संदेश जाना चाहिए कि यह देश की गंभीर समस्या और इससे निबटने में सरकार प्रभावी पहल कर रही है।

इस समय देश के कम से कम बीस राज्य इस समस्या से प्रभावित है और कम से कम 165 जिलों में आतंकवाद और नक्सलवाद का असर है। सीमा पार से आतंकवाद, पूर्वोत्तर का उग्रवाद और देश के भीतरी भागों में नक्सली हिंसा, ये तीन तरह के तत्व हमारे देश में सक्रिय हैं। जिस तरह की रिपोर्टस आ रही हैं, देश के गृह राज्य मंत्री खुद स्वीकार करते हैं कि नक्सलियों के पास फंड्स बैंकों के जरिये आ रहे हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट स्वीकार करती है कि नक्सली अब कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की ओर भी बढ़ रहे हैं। अभी अखबारों में छपा है कि नक्सलवादियों के कैडर्स की संख्या 4600 से ऊपर हो चुकी है। माओवादियों ने जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, वह आठ पेज की है, उसमें देश की परियोजनाओं को नष्ट करने का इरादा व्यक्त किया गया है और सीतामढ़ी, बिहार में जो कुछ हुआ, वह उस दिशा में सबसे पहली कड़ी थी।

अध्यक्ष महोदय, लिट्टे की तर्ज पर नक्सलवादियों ने भी यह फरमान जारी किया है कि उन्हें एक बच्चा नक्सली अभियान के लिए चाहिए, जिसे रैड आर्मी में शामिल किया जा सके। गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं। उन्होंने 15 मार्च को खुद स्वीकार किया है कि नक्सली घटनाओं में 57 फीसदी इजाफा हुआ है। एक संस्थान ने उल्लेख किया है कि आतंकवादियों को सहायता देने वाले विश्व में 236 व्यक्तिगत या संस्थागत तत्व हैं। मैं गृह मंत्री जी से विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे तत्व, जिनसे आर्थिक इम्दाद मिलती है, निश्चित तौर पर, जब आप जवाब दें तो ऐसे तत्वों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, उसका खुलासा जरूर होना चाहिए। नेशनल सिक्युरिटी एडवाइजर, श्री एम०के० नारायणन का कहना है कि मुम्बई और चेन्नई स्टाक मार्केट में कुछ फर्में नक्ली नामों से आतंकवादियों के लिए धन जुटा रहीं हैं। यह हमारे देश का मामला है और मैं समझता हूं कि गृह मंत्री या भारत सरकार को इस आशय की जानकारी जरूर होगी, लेकिन उनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वह सख्त काईवाई आज तक नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर भारत सरकार ने राज्यों सरकारों से बात की है। कई बार इस सिलसिले में सम्मेलन हुए, चर्चाएं हुईं, लेकिन इन सवालों पर कभी-कभी राज्य सरकारों और भारत सरकार का दृष्टिकोण

अलग-अलग दिखाई देता है। असम के मुख्य मंत्री ने कहा कि उल्फा से भारत सरकार जो बात कर रही है, वह भारत सरकार गलती कर रही है। गृह मंत्री जी, आपने खुद कहा कि बिहार की पुलिस में कुछ खामियां हैं। आज 72 हजार बंगलादेशी, 21 हजार पाकिस्तानी और 34 हजार अफगानिस्तानी हमारे देश के अंदर है और अफसोस की बात है कि हम उन्हें चिन्हित करके आज तक बाहर नहीं भेज पाये, उनकी पहचान तक नहीं कर पाये। हमारा खुफिया तंत्र क्या कर रहा है? क्या कर रही है सरकार? वे लोग क्या कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी इन तत्वों का पता लगाने की है। यह बहुत गंभीर ममाला है और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए।

जहां तक आतंकवाद का सवाल है, उसे सिर्फ यह कहकर नहीं टाला जा सकता है कि आतंवाद राज्यों का विषय है। क्योंकि इस तरह आतंकवाद को संरक्षण मिल रहा है, सीमा पार से हथियार आ रहे हैं। यदि हमारी सीमाएं सुरक्षित होंगी, तो मैं समझता कि जो सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन मिल रहा है और आतंकवादी आ रहे हैं, वे हमारे देश में नहीं आ सकते। इसलिए मूलतः सही मायनों में यह समस्या भारत सरकार की समस्या है।

जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए सोली सोराब जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें संघीय ढांचे की बात की गई है। मुझे खुशी है और जैसा आज अखबारों में छपा है कि भारत सरकार ने पूर्व प्रधान न्यायाधीशए श्री एम०एम० पंछी की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया है। सरकारिया आयोग के बीस साल के बाद इस आयोग का गठन हुआ है। इस आयोग के गठन के पीछे मंशा यही है कि केन्द्र और राज्यों के संबंध क्या हैं और नक्सली और आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, उनके खिलाफ मिलजुलकर एक संघीय तंत्र बनाकर कैसे इन हालात पर काबू किया जा सकता है। लेकिन मैं आपकी मार्फत गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा हमारे देश में विभिन्न समस्याओं पर तमाम आयोग बने हैं। उनकी रपट बहुत जल्दी आती है, लेकिन उससे ज्यादा समय उनके क्रियान्वयन में लगता है।

गृह मंत्री जी, आपने इस आयोग का जो कार्यकाल सुनिश्चित किया है, वह दो वर्ष का है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि मेहरबानी करके इसका कार्यकाल एक वर्ष करिए क्योंकि यह बहुत ही गंभीर मामला है। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि वक्त का तकाजा है कि जब तक भारत सरकार और राज्य सरकारों का बेहतर तालमेल नहीं होगा तब तक इस स्थिति से नहीं निपटा जा सकता। इसे राज्य का विषय बताते हैं। भारत सरकार की बात छोड़ दीजिए। एक राज्य में कोई घटना हो जाती है और घटना के बाद वे नक्सलवादी जब दूसरे राज्य में चले जाते हैं तो उस राज्य को राहत मिलती है कि यह यहां का मामला नहीं है, वहां का मामला है। लेकिन कभी-कभी राज्यों की सीमाओं में इसका लाभ उठाकर इस प्रकार के तत्व वारदात करते हैं और दूसरे राज्य में चले जाते हैं। राज्यों के खुफिया तंत्र का भी आपस में कोई तालमेल नहीं है। इसलिए जिस मंशा से आपने यह कमीशन बनाया है, इस मंशा को क्रियान्वित करने के लिए एक निश्चित समय के अंदर बहुत जल्दी इस कमीशन की रिपोर्ट आपको मिल जाए, सिफारिशें मिल जाएं और उतनी ही जल्दी इसका क्रियान्वयन हो तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा होगा।

इस बार वित्त मंत्री जी का जो बजट भाषण हुआ, उसमें आन्तरिक सुरक्षा के सवाल पर जितनी मुस्तैदी और गंभीरता के साथ वित्त मंत्री जी को बोलना चाहिए था, वे नहीं बोले। मैं समझता हूं कि इन सब चीजों के लिए और जयादा धन की आवश्यकता है। मेरा अपना मानना यह है कि देश की आज सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वह आन्तरिक सुरक्षा की समस्या है। एक पूर्णकालिक मंत्रालय इस काम को करने के लिए होना चाहिए जिससे बेहतर नतीजे आ सकें और इस समस्या पर नियंत्रण किया जा सके।

मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो गुजरात का जिक्र हमारे लोगों ने किया, मैं कहना चाहूंगा कि गुजरात में जो कुछ हुआ है, यह घटना बहुत ही गंभीर है। सवाल एक व्यक्ति के मरने का नहीं है। एक व्यक्ति की 26 नवम्बर 2005 को हत्य कर दी जाती है यह कहकर कि वह आतंकवादी था और उसका संबंध लश्कर-ए-तैयबा से था। देश में कहीं भी इस प्रकार की अगर घटना होती है तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए क्या हम नये नक्सलवादी और नये आतंकवादी पैदा करने की दावत दे रहे हैं। अगर किसी बेगुनाह को आप मारेंगे तो जो अमन पसंद नागरिक है, वह भी सोचने के लिए बाध्य हो जाएगा कि जिस तरह से सोहराबुद्दीन की हत्या की गई है, वह एक गंभीर मामला है, न सिर्फ यह एक इस तरह की घटना है, गुजरात में 21 घटनाएं हुई हैं और जो गुजरात के डी०आई०जी० इसके लिए जिम्मेवार हैं, उस अकेले डी०आई०जी० ने दस लोगों को आतंकवादी कहकर मार डाला और कल जब उच्चतम न्यायालय के सामने जब यह मामला आया तो कहा गया कि उसकी पत्नी कौसर बी को लाएं तो कौसर बी को उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत करने में राज्य सरकार असफल रही और राज्य सरकार ने कहा कि आशंका यह है कि उसकी हत्या तथ्यों को छिपाने के लिए हो सकती है। मेरा आरोप है कि तथ्यों को छिपाने के लिए हत्या हो सकती है तो यह उसी षडयंत्र का हिस्सा है कि उसकी हत्या कर दी गई है। कभी-कभी लगता है और गुजरात राज्य की ही रिपोर्ट

[श्री रामजीलाल सुमन]

है कि उसमें गृह राज्य मंत्री भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र जो देशभक्ति की बात करते हैं लेकिन जब लगता यह है कि गुजरात की सरकार और बी०जे०पी० आतंकवादी पैदा करने की मशीन बनती जा रही है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप है कि जिस तरह से गुजरात का दंगा राज्य द्वारा प्रायोजित था। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वर्मा जी, यह बात ठीक नहीं है। आप बोलना चाहते हैं, बोलिए। आप जवाब दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप है कि जिस तरह से गुजरात का दंगा राज्य द्वारा प्रायोजित था, ठीक उसी तरह से अमन पसन्द लोगों को गुजरात में आतंकवादी कहकर मार डाला गया। कल आपके मित्रों ने कहा कि उसका आपराधिक बैकग्राउंड था। अगर यह मान लिया जाए कि उसके खिलाफ कुछ आपराधिक मामला दर्ज हुआ था तो हमारे देश में दंड देने के लिए कानून बना हुआ है। आपको यह अधिकार किसने दे दिया कि आप चाहे जिस व्यक्ति को उठाकर, जिसके खिलाफ दो मुकदमें दर्ज हों, उसको गोली मार दें? हमारा कानून इसको इजाजत नहीं देता। गुजरात में जो कुछ हुआ है, यह सवाल अकेले गुजरात का या एक व्यक्ति का नहीं है, यह पूरे देश और दुनिया में संदेश जाएगा कि अमन पसंद लोगों को भी आतंकवादी कहकर हिन्दुस्तान में गुजरात के अंदर मारने का काम किया जा रहा है जो किसी भी कीमत पर देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत भारत के गृह मंत्री से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वह मेहरबानी करके इस मामले में गंभीरता से सोचें। मैं केवल गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जहां भी फर्जी एनकाऊंटर्स होते हैं या जिन्हें आतंकवादी कहकर मार दिया जाता है, अगर ऐसी शिकायतें मिलती हैं, तो सरकार का धर्म और फर्ज है कि वह उन सारे तथ्यों की जांच सी०बी०आई० से कराये जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये। भविष्य में इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ताकि देश को एक अच्छा संदेश जाये।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, आपने गृह मंत्रालय की अनुदानों मांगों पर मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

गृह मंत्रालय के बजटरी प्रोवीजन्स में 71 प्रतिशत भाग पुलिस के बारे में होता है। जाहिर बात है कि जब हम गृह मंत्रालय पर चर्चा करते हैं तो पुलिस के बारे में ज्यादा चर्चा होती है जबकि कानून और व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है लेकिन केन्द्र सरकार की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। जब मैं गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट देखता हूं जिसमें यह दावा किया गया है, और वह कुछ हद तक सही भी है कि पिछले कुछ समय से देश में कानून व्यवस्था, साम्प्रदायिक वातावरण और अलगाववाद की स्थिति सुधरी है। इसके अलावा वार्षिक रिपोर्ट में टैरिस्ट्स अटैक के बारे में भी दावा किया गया है। मैं इन तमाम विषयों पर बाद में कहूंगा। मैं इसके पहले यह सवाल करूंगा कि जो बजटरी प्रोवीजन्स हैं, उनकी एक्सरसाइज़ रियलिस्टिक होनी चाहिये लेकिन जब हम बजटरी एस्टीमेट्स और रिवाइज्ड एस्टीमेट्स देखते हैं तो वे दूसरे होते हैं। हम समझते हैं कि यह सब कैलकुलेटेड वे से मूव किया जाता है। इसलिए ऐसा नहीं कि यह अनप्रिसीडेंटेड हुआ हो, इन्क्रीज हुआ हो या डिक्रीज़ हुआ हो। अगर हम पिछले 3-4 साल के आंकड़े देखें तो बजटरी एस्टीमेट्स और रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में फर्क है। जब इन डिमांड्स पर समिति की रिपोर्ट आयेगी तो उसमें तफसील से सारी बातें होंगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब डिमांड नं० 53 की बात करूंगा जिसमें अदर्स एक्सपैंडिचर्स दिये गये हैं और हम जिनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। अगर देखा जाये तो इसी मद में बजटरी एस्टीमेट 964 करोड़ रुपये के हैं जबकि रिवाइज्ड एस्टीमेट में यह 1432 करोड़ रुपये है। अगर 23500 करोड़ रुपये के बजट में 500 करोड़ रुपये किसी एक आइटम में छलांग लगा लेते हैं और 50 प्रतिशत ज्यादा एंट्री हो जाती है या बजटरी एक्सरसाइज में रियलिस्टिकली एक्सैस में आ गया या किसी ईश्यू पर 50 प्रतिशत बढ़ाना पड़ता है या कम नहीं है लेकिन अदर एक्सपैंडिचर्स में कुल बजट 4 प्रतिशत है। मैंने मिसाल के तौर पर यह बताया है। ऐसी मिसालें और भी हैं लेकिन मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। इसमें एक पौलिटिकल विल या पौलिटिकल प्रायरिटीज होती हैं, जिसका स्पेशल असर होता है कि फाइनैंशियल ऐलोकेशन्स में हम कहां ज्यादा जोर डाल रहे हैं और क्या जिम्मेदारियां हैं?

अध्यक्ष महोदय, यू०पी०ए० सरकार का गठन इसलिये हुआ था कि उस समय देश में साम्प्रदायिक वातावरण बढ़ रहा था जिसकी रोकथाम करनी जरूरी थी। हम जानते हैं कि यू०पी०ए० सरकार में पाटील साहब को गृह मंत्री मान लिया गया क्योंकि देश में जो साम्प्रदायिक स्थिति है, लोगों में दुर्भावना की आग पैदा हो रही है, गुजरात में ऐसा माहौल पैदा किया गया है, उस स्थिति में सुधार हो। उनको यह समझना पड़ेगा कि जब तक और हर पल वह गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे हुये हैं, तब तक उन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं मंत्री क्यों हूं या उनकी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं होने के काराण यह मंत्रिमंडल में क्यों बैठे हैं, वह फैसला क्यों कर रहे हैं? उनकी कुछ प्रायरिटीज़ हैं जिन्हें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में तय किया गया है। *(व्यवधान)* उसमें सब से बड़ा कारण होम मिनिस्ट्री में इंटरनल सिक्यूरिटी का बड़ा मामला है, जम्मू कश्मीर का मामला है जिसमें कुछ पहल किये गये हैं। देश में साम्प्रदायिक वातावरण थाए उसमें कुछ सुधार हुआ है। जो चीज पॉज़िटिव है, उसे मैं पॉज़िटिव मानता हूं। अगर कोई चाहे कि इमोशन्स पम्प करके या सी०डी० डिस्ट्रीब्यूट करके, एक जनगोष्ठी के विरुद्ध दूसरी जनगोष्ठी करके, लोगों को ललकार कर फसाद पैदा कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं हमने देखा कि मालेगांव में बम विस्फोट हुआ, वाराणसी में बम विस्फोट हुआ। मुम्बई में हमने देखा कि रेलों में सीरियल बम ब्लास्ट हुए और कुछ ऐसे तत्व हैं जो इसे सांप्रदायिक रंग देकर, जो आतंकवादी हमले हुए, उनके माध्यम से एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने की साजिश करते हैं, लेकिन देश की जनता उसके लिए तैयार नहीं है। वातावरण तो बदला वरना ऐसे वाकयों को लेकर हमेशा एक कम्यूनल टैम्पेरामेंट को बढ़ाया जाता है और उसमें कुछ लोग अपने को सस्टेन करते हैं। वे लोग करते हैं जो आतंकवाद को एक सांप्रदायिक नैरो प्रिज़्म से देखते हैं। आज जब शाहनवाज़ हुसैन एक नौजवान और होनहार नेता हैं, एक माननीय सदस्य और पूर्व मंत्री कह रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि वह नैरो प्रिज़्म है। दुनिया में क्या घट रहा है, उन्हें मालूम नहीं है। वह कहते हैं कि गृह मंत्री थोड़ा सख्त हो जाएं, दूसरे या तीसरे लौह पुरुष हो जाएं, एक सख्त कानून पोटा या टाडा आ जाए, तो हम आतंकवाद से निपट लेंगे। प्रैज़ीडैंट बुश बहुत सख्त हैं, क्या वे विश्व में आतंकवाद को रोक पा रहे हैं? इराक में तो शूट एट साइट है, समरी ट्रायल है, क्या वे आतंकवाद से निपट पा रहे हैं? अफगानिस्तान में हैलीकॉप्टर से बम मार सकते हैं। हम किसी कानून की धज्जियां उड़ा देंगे और कहेंगे कि दुनिया के सब लोगों ने सख्त कानून बना लिये और हम चूंकि सॉफ्ट स्टेट हो गए इसलिए हम नहीं रोक पा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं:

"यूनान-मिस्र रोमां, सब मिट गए जहां से,
अब तक मगर है बाकी नामो-निशां हमारा।"

क्योंकि हमारी अपनी एक तहज़ीब है, हमारी अपनी एक सोच है और उसे हम बचाए रखना चाहते हैं, संजोए रखना चाहते हैं। आप किसकी नकल करने की बात कर रहे हैं? हमारी सॉफ्ट स्टेट है? फेक एनकाउंटर्स की बात हो रही है। गुजरात तो बहुत हार्ड स्टेट है, पुलिस स्टेट है। क्या वहां के लोगों में सुरक्षा का भाव बहुत अच्छा है? दिसम्बर महीने में मैं संसद सदस्यों को लेकर वहां गया था। वहां कम्यूनलिज़्म के शिकार लोगों को सैकेंड ग्रेड सिटिज़न्स बनाकर शहर के किनारे झोपड़-पट्टियों में बसाने का बंदोबस्त किया गया है, जहां बिजली-पानी नहीं है, सड़क नहीं है, कोई काम-काज नहीं है और उनके अंदर ऐसी भावना पैदा की जा रही है कि तुम इस देश में हो, लेकिन अपने देश में रिफ्यूजी हो। उससे क्या होगा, क्या सुरक्षा का भाव बढ़ेगा — नहीं बढ़ सकता। आतंकवाद पूरे विश्व में हो रहा है और उसके साथ इस्लाम और मुस्लिम आइडैंटिटी को जोड़कर जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको दोष नहीं देता। इस सत्र के शुरूआत में अल्जीरिया में, मोरक्को में आतंकवादी हमलों के शिकार लोगों के संबंध में हमने शोक ज्ञापित किया था। अल्जीरिया में 99.5 प्रतिशत मुसलमान हैं। मैं खुद वहां गया था। आतंकवाद से नौजवान किस प्रकार लड़े, 2001 में उसकी वर्कशाप हुई। युनिवर्सिटी में, एल्जियर्स में, उनकी पार्लियामैंट में, उनके मिनिस्टर पर जो हुआ, क्या वह हिन्दू-मुसलमान का मामला है? क्या हिन्दुत्व को पंप करने से आतंकवाद से लड़ा जा सकता है? मुसलमान फंडामैंटलिस्ट्स के विरोध में लड़ रहे हैं जो सेक्यूलर कानून का शासन चाहते हैं, जो रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, जो पीस चाहते हैं। मोरक्को में वही हालत है, कायरो में वही हालत है, इजिप्ट में वही हालत है। कल साउदी अरेबिया अखबार में आपने देखा, जो कैसेट वहां से पकड़े गए, रुपये मिले, करोड़ों के रियाल, औजार, वह क्या था? क्या वह कोई एक धर्म को टार्गेट करके दूसरे धर्म को मारने के लिए था? अपने मुल्क की जो व्यवस्था है, जो आइल वैल्स हैं, उन पर वह अटैक करने जा रहे थे। मैं उसके कारणों में नहीं जाऊंगा। लेकिन उसको नैरो कम्यूनल रिलीजस प्रिज़्म में मत देखो। आप दुनिया की हकीकत से इंकार कर रहे हैं, आप इसका सामना नहीं कर पाएंगे। हमें ठीक लगा, इस बार आपकी एनुअल रिपोर्ट में आपने टैररिज़्म से लड़ने के लिए काउंटर टैररिज़्म पालिसी के बारे में कहा है। मैं उसे पढ़ नहीं रहा हूं, वह एनुअल रिपोर्ट में दी गई है। एक मल्टी-प्रॉन्ड स्ट्रैटेजी की जरूरत है, जो आपने खुद कहा है। आप उनकी पुरानी मान्यताओं पर न चलें, जो सिक्यूरिटी कंसर्न हमारे देश में इस्राइल से लाया गया है, मोसाद से सीखा गया है, वह और भी ज्यादा ख़तरा पैदा कर रहा है। मोसाद और इस्राइल हार्ड स्टेट बनकर मिलिट्री से लैस होकर, न्यूक्लियर पावर लेकर, पूरी दुनिया की बड़ी-बड़ी ताकतों को साथ लेकर, आज भी उस भूखंड में पीस एस्टैबलिश नहीं कर सके। शांति से रहना है तो उसके लिए पोलिटिकल

[श्री रामजीलाल सुमन]

डायलॉग का प्रोसैस करना पड़ता है। जब डायलॉग प्रोसैस होता है तो कहते हैं देखो, ये सॉफ्ट हो गए। आपने लिखा है। *(व्यवधान)* फिर बोले! ये नैरो प्रिज़्म से देखते हैं। हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं और ये हिन्दुस्तान की बात पर आ गए। इनकी दोहरी बातें है। पूरे देश को मालूम होना चाहिए। भोपाल में किसी हिन्दू लड़की ने मुस्लिम लड़के से शादी कर ली। मैंने टी०वी० पर देखा, हिन्दू कन्या सुरक्षा समिति वहां संघ परिवार के लोगों ने बना ली। उन्हें और कोई काम नहीं है। धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। खुद शाहनवाज़ हुसैन, मुख्तार अब्बास नक्वी और सिकंदर बख्त जैसे महान नेता अगर किसी हिन्दू लड़की से शादी करते हैं तो सैक्यूरिज़्म होता है लेकिन कोई आम हिन्दू-मुसलमान लव मैरिज करते हैं तो देश को और हिन्दुत्व को खतरा हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आपके खिलाफ नहीं बोला है।

मोहम्मद सलीम : इनकी दोहरी नीति है। पूरे देश को मालूम होना चाहिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मेरी शादी कहां हुई और आपकी शादी कहां हुई? आपके दोस्त कहा हैं, क्या उसे यहां डिसकस करेंगे? *(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम : मैंने क्या कहा, इनकी दोहरी नीति है। *(व्यवधान)* इसको अच्छी स्पिरिट में लो। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप पर कोई आक्षेप नहीं लगाया गया है। आप पर कोई आक्षेप नहीं लगाया गया है।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : आप इतने महान है, हम आपकी रैस्पैक्ट करते हैं। हमने अच्छी बात कही। हमने कहा कि संघ परिवार के लोगों को आपसे सबक लेना चाहिए कि ये यथार्थ भारतीय हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनको एप्रिशियेट किया है।

मोहम्मद सलीम : हमने अच्छी बात बोली है। हमने कहा कि नैरो प्रिज़्म से मत देखो, उदारता से देखो। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्ष पीठ से मुखातिब हों।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : यह मानवता की बात है। आपको उदाहरण देना चाहिए और बोलना चाहिए कि तुम भोपाल में गलत कर रहे हो। इस तरह सांप्रदायिक वातावरण मत बिगाड़ो, बल्कि सांप्रदायिक सद्भाव पैदा करो। *(व्यवधान)* मैं व्यक्तिगत बात नहीं बोल रहा हूं, मैं महानता बता रहा हूं कि यह अच्छी बात है। *(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : क्या आपकी कम्युनिस्ट पार्टी की सुभाषिनी अली जी ने शादी नहीं की? *(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम : मैं कहता हूं कि यह अच्छी बात है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको एप्रिशियेट किया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब मैं यहां पर हूं तो आप इनको बोलने की अनुमति कैसे दे सकते हैं।

(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम : महोदय अभी मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। इसलिए जो यह कहना चाहते हैं इन्हें कहने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री हुसैन आपकी प्रशंसा की जा रही न कि आप पर आक्षेप लगाए जा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप केवल इनकी प्रशंसा कर रहे थे।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : इनके पास कोई पॉइंट नहीं है। संघ परिवार का दबाव इतना है कि अगर मैं उनकी प्रशंसा भी करता हूं और नागपुर से सिगनल नहीं मिलता है तो ये उसे एक्सैप्ट नहीं करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : थोड़ा-थोड़ा ह्यूमर भी होना चाहिए।

मोहम्मद सलीम : मैं आपका दबाव समझता हूं। मैं फिर सांप्रदायिक वातावरण पर आ रहा हूं कि एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि सांप्रदायिक स्थिति सुधरी है, लेकिन आप देखें मध्य प्रदेश में, गुजरात

में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और यहां तक कि गोवा में और कहीं कहीं आप देखेंगे कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, बल्कि क्रिश्चियन्स जो छोटी माइनारिटीज़ हैं, मध्य प्रदेश में हमारे पास एक के बाद एक ज्ञापन आते हैं, उन पर, उनकी प्रापर्टीज़ पर, चर्च पर, उनके कब्रिस्तान पर दखल हो रहे हैं। यू०पी०ए० सरकार के गृह मंत्री के रूप में आपको इसे देखना पड़ेगा और राज्य सरकार को हिदायत देनी पड़ेगी। जो अच्छी बात और घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि जनता तैयार नहीं है, लेकिन सांप्रदायिक तत्व तत्पर हैं, इसलिए निशानदेही होती है, इसे रोकना पड़ेगा।

आपने यहीं पर इस संसद में हमारे सवाल पर थोड़ा रूठकर दिसंबर के सत्र में कहा था, जब मैंने कहा था कि लिब्राहन आयोग का बहुत एक्सटैंशन हो रहा है और यह आखिरी एक्सटैंशन होना चाहिए। हमने कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि आप इसको एक्सटैंशन देते रहेंगे। आपने कहा कि इनको पता नहीं है कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। यह बात रिकार्ड पर है। आपके दल के सदस्य मिस्त्री जी ने भी यही कहा कि कमीशन के बाद कमीशन, दिन के बाद दिन और साल के बाद साल होते जा रहे हैं। लोगों में कानून के शासन के प्रति अगर आस्था पैदा करनी है तो यह दिखना चाहिए कि अगर नाइंसाफी हुई, गलती हुई तो उसकी सज़ा दी जा रही है, उन्हें सज़ा दी जा रही है। वहां अगर आपके पैर लड़खड़ा जाएंगे तो लोगों की आस्था व्यवस्था के प्रति पैदा नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, सभी सी०डी० प्रकरण हुआ। हालांकि वह चुनाव आयोग का मामला है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो लोग कहते हैं कि मुसलमान सामने लाइन में क्यों नहीं है, यह बोलने का हक उनको कैसे होता है, जब वे विज्ञापन देकर अखबरों में कह रहे हैं कि 2007 में भी इनको प्रमाण देना पड़ेगा कि वे भारतीय हैं या पाकिस्तानी हैं। सी०डी० लगा कर ये उन्हें उकसा रहे हैं, इस बारे में सब को पता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। उसे मैं यहां कोट नहीं करूंगा। *(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : लोगों ने सी०डी० को डिसओन किया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सी०डी० को डिसओन किया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जा चुका है यह कार्यवाही वृत्तांत में मौजूद है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वह बहुत नफरत वाली बात है, नफरत पैदा करने वाली बात है। मैं उसकी व्याख्या नहीं करता हूं, लेकिन जिसने सी०डी० बनाई, वह खुद कहे कि किसने उन्हें आर्डर दिया, पैसा दिया, किसने उन्हें दिखाया और उसे एप्रूव किया और किस ने उसे रिलीज़ किया, वह सब फोटो सामने आ गया है। यहां ये बोल रहे हैं कि डिसओन दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में उसे बांट रहे हैं, वहां उसे दिखा रहे हो और कह रहे हो कि कोर्ट अरेस्ट करेंगे। यह दोहरी नीति है कि कहीं आप ओन कर रहे हो, कहीं डिसओन कर रहे हो। राष्ट्र को इसका पता चलना चाहिए। इसके साथ-साथ मिलिटेंसी का मामला आता है, जो नार्थ-ईस्ट में खास कर हो रहे हैं। इस पर हमारे माननीय सदस्य श्री बाजू बन रियान जी बोलेंगे, इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। नार्थ-ईस्ट में स्थिति में कुछ सुधार आया है, इसके बावजूद खास कर असम में कई ऐसे वाक्यात हुए, कई ऐसे बम विस्फोट हुए, आज भी सुरक्षा का अभाव है। नार्थ-ईस्ट के माननीय सदस्य वहां के बारे में पूरे डिटेल से बताएंगे, इसलिए मैं वहां के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं जम्मू-कश्मीर के बारे में बोल रहा हूं। जम्मू-कश्मीर के बारे में हमारे सामने और पूरे देश के सामने जो आया, यह सबसे बड़ी चुनौती है। हमें अच्छा लग रहा है कि पिछले तीन साल से कुछ इकदामात उठाए गए, खास कर प्राइम मिनिस्टर ने वहां खुद जाकर मैसेज दिया, पैकेज डिक्लेयर किए, उससे लोगों के अंदर एक आस्था बढ़ी। मैं खुद जम्मू-काश्मीर में हमेशा जाता रहता हूं, पार्टी की तरह से हमारी जिम्मेदारी है। मुझे सबसे अच्छा लगा कि पिछले 17 सालों में जो स्थिति बिगड़ी है, मैंने इन 17 सालों में पहली बार, दस रोज पहले बिना बुलेट प्रुफ कार, बिना कोई सुरक्षा लिए हुए, काश्मीर में और उसके बाहर भी, कई जगहों में अपने परिवार के सदस्यों के साथ सफर किया, किसी पोलिटिकल प्रोग्राम में नहीं। हमारे लोग खुद कहते थे कि आप वहां मत जाइए, वहां आतंकवादियों के हमले हो रहे हैं। मैं जिस रोज वहां पुलवामा में था, हमारे एक नौजवान कार्यकर्ता के ऊपर आतंकवादियों का हमला हुआ, उन्हें गोली मार दी गई। उन्हें वहां के एक अस्पताल में भर्ती किया गया। *(व्यवधान)* आप इतने नैरो मत बनो, अभी आपकी बहुत उम्र पड़ी है। हमारे कार्यकर्ता रोजाना वहां आतंकवाद के हमले झेल रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं, लेकिन हम उस चुनौती का सामना कर रहे हैं। उसमें ऐसी दहशत पैदा नहीं करनी चाहिए कि पूरे काश्मीर के लोगों के अंदर जो अलगाव पैदा हुआ है, उसे हमें जोड़ना है और उसे जोड़ने के प्रोसेस में हमने सिर्फ कुछ पुल बना दिए, आई०आई० टीस बना दिए, कुछ कॉलेज बना दिए, जो पैकेज के अंदर हैं, खाली इनसे कुछ नहीं होगा। उनकी जो आईडेंटिटी का सवाल है, हिन्दुस्तान के साथ

[मोहम्मद सलीम]

जम्मू-काश्मीर के लोग इसलिए जुड़े थे, डेमोक्रेटिक सेक्युलर लिबरल इंडिया, लेकिन जब सेक्युलर डेमोक्रेटिक लिबरल इंडिया के चेहरे पर कालिक पोता जा रहा है तो उनके अंदर बहुत बड़ा संदेह पैदा होता है। यही कारण है कि स्थिति बदल रही है, लेकिन हमें इस बात का अफसोस है कि हमेशा जब ऐसा वातावरण बनता है तो उसे फिर बिगड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है – चाहे सीमा पार से हो या अंदर से हो। जैसे अच्छे लोग यहां है, वैसे वहां भी हैं, और बुरे लोग यहां भी हैं और वहां भी हैं। जो लोग अच्छा वातावरण नहीं चाहते, वे भी तत्पर होते हैं और ऐसे हमले होते हैं – चाहे वह फिजिकल अटैक हो, टेरेरिस्ट, मिलिटेंट या पोलिटिकल अटेक हो, जिससे यह मामला लड़खड़ा जाता है। इसलिए आपको इससे बाहर जाकर सोचना पड़ेगा। अभी जो ग्राउंड टेबल बैठक हुई, उसकी अलग से चर्चा होगी, लेकिन अभी भी अगर सब लोग शामिल नहीं होते हैं तो वह राउंड टेबल बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होती। मैंने पिछली बार भी कहा था और इस बार भी कह रहा हूं कि सरकार को इसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, इन सब को शामिल करना पड़ेगा। यह मामला बोली से हल होगा, गोली से नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां तक माओइस्ट का मामला है, सब लोग बोल रहे हैं कि यह मामला काफी बढ़ रहा है। आपकी एनुअल रिपोर्ट को मैं कोट करता हूं–

[अनुवाद]

"उस घटना और छत्तीसगढ़ में हताहतों की बढ़ी हुई संख्या को छोड़कर चालू वर्ष के दौरान कुल मिलाकर प्रभावित राज्यों में नक्सली हिंसा में कमी आई है।"

[हिन्दी]

मैं टैररिस्ट्स के विषय पर बाद में आऊंगा। मैं और जगह की नहीं बता रहा हूं, केवल छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत खराब है। दूसरी जगह अगर थोड़ी-बहुत कमी भी हुई है, तो भी चुनौती कम नहीं हुई है, बल्कि उनकी रेंज बढ़ रही है, इलाके बढ़ रहे हैं और वे बहुत योजनाबद्ध तरीके से बढ़ रहे हैं। यहां भी हम नन्दीग्राम-नन्दीग्राम कर रहे हैं। ऐसे नारे नैरो फायदा देते है। आज छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में और दूसरी जगहों पर जो छुटपुट फायदा हो रहा है, वह जरूर हो रहा है, लेकिन वे अपनी जमीन को कंसली कर रहे हैं। वह जमीन फिर उनके हाथ में चली जाएगी, इस बात को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा।

महोदय, पिछले सत्र के आखिरी दिनों में छत्तीसगढ़ में योजनाबद्ध तरीके से अनेक घटनाएं हुईं। ... *80-85 लोग मारे गए, जिनमें 50 प्रतिशत आदिवासी थे, लेकिन सदन में उसकी चर्चा तक नहीं हुई। ऐसा करके हम क्या संदेश देना चाहते हैं? आप सलवा जुडूम के नाम पर स्पेशल पुलिस ऑफीसर और दूसरे आफीसरों की नियुक्ति दो-ढाई हजार रुपए में कर रहे हैं। इसी प्रकार माओइस्ट भी आदिवासियों को 1200, 1400 और 1500 रुपए देकर रिक्रूट कर रहे हैं। इसमें कोई आइडियौलौजी नहीं है। आप मुझे बताइए कि कौन सा ऑफीसर 2000 रुपए में नौकरी करता है, कौन सा स्पेशल पुलिस ऑफीसर 2000 रुपए तनखा पर नौकरी करता है। ऐसा करने में कांग्रेस परिवार के लोग भी शामिल हैं। इसमें संघ परिवार और बी०जे०पी०के लोग भी शामिल हैं। इस प्रकार आप गरीब आदिवासियों को कैनन फॉडर की तरफ भेज रहे हैं। पुलिस अपनी जगह से हट रही है और एक आदिवासी दूसरे आदिवासी को मार रहा है। वे एक-दूसरे की हत्या कर रहे हैं और उस पर आप इस सदन में चर्चा तक नहीं कर रहे हैं। क्या उनकी जान, जान नहीं है? इस लिहाज से अगर हम देखते हैं, तो यह जो माओइस्ट थ्रेट है या मिलीटेंट्स थ्रेट है, इसे हम कभी कंट्रोल या कंटेन नहीं कर पाएंगे।

महोदय, मैं यह बात किसी पर लांछन लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि हमारे बंगाल में ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहां इस प्रकार के अटैक हुए हैं। परसों भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अटैक हुआ। लोगों को भाड़े पर लिया जाता है कि चलो इससे हम नहीं जूझ नहीं पा रहे हैं, तुम जूझो। वे भाड़े पर तो आते हैं, लेकिन वे आर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नहीं हैं। उनका अपना एक पॉलिटिकल ब्लू प्रिंट है, उनकी अपनी पॉलिटिकल इंटेंशन हैं। वे कभी इससे, कभी उससे छुटपुट फायदा उठा लेते हैं, लेकिन जब वे अपने पैर जमा लेते हैं, तो वे अपने पॉलिटिकल प्रोग्राम के मुताबिक चलते हैं। गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि आपको मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटैजी लेकर चलना पड़ेगा। सिर्फ पुलिस को मॉडर्नाइज कर के, उन्हें कुछ हैलीकॉप्टर देने से, कुछ गनशिप देने से, सिर्फ कुछ औजार देने या कोई बटालियन रेब करने से, सुरखा को, ला एंड ऑर्डर को हम नियंत्रित नहीं कर पाएंगे।

महोदय, हम किसे नक्सलवाद कहते हैं और इसकी बात करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि नक्सलवाद शब्द, नॉर्थ बंगाल के नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ है, लेकिन आज जो माओइस्ट थ्रेट है, इससे उसे जोड़ना गलत होगा, क्योंकि वह खत्म हो गया है। उसके लिए लड़ाई लड़ी गई। उसमें अनेक कीमती जानें गईं। आज जो पी०डब्ल्यू०जी० और

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माओ तथा एम०सी०सी० है, इनका रूप दूसरा है, इनकी शक्ल दूसरी है। इन्हें खत्म करने के लिए आपको जैसे हमने किए, एक तरफ भूमि सुधार करना पड़ेगा, पिछड़े लोगों, पिछड़े इलाकों, पिछड़े सदस्यों को, जिस ग्रोथ रेट की कहानी की आप बात कह रहे हैं, उससे जोड़ना पड़ेगा। इसके साथ-साथ जो मानसिक और दूसरी तरह का अलगाव पैदा हुआ है, उसे भी आपको तोड़ना होगा। जो पीछे छूट गए हैं, यदि उन्हें छोड़ देंगे और हम विकास की 9 प्रतिशत ग्रोथ की ओर बढ़ जाएंगे, तो जो पीछे छूट जाएंगे, ये संगठन उन सभी पीछे छूटे हुए लोगों को अपनी तरफ जोड़ लेंगे, जितना ज्यादा हम उन्हें बल के जरिए रोकेंगे, वे रुकेंगे नहीं, बल्कि इस प्रकार हम उन्हें उतना ही दुश्मन के कैंप की तरफ धकेलने का काम करेंगे। यह मुल्क की एकता के खिलाफ, शांति के खिलाफ एवं सद्भावना के खिलाफ होगा। जब तक हम लोगों को इस तरह की समझ पैदा नहीं होगी, तब तक हम उन्हें उस तरफ धकेलते रहेंगे और हमारे सामने जो चुनौती है, उसका सामना हम नहीं कर पाएंगे।

महोदय, हम सुरक्षा की बात करते हैं, वह किस की सुरक्षा की बात करते हैं, क्या उन लोगों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं? हम आज पुलिस पर 71 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं या हम नई बटालियन रेज कर रहे हैं, क्या वह आम लोगों की सुरक्षा के लिए है? हमारे होम मिनिस्टर तब तक सुरक्षा की बात नहीं कह सकते जब तक कि एक आम भारतीय अपने देश में एक पाइंट से दूसरे पाइंट तक सुरक्षित भाव से नहीं पहुंच जाए और जहां जो चीज वह छोड़कर गया है, वह सुरक्षित न हो, उसे कोई हानि नहीं पहुंचे। क्या इस देश में खुद दिल्ली शहर में इस प्रकार का वातावरण है? आए दिन दिल्ली में क्राइम होते रहते हैं। बड़े-बड़े नेशनल न्यूजपेपर्स में आए दिन क्राइम रिपोर्ट आती रहती है, जिन्हें पढ़ने के लिए हमें जल्दी-जल्दी पहले दो-तीन पेज उठाने पड़ते हैं — कहीं रेप हुआ है, कहीं किसी घर में औरत अकेली थी, उसे मार दिया गया।

कहीं किसी को जलाया गया — यह रोजाना हो रहा है। अब दिल्ली का जो मामला है और यूनियन टैरीटरी का मामला है, वह आपके हाथ में है। जो यूनियन टैरीटरी और दिल्ली शहर है, वहां पर आप एग्जाम्पल क्रिएट करिये और बाकी लोगों को दिखाइये कि देखो, कैसी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। यहां पर राज की कोई बाधा नहीं है और हमने खुद करके दिखाया है और फिर इसको इम्यूलेट करो। दिल्ली को आप सिर्फ डैवलपमेंट का, कॉमनवैल्थ गेम्स का और इन्फ्रास्ट्रक्चर का और मॉल्स का आइडियल नहीं, आप हमारे भारत में एक नागरिक को सुरक्षा का भाव कैसा होना चाहिए, उसकी भी एक मिसाल पैदा करने की चुनौती आपके सामने है। वह मिसाल अगर आप पैदा कर सकते हो तो बाकी लोगों को आप दिखा सकते हो कि देखो, ऐसे बनो, ऐसा करो, लेकिन यह नहीं हो रहा है। लक्षद्वीप में कानून व्यवस्था की ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि यूनियन टैरीटरी इनके बजट के अन्दर है, वहां के लोग फोन करते हैं कि एक सर्जन आप नहीं दे सकते। अगर आप देते हैं तो वह 2-3 महीने जाते हैं और लौटकर चले आते हैं। यह हैल्थ डिपार्टमेंट का मामला है, लेकिन यह यूनियन टैरीटरी के अन्दर आता है। अंडमान में टूरिज्म का डेवलपमेंट करने का मामला है, वह आपका मामला है, जिससे आर्थिक जुड़ाव वहां ज्यादा बढ़ता है। जो भारत की ग्रोथ रेट की कहानी है, दूरदराज के लोगों को मालूम करो कि अभी भी हिस्सेदारी हो रही है, लेकिन हम तब नजर देते हैं, जब कानून व्यवस्था ठप्प हो जाती है। हम तब पैकेज की घोषणा करेंगे, जब वहां के नौजवान हथियार पकड़ लेंगे। हम तब वहां पर विकास की बात करें, जब वे हमारी और बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। जब तक वे मांगते रहेंगे, जब तक वे दरख्वास्त लिखते रहेंगे, तब तक वे पिटीशन देते रहेंगे, तब तक आप उनकी बात नहीं सुनेंगे। आप खुद उनको गलत रास्ते पर जाने के लिए मदद कर रहे हो। अगर डैमोक्रेटिक जो एक्सपैक्टेशंस हैं, उनको हम फुलफिल नहीं करते हैं, तब वे अनडैमोक्रेटिक प्रोसेस में जाते हैं। ... *(व्यवधान)* आप थोड़ा समय दे दें। आप अगर बोलेंगे तो मैं बैठ जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वार्निंग बैल तो देनी ही पड़ती है।

मोहम्मद सलीम : आप देखिये, मालेगांव के मामले मे मैं जियारत करके बोलूंगा। अन्तुले जी, आप महाराष्ट्र से आते हैं और आप केन्द्र में अलपसंख्यकों की जिम्मेदारी लिए हुए हैं। जहां मैंने छोड़ा था, सुरक्षा एपरेटस है, उनका जो माइंड सैट पिछले कई वर्षों में, एन०डी०ए० के जमाने में बिगड़ा है, उसको आपने अभी तक सुधारा नहीं है। गणेश चतुर्थी है तो चारों तरफ पहरा है, चूंकि आतंकवादी हमला हो सकता है, साम्प्रदायिक वातावरण बिगड़ सकता है और उसके बाद जिस दिन गणेश चतुर्थी का मामला शान्ति से निपट जाता है, अच्छा है, उसकी जरूरत थी, उसके बाद शबे बारात है तो पूरे पुलिसकर्मी आपने उठा लिए, चूंकि यह उन लोगों का है, सैकिण्ड ग्रेड सिटीजन का मामला है और महाराष्ट्र में बी०जे०पी० — शिवसेना सरकार नहीं है। समय पर कब्रिस्तान लोग जाएंगे, सब लोग जानते हैं, मुसलमान जाएंगे, वे जियारत करने के लिए जाते हैं। उसमें बम विस्फोट हुए, कोई पुलिस नहीं थी। अगर शबे बारात के लिए मस्जिद के सामने, कब्रिस्तान के सामने, किसने किया, वह तो बाद की बात है, अगर मासूम लोग मारे गये तो 1-2 सुरक्षाकर्मी की भी वहां पर इंजरी होती तो मैं समझता। वहां के लोग-बागों ने हमें बताया कि चूंकि गणेश चतुर्थी हो गई तो सब पुलिस उठ गई। सुरक्षा के मामले में माइंड सैट क्या है कि अल्पसंख्यक लोग कोई हंगामा कर सकते हैं। बहुसंख्यकों का कोई त्यौहार है, इसकी

[मोहम्मद सलीम]

सुरक्षा होगी, सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी। यह जो गलत माइंड सैट है, आपको यह देखना पड़ेगा कि भारतीय नागरिकों का जो त्यौहार है, कोई जैसे बाहर से आकर या अन्दर से आकर हंगामा पैदा नहीं करे। यह जब तक आप नहीं बोलेंगे, जब इन्वैस्टीगेशन भी होगा तो अंधी गली में चले जाएंगे। आज नांदेड़े में जो हुआ। आजकल भाड़ा सिर्फ लगता नहीं है, भाड़े में आते हैं। आपको मालूम होगा, जब नाथूराम गोडसे गांधी जी को मारने के लिए आये थे तो उन्होंने अपनी सिर्फ शक्ल नहीं, अपने सरकमस्टांसेज़ भी किये थे ताकि मुठभेड़ में मारे जाएंगे, आज जैसा कागज में निकलता है, उर्दू का खत, पर्चा निकल गया, आज जैसा होता है कि इसके लिबास से पता चलता है कि यह अल्पसंख्यक होंगे तो नाथूराम गोडसे के साथी अगर हाथों-हाथ नहीं पकड़े जाते और अगर वे प्रमाणित नहीं होते तो उनका भी ऐसे ही आज की तरह वातावरण होता तो उनको भी पता चलता कि जैसे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेबिल किया जाता है, आर०एस०एस० के लोग इतने खतरनाक हैं। नांदेड़ में जब बम विस्फोट करने के बाद जो पहचान मिली, आप महाराष्ट्र पुलिस को बोलो, मालेगांव के बारे में जैसी इन्क्वायरी आप कर रहे हो, उसी तरह से नांदेड़ के मामले में करे, जहां आर०डी०एक्स० पकड़ा गया। ऐसे तमाम मामलों की तहकीकात होनी चाहिए और किसी ओल्ड माइंड सैट से नहीं, बदले हुए हालात में जो बदली हुई चुनौती है, उसका सामना करने के लिए आपको अपना नजरिया भी बदलना पड़ेगा।

श्री गिरिधारी यादव (बांका) : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय से संबंधित जो डिमांड्स सदन में पेश की गयी हैं, मैं उनके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत देश अनेकता में एकता का देश है। यहां विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारे देश की एकता और अनेकता में जो बाधा आ रही है, उसका एक कारण नक्सलवाद है। आप जानते हैं कि इस देश के 14 राज्यों में नक्सलवाद में अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं, जिनमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में नक्सलियों की जड़ें बहुत मजबूत हैं। हम लोगों को यह जानना पड़ेगा कि इस देश में नक्सलवाद क्यों पनप और बढ़ रहा है? जब तक इसके कारणों को हम लोग नहीं जानेंगे, तब तक नक्सलवाद की समस्या का निदान हम नहीं कर सकते हैं।

अपराह्न 12.56 बजे

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन हुए*]

महोदय, आप जानते हैं कि भारत में जो पुलिस का कानून बना हुआ है, वह अंग्रेजों द्वारा सन् 1860 में बनाया गया। अंग्रेजों ने इस देश में पुलिस कानून जनता को दबाने के लिए बनाया था, ताकि वे जनता का शोषण कर यहां अपना राज कायम कर सकें। उसी कानून व्यवस्था के तहत, आज भी हमारे देश की पुलिस व्यवस्था में भ्रष्टाचार व्याप्त हैं। गरीबों को कैसे तंग और तबाह किया जाए, कैसे उनका आर्थिक शोषण किया जाए, इसी की व्यवस्था और इंतजाम पुलिस कानून में है। जो गरीब गांवों में रहते हैं, उनके ऊपर जब पुलिस का अत्याचार होता है, तब उनको अपनी बकरी और बर्तन बेचकर पुलिस को पैसा देना पड़ता है और जब गरीब आदमी बकरी या बर्तन बेचकर दो सौ या पांच सौ रुपये देता है, तो उससे नक्सली कहते हैं कि तुम हमारे पास जाओगे, तो तुम्हारे गांव में पुलिस नहीं जाएगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जो गांव बिहार में नक्सली हो गए, उन गांव में पुलिस नहीं जाती है, लेकिन जो गांव नक्सली नहीं हुए हैं, वहां पुलिस जाकर गरीब जनता को तंग करती है। गांव के लोग सोचते हैं कि जो गांव नक्सली हो गया, उसमें पुलिस नहीं जाती है और उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। उसी को देखकर दूसरे गांव के लोग भी नक्सलवाद की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आज पुलिस में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, खासतौर पर बिहार और झारखंड में, उसके ऊपर आपको कड़ी कार्यवाही करनी पड़ेगी। वहां के पुलिस अधीक्षक द्वारा थाने के थानेदार की पोस्टिंग की जाती है। जब पैसा लेकर थानेदार की पोस्टिंग होती है, तो वह गरीबों से पैसा चूसकर एस०पी० को पैसा पहुंचाता है। आज तक हमने कभी नहीं देखा कि किसी पुलिस अधीक्षक पर सी०बी०आई० ने छापा मारकर भ्रष्टाचार को दूर करने का काम किया हो। जब आप बड़े अधिकारियों को भ्रष्टाचार में पकड़ेंगे, तो नीचे के स्वतः पैसे लेने का काम कम कर देंगे और वे गरीब जनता का शोषण नहीं करेंगे।

महोदय, हमारे गांवों में अशिक्षा, गरीबी बेरोजगारी के चलते भी गरीब, निरीह और अशिक्षित जनता नक्सलवाद की ओर आकर्षित हो रही है। आप जानते हैं कि आज जो शिक्षा की व्यवस्था है, उसमें हम कितने लोगों को पढ़ा पा रहे हैं? जहां तक शिक्षा के लिए बजट बढ़ाने की बात है, इसे छः प्रतिशत तक या जितना भी करने की बात हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार उसे नहीं बढ़ा पा रही है। गांव के नौजवान को तीसरी, चौथी, पांचवीं कक्षा पास करने के बाद शिक्षा नहीं मिलती है। जब उन्हें शिक्षा नहीं मिलती है, तो उसे रोजगार का साधन नहीं मिलता है। वह कम पढ़ा-लिखा होता है, इसलिए वह नक्सलवाद की ओर आकर्षित हो जाता है।

हमारे यहां राजस्व में भी अनियमितताएं हुयी हैं। बड़े-बड़े लोगों के पास सैकड़ों-हजारों एकड़ जमीन अपने नौकरों, कुत्तों और बिल्लियों

के नाम पर है। इस संबंध में आज तक संशोधन नहीं हुआ। आप देखेंगे कि जिन-जिन राज्यों में भूमि सुधार नहीं हुआ है, उन राज्यों में नक्सलवाद की समस्या तेजी से बढ़ रही है। जब तक हम लोग आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए भूमि सुधार को सही तरीके से लागू नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश में नक्सलवाद समाप्त नहीं हो पाएगा। मैं खासतौर पर बिहार राज्य की चर्चा करना चाहता हूं। वहां नक्सलवाद के दो कारण हैं। जिन-जिन जिलों में नक्सलवाद है, वहां उसे हम कैसे रोकें और दूसरे जिलों में इसे कैसे न बढ़ने दें, इस पर भी विचार करना होगा। नक्सलवादी प्लान करते हैं कि अगर 10 जिले हमारे कब्जे में हैं, तो अगला 11वां जिला कैसे हम अपने कब्जे में करें? इसके लिए वे प्लान बनाते हैं। नक्सलियों के कब्जे में जब कोई जिला चला जाता है, तब हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो जिले बिहार या इस देश के अन्य भागों में नक्सलवाद की गिरफ्त में हैं, उस पर तो आप कार्यवाही करिए, इसके साथ ही साथ आप प्रयास करिए कि अगला जिला किसी प्रकार से नक्सलवाद की चपेट में न जाने पाए। इसके लिए आपको क्या-क्या उपाय करने चाहिए, आप उन पर विचार करिए, लेकिन हम लोग इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। जब कोई जिला नक्सलवाद की चपेट में चला जाता है, तब हम उस पर ध्यान देते हैं। शिक्षा, भूमि सुधार और आर्थिक विषमता के मामले में जब तक हम समुचित प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारे यहां से नक्सलवाद की समस्या समाप्त नहीं हो सकेगी।

अपराह्न 1.00 बजे

मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र में 1966 से 2002 तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। सन् 2002 के बाद से हमारे क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन नक्सलवाद की समस्या बढ़ती जा रही है। 1996 से 2002 के बीच हम बिना किसी सुरक्षा के अपने लोक सभा क्षेत्र में घूमते थे और कोई परेशानी नहीं होती थी। 2002 के बाद अभी तक हमारे क्षेत्र के चार थानों को नक्सलवादियों द्वारा लूट लिया गया। अब स्थिति यह है कि हमें अपने लोक सभा क्षेत्र में भ्रमण करने में भी परेशानी होती है। हम लोगों के ऊपर भी हमला हो चुका है। हम बहुत परेशानी में घूमते हैं। हमें जान हथेली पर रखकर घूमना पड़ता है। कुछ क्षेत्रों में हम किसी भी स्थिति में नहीं जा सकते। वे हमारे ऊपर बराबर हमला करते रहते हैं। इसलिए यह देखना पड़ेगा कि सन् 2002 के बाद ऐसे क्या कारण हुए कि वहां समस्या बहुत बढ़ गई। साथ ही नक्सलवादी विकास के कामों में बहुत बड़े पैमाने पर लेवी वसूल करते हैं। वे कौन्ट्रैक्टर्स को थ्रेट करते हैं कि जब तक आप लेवी नहीं देंगे हम आपका काम नहीं चलने देंगे। यदि वे लेवी नहीं देते तो उनकी मशीनों को जलाया जाता है, उन्हें भगाया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। जब वे लेवी का भुगतान कर देते हैं तब उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता।

हमारे यहां प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्य चल रहा है। उसमें जो कौन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे थे, नक्सलवादियों ने जानबूझकर उनके मुंशी की हत्या कर दी और काम बंद करवा दिया। जिन लोगों ने चुपचाप लेवी का भुक्तान कर दिया उनके काम सही तरीके से चल रहे हैं। इन सब बातों को देखना पड़ेगा कि नक्सलवादियों के आर्थिक स्रोत को किस प्रकार बंद किया जाए, उन्हें कैसे रोका जाए ताकि इस देश में विकास को काम लेवी का भुगतान किए बिना चलते रहें।

हम इसके साथ ही लिब्रहन आयोग की चर्चा करना चाहते हैं। लिब्रहन आयोग को बराबर एक्सटैंशन दिया जा रहा है। इस सिलसिले को रोकना चाहिए ताकि लोगों की धर्मनिर्पेक्षता का ताना-बाना बना रहे। सरकार द्वारा जो लिब्रहन आयोग बनाया गया है, अब उसमें किसी प्रकार का एक्सटैंशन नहीं दिया जाए और उनकी गिरफ्त में जो लोग हैं, चाहे वे कितने ही बड़े हों, उनके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए।

मैं गुजरात की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे अल्पसंख्यक भाईयों, गरीब भाइयों, दलित भाइयोंए गुजरात सरकार फर्जी मुठभेड़ दिखाकर वहां के लोगों की हत्या कर रही है। आपने देखा होगा कि वहां के तीन आई०पी०एस० अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। गुजरात सरकार हमेशा साम्प्रदायिकता के संबंध में जो करती रहती है, सरकार के स्तर पर जो कम्युनलिज्म फैलाने का कार्य किया जाता है, वह चाहेंगे कि मंत्री महोदय उस पर ध्यान देकर तो ठीक करने का करेंगे।

श्री इलियास आज़मी (शाहबाद) : सभापति महोदय, मैं बीमारी के कारण थोड़ा धीरे बोलूंगा, इसलिए मेरा समय थोड़ा सा बढ़ा दीजिए।

हमारी पार्टी यू०पी०ए० सरकार का समर्थन कर रही है, लेकिन मेरा मन नहीं करता कि मैं होम मिनिस्ट्री की मांगों का समर्थन करूं। यह अजीबोगरीब मिनिस्ट्री है। अभी मिस्त्री जी एफ०सी०आर०ए० के बारे में बोल रहे थे। मैं खुलकर आरोप लगाता हूं कि होम मिनिस्ट्री का विभाग मुस्लिम संगठनों को एफ०सी०आर०ए० का रजिस्ट्रेशन आसानी से नहीं देता। जब तक कोई खास पोलीटिकल प्रैशर न हो, तब तक मुस्लिम संगठन को इसका रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता। आप कानून में लिख दीजिए कि मुसलमानों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। मैं कई

[श्री इलियास आज़मी]

ऐसे संगठनों के नाम बता सकता हूं जो पांच-सात सालों से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उन्हें एफ०सी०आर०ए० नहीं दिया जा रहा है। पहले ऐसा होता तो हम सब्र कर लेते कि एन०डी०ए० की सरकार है, आर०एस०एस० की सरकार है, लेकिन अब कम्युनल की सरकार है या सैकुलर की सरकार है, इस बारे में शिवराज पाटील जी अपने जवाब में बताएं।

इन्क्वारी कमीशन की बात हुई। मेरी तजवीज है कि जुडीशियरी के रिटायर्ड लोगों को इन्क्वारी कमीशन में नियुक्त न किया जाए, बल्कि जुडीशियरी में जजों की तादाद बढ़ाई जाए और मौजूदा जजों से ही इन्क्वारी कराई जाए। वह इसलिए क्योंकि जिस दिन आप उसे ज्यूडिशियल इंक्वायरी का ताज पहनाते हैं, उसी दिन से उसकी तनख्वाह चालू हो जाती है। जो काम एक साल का है, वह 15 साल तक चलता है। जब तक वह कब्र में पांव न लटका ले तब तक उसका चेयरमैन उसे खत्म नहीं होने देता। अब वह चाहे लिब्राहन आयोग हो या गुजरात मामले की इंक्वायरी नानावती साहब कर रहे हों। नानावती साहब पर सारी सरकारें मेहरबान रहती हैं। इसकी क्या वजह है? इसका मतलब है, कोई खास वजह तो है क्योंकि कांग्रेस भी मेहरबान और बी०जे०पी० भी मेहरबान। ज्यूडिशियल इंक्वायरी के बारे में अलग से एक बहस होनी चाहिए क्योंकि यह सारी बुराइयों की जड़ हो गयी है।

अब मैं उस बात पर आता हूं जिससे होम मिनिस्ट्री का सीधा ताल्लुक है। अभी गुजरात में सोहराबुद्दीन और कौसर बी के कत्ल का मामला उभरा है। कोर्ट के जरिये इंक्वायरी हुई, तो पता लगा कि वह न तो लश्कर-ए-तोएबा का मैम्बर था और न ही जैश-ए-मोहम्मद का मैम्बर था। एक सवाल खड़ा हो गया कि पूरे देश में मुस्लिम नौजवान को पकड़कर पुलिस मार दे और उस लश्कर-ए-तोएबा और जैश-ए-मोहम्मद का कह दे और देश ताली बजाये। अभी तीन आतंकवादी पकड़े गये हैं। कल साबित हो जायेगा कि उनका लश्कर-ए-तोएबा से कोई ताल्लुक नहीं है। वे तीनों कश्मीरी हैं। मैंने अभी सुश्री महबूबा मुफ्ती से कहा है कि तुम कश्मीरियों से क्यों नहीं कहतीं कि वे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन चार सूबों में न जायें। वे बाकी देश में जायें क्योंकि वहां कोई समस्या नहीं है। लश्कर-ए-तोएबा और जैश-ए-मोहम्मद ने सिर्फ चार सूबों को समझ रखा है। उन्होंने समझ क्या रखा है, हरेन पांडया का कत्ल होता है, तो मुख्यमंत्री का नाम आता है। उसका बाप नाम लेकर आरोप लगाता है कि ··* उसके जवाब में तीन बार मुस्लिम नौजवानों का एनकाउंटर यह कहकर होता है कि वे हरेन पांडया के कातिल हैं जबकि पांडया का बाप आज भी कह रहा है ··* लेकिन मैं कहता हूं कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि हरेन पांडया के नाम पर जो चार-पांच बार मुस्लिम नौजवानों के एनकाउंटर हुए हैं, वे भी उसी तरह फर्जी थे। इस तरह 21 नौजवानों को फर्जी एनकाउंटर में मारा गया है। सिर्फ गुजरात ही क्यों? मैं कहता हूं कि इससे बड़ी बेइमानी की कोई बात नहीं होती कि जब हमारी मुख़ालिफ पार्टी का नाम आये तब हम बड़े भारी सेक्युलर बन जायें और जब सेक्युलरिज्म के नाम पर रोटी तोड़ने वाले मुसलमान नौजवानों का कत्लेआम पुलिस से करायें जिनके टैक्सों से पुलिस की वर्दी सिलती हैं, तो हम खामोश रहें। खाली गुजरात—मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र सरे फेहरिस्त है। महाराष्ट्र में सेक्युलर सरकार है, तथाकथित सेक्युलर सरकार है। महाराष्ट्र में ख्वाजा युनूस का क्या हुआ? सोहराबुद्दीन तो आपको याद आता है लेकिन ख्वाजा युनूस को आप क्यों भूल जाते हैं जिसका पुलिस में कत्ल कर दिया और कहा कि वह फरार हो गया है। बाद में उसकी लाश मिली। ··· *(व्यवधान)* हां, उसकी लाश को जला दिया। वहां भी लोग पकड़े गये हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मुस्लिम नौजवानों का कत्ल सेक्युलर सरकार ने किया है जो मुसलमानों के वोट से बनी है। यह शर्मनाक बात है। श्री नरेन्द्र मोदी को मुसलमानों ने कोई वोट नहीं दिया था। ··· * हालांकि वह कानून का मुहाफिज है इसलिए उसे कत्ल नहीं कराना चाहिए लेकिन महाराष्ट्र सरकार जो मुसलमानों से बनी है ··* शैतानी कानूनों में, मकोका भी एक शैतानी कानून हैं, बंद कराने वाली सरकार है। लेकिन हमारे सेक्युलर भाई जो हमारे बांये रहते हैं, उन्होंने अपने मुंह में गुगनी डाल रखी है। महाराष्ट्र उनको नजर नहीं आता, उनको सिर्फ गुजरात नजर आता है। गुजरात नजर आना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र भी नजर आना चाहिए।

मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश है। मुस्लिम नौजवानों का सबसे ज्यादा एनकाउंटर उत्तर प्रदेश की सेक्युलर सरकार ने किया है जिसको आधे से ज्यादा वोट मुसलमानों ने देकर बनाया था। उन्होंने इतने कत्ल किये हैं, इतने बड़े-बड़े फ्रॉड हुए हैं कि आर०एस०एस० हैडक्वार्टर के पास तीन मुस्लिम नौजवानों को पकड़कर मार दिया गया। वह इसलिए क्योंकि साजिश थी कि आर०एस०एस० हैडक्वार्टर पर लश्कर-ए-तोएबा के नाम पर वे मारे जायेंगे तो पूरे देश में दंगे होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने आज तक जुबान नहीं खोली। जस्टिस पाटिल की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने दूध का दूध, पानी का पानी करके दे दिया है। मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, वह इंसानियत के नाम पर कलंक है और सेकुलरिज्म के नाम पर, अगर कलंक से बड़ा कोई शब्द हो, तो मैं उसे कहना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में अयोध्या जैसे संवेदनशील मुकाम पर एकदम सुबह-सवेरे सात नौजवानों का कत्ल पुलिस द्वारा किया गया और कह दिया कि वे लोग लश्कर-ए-तैयबा के थे,

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जैश-ए-मोहम्मद के थे, पाकिस्तानी थे। इसी तरह कम से कम तीस-चालीस मुस्लिम नौजवानों को बलिया से सहारनपुर तक पकड़ कर बन्दर की तरह नचाया गया और अदालतों में उनको जूते मारे गए। अयोध्या में जो सात लोग मारे गए उनमें से एक व्यक्ति अयोध्या का ही रहने वाला रमेश पाण्डेय था। यह साबित हो चुका है कि उत्तर प्रदेश की सेकुलर सरकार काबिले नफरत है। रमेश पाण्डेय के परिवारवालों को मोटी रकम देकर उनका मुंह बन्द कर दिया गया और इस पूरे फासिस्ट नाटक पर पर्दा डाल दिया गया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद परिसर के पास यह घटना हुई। उनकी साजिश थी पूरे देश के हिन्दू-मुस्लिम सौहार्द में आग लगा दी जाए। हमारे देश में ऐसे सेकुलर लोग हैं, जो अपनी सेकुलरिज्म का दम भरते हैं। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बड़ा सेकुलर तो इस देश में आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। जितने भी मुस्लिम नौजवान इस तरह मारे जाते हैं, वे वेल-क्वालीफाइड होते हैं, डाक्टर्स और इंजीनियर्स होते हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरह की कई दर्जन घटनाएं हो चुकी हैं, महाराष्ट्र के बारे में पहले ही कह चुका हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए कि रमेश पाण्डेय, जिसे लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी बताया गया था और मानव बम बताया गया था, वह अयोध्या का ही निकला। उसके साथ छः मुस्लिम नौजवान थे, जो इस घटना में मारे गए। यह सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? क्या हमने अपना दिमाग खो दिया है? कश्मीर में जब लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के लोग हमारी फौजी छावनियों पर हमला करते हैं, फौजी छावनियों में घुस जाते हैं, तो कभी भी उनकी तादाद दो से ज्यादा सुनने में नहीं आती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सेकुलर हुकूमत जब उनके नाम पर कत्लेआम करती है तो उनकी संख्या पांच-छः हो जाती है, जब महाराष्ट्र की हुकूमत कत्लेआम करती है तो उनकी संख्या तीन-चार-पांच हो जाती है और जब गुजरात की सरकार कत्ल करती है तो उनकी संख्या चार-पांच हो जाती है। पाण्डया वाले मामले में चार-चार लोगों को दो बार मरवाया गया। कश्मीर में इन आतंकवादियों की संख्या कभी भी दो से ज्यादा नहीं होती है। खुद दिल्ली में भी, शिवराज पाटील जी जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं। आप महाराष्ट्र के लिए भी जिम्मेदार हैं क्योंकि आप महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं। क्या आपको नागपुर में हुई घटना नजर नहीं आई? क्या ख्वाजा यूनुस मर्डर केस आपको नजर नहीं आया? पुलिस के जितने बड़े अफसरान हैं, वे सभी अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर इस तरह के कत्लेआम करते हैं। श्री राजनाथ सिंह, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में कह चुके हैं कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हूं और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि राजनीतिक आकाओं के इशारे पर ही पुलिस ये सारे काम करती है। अगर इसकी इन्क्वायरी कराई जाए तो ये राजनीतिक आका सामने आ जाएंगे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आप कंक्लूड करें।

श्री इलियास आज़मी : महोदय, मैंने अभी ज्यादा समय नहीं लिया है।

पाटिल साहब यहां बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस ने भी कई दर्जन मुस्लिम नौजवानों का लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के नाम पर कत्ल किए हैं। उनमें से एक भी गुनाहगार नहीं था। उन सभी को घर से लाकर केवल अपनी साम्प्रदायिक भावनाओं की तस्कीम के लिए मार दिया और उनकी भावना की तस्कीम हो गयी कि हमने पांच मुसलमान मार दिए। देश में केवल चार ऐसे सूबे हैं– दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। सवाल यह है कि क्या इन्हीं चार सूबों की पुलिस इतनी काबिल है और इतनी रिश्वतखोर है कि पब्लिक को लूटने वाले ये स्याहदिल लोग इतने बहादुर हो जाते हैं कि कभी इनको एक खरास भी नहीं आई, किसी को नक़सीर भी नहीं फूटी? लश्कर-ए-तैयबा वाले जो हमारे पांच-पांच, सात-सात जवानों को मार गिराते हैं, अन्त में खुद भी मारे जाते हैं, वे कश्मीर में तो अलग होते हैं और यू०पी० में आने पर यू०पी० पुलिस इतनी बहादुर हो जाती है कि किसी पुलिस वाले की नक़सीर भी न फूटे और सिर्फ वे लश्कर-ए-तैयबा वाले ही मारे जाते? गुजरात में भी पुलिस इसी तरह बहादुर हो जाती है? वे लोगों को घर से पकड़कर लाकर मारते हैं जैसा सोहराबुद्दीन के साथ हुआ और जैसा ख्वाजा यूनुस के साथ हुआ। महाराष्ट्र में छः-सात बारूद और हथगोलों के भंडार पकड़े गए। पाटिल साहिब इसका जवाब दें, क्योंकि आपकी पार्टी की वहां सरकार है इसलिए मैं आपको मुखातिब करके साफ तौर पर कह रहा हूं कि वहां जो छः-सात असलहों और बारूद के भंडार पकड़े गए, जिससे पूरा मुम्बई शहर उड़ाया जा सकता था, इत्तेफाक से उनमें कोई मुस्लिम नहीं मिला। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने बयान देना जरूरी समझा कि इन पकड़े गए बारूद के भंडारों में किसी आतंकवादी का ताल्लुक नहीं है। इससे यह जाहिर होता है कि महाराष्ट्र सरकार की नजर में आतंकवादी सिर्फ मुसलमान हो सकता है, हिन्दू नहीं हो सकता।

सभापति महोदय : आपका पाइंट आ चुका है, कृपया रिपीट न करें।

श्री इलियास आज़मी : आखिर वे छः-सात असलहों और बारूद के भंडारों का क्या हुआ? इसका जवाब मैं भारत के गृह मंत्री जी से इस सदन में पूछने का हक रखता हूं? आखिर उनके लिए मकोका

[श्री इलियास आज़मी]

नहीं बनाया गया है। मकोका तो महाराष्ट्र सरकार ने बेगुनाह और मासूम मुसलमानों के लिए बनाया है। नांदेड़ और अन्य छः-सात जगहों पर जो बम धमाके हुए, वहां पर जो नकली दाढ़ियां और टोपियां बरामद हुईं, उनके लिए मकोका नहीं बनाया गया। मकोका सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया गया है। जिस तरह से बहुत पहले केन्द्र सरकार ने टाडा सिर्फ मुसलमानों और सिखों के लिए बनाया था और इन्होंने भी एक खास कम्युनिटी के लिए पोटा बनाया था। इसलिए इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों सगे भाईयों की तरह हैं। दोनों का अमल एक है, दोनों की नीयत एक है, सिर्फ अल्फाज में और कलाम में फर्क है।

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शब्द का ईजाद महाराष्ट्र सरकार ने दयानायक इंस्पेक्टर के लिए किया था। दयानायक हमारी कांग्रेस पार्टी का चहेता पुलिस अफसर था। उसने 150 इन्सानों का खून बहाया था और अरबों रुपए पूंजीपतियों को धमका कर जमा किए थे कि पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा एनकाउंटर करा देंगे। आज वह आदमी कानून की गिरफ्त में आ गया है। एनकाउंटर का मतलब है कत्ल, एनकाउंटर का मतलब मुठभेड़ नहीं हैं। एनकाउंटर का मतलब है घर से ले जाकर पुलिस के जरिए कत्ल करा देना। मैं चाहता हूं कि संसद को इस सम्बन्ध में कानून बनाना चाहिए। अगर देश में कहीं भी किसी मुस्लिम नौजवान को पकड़ कर कत्ल किया जाता है और कह दिया जाता है कि वह लश्करे तोएबा या जैशे मोहम्मद का था, तो उसकी जांच स्वत: ही फौरन सी०बी०आई० को सौंप दी जानी चाहिए कि क्या वह वास्तव में आतंकवादी था या नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर वह पाकिस्तानी था, जैसा कि अयोध्या मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि सब के सब पाकिस्तान से आए आतंकवादी थे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि फिर उनकी नापाक लाशों को पाकिस्तान के सुपुर्द क्यों नहीं किया गया, हमारी पवित्र धरती पर क्यों दफन किया गया? हमारे देश के बाहर जो हिन्दुस्तानी रहते हैं, वे वहां मर जाते हैं तो उनकी लाशें यहां आती हैं। इसलिए आज से यह तय किया जाए और ससंद इस सम्बन्ध में कानून बनाए कि जो पाकिस्तानी आतंकी यहां मारा जाएगा, उसकी लाश यहां दफनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और जो दफनाएगा, उस पर मुकदमा चलेगा। हमारी पवित्र धरती पर कोई नापाक लाश नहीं दफनाई जानी चाहिए।

दोस्तों, कहना बड़ा आसान है, कल इलियास आजमी को भी गोली मारी जा सकती है कि उसका नाम इलियास आजमी है। इसलिए संसद को इस सम्बन्ध में कानून बनाना चाहिए। अगर सेक्यूलरिज्म की हिफाजत करनी है, सेक्यूलरिज्म को इस मुल्क में बाकी रखना है, उसे बचाना है तो ऐसा कानून बनाना पड़ेगा। जब किसी मुस्लिम नौजवान का लश्करे तोएबा या जैशे मोहम्मद के नाम पर कत्ल करे, सियासी आका कत्ल करे तो उसकी अपनेआप सी०बी०आई० जांच करे। अगर वह पाकिस्तानी साबित होता है तो उसकी लाश की शिनाख्त करके उसे वहां भेजा जाए, लेकिन उसे उस वक्त तक महफूज रखा जाए, जब तक उसकी शिनाख्त न हो जाए।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें।

श्री इलियास आज़मी : मैं समाप्त कर रहा हूं। एक जमुला है। मुझे एक आदमी मिला था, जिसने अपनी शिनाख्त नहीं बताई। उसने कहा कि मेरा बेटा भी था, जो अयोध्या मामले में मारा गया। मैंने कहा कि चलो मैं प्रेस कांफ्रेंस कराता हूं क्योंकि सरकार तो कहती है कि वे सभी पाकिस्तानी थे। उसने कहा कि मेरे तीन और बेटे हैं, मैं हाथ जोड़ता हूं। मैं अपनी शिनाख्त आपको भी नहीं बताऊंगा और न ही प्रेस के सामने जाऊंगा इसलिए कि कहीं मेरे बाकी के तीन बेटों को भी न मार दिया जाए और उन्हें भी लश्करे तोएबा का बता दिया जाए। यह दर्दनाक हालत है। मैं पूरे देश को संसद के माध्यम से आगाह करना चाहता हूं कि अगर इस देश को बाकी रखना है, अगर सभी मुसलमान नौजवानों को आतंकी समझा जाए तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि देश में इन्सानियत बाकी रहे और इन्सानियत का राज बना रहे, तो पाटिल जी आपको मजबूत कदम उठाने होंगे।

इन अल्फाज के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

गृहमंत्री (श्री शिवराज वि० पाटील) : अनेक वक्तव्य दिए गए हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : जो असंगत बातें हैं उनको निकाल दिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील : इससे साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में मदद नहीं मिलेगी। हम आरोपों का खंडन करते हैं और हम कहते हैं कि यह बहतर होता, यदि सदस्य महोदय अधिक संयमित रहते।

[हिन्दी]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर) : सभापति जी, आज पूरे देश के नक्शे को अगर हम सामने रखें तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां

नक्सलवाद फैला हुआ है। दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर पुरी तरह से आतंकवाद से प्रभावित प्रदेश है और पूर्वांचल को भी हम शांत नहीं कह सकते हैं। आसाम में हमने कानून पास किया था कि अगर वहां का कोई इलाका आतंकवाद से प्रभावित होगा, तो उसे डिस्टर्ब एरिया कहा जाएगा। आज देश का नक्शा देखने के बाद कौनसा ऐसा इलाका है जो अशांत नहीं है, जो सुरक्षित है। इसलिए यह एक बहुत ही चिंता का विषय है और पूरे देश की जनता के दिल में आज असुरक्षा की भावना है। अगर कोई छोटा सा इलाका आतंकवाद के प्रभाव से बचा भी हुआ है तो वहां कानून और व्यवस्था चरमर्रा गयी है और आम जनता वहां परेशान है। आप वहां देखने जाएंगे तो जो बेकसूर लोग हैं जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है वे आतंकवाद की बलि चढ़ जाते हैं। इसलिए हमारे गृह-मंत्रालय की यह जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से एक छोटा बच्चा अपने माता-पिता की तरफ देखता है और कहता है कि मैं छोटा हूं और इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं कर सकता हूं और माता-पिता उसकी सुरक्षा करते हैं, वैसे ही गृह-मंत्रालय लोगों को सुरक्षा देने का प्रयास करे। गृह-मंत्रालय की जो वार्षिक रिपोर्ट है उसमें काफी चीजों के बारे में चर्चा की गयी है। उसे पढ़ने के बाद ही यह भावना पैदा होती है कि देश के आम लोगों में असुरक्षा की भावना है। उससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए, उस पर भी चर्चा की गयी है। यह भी कहा गया है कि जो नक्सलवाद की समस्या है उसका सामना करने के लिए हमें एक पैकेज डील बनानी चाहिए और जो सोशियो-इकॉनोमिक रीजन हैं जहां सामाजिक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, वहां ज्यादा ध्यान देने की की जरूरत है। यदि यह सब करना है तो गृह-मंत्रालय का आज तक का जो बिजनैस-रूल है, जो काम करने की अलग-अलग जिम्मेदारी है, उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। गृह-मंत्रालय जो अलग-अलग काम देखता है जिसमें ऑफिस-लैंग्वेज, पे एंड एलाउंस ऑफ मिनिस्टर्स, फ्रीडम-फाइटर्स की समस्याओं को देखता है और साथ ही साथ सोशियो-इकॉनोमी की जो प्रॉब्लम है उसको भी जिस तरह से देखा जाए, यह भी उसका उत्तरदायित्व है। इसलिए हमारे गृह-मंत्रालय को एक चेहरा देने की जरूरत है। आज देश में 165 जले नक्सलवाद से प्रभावित हैं और अगर कहीं पूरी तरह से जिला प्रभावित नहीं है तो उसके कुछ भाग में नक्सलवादी गतिविधियां चल रही हैं। अगर इस समस्या से निपटना है तो जो सोशियो-इकॉनोमिक चैंज लाने की बात इस मंत्रालय ने कही है तो मेरा कहना यह है कि अगर इस तरह का बदलाव आपको लाना है तो क्या आपके पास बदलाव लेने के लिए कोई साधन हैं, कोई पावर है, जिसके आधार पर आप ये चैंज ला सकेंगे। इन अलग-अलग तथ्यों की तरफ मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। आज पूरे देश की कानून और सुरक्षा की व्यवस्था भी काफी चिंताजनक है। आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, शायद ही कोई ऐसा इलाका आपको मिलेगा, जहां के निवासी कहें कि हम यहां के प्रशासन से संतुष्ट हैं और हमारी जमीन इस जिले में सुरक्षित है, इसलिए मैं मानता हूं कि हमे पूरे देश में कानून और सुरक्षा की व्यवस्था को नये सिरे से देखने की जरूरत है।

महोदय, मैं नक्सलवाद का जिक्र कर रहा हूं। कश्मीर और नार्थ-ईस्ट की स्थिति का तो मैं बाद में जिक्र करूंगा ही। वर्ष 1990 तक नक्सलवाद से 16 जिले ही प्रभावित थे, लेकिन आज उनकी संख्या 165 तक पहुंच गई है। इन 15 सालों में 16 जिलों से 165 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हो गए। यह संयोग की बात है कि 1991 से ही हमने देश में आर्थिक सुधार लाने के लिए नवीन प्रक्रिया की भी शुरूआत की थी। मैं स्वयं आर्थिक सुधार का समर्थन करता हूं, लेकिन इसके साथ ऐसा भी सोचने की आवश्यकता है कि हमने केवल आर्थिक सुधारों के बारे में सोचा और जो हमारी गरीब जनता है, उनके ऊपर से कहीं हमारा ध्यान हट तो नहीं गया। हमें सोचना चाहिए कि कहीं इसी वजह से तो नक्सलवाद हमारे देश में ज्यादा प्रभावी नहीं हो गया। इस समस्या से निपटने के लिए प्रशासन, रोजगार, कृषि में सुधार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर क्या उपाय करें, इस तरफ ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है।

महोदय, आप जानते होंगे कि गरीब आदमी का सबसे बड़ा ख्वाब क्या होता है। गरीब आदमी यही चाहता है कि जो उसकी स्थिति थी, उस स्थिति से उसकी स्थिति बेहतर हो। अगर स्थिति बेहतर न भी तो कोई बात नहीं, लेकिन उस स्थिति से बदतर तो किसी भी हालत में न हो। लेकिन आप इन लोगों का जीवन स्तर देखेंगे तो उसमें इस तरह की ही बिगड़ी हुई स्थिति सामने आई है, इसलिए जब नक्सली लोग उन्हें बोलते हैं, तो वे उनके पास जाने को मजबूर हो जाते हैं। महोदय, क्या आज कोई ऐसा इलाका है, जहां का गरीब आदमी यह कह सके कि मेरी जमीन मेरे पास ही रहेगी और उस गांव का जमींदार उसकी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेगा? यदि ऐसी स्थिति में गरीब आदमी सरकार के पास जाता है और शिकायत करता है तो उससे कहा जाता है कि तुमने ही गलती की होगी या चोरी की होगी, इसलिए जमींदार ने ऐसा किया है। उस गरीब व्यक्ति को अगर सरकारी व्यवस्था से न्याय नहीं मिलता है, तो वह न्याय के लिए नक्सलवादियों के पास पहुंच जाता है। इसलिए मैं मानता हूं कि अगर प्रशासन को हम सुधारेंगे तो नक्सलवाद को घटाने में मदद मिल सकती है। मैंने जैसा पहले भी कहा है कि अगर नक्सलवाद को कम करना है तो प्रशासन, एम्प्लायमेंट, कृषि सुधार और रूरल इक्नामी तथा आम आदमी के जीवन स्तर के गिरते मानदंडों आदि विषयों पर ध्यान देना होगा। हमारा गृह

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

मंत्रालय यह नहीं कह सकता है कि यह राज्यों की समस्या है। आज ऐसा कौन सा राज्य है, जहां नक्सलवाद न हो। क्या हम कह सकते हैं कि यह राष्ट्रीय समस्या नहीं है? यदि यह राष्ट्रीय समस्या है, तो इससे निपटने के लिए गृह मंत्रालय को सबसे पहले जिम्मेदारी लेनी होगी। सिर्फ राज्यों पर नक्सलवाद की जिम्मेदारी हम नहीं डाल सकते हैं।

महोदय, मैं वार्षिक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें पेज 25 पर नक्सलवाद का जिक्र किया गया है। उसमें गृह मंत्रालय ने कहा है कि नक्सलवाद चिंता का विषय बना हुआ है। जो आंकड़े वर्ष 2003-2006 तक के दिए हैं, उसमें 1597 घटनाएं थीं, आज उसमें गिरावट 1509 घटनाओं की आई है। इसका मतलब कि स्थिति में सुधार आया है। स्थिति में सुधार आया है, आंकड़ों से प्रूव नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एक काम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना होगा और यदि प्लान बना है, तो सरकार हमें भी जरूर विश्वास में ले और संसद को बताए कि किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है? मैं मानता हूं कि जब नक्सलवाद से निपटेंगे तब पुलिस की जरूरत है इस मुद्दे पर मैं अभी आ रहा हूं लेकिन साथ ही साथ सोशल-इकनॉमिक कॉम्प्रिहेन्सिव प्लान बनाने की जरूरत है। गृह मंत्री जी से विनती करता हूं और चाहता हूं कि सरकार एक प्लान बनाकर पार्लियामेंट के सामने आए।

जम्मू-कश्मीर के बारे में एक मित्र कह रहे थे कि गोली से बात कीजिए, लेकिन गोली से बात नहीं होगी, यह सही है। वहां की सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं, वे पार्लियामेंट में हमारे साथ रह चुके हैं, उनका कहना है कि आप वहां से मिलिट्री नहीं हटाइए, बोली करेंगे तो साथ में गोली की भी जरूरत है, यह कौन कह रहा है, यह उस राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। जब तक जम्मू-कश्मीर की समस्या के हल के लिए हम कन्फ्यूज होकर बात करेंगे, यह समस्या हल नहीं होगी। कोई नहीं कहता है कि बोली मत करिए, लेकिन बोली करने के हाथ में यदि बंदूक हो और यदि आप बंदूक छुपा कर बोली की बात करेंगे तो बात कैसे होगी? इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे करना चाहिए।

नार्थ-ईस्ट की भी यही समस्या है। मैं देख रहा था कि कश्मीर से विस्थापित लोगों को घर देने के लिए गृह मंत्रालय ने कार्यक्रम बनाया और गृह मंत्रालय का कहना है कि रिइम्बर्समेंट के नाम पर उनको धन देते हैं लेकिन वहां की राज्य सरकार यह धन मांगती नहीं है, मैं मानता हूं कि यह बहुत गंभीर समस्या है और इसके लिए कुछ न कुछ करना होगा।

इसके अतिरिक्त एक और बात पुलिस के बारे में है।

सभापति महोदय : आप कन्कलूड कीजिए।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : महोदय, अभी तो दस मिनट ही हुए हैं। आप थोड़ा सा समय दीजिए।

सभापति महोदय : आपको दिया गया समय पूरा हो चुका है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : सब लोग 35-45 मिनट बोल चुके हैं।

सभापति महोदय : आठ मिनट का समय था और दस मिनट हो चुके हैं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : महोदय, बाकी सदस्यों के लिए 20 मिनट समय था और उन्होंने 40 मिनट का समय लिया है। पुलिस को मॉडर्नाइजेशन करने का कार्यक्रम वर्ष 1969-70 में चल रहा है। यह सही है कि मॉडर्नाइजेशन वन टाइम एफर्ट नहीं है, 27 सालों से चल रही प्रक्रिया है। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने पूरी तरह से अपनी पुलिस को मॉडर्नाइज किया है। आप एक भी ऐसा राज्य दिखा दीजिए जहां के लोग कह सकें कि पुलिस ही हमारी मित्र है और पुलिस के पास काफी विश्वास के साथ जा सकते हैं। इसलिए मॉडर्नाइजेशन का कार्यक्रम तभी सफल होगा जब इस तरह के बदलाव पुलिस के दिल में आएंगे। पुलिस में कांस्टेबलरी रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके साथ पुलिस की लिविंग कंडीशन्स की तरफ ध्यान देने की भी आवश्यकता है। हम सब चीजों के लिए पुलिस से अपेक्षा करते हैं और पुलिस में खास तौर से कांस्टेबल्स, क्लास-4 एम्पलाइज ही गोलियां झेलते हैं लेकिन आज उनके रहने की व्यवस्था नहीं है, उनके परिवार के लिए सुरक्षा नहीं है इसलिए इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके बाद इंटेलीजेंस की बात आती है। भारत के आसूचना तंत्र में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा और मैं इसका समर्थन करता हूं क्योंकि आज कल जिस तरह से आतंकवाद का चेहरा बन रहा है, उसमें आतंकवादी चाहता है कि मैं पहले अपने को उड़ा दूं तो मैंने जिसे मारना है वह भी मर जाएगा। इसके लिए कोई भी कानून व्यवस्था नहीं है, हमने जो कानून व्यवस्था बनाई थी उसमें जयादा से ज्यादा सजा इसलिए दी थी ताकि इस तरह का क्राइम करने के लिए कोई आगे न आए। क्राइम करने के लिए कोई भी आदमी मरने जा रहा है इसलिए

अपराध को रोकने के लिए आसूचना तंत्र की आवश्यकता है। इसलिए इंटेलिजेंस पर ध्यान देन की जरूरत है। लेकिन मैं देख रहा था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, यह उसका अंग है और काम करता है। लेकिन पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा धन नहीं बढ़ाया गया है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर आई०बी० के लिए कुछ भी नहीं है। यदि आप रिवैम्प करना चाहते हैं तो प्लान बनाना होगा, प्लान्ड एक्सपेंडिचर देना होगा और उसके आधार पर ही पिछले साल की तुलना में परिवर्तन ला सकते हैं। आई०बी० को पूरी तरह से टेक्नोलॉजी और ग्राउंड ऑपरेटिव की सहायता से नया रूप देने की जरूरत है।

नेशनल आई-कार्ड के बारे में जिक्र नहीं हुआ है। यह देश की बहुत बड़ी जरूरत है। बहुत से लोगों ने कहा कि विदेश से आए ऐसे काफी लोग हैं जो हमारे देश में रहते हैं लेकिन हमारे देश के लोगों की आइडेंटी क्या है? आई-कार्ड देने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, इस संबंध में मैं मानता हूं कि इसे काफी हद तक ज्यादा रफ्तार देने की जरूरत है। जब तक यह रफ्तार नहीं आएगी तब तक इसमें सुधार नहीं हो सकता है।

मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय गृह मंत्री जी महाराष्ट्र से हैं, जैसा कि मैंने कहा कि रूल ऑफ बिज़नेस देखेंगे तो उसमें यह भी जिम्मेदारी है कि अगर राज्य सरकार उनसे विनती करती है तो संविधान के तहत ऐसे जो पिछड़े इलाके हैं, उनके लिए डेवलपमेंट बोर्ड बनाए जा सकते हैं। कोंकण का डवलपमैंट बोर्ड बनाया जाए। इसके बारे में राज्य सरकार ने भी एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को दिया था। जिस इलाके का मैं इस सदन में प्रतिनिधित्व करता हूं, उस कोंकण के लोगों की भी यह ख्वाहिश है, जिसके बारे मैं सदन में काफी समय से कहता आ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी इस पर भी ध्यान दें कि किस तरह से हमारे कोंकण एरिया और कोस्टल एरिया का डवलपमैंट किया जा सकता है। क्योंकि हमारा कोस्टल एरिया भी असुरक्षित एरिया माना जाता है।

सभापति महोदय, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं। यह हमारा आउटकम बजट है और पिछले साल से इस आउटकम बजट की शुरूआत हुई। मैं मंत्री जी से विनती करूंगा कि आप खुद इसका अध्ययन करें। आउटकम बजट का मकसद यह है कि यह धन हम किस तरह से खर्च करते हैं, जिस सदन अप्रूव करती है। कंसोलिडेटिड फंड से जो धन आता है, उसे आम जनता कर के रूप में सरकार के अधीन करती है, उस धन का किस तरह से इस्तेमाल किया गया, उसके बारे में जानकारी मिलने की जरूरत है। जो हमारी ख्वाहिश थी, उम्मीद थी, जो इस धन को खर्च करने से पूरी होनी थी, क्या वह पूरी हुई या नहीं। मैं आउटकम बजट के बारे में आपको उदाहरण भी देता, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैं अधिक न बोलूं तो मैं सरकार से यही विनती करूंगा कि मंत्री जी आप खुद इस आउटकम बजट का अध्ययन करें, इसमें सुधार लाने की कोशिश करें, क्योंकि पार्लियामैन्ट में आउटकम बजट

[अनुवाद]

यह पता लगाने का एक तरीका है कि क्या सरकारी खर्च उसी प्रकार किया गया है। जिस प्रकार से इसे इस सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था।

श्री सुग्रीव सिंह (फूलबनी) : धन्यवाद, महोदय। देश की आंतरिक सुरक्षा दिन-प्रति-दिन बदतर होती जा रही है। ऐसे अनेक संदर्भ हैं, जो चिंता के विषय हैं और देश में सुरक्षा संबंधी समस्या लगातार बढ़ रही है। देश का एक-तिहाई से ज्यादा भाग कुछेक प्रकार की आंतरिक अशांति से प्रभावित है और देश में 165 से ज्यादा जिले नक्सली हिंसा से प्रभावित हैं। एक समय था, जब पुलिस को मालूम था कि आतंकवाद से लड़ने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, लेकिन यह विगत की बात रह गई है। आजकल, न तो उनके पास कोई सुराग है और नहीं उनके पास नक्सलवाद या आतंकवाद से लड़ने के लिए अत्याधुनिक हथियार सरकार पुलिस बल को आधुनिक बनाए जाने के लिए राज्यों को नगद रूप में और अन्य प्रकार से धनराशि उपलब्ध कराती है लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं है क्योंकि हमारे सुरक्षा बलों को इस क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

आतंकवादियों और नक्सलियों की कार्य प्रणाली का डाटाबेस रखे जाने की आवश्यकता है, चूंकि यह लगातार ईजाद होती रहती है। देश में न तो केन्द्र सरकार और न ही राज्य सरकारों में पुलिस के पास इस प्रकार का डाटाबेस उपलब्ध है। हमारे सुरक्षा बल न केवल माओवादियों और नक्सलियों से निपटने में अक्षम हैं बल्कि सरकार भी इस समस्या से निपटने के प्रति गंभीर नहीं है। यह इस तथ्य के अन्तर्गत देखा जा सकता है कि देश में 165 से ज्यादा नक्सल-प्रभावित जिलों में से सरकार ने सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के तहत केवल नौ राज्यों में 76 जिलों हेतु प्रतिपूर्ति का प्रावधान रखा है।

मेरा उड़ीसा राज्य नक्सली हिंसा से प्रभावित है। राज्य में अधिक से अधिक जिलों में नक्सली अपनी ताकत बढ़ाते जा रहे हैं। हमारी राज्य सरकार भी संसाधनों की कमी की वजह से नक्सलियों की बढ़ती गतिविधियों से निपटने की स्थिति में नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वे राज्यों में पुलिस

[श्री सुग्रीव सिंह]

वलों को आधुनिक बनाए जाने के लिए धनराशि में वृद्धि करें और सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के तहत प्रतिपूर्ति के लिए उन जिलों की संख्या में वृद्धि करें, जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं।

भारतीय रिजर्व बटालियन की संकल्पना की बात देश में कानून और व्यवस्था की बढ़ती समस्या तथा आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर केन्द्र सरकार द्वारा की गई थी। हमारी सुरक्षा संबंधी स्थिति की जटिल प्रकृति को देखते हुए हमें ऐसी चुनौतियों से लड़ने के लिए एक संतुलित सुरक्षा बल बनाना चाहिए। सरकार ने 34 नई रिजर्व बटालियनों को बनाने करने की स्वीकृति प्रदान की है। परन्तु इन 34 भारतीय नई रिजर्व बटालियनों की स्थापना में विलम्ब से न केवल इसकी लागत बढ़ रही है बल्कि इससे आतंकवाद और नक्सलवाद से लड़ने वाले देश के मौजूदा बलों पर भी दबाव पड़ता है। ऐसे कदमों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। क्योंकि इस प्रकार के निर्णयों को लागू करने में विलम्ब के कारण मौजूदा बलों पर दबाव बढ़ जाता है।

बढ़ी संख्या में देश के युवाओं का आतंकवाद तथा नक्सलवाद से जुड़ने का मुख्य कारण बेरोजगारी है। सरकार को भारतीय रिजर्व अथवा अन्य बल की बटालियनों को स्थापित करते समय इस प्रकार से प्रभावित क्षेत्रों के युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने चाहिएं। सरकार के इन प्रयासों से न केवल बेरोजगारी खत्म होगी बल्कि देश में नक्सलियों तथा आतंकवादियों की संख्या भी कम होगी।

होम गार्ड कानून और व्यवस्था बनाये रखने, यातायात नियंत्रण तथा सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा करने आदि में राज्य सरकारों को सहायता करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तथापि समन्वय के अभाव में सरकार देश में होमगार्ड की सेवाओं का दोहन करने में असफल रही है। देश में होमगार्ड न केवल राज्य सरकारों की सहायता करते हैं बल्कि यह हमारे युवकों को शारीरिक दृष्टि से मजबूत बनाए रखता है तथा उन्हें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराता है। अतः मेरा माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि उड़ीसा राज्य के लिए और अधिक धनराशि का आबंटन किया जाए ताकि अधिकाधिक युवा राष्ट्र की मुख्य धारा में रह सकें।

हमारे देश के कई राज्यों में प्राकृतिक अथवा मानव जनित आपदाओं की संभावना रहती है। सरकार विभिन्न संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों को प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं से निपटने के लिए तत्संबंधी पाठ्य सामग्री के प्रकाशन तथा तत्संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु सहायता अनुदान प्रदान करती है। सरकार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, अनुसंधान आदि जैसे क्षमता निर्माण क्रियाकलापों के लिए भी सहायता प्रदान करती है। तथापि किसी आपदा के समय सरकार के ये सभी प्रयास व्यर्थ साबित होते हैं। सरकार को जिला, पंचायत और राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए पर्याप्त सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए। मेरे विचार से आपदा प्रबंधन के लिए चालू बजट में किए गए प्रावधान पर्याप्त नहीं है क्योंकि प्रारम्भिक अवस्था में हमें देश में इस प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए अवसंरचना स्थापित करनी पड़ती है? प्रशिक्षण आदि देना पड़ता है।

मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा कि उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो न केवल मानव जनित आपदाओं से पीड़ित है बल्कि प्राकृतिक आपदाओं से भी पीड़ित है। मेरे राज्य में चक्रवात, भारी चक्रवात, बाढ़, सूखा, भीषण गर्मी आदि आम बात है। राज्य में चक्रवात, भारी चक्रवात तथा अन्य प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए पर्याप्त अवसंरचना नहीं है क्योंकि आपदाओं से निपटने के लिए सी०आर०एफ० तथा एन०सी०सी०एफ० के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित धनराशि उड़ीसा जैसे आपदा प्रवण राज्य के लिए पर्याप्त नहीं है।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उड़ीसा राज्य के लिए वर्ष 2007-2008 के दौरान पर्याप्त धनराशि आबंटित की जाए ताकि उड़ीसा के लोग किसी भी प्रकार की मानवजनित और प्राकृतिक आपदा का सामना कर सकें।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : धन्यवाद सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। हमारे देश के वर्तमान संदर्भ में गृह मंत्रालय देश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि यह सच है कि हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है। हमारे पड़ौसी देशों के कुछ उग्रवादी समूह तथा कट्टरवादी समूह हमारे देश में अस्थिरता लाना चाहते हैं और हमारी संप्रभुता को खंडित करना चाहते हैं।

अपराह्न 1.46 बजे

[डा० सत्यनारायण जटिया *पीठासीन हुए*]

कुछ दिन पहले हमने देखा कि कश्मीर में प्रो० गिलानी एक विशाल जन रैली को सम्बोधित कर रहे थे जिसमें उग्रवादी समूह के कुछ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था जिनके पास पाकिस्तानी झंडे थे। यह बड़े दुख की बात है। मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार इस पर ध्यान देगी तथा मैं जोरदार तथा स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूंगा कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे और मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं। भारत के लोग पाकिस्तान के लोगों के साथ तथा पाकिस्तान के लोग भारत के लोगों के साथ अच्छे और मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं।

शांति प्रक्रिया श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में शुरू हुई और डा० मनमोहन सिंह जी द्वारा इसे जारी रखा गया है। हाल के सार्क सम्मेलन में दोनों देशों के नेताओं के मिलकर शांति प्रक्रिया पर चर्चा की। हम भारत सरकार द्वारा शुरू ही गई शांति प्रक्रिया को पुरजोर समर्थन करते हैं। मुझे दुख है कि पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथी समूह तथा हमारे देश के कुछ कट्टपंथी समूह शांति प्रक्रिया में बाधा डालना चाहते हैं और दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंधों को तोड़ना चाहते हैं। दोनों कट्टरपंथी समूह एक ही नाव में सवार हैं। श्री शाहनवाज हुसैन इस सभा में उपस्थित नहीं है। वह और उनकी पार्टी आतंकवाद पर अंकुश लगाने तथा आतंकवाद को फैलने से रोकने के लिए पोटा लगाने के जोरदार समर्थक हैं। मैं विनम्र रूप से उन्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि जब जम्मू और कश्मीर विधान सभा में हमला हुआ तब भी पोटा लागू था। जब आतंकवादी समूह द्वारा इस सम्माननीय सभा पर हमला किया गया था, उस आतंकवादी हमले के कारण हमारे भाई-बहनों की बहुमूल्य जानें गई, उस समय भी पोटा लागू था। कोई पोटा और टाडा आतंकवादी हमले में हमारे भाइयों और बहनों द्वारा अपनी अमूल्य जिंदगी गंवाने वाले नुकसान को नहीं रोक सकता है। मैं कहता हूं कि पोटा और टाडा या कोई अन्य कठोर कानून हमारी संप्रभुता, हमारी महान मातृभूमि, हमारे देशवासियों की रक्षा नहीं कर सकता है; केवल देश की जनता, उनके संयुक्त प्रयास हमारी मातृभूमि, हमारी संप्रभुता की रक्षा करेंगे।

यह सच है कि माओवादी और नक्सलवादी गतिविधियां हमारे पूरे देश में बढ़ रही हैं। हमारे राज्य में तीन जिलों के कुछ भाग नक्सलवादी समूहों द्वारा बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हम इन्हें नक्सलवादी या पीपुल्स वार ग्रुप या माओवादी समूह कह सकते हैं। हमें इस संकट की तह तक जाना चाहिए; हमें समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहिए क्योंकि ए०के०-47 से समस्या हल नहीं होगी। यह और कुछ नहीं बल्कि सामाजिक-आर्थिक समस्या है। नक्सलवादी कौन हैं? नक्सलवादी आदिम जातियों, जन-जातियों देश के गरीब वर्गों के सबसे गरीब वर्ग से संबंधित व्यक्ति हैं। ये देश के आपदाग्रस्त स्थानों और दूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे हैं। नक्सलवादियों के इरादे ऐसे हैं कि वे नक्सलवादी गतिविधियों में लिप्त इन गरीब व्यक्तियों, आदिम जातियों, जनजातियों के व्यक्तियों की गरीबी का अनुचित फायदा उठा रहे हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के 60 वर्षों के बाद भारत जैसे इतने बड़े देश में पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा को छोड़कर किसी राज्य ने भूमि सुधारों को लागू नहीं किया है। कुछ राज्य की विधान-सभाओं ने भूमि सुधार कानून का अधिनियमन किया है। हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि कुछ राज्यों में कुछ जमींदार बड़ी भूमि पर कब्जा करके मजे कर रहे हैं और भूमि पर अधिकार का सुख भोग रहे हैं। भूमिपर जुताई करने वाले गरीब वर्गों के सबसे गरीब व्यक्तियों को भूमि नहीं मिल रही है। भारत सरकार का कर्त्तव्य है कि वह सभी राज्य सरकारों को भूमि सुधारों को लागू करने के निर्देश दे ताकि भूमि किसानों को दी जा सके। वहां पर कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। यदि आप देश के दूरवर्ती या दूरस्थ कानों, छत्तीसगढ़, झारखंड और अन्य राज्यों में जाएं तो आप देख सकते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के 60 वर्षों के बाद भी वहां पर कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। सरकार को इन क्षेत्रों का विकास करने के लिए कदम उठाने चाहिए? इस वाद-विवाद के प्रथम वक्ता श्री शाहनवाज़ हुसैन ने आंध्र प्रदेश द्वारा किए गए प्रयास की आलोचना की है। हम आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयास अथवा दिए गए संकेत का समर्थन करते हैं। हम आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नक्सलवादियों, पीपुलसवार ग्रुप के साथ वार्ता करने उनके साथ विचार-विमर्श करने, उनकी समस्या तथा वे क्या चाहते हैं इस बात का पता लगाने के लिए किए गए प्रयास का समर्थन करते हैं। आखिरकार, ये व्यक्ति इस देश के निवासी है। कुछ व्यक्ति कश्मीर के अल्पसंख्यक व्यक्तियों को निशाना बना रहे हैं। कश्मीर के लोगों को इस देश से प्यार है; वे इस देश के सच्चे नागरिक हैं; उन्हें इस देश से उतना ही प्यार है जितना हमें है।

भारत सरकार को नक्सलवादियों और माओवादियों को इस देश की मुख्यधारा में लाने के लिए राज्यों को निर्देश देने के लिए कदम उठाने चाहिए; सरकार को उनसे वार्ता करनी चाहिए; उन्हें समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहिए ताकि नक्सलवादियों और माओवादियों को मुख्यधारा में लाया जा सके।

अब नेपाल शांतिप्रिय देश है। नेपाल में शांति इसलिए हैं क्योंकि माओवादी समूह के नेता को इस समय मंत्रिमंडल में शामिल हैं; इस नेता को कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया था और इसलिए अब नेपाल में शांति है।

हमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, चीन आदि सहित सभी पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने चाहिए। कोई हमारा शत्रु नहीं है सारे देश हमारे मित्र हैं। यदि आज श्रीलंका विश्व कप क्रिकेट मैच जीतता है तो सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे होगी क्योंकि श्रीलंका हमारे पड़ोसी के रूप में विश्व के इस भाग से जुड़ा है। अत: केवल हेलीकाप्टरों और गोलाबारूद की आपूर्ति से नक्सलवादियों और आतंकवादी समूहों की समस्या हल नहीं होगी; केवल जनता समस्याओं को हल कर सकती है।

भूमि का लालच और गरीबी नक्सलवादी गतिविधियों के मुख्य कारण हैं। कुछ दिनों पूर्व मैं झारखंड के वन क्षेत्रों में गया था; मैंने

[श्री अजय चक्रवर्ती]

माओवादियों से बातचीत की जो इस देश के सबसे गरीब व्यक्ति हैं। माओवादी कौन हैं? वे गरीब व्यक्ति हैं; उनकी गरीबी का फायदा उठाकर उन्हें नक्सलवादी और माओवादी बना दिया जाता है।

इसमें संदेह नहीं हैं कि कानून और व्यवस्था की देख-रेख राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। परन्तु दिल्ली में कानून और व्यवस्था की देख-रेख की जिम्मेदारी प्रत्यक्ष रूप से गृह मंत्रालय की है। दिल्ली सिर्फ देश की राजधानी नहीं है बल्कि अपराधियों की भी राजधानी है। यदि कोई समाचारपत्रों पर नजर डाले तो वह प्रतिदिन बलात्कार, डकैती और हत्याओं के समाचार देख सकता है।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि कुछ राज्य सरकारों की अपने राज्यों में शांति एवं कानून और व्यवस्था बनाए रखने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि गुजरात सरकार राज्य की जनता के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। गुजरात सरकार का राज्य-प्रायोजित नरसंहार अब भी जारी है। कांग्रेस पार्टी के मेरे सम्मानित साथी श्री मधुसूदन मिस्त्री ने उसका उल्लेख किया है जो कुछ गुजरात में हो रहा है। गुजरात सरकार चुपचाप बैठी है; वह अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों की रक्षा करने की इच्छुक नहीं है; वह गुजरात में अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बना रही है। अत: मैं कहता हूं कि लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए। आतंकवाद और माओवादियों तथा नक्सलवादियों के विरुद्ध जनता को एकजुट करना केवल सरकार का कर्त्तव्य नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों का भी कर्त्तव्य है कि वे दलगत राजनीति से उठकर इस कर्त्तव्य को निभाएं।

हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं; हम केवल सरकार पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। निश्चित रूप से, निसंदेह जनता को आतंकवाद के विरुद्ध-एकजुट करना सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। परन्तु जनता को आतंकवाद के विरुद्ध तथा अपनी समस्याओं को हल करने के लिए एकजुट करना राजनेताओं, राजनीतिक दलों और संसद सदस्यों का भी कर्त्तव्य हैं। हमें कारण की जड़ तक जाना चाहिए तथा विकास कार्य शुरू करना चाहिए। हमें किसानों के लिए भूमि कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। मुझे आशा है कि ए०के०-47 से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। जनता विश्व में इतिहास रच सकती है। यदि हम जनता को एकजुट करने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करें तो हम इतिहास रच सकते हैं और स्थिति का मुकाबला कर सकते हैं। यदि हम इस दिशा में चलें तो इस बात में संदेह नहीं है कि हम विजयी होंगे।

श्रीमती मेनका गांधी (पीलीभीत) : चूंकि हमें पुलिस का सामना रोज ही करना पड़ता है, मैं केवल पुलिस के बारे में कहना चाहती हूं। मैं आपको कुछ घटनाएं बताऊंगी जो मेरे साथ घटित हुई और जिनमें मैं व्यक्तिगत रूप से शामिल रही।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, बांदा पुलिस स्टेशन में दो पुलिस वालों ने एक 24 वर्षीय युवक की पीठ पर बैठकर उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ कर मार दिया। सजा के रूप में उन्हें दूसरे थाने में स्थानांतरित कर दिया गया।

कुछ ही माह पहले जिला परिषद का एक नव निर्वाचित सदस्य कुछ असमाजिक तत्वों के बारे में शिकायत करने के लिए थाने गया था। उसे थाने में ही गोली मार दी गई। उनके विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

एक पूरा का पूरा गांव मेरे पास आया कि उन्हें अपने गांव में खुदाई के दौरान कुछ मूर्तियां मिली थी स्थानीय पुलिस वालों ने इन मुर्तियों को चुराया था। ये मुर्तियां थाने में देखी गयी तथा इन्हें पुलिस वाले तस्करी कर बाहर भेजना चाहते थे। यह गांव मेरे संसदीय क्षेत्र में है।

मैं एक गैर-सरकारी संगठन (एन०जी०ओ०) की भी अध्यक्ष हूं जिसमें 2,50,000 लोग हैं और यह देश के सबसे बड़े अपराध अर्थात् वन्य जीव संबंधी अपराध को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। कल ही एक वकील की युवा बेटी को नशे में धुत तीन लोगों ने रात को वन्य जीव संबंधी अपराध को रोकने की अपनी ड्यूटी के दौरान हमला कर दिया। वह पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस वालों ने धमकी दी कि यदि वह रिपोर्ट दर्ज कर वायेगी, तो उसके साथ बलात्कार किया जाएगा। आज, वह एस०पी० से मिलेगी।

कल रात ही देहरादून में मेरे संगठन के दो सदस्य वहां के एक कुख्यात तस्कर के बारे में शिकायत करने के लिए कोतवाली गये। पुलिस वाला बोला, "मैं कानून-वानून नहीं जानता, भाग जाओ।"

यवतमाल में मेरे संगठन ने फोन करके मुझे बताया कि उन्होंने गायों की तस्करी करने वाले 10 ट्रकों को पकड़ा है जो कि इस देश में सबसे बड़ी गैर-कानूनी गतिविधि है। कई साम्प्रादायिक अपराधों के लिए जिम्मेवार यवतमाल के एस०पी० ने कहा यदि तुम गायों के तस्करों को पकड़ोगे तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। आज उन्होंने मेरे सदस्यों को डाकू बताते हुए उनके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर दी है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को मीट की अवैध दुकानों को बंद करने का आदेश दिया था जिसमें से दिल्ली में 11000 दुकाने हैं, इन्हें आप सभी गलियों-नुक्कड़ों पर देख सकते हैं। चार वर्ष बीत गए है। पुलिस ने झूठी रिपोर्ट दर्ज की है। किन्तु एक भी दुकान को बन्द नहीं किया है। दिन-प्रतिदिन यही हो रहा है।

किसी भी सभ्य समाज में पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाने रखने के अलावा सामाजिक सुरक्षा, संरक्षा और जनता की सेवा करने वाली एजेंसी माना जाता है। तथापि, कानून-व्यवस्था बनाए रखने को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती प्रतीत होती है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मिलने वाली शिकायतों में 50 प्रतिशत से अधिक पुलिस कर्मियों के विरुद्ध होती हैं। पुलिस के बारे में जनता के दिमाग में क्या राय है:—

— कानून का उल्लंघन सबसे ज्यादा पुलिस वाले करते हैं और वे दण्ड से बच जाते हैं।

— वे कई मामलों में असमाजिक तत्वों के साथ मिलीभगत कर लेते हैं और चुनिंदा मामलों में कानून का पालन करते हैं।

— ये जनता, अदालतों और गैर-सरकारी संगठनों के प्रति अभद्र, गाली-गलौच और अवमानना करने वाले होते हैं।

— ये सभी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती है।

— ये व्यक्ति की सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति, आर्थिक शक्ति और राजनैतिक प्रभाव के अनुसार ही शिकायत पर प्रतिक्रिया करते हैं जो कि समानता और मानवीय गरिमा के सिद्धान्तों का उल्लंघन है।

— ये मानव अधिकारों अथवा किन्हीं ऐसे अधिकारों की अवधारणाओं से अंजान होते हैं या जानबूझकर उनकी अनदेखी करते हैं।

— अपराधों की रोकथाम करने अथवा उनकी सफलतापूर्वक जांच करने में और जान-माल की रक्षा करने में जिम्मेवारी निभाने का इनका रिकार्ड बहुत निम्न स्तरीय है।

— अपराधों की प्रक्रिया अत्याधुनिक होती जा रही है और पुलिस कम पेशेवर होती जा रही है।

— जनता में अपनी छवि सुधारने के लिए पुलिस में सामूहिक रूप से किसी इच्छा के संकेत नहीं मिलते हैं।

— पुलिस हिंसात्मक अपराधों के पीड़ितों के प्रति उदासीन और असंवेदनशील रवैया अपनाती है और अक्सर उनके साथ अपराधियों की तरह पेश आती है।

अपराह्न 2.00 बजे

इनकी कागजी कार्यवाही अव्यवस्थित है और अभिलेखों का रखरखाव सम्पूर्ण विश्व में शायद सबसे घटिया है। ये अपनी अकुशलता के लिए कानून, वकीलों और अदालतों पर आरोप लगाते हैं। उनमें से कई राष्ट्र-विरोधियों, आतंकवादियों और भारत के अन्य खतरों के साथ लिप्त हैं। कामनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनीसिएटिव द्वारा मीडिया की रिपोर्टों की छानबीन यह दर्शाती है कि पिछले कुछ वर्षों में अपराधों में पुलिस कर्मियों की संलिप्तता में वृद्धि हुई है।

आज पुलिस व्यवस्था जिस संगठनात्मक व्यवस्था से प्रभावित है वह आयरलैण्ड की पुलिस व्यवस्था पर आधारित है, यह एजेंसी केवल सरकार, इसके प्रमुख अधिकारी अर्थात् इंस्पेक्टर-जनरल जो केवल मुख्य सचिव को रिपोर्ट देता था, के प्रति जबावदेह है। इसी वजह से हमारी पुलिस भी सरकार की ही सेवा करती है न कि निग्रहात्मक शक्ति एवं व्यवस्था और राज्य द्वारा बारम्बार हिंसा प्रयोग के विरुद्ध जनता के प्रति जबावदेह है। जो भी सरकार सत्ता में होती है ये उनके आंख कान की तरह गुप्त रूप से और अपने निजी हितों के लिए कार्य करते हैं। इसे और ज्यादा नहीं चलाया जा सकता। जिसका भी उनसे दिन-प्रतिदिन पाला पड़ता है, मैं यही कहूंगी कि उनकी यह सफाई कि अपवाद तो हर जगह होते हैं, यह स्वीकार्य नहीं है। मैं अधिकतर पुलिसवालों के बारे में कह रही हूं। यह पुलिस का चरित्र है और मैंने इसे अपने राजनैतिक जीवन में सैंकड़ों शिकायतों और प्रतिदिन समाचार-पत्रों को पढ़कर ऐसा ही पाया है।

नये पुलिस अधिनियम के माध्यम से कई गम्भीर मुद्दों का समाधान किये जाने की आवश्यकता है जो कि भारत के संविधान के बाद सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज होना चाहिए। पुलिस के चरित्र, अभिवृति, भ्रष्ट्राचार और लापरवाही को कैसे बदला जा सकता है? इसका आरम्भ हवलदार से किया जाना चाहिए जो पुलिस बल में 90 प्रतिशत है और जनता के साथ दैनिक व्यवहार के लिए सबसे अधिक जिम्मेवार हैं। हवलदार कम शिक्षित होते हैं अक्सर ये लोग रिश्वत देकर पुलिस में भर्ती होते हैं और हर राज्य में पिछले कुछ वर्षों से यह आम हो गया है। ये लोग ठीक से प्रशिक्षित नहीं हैं। इसमें शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार की फिटनेस की कमी होती है और अपने से ऊपर वाले अगले रैंक का आज्ञापालन होता है। निचले और शीर्ष रैंकों के मध्य मानवीय गुणवत्ता में विषमता आश्चर्यजनक

[श्रीमती मेनका गांधी]

है। जबकि शीर्ष रैंकों में कुछ पहलशक्ति और उत्तरदायित्व है निचले रैंकों को इनमें से कुछ भी प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं है, उन्हें स्थानीय जनता को धमकाने के लिए पशुबल और पाश्विकता पर केन्द्रित होना होता है। भारतीय पुलिस प्रणालीबद्ध रूप से सबसे बुरी स्थिति में है। वे समझते हैं कि उनकी ड्यूटी एक यांत्रिक तरीके की है, जिनके पास कोई विवेकाधिकार और निर्णय नहीं है और यह उस नीति का परिणाम है जो उन्हें पुरानी सरकारों ने दी है। उनमें से किसी को भी आई०पी०सी० के अलावा अन्य किसी कानून की बुनियादी जानकारी भी नहीं है और वे सिर्फ उस साम्राज्यवादी शासन के एजेन्ट हैं जिसे हम अपनाए हुए हैं। निश्चित रूप से भारत में कांस्टेबल की प्रकृति लूटमार करने वाली है और अधिकारों का उल्लंघन आज की स्थिति है। अतएव, मंत्रालय द्वारा कोई भी सुधार पुलिस को पुनः आकार प्रदान करते हुए पुलिस के निचले स्तर से प्रारंभ किया जाए ताकि इन्हें अधिक बुद्धिमान, शिक्षित, उत्तरदायी और अपने कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक बनाया जा सके। ये रैंक स्वतंत्र रूप से पहल करने और पुलिस अधिकारियों की आवश्यक ड्यूटियों का निर्वहन करने में सक्षम होने चाहिए।

व्यावसायिकता, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण की तत्काल आवश्यकता है किन्तु इस मुद्दे के समाधान के लिए हमनें पुलिस बल या गृह मंत्रालय का कोई प्रमाण नहीं देखा है। पुलिस में जो संगठनात्मक विशेषताएं एवं सांस्कृतिक तथा प्रबंधकीय प्रक्रियाएं हैं वे भ्रष्टाचार, पाश्विकता, गैर-जिम्मेदारी और राजनीतिकरण को बढ़ावा देती है। हम पुलिस के राजनैतिक दुरूपयोग के बारे में शिकायतें करते हैं किन्तु यह आंतरिक संगठनात्मक समस्याओं और घटिया कार्य निष्पादन का प्रत्यक्ष परिणाम है। जब पुलिस नागरिकों की समस्याओं के प्रति उदासीन हो जाती है और अधिकारियों और कांस्टेबलों का व्यक्तिगत दुर्व्यवहार सार्वजनिक चिन्ता बन जाता है तो राजनीतिज्ञों के लिए हस्तक्षेप करना अनिवार्य बन जाता है। तब नागरिकों को पुलिस से कार्रवाई कराने के लिए राजनीतिज्ञों के पास जाना पड़ता है जिसकी संगठनात्मक कुप्रबंधन और उदासीनता के कारण अनदेखी कर दी जाती है। तब राजनेता अगले स्तर पर जाता है और पुलिस को अपने निहित हित के लिए और अपने पास आए नागरिकों की ओर से प्रयोग करता है। तब राजनीतिज्ञ अगले स्तर पर जाता है जो कि जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए होता है जैसे कि चुनाव जीतना या अपराधियों को संरक्षण देना और वह पुलिस संगठन की आंतरिम प्रबंधन नीतियों को प्रभावित कर सकता है। किन्तु ये सारे राजनैतिक हस्तक्षेप स्वयं पुलिस नेतृत्व की खामियों और कमजोरियों के कारण हो सकते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय तथा राज्य आयोगों की स्थापना का आदेश दिया है। उन्होंने प्रत्येक राज्य में और जिला स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड तथा पुलिस शिकायत प्राधिकारियों की स्थापना का आदेश दिया है। पुलिस अधिनियम 1861 में व्यापक संशोधन किया जाए। उन्होंने सरकार बदलने पर स्थानांतरण और तैनाती पर प्रतिबंध के लिए कहा है। उन्होंने डी०जी०पी०, आई०जी०, डी०आई०जी० और एस०पी० का न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल निर्धारित करने के लिए कहा है केवल उनके विरुद्ध अनुशासनिक या भ्रष्टाचार अथवा आपराधिक आरोप होने की स्थिति अपवाद होगी। उन्होंने अपराधों में वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू करने के लिए कहा है। पुलिस स्थापना बोर्ड के पास डी०एस०पी० रैंक से नीचे के अधिकारी के स्थानांतरण और पदोन्नति का अधिकार होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के पास सी०पी०ओ०एस० के चयन और तैनाती का अधिकार होगा। राज्य सुरक्षा आयोग डी०जी०पी० के साथ कार्य करेगा जो उनके पदेन सचिव होंगे। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश के अधीन कार्य करेगा। उन्होंने जनवरी, 2007 तक अनुरूपता रिपोर्ट मांगी है। किसी ने भी अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है।

गृह मंत्रालय ने पुलिस आधुनिकीकरण योजना पर प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रु० का अतिरिक्त अनुदान दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस राशि को वाहन तथा शस्त्र खरीदकर बर्बाद नहीं किया जाएगा। इसे पुलिस के पुर्नप्रशिक्षण, फिटनेस, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर खर्च किए जाने की आवश्यकता है। पुलिस नेतृत्व को जांच पड़ताल या विज्ञान को सहायता प्रदान करनी है और प्रयोगशालाओं को बढ़ाना होगा। वन्यजीव अपराध देश में ड्रग्स के पश्चात सबसे बड़ा अपराध है किन्तु जांच के लिए एक भी प्रयोगशाला नहीं है यही कारण है कि अधिकतर अपराधी न्यायालयों से छूट जाते हैं। मैं ऐसे 15 अपराधियों को जानता हूं जो कि जमानत पर है और उनके खिलाफ 70 से अधिक मामले हैं। यहां तक कि विमानपत्तनों और रेलवे स्टेशनों पर सी०सी०टी०वी० जैसे आसान चीजें भी नहीं हैं।

पुलिस का या बाहर का कोई भी ईमानदार व्यक्ति इन आरोपों को पूर्णतया नकार नहीं सकता। बहाने या स्पष्टीकरण देने की बजाय ऐसी स्थितियों के होने को स्वीकार करना चाहिए और सार्वजनिक सेवा और व्यावसायीकरण के हित में उत्तरोत्तर दूर करने की रणनीति बनानी चाहिए। जो इन स्थितियों को परिवर्तित नहीं करना चाहते, वे बहाने और स्पष्टीकरण देने जारी रखेंगे।

लोकतांत्रिक समाजों में पुलिस विधि द्वारा शासित होती है और जोकि वास्तव में कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य है। अतीत में भारतीय पुलिस बल को साम्राज्यवादी शासन के उद्देश्यों के पोषण के लिए

प्रशिक्षित किया गया था और उसे अभी तक व्यावसायीकरण के लिए स्वायत्तता, संसाधन तथा प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।

पुलिस प्रशिक्षण के घटक और पद्धति पुरानी है। अभी भी मस्तिष्क की बजाय बल पर अधिक जोर दिया जाता है। मानवाधिकार यदि हैं भी तो कांस्टेबलों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक तुच्छ स्थान रखते हैं। एक उप संस्कृति जो कि लोकतांत्रिक पुलिस के प्रतिकूल है, संगठन में व्याप्त है और वरिष्ठ अधिकारियों की उदासीनता या मिलीभगत के कारण पैदा हुई है। यदि नेतृत्व स्वयं पुलिस में मानवाधिकारों की आवश्यकता के प्रति शंकालु हो तो मानवाधिकारों के प्रति आदर को सम्मान नहीं मिलेगा और यदि वे अधीनस्थ अधिकारियों के प्रशिक्षण में इसकी महत्ता की अवमानना करते हैं तो सामान्य उप निरीक्षकों और कांस्टेबलों के व्यवहार में परिवर्तन की उम्मीद करना निरर्थक होगा।

एक अन्य सुधार जो कि लाया जाना है वह पुलिस के विरुद्ध शिकायतों के उचित, शीघ्र, और उत्तरदायी पद्धति से निपटान के बारे में है। पांच महीने पहले मैंने माननीय मंत्री को एक रिपोर्ट दी थी जिसमें मेरे लड़कों ने आठ अवैध ट्रक रोके थे जिसमें 100 गाय थी। पुलिस निरीक्षक उस अपराधी के साथ आया, जो उन ट्रकों का मालिक था। उसने लड़कों को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें पुलिस स्टेशन ले गया और उनकी पिटाई की। उसे स्थानीय डी०सी०पी० ने उनकी पिटाई करते हुए पकड़ा। एक शिकायत दर्ज की गई, किन्तु पांच महीनों में अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। पुलिस बर्बरता के ऐसे 100 मामले हैं। जिनकी पांच महीनों से भी अधिक समय होने पर जांच पूरी नहीं हुई है। प्रणाली को पुलिस की भूमिका और उत्तरदायित्वों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। जनता की शिकायतों को प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन में नियमित रूप से पुलिस अदालतें क्यों नहीं लगाई जाती?

पारदर्शिता, कार्यकुशलता और लोकप्रिय समर्थन लाती है। जन सहयोग के बिना कोई भी पुलिस बल, चाहे वह कितना भी सुसज्जित और प्रशिक्षित क्यों न हो, किसी समाज में अपराध से नहीं लड़ सकता है। इसलिए पुलिस को समाज के सभी वर्गों के साथ अपने संबंधों को बनाने की पहल करनी होगी और उनका सहयोग मांगना होगा। पुलिस महानिरीक्षक के लिए यह संभव है कि वह विभिन्न क्षेत्रों में जनता में से चुने हुए सदस्यों को अवैतनिक पुलिस अधिकारी नियुक्त करे जो अपराध को रोकने तथा उसका पता लगाने में पुलिस के प्रयासों में वृद्धि कर सकें। कोई भी सरकार अपने नागरिकों के जानमाल की रक्षा करने में विफल रहने के लिए धनराशि की कमी का तर्क नहीं दे सकती है। इसलिए, सरकार द्वारा पुलिस सुधार की अपेक्षा करने का कारण धनराशि की कमी नहीं अपितु तुच्छ स्वार्थसिद्धि के लिए पुलिस बल का दुरूपयोग करने की उसकी मंशा है। यह प्रत्येक सरकार का चरित्र है चाहे कोई सी भी पार्टी सत्ता में हो। जनता राजनेताओं द्वारा साम्प्रदायिक हितों को बनाए रखने और अनैतिक कृत्यों को छुपाने के लिए पुलिस का दुरूपयोग करने की बात को समझने लगी है। जो भी पार्टी किसी राज्य या सरकार में सत्ता में आती है वह अपनी यथास्थिति को बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस पर निर्भर रहती है।

लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए कि उसमें पुलिस और कानून को लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा कानून के शासन का निर्लज्जता से और लगातार अनादर करने की अनुमति न हो क्योंकि यह बरबादी की ओर बढ़ने वाला पहला कदम होगा। मैंने उन गरीबों, वंचितों और अन्य लोगों की ओर से पुलिस के साथ कम से कम आठ से नौ घंटों तक मध्यस्थता की है जो न्याय की मांग कर रहे थे और जिन्हें इसकी बजाय पुलिस से आपराधिक अन्याय मिला। ये शिकायतें रात के समय की अधिक होती हैं जब कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करता है कि वे पुलिस स्टेशन जाएं और बेइज्जत हुए बिना या किसी प्रकार से घायल हुए बिना अथवा पुलिस वालों को पैसे दिए बिना वहां से आ जाएं। यह बहुत जरूरी है कि हम एक रक्षक बल के रूप में भारतीय पुलिस की पुर्न संकल्पना करें जिसपर विश्वास किया जा सके और डरे हुए लोगों को उन धार्मिक रूतबे या राजनैतिक वरीयता पर ध्यान न देते हुए रक्षा प्रदान करे। रोजाना पुलिस के पास जाकर अपनी जिंदगी की रक्षा करने अथवा हरेक रात पुलिस से अपराध को सुलझाने की विनती करना, जैसा कि मेरे इलाके के लोग करते हैं, उस लोकतांत्रिक संस्कृति का अपमान है जिसमें हम रह रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार) : महोदय, मैं मैडम की जोरदार स्पीच से बहुत प्रभावित और उद्वेलित हुआ हूं। मैं सोच रहा था कि ये जितनी बातें कर रही हैं, उनमें कितना तथ्य है और उनके उद्विग्न होने का क्या कारण है?

सभापति महोदय : ठीक है, परीक्षण हो जाए।

अपराह्न 2.13 बजे

[श्रीमती सुमित्रा महाजन *पीठासीन हुईं*]

श्री निखिल कुमार : मैं यह कहते हुए अपनी बात शुरू करूंगा कि मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे संतोष है कि मैं ऐसे मंत्रालय की मांगों के समर्थन में खड़ा

[श्री निखिल कुमार]

हूं, जिसकी परफार्मेंस के संबंध में मैं समझता हूं, पिछले सालों में बहुत संतोषप्रद रही है।

[अनुवाद]

देश में समग्र सुरक्षा परिदृश्य काफी उत्साहवर्धक है। कुछ वर्षों पहले संगठित अपराध की जो घटनाएं हुई थी, उसके अब हमें काफी कम सबूत दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि देश में अलगाववादी प्रवृत्ति और अलगाववादी ताकतों पर अच्छा नियंत्रण है। ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं, यदि कोई हो, जिसमें अलगाववादी ताकतों के विरूद्ध काफी कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। हम यह भी देखते हैं कि देश में कुछेक बातों, जिनका मेरे माननीय सहयोगी श्री मिस्त्री जी ने इस सम्माननीय सभा में थोड़ी देर पहले उल्लेख किया था, को छोड़कर साम्प्रदायिक स्थिति काफी बेहतर है। यह सच्चाई है कि कुछ राज्यों विशेषकर गुजरात की स्थिति पर चिंतित होने की जरूरत है। किन्तु यदि इसे छोड़ दिया जाए तो केन्द्र सरकार ऐसा वातावरण तैयार कर रही है जो साम्प्रदायिक सदभाव के अनुकूल है।

मैं समझता हूं कि कश्मीर की स्थिति में सुधार सभी बड़ी उपलब्धियों से ऊपर है। कश्मीर की स्थिति में सुधार होने का पता इस तथ्य से चल जाता है कि घाटी से सुरक्षा बलों को हटाने की मांग की जा रही है। सुरक्षा बलों की घाटी से हटाने या उन्हें अन्यत्र भेजने के बारे में अंतिम निर्णय लेना एक अलग मामला है। सच्चाई यह है कि लोगों में यह कहने का साहस आ गया है कि कश्मीर में ऐसी स्थिति है कि घाटी से सुरक्षा बलों को हटा लिया जाए।

मैं इस सम्माननीय सभा को यह याद दिलाना चाहता हूं कि यह सारी उपलब्धियां किसी विशेष कानून या किसी सख्त कानून का प्रयोग किए बिना प्राप्त हुई हैं। यह यू०पी०ए० सरकार की वर्तमान कानून की सहायता से आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने और यह देखने के दृढ़ निश्चय को दर्शाता है कि कोई ज्यादती न की जाए दुरूपयोग का कोई आरोप न लगे और देश में हमारे समाज के किसी विशेष भाग का उत्पीड़न करने का कोई आरोप न लगे। इसके लिए मैं यू०पी०ए० सरकार को बधाई देना चाहता हूं; मैं अपने गृह मंत्री को बधाई देना चाहता हूं और मैं अपने उस अति-निंदित सुरक्षा बलों को भी उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने इस तथ्य का भी उल्लेख किया होता कि हर साल सुरक्षाकर्मियों के परिवारों को अपने निकट संबंधी को खोना पड़ता है। लगभग एक हजार सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। वे अपनी ड्यूटी करते हुए, इस देश की रक्षा करते हुए और आंतरिक सुरक्षा को बनाते समय मारे गए हैं।

कुछ ही समय पूर्व, मैं समझता हूं लगभग एक सप्ताह पूर्व अखिल भारतीय पुलिस शौर्य पदक विजेता कल्याण संस्था का वार्षिक सम्मेलन हुआ था। मैं अपने गृहमंत्री को उस सम्मेलन में भाग लेने का समय निकालने के लिए बधाई देना चाहता हूं। उनकी उपस्थिति काफी मनोबल बढ़ाने वाली रही और उन्होंने स्वयं यह देखा कि कितनी पुलिस विधवाएं मंच पर आई। उनमें से कई विधवाएं काफी कम उम्र की थी। यदि उनके पतियों ने देश की रक्षा करते समय अपने प्राण नहीं दिए होते तो उन्हें वहां पर आने की कोई जरूरत नहीं होती। हमारी सशस्त्र सेना बहादुरी का काम कर रही है। निस्संदेह वे हमारी सीमाओं के रक्षक हैं। किन्तु सुरक्षा बल इस देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए हुए हैं। वे हर साल वे हजारों की संख्या में अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस बात का जरूर उल्लेख किया जाना चाहिए। किन्तु ऐसा नहीं किया गया है। मुझे इसके लिए खेद है।

मैं इस सम्माननीय सभा को यह याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे सुरक्षा बलों द्वारा किया गया कार्य और कर्त्तव्यपरायणता की मिसाल संसार में किसी से भी कम नहीं है। इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए और इसलिए हमें अपने सुरक्षा बलों के प्रति उनके द्वारा किए जा रहे महान कार्य हेतु श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं यह भी जानता हूं कि पुलिस में सुधार किए जाने की जरूरत है। इसमें बड़े पैमाने पर सुधार किए जाने की जरूरत है। पूर्व पुलिस अधिकारी के रूप में मैंने दूसरे पक्ष के माननीय सदस्यों को बोलते हुए सुना है। यह आशा की जाती थी कि मैं उत्तेजित होकर यह कहूंगा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह निराधार है। परन्तु मैं उत्तेजित नहीं होऊंगा क्योंकि मुझे पता है पुलिस की छवि काफी खराब है। यह चयनात्मक रूप से अक्षम अथवा चयनात्मक रूप से सक्षम है। यह सत्यनिष्ठा के अपने ऊंचे मानदण्डों के लिए नहीं जानी जाती। यह वंचित वर्ग के प्रति अपनी विशेष सहानुभूति के लिए भी नहीं जानी जाती। यही मुख्य वजह है कि विगत में अनेक पुलिस आयोग और अनेक पुलिस समितियां नियुक्त की गयीं और उनमें से सभी ने पुलिस सुधार हेतु उपायों की सिफारिश की। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिश से बेहतर और कोई सिफारिश नहीं रही जिसमें कहा गया है कि एक अलग पुलिस अधिनियम और एक नया पुलिस अधिनियम होना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया है कि वर्तमान पुलिस अधिनियम, जो पुलिस के कार्य करने का आधार है, 150 वर्ष पहले वर्ष 1861 में पारित किया गया था।

जैसा कि माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा है, यह औपनिवेशिक शासन के दौरान पारित किया गया था। उस समय पुलिस की अवधारणा बिल्कुल भिन्न थी। यह सिर्फ ब्रिटिश सम्राट के प्रति उत्तरदायी थी। हमारी जनता का कोई महत्व नहीं था। इस देश की जनता की कोई परवाह नहीं की गयी थी। पुलिस से यह उम्मीद की जाती थी कि वह जनता के कल्याण का ख्याल किए और निर्विवाद रूप से अपने अधिकारियों के प्रति आज्ञाकारी बनी रहे। जब देश स्वतंत्र हुआ तो उम्मीद की गयी कि यह छवि बदलेगी। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। मैं ब्यौरों में नहीं जाऊंगा। परन्तु साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि एक अलग और आदर्श पुलिस अधिनियम तैयार किया गया था। इस अलग आदर्श पुलिस अधिनियम को सभी राज्यों को वितरित व परिचालित कर दिया गया है।

महोदय, यह बहुत ही नाजुक विषय है। पुलिस राज्य का विषय है। इसलिए राज्य अपने कानून पारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। वे आदर्श अधिनियम को चाहे तो अपना सकते हैं अथवा नहीं। मैं यहां केन्द्र सरकार की प्रशंसा करूंगा क्योंकि इसने आदर्श अधिनियम को स्वीकार किया है। इसने इसे संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में क्रियान्वित किया है। महोदया, परेशासन करनेवाली बात यह है कि राज्यों की प्रतिक्रिया मिलनी अभी भी शेष है। मैं इस सम्माननीय सभा को यह याद दिलाता हूं कि पुलिस और जनता व्यवस्था राज्य के विषय हैं तथा केन्द्र इस विषय में एक हद तक ही जा सकता है, उससे बाहर नहीं। जो कुछ किया जा सकता था और जो कुछ किया गया है, वह मुख्यमंत्री को यह सलाह देना है कि एक आदर्श पुलिस अधिनियम मौजूद है, कृपया इसे अपनाएं। अब मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान इसी मुद्दे पर आकर्षित करना चाहूंगा जो कि सर्वाधिक निराशाजनक है। बिहार पुलिस अधिनियम पारित किया गया है। बिहार पुलिस अधिनियम में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों को नहीं अपनाया गया है। मैं इस बात को दुहराना चाहूंगा कि इसमें आदर्श पुलिस अधिनियम का अनुपालन नहीं किया गया है। मैं माननीय संसद सदस्य के इस बात का समर्थन करता हूं जब उन्होंने कहा कि प्रशासन तथा पुलिस बल के कार्यसंचालन में गैर सरकारी तंत्र और जनता का शामिल होना बहुत आवश्यक है। नए पुलिस अधिनियम, आदर्श पुलिस अधिनियम का यही बचाव पक्ष है। इसका अभिप्राय यह है कि पुलिस को स्वायत्तता होनी चाहिए, पुलिस के पास उत्तरदायित्व होना चाहिए तथा गैर पुलिस और गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा पुलिस के कार्य के आकलन की कतिपय प्रणाली होनी चाहिए। इसी प्रयोजन के लिए आयोग नहीं बल्कि राज्य पुलिस बोर्ड-संशोधन के पश्चात् ऐसा किया गया है — के गठन की सिफारिश की गयी है। इसका अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री अथवा पदेन गृहमंत्री होगा। इसमें विपक्ष के नेता का होना आवश्यक है। इसमें उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और राज्य के पांच स्वतंत्र लब्धप्रतिष्ठ नागरिक होंगे। महोदया, यह दुःखद है कि बिहार पुलिस अधिनियम में ऐसा नहीं है। यह तो अलग नाम से उसी प्रणाली को बनाए रखने की बात हुई जो कि बहुत दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण है।

महोदया, अकाउण्टेबिलिटी ब्यूरो अथवा अकाउण्टेबिलिटी बोर्ड की स्थापना करना जिसका अध्यक्ष राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तथा जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट जज स्तर का सेवानिवृत्त अधिकारी हो। ऐसा नहीं किया गया है। बिहार सरकार इस महत्वपूर्ण मामले को सुनिश्चित करने में क्यों विफल रही जिसकी पुलिस सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका है? यदि इसका अभिप्राय कार्य सुधार है तो उसे आदर्श पुलिस अधिनियम का अनुपालन करना था। ऐसा नहीं किया गया है।

महोदया, अब इस देश में पंचायती राज बना रहेगा। आप इसे पसन्द करें अथवा नहीं यह बना रहेगा। हमें किन्हीं स्तर पर और किसी न किसी समय पंचायती राज प्रणाली को पुलिस के साथ जोड़ना है। आदर्श पुलिस अधिनियम में एक काफी चौकस उल्लेख व एक काफी चौकस शुरूआत की गयी है। पुलिस प्रशासन में जनता की भागीदारी हासिल करने के क्षेत्र में यह एक अग्रदूत है। दुर्भाग्यवश, बिहार पुलिस अधिनियम में इस बात का उल्लेख नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं यह सब बात इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वर्तमान में बिहार सरकार गैर कांग्रेसी दलों द्वारा चलायी जा रही है। जवाब नहीं में है। बल्कि मैं तथ्यों का उल्लेख कर रहा हूं। यदि हम पुलिस सुधारों के बारे में गम्भीर हैं तो आदर्श पुलिस अधिनियम के 'दर्शन' का, जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, राज्य द्वारा अपना कानून पारित करते समय अनुपालन करना चाहिए अथवा वह आदर्श पुलिस अधिनियम को उसी रूप में अपना सकता है।

मुझे पता है कि यह एक काफी नाजुक विषय है क्योंकि यह राज्य का विषय है और केन्द्र कतिपय सीमा से बाहर नहीं जा सकता। मैं माननीय गृह मंत्री के समक्ष अपनी बात को काफी दृढ़ता से रखता हूं कि वह राज्य के मुख्यमंत्री को राजी करने के लिए एक बार पुनः प्रयास करे कि वह तार्किक रूप से इस पर गौर करें व आदर्श पुलिस अधिनियम का अनुपालन करें। यह बहुत आवश्यक है। इस प्रकार का अधिनियम लाया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो कृपया केन्द्र जो इसके लिए कर सकता है वह करे।

इसके संबंध में एक छोटी बात है। केन्द्र सरकार प्रतिवर्ष आधुनिकीकरण अनुदान देता है। मेरे पास सूचना है कि विगत वित्तीय वर्ष में करीब 1600 करोड़ रुपये की धनराशि दी गयी थी। यह बात स्पष्ट नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा इसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया। यह कहना काफी है कि राज्य सरकार को पुलिस

[श्री निखिल कुमार]

बल का आधुनिकीकरण करने में समर्थ होना चाहिए। हां, चाहे इसे उपकरण पर अथवा अवसंरचना पर अथवा प्रशिक्षण पर व्यय किया जाए, राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी धनराशि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। वे ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं तो केन्द्र क्या कर सकता है? यह कुछ दबाव डाल सकती है? इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जब आप इस तथ्य पर गम्भीरता से विचार करें कि राज्य सूची में जन-व्यवस्था नंबर एक पर है। ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जहां केन्द्र जन-व्यवस्था को लागू करने के संबंध में केन्द्र राज्य पर हावी हो सके तथा यह सुनिश्चित कर सके कि जिस तंत्र को जन-व्यवस्था का कार्यभार सौंपा गया हो, वह अपना कार्य समुचित रूप से कर रहा है।

यह सब कहने के पश्चात्, मैं देश को नक्सलवाद से खतरे के संबंध में बोलना चाहता हूं। मुझे यह स्पष्ट करने दें। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं, जो अभी यहां उपस्थित नहीं हैं, कि यह मात्र कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जो इस देश के सामाजिक-आर्थिक ढांचा में बध्यमूल है। मुझे उनके इस विचार से कोई मतभेद नहीं है कि जमीन का समान वितरण नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

मैं मानता हूं कि वहां जमीन की दिक्कत है। जब वे कहते हैं कि वहां गरीबी है और गरीबी दूर होनी चाहिए, तो मैं मानता हूं कि यह बात सही है कि गरीबी दूर होने चाहिए। जब वे कहते हैं कि आपस में जब आर्थिक कारणों से तकरार होती है, तब उसमें जो धनी लोग होते हैं, ऊपर के लोग होते हैं, साधन-सम्पन्न लोग होते हैं, उनकी बात चलती है, मैं उसे भी मानता हूं। लेकिन वे जो तरीके अपनाते हैं, मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं, कतई मुत्तफिक नहीं हूं।

[अनुवाद]

हिंसा कोई रास्ता नहीं है। समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उस देश में जो महात्मा गांधी का हमेशा कृतज्ञ है वहां हिंसा का स्थान नहीं है। अतएव मैं उनसे अपील करूंगा कि वे बुद्धिमत्ता से काम लें। मैं जानता हूं कि केवल पांच दिन पूर्व सी०पी०आई० (माओ) की नौवीं कांग्रेस की खुली बैठक हुई और, यदि मैं सही हूं तो, यह बैठक झारखंड तथा उड़ीसा की सीमा पर हुई। उन्होंने यह कैसे किया? मैं यह कल्पना नहीं कर सकता हूं कि राज्यों ने किस प्रकार इसपर निगरानी नहीं कर पा रही है। लेकिन जो भी हो, यह घटित हुआ। इसमें उन्होंने उल्लेख किया कि वे जनता की लड़ाई पर ध्यान केन्द्रित करते रहेंगे, लंबी चलने वाली लड़ाई पर केन्द्रित करेंगे तथा इस लंबी चलने वाली लड़ाई में लोगों को राज्य के खिलाफ लड़ाई में शामिल करते रहेंगे। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। यह इसलिए नहीं क्योंकि वे राज्य की शक्ति को चुनौती दे रहे हैं। इन्हें राज्य की शक्ति को चुनौती देने दें लेकिन उन्हें यह संसदीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के माध्यम से करना चाहिए, वह प्रणाली जो हमने अपने आप को दिया है। उन्हें चुनाव में भाग लेने हैं। इन्हें यहां बिना किसी पैकेज के आने दें। इन्हें राजनीति की मुख्यधारा में शामिल होने दें तथा तब कहें कि यह सही है या वह गलत है। लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। अतएव, यह राज्य सरकारों के साथ भारत सरकार के लिए भी चुनौती है।

फिर मैं कहूंगा कि यह छोटा परन्तु पेचीदा मामला है जिसमें केन्द्र एक सीमा तक जा सकती है लेकिन इसके आगे नहीं जा सकती है। राज्यों को सबकुछ स्वयं करना होगा। लेकिन देखें कि केन्द्र ने क्या किया है। मैं कुछ समय पूर्व आधुनिकीकरण अनुदान पर बोल रहा था। नक्सल प्रभावित राज्यों के नक्सल प्रभावित जिलों के लिए 15 करोड़ रु० की राशि दी गई है। नक्सल प्रभावित जिलों में इस राशि का क्या उपयोग किया गया?

द्वितीयत: यह मूलरूप से विकास का प्रश्न है। यदि विकास हो तो गरीबी नहीं होंगी तथा यदि गरीबी नहीं हो तो कोई शिकायत नहीं रहेगी तथा यदि गरीबी होगी तो व्यापक असंतोष होगा। सं०प्र०ग० सरकार ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथा रोचक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू की हैं तथा बिना किसी हिचक के राज्यों को धनराशियां जारी कर रही है।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि धनराशि के उपयोग के क्षेत्र में कम से कम मेरे राज्य में कैसा कार्यनिष्पादन रहा। उदाहरण के तौर पर, एस०जी०आर०वाई० के अंतर्गत बिहार राज्य को गत वित्तीय वर्ष में 250 करोड़ रु० उपलब्ध कराया गया तथा दिसंबर, 2006 तक इसका केवल 53.89 प्रतिशत व्यय किया गया। किस कारणवश इस महत्वपूर्ण मद में धनराशि का पूरा उपयोग नहीं हो पाया? स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 209 करोड़ रु० कुल मिलाकर बिहार को दिए गए जिसमें से केवल 46 प्रतिशत का उपयोग हुआ। इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत बिहार को कुल 690 करोड़ रु० दिए गए जिसमें से दिसंबर, 2006 तक कुल व्यय की गई राशि केवल 31 प्रतिशत रही।

यह काफी असंतोषजनक है। हम खड़े होकर यह नहीं कह सकते हैं कि हम नक्सल अतिवाद के शिकार हैं तथा राज्य के विकास के

लिए कुछ नहीं करें तथा मैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। वहां पर कार्यनिष्पादन और भी खराब है। 31 प्रतिशत से ज्यादा पैसा व्यय नहीं किया गया है। संयोगवश, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

सभापति महोदया : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री निखिल कुमार : नहीं, महोदय, यह अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका संबंध इस देश में गरीबी हटाने के ताने बाने से जुड़ा है तथा यह आतंरिक सुरक्षा से संबंध रखता है। अतएव आपको मुझे वह सब बोलने के लिए थोड़ा और समय देना पड़ेगा जो मैं कहना चाहता हूं।

यहां राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम की कोई सीमा नहीं है। इस योजना के अंतर्गत मेरे जिले के लिए 38 करोड़ रु० की राशि आवंटित की गई। ऐसा क्यों हुआ कि इस वर्ष 16 फरवरी तक केवल छह करोड़ रु० ही खर्च किए गए जो 14 प्रतिशत से भी कम है? पूरे राज्य में केवल 21 प्रतशत व्यय किया गया है? यह पूरे देश में किसी राज्य का सबसे खराब कार्यनिष्पादन है। यह चिंतित करने वाली बात है कि बिहार इन राज्यों में से है जो नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित है। मैं उस निर्वाचन क्षेत्र से हूं जो नक्सलवाद से बूरी तरह प्रभावित है।

मुझे इस महान सभा को एक बात से अवगत कराने दें

[हिन्दी]

सभापति महोदया : कृपया समाप्त करें।

श्री निखिल कुमार : आपको भी सुनना होगा मेरी बात सुन लें।

सभापति महोदया : लेकिन समय का भी ध्यान रखना चाहिए।

श्री निखिल कुमार : मैं जब उस रास्ते से जा रहा था, तो मुझे वहां खाली गाड़ियां, ट्रैक्टर ही मिले, एक आदमी नहीं दिखाई दिया। मैं कुछ दूर और चला कि पता चले कि लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या बात हो गई है। कोई छुट्टी भी नहीं थी और कोई त्यौहार भी नहीं था। त्यौहार में भी लोग आते-जाते हैं, लेकिन यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जब पता किया तो मालूम हुआ कि माओवादियों ने घोषणा की है कि आज यह एरिया बंद रहेगा। इसलिए वहां कोई ट्रेक्टर नहीं चल रहा था, कोई गाड़ी या साईकल तक नहीं चल रही थी। मैं समझता हूं अगर आंकड़ों को आधार बनाएं तो लगता है कि जरूर नक्सली गतिविधियों में कमी हुई है और बिहार, झारखंड तथा आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा कमी हुई है, सिवाय छत्तीसगढ़ के। इसका मतलब यह नहीं है कि वास्तव में उनकी गतिविधयों में कमी हुई है। अगर वे आज कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अभी कुछ दिन पहले जहानाबाद में जेल पर अटैक करके लोगों को लूट लिया। उसके बाद गिरिडीह में आर्मरी को लूटने का काम किया और उड़ीसा में भी आर्मरी को लूटने का काम किया। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है, मैं जानता हूं कि केन्द्र सरकार को जितना अधिकार है, उस अधिकार के तहत वह ज्यादा नहीं कर सकती। मेरे दो अनुरोध हैं, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक तो आप यह कर सकते हैं कि मानिटरिंग कमेटी बनाएं। उन इलाकों में बनाएं जो नक्सलवाद से ग्रसित है। इसके अलावा आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए जो पैसा देते हैं, उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, इसे देखें। इसमें जो दिक्कतें पेश आ रही हैं, उन पर अमल करके उन्हें दूर करें। जो दिक्कतें इम्प्लीमेंटेशन में सरकार को पेश आ रही हैं उन दिक्कतों को दूर करें। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है वह यह है कि भारत के इतिहास में, शायद यह पहला मौका आया है, जब यह जो संवैधानिक प्रावधान है – पब्लिक आर्डर का, स्टेट सब्जैक्ट होने का, इसको हम देखें और चाहे कितने ही सीमित ढंग से क्यों न हो, लेकिन उसको बदलने का कुछ इंतजाम करें, उसके लिए प्रोग्राम बनाएं। यह कांस्टीटयूशनल मामला है और एक बात मैं ऐसी कह रहा हूं जो एक क्रांतिकारी सुझाव है कि किस तरह से हम संविधान में अमेंडमेंट करें। ऐसा करने पर ही कुछ काम बनेगा, नहीं तो हम खाली बैठे रह जाएंगे और इंटरनल सिक्योरिटी का कुछ नहीं होगा। माननीय गृह मंत्री ने हमारे एलोकेशन को बढ़ाया है और वर्ष 2003-2004 से अब तक करीब 56 प्रतिशत एलोकेशन में इजाफा हुआ है और जो अलग-अलग हैड्स हैं उनको भी मैंने देखा है। मैं माननीय गृह-मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना इसके बारे में सोचा है और मुद्दों पर जो उन्होंने पैसे मांगे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। जहां मैं इसकी सराहना करता हूं वहीं सेंट्रल पुलिस फोर्सेज के लिए, जो उन्होंने 22 प्रतिशत पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए मांगा है, यह बहुत बड़ी बात है। अगर वे ठीक समझें तो इसको थोड़ा बढ़ाएं और उन परिवारों की भलाई और कल्याण के लिए इंतजाम करें जिनके लिए रिहायश की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि पुलिस एक फैवरेट व्हिपिंग बॉय है, शायद डिजरवडली है, लेकिन वह काम भी बहुत अच्छा करती है। अगर यह मुल्क आज एक है तो पुलिस की वजह से है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए जो तीन डिमांड्स मैंने की हैं उनको आप ध्यान में रखें।

[अनुवाद]

*प्रो० के०एम० कादर मोहिदीन (वेल्लौर) : सभापति महोदय, ईश्वर का नाम लेकर में गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों परं चर्चा में भाग लेते हुए अपना भाषण शुरू करता हूं। इस अवसर पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए मैं अध्यक्षपीठ को ह्रदय से धन्यवाद देता हूं। मुझे मेरी मातृभाषा तमिल में बोलने का अवसर देने के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय की भूमिका इस विशाल देश में आंतरिक सुरक्षा और शान्ति बनाए रखना है। सामाजिक सौहार्द को सुदृढ़ करना, पुलिस बल को चुस्त दुरूस्त बनाना तथा उसमें सुधार करना, राज्यों के बीच सामान्य संबंधी सुनिश्चित करना भी गृह मंत्रालय के अन्य कार्य हैं। मैं केन्द्रीय गृह मंत्रालय को आन्तरिक सुरक्षा कार्यों के प्रभावी मार्गदर्शन निर्देशन और समन्वयन हेतु बधाई देना चाहूंगा। प्रधानमंत्री डा० मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संप्रग सरकार के पास गृहमंत्री के रूप में श्री शिवराज पाटिल जैसे लोकतंत्र में विश्वास करने वाले सक्षम और प्रभावी प्रशासक हैं। वह मानवतावादी हैं जिनको मानवाधिकार संरक्षण में बड़ी रूचि है। सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मनिरपक्षेता के प्रति उनकी अटूट दृढ़ निष्ठा है। इस प्रशंसनीय दृष्टिकोण के अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं जैसाकि कई अशांत क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल हो रही है। मैंने वार्षिक रिपोर्ट और अंतरिम रिपोर्ट पढ़ी है। हिंसा में कमी आई है। सांप्रदायिक टकराव काफी कम है अथवा नहीं हैं। विगत से की अपेक्षा अब हत्याओं की संख्या घटी है। इसके पीछे कारण यह है कि केन्द्र में सरकार ने विद्वानों और विचारकों को शामिल किया है। अग्रेंजी विचारकों के विचार और सुझाव लिए जाते हैं। विभिन्न विचारों की जानकारी लेने के लिए परामर्श करने तथा सौहार्दपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया जारी है। डा० मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार हमारे लोकतंत्र से दुश्मनी रखने वाली ताकतों के साथ भी वार्ता कर रही है।

वह विभिन्न दृष्टिकोणों को सुनने की नयी संस्कृति विकसित कर रहे हैं ताकि राज्य के विरुद्ध लोगों को हिंसा के रास्ते से हटाया जा सके। यह प्रक्रिया फलवती हो रही है जो हिंसात्मक टकरावों में कमी से झलकता है। दिग्भ्रमित लोगों द्वारा नक्सलवाद, चरमपंथ तथा उग्रवाद का रास्ता अपनाया जाता है। ऐसे लोगों को मुख्य धारा में वापस लाया जाता है। दिशाहीन या दिग्भ्रमित युवाओं को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाया जा रहा है। उन्हें लोकतंत्र के रास्ते पर लाया जाता है हमारे परंपरागत समाज की मान्यताओं और मूल्यों का संरक्षण करने के लिए उनका मार्गदर्शन किया जाता है। डा० मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा अपनाए गए सही दृष्टिकोण की वैधता का ये प्रमाण हैं। अतएवं हमें इस समय देश में सबसे अधिक सामाजिक सौहार्द देखने को मिल रहा है। हिंसा में बड़े पैमाने पर कमी आई है। निकट भविष्य में हमारे देश को एक आर्थिक शक्ति बनाने के लिए एक खाका और आधार तैयार किया गया है। पूरे देश में जानकारों और विचारकों का मानना है कि इस रूझान का इस्तेमाल देश को सफलता, प्रगति और सम्पन्नता के रास्ते पर ले जाकर उसके विकास के लिए किया जाना चाहिए।

मैं प्रसिद्ध विद्वान तथा तमिलनाडु के मुख्य मंत्री डा० कलैग्नार करूणानिधि द्वारा किये गए प्रयासों का उल्लेख करना चाहूंगा जो तमिलनाडु के लम्बे तटीय क्षेत्र को असुरक्षित सीमा बनने से रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता के बारे में केन्द्र को लिखते रहे हैं। पड़ौसी देश श्रीलंका हमारी सीमाओं से अधिक निकट है। श्रीलंका में हो रही घटनाओं का हमारे देश पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा कहा जाता है, ''यदि श्रीलंका को ठंड लगती है तो तमिलनाडु को जुकाम होता है।'' तमिलनाडु में व्यापक परिणाम महसूस किए जा रहे हैं। हाल के समय में गरीब और निर्दोष तमिल मछुआरे मारे जाते हैं। हमारे कई मछुआरे मारे गए हैं। उन्हें अंधाधुंध मारा जा रहा है। हमारे परंपरागत मछुआरों विशेषत: उनके परंपरागत मत्स्यग्रहणाधिकारों के हितों की रक्षा के लिए एक संयुक्त कमान होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सुझाव देते रहे हैं कि उचित सुरक्षोपाय अवश्य होने चाहिए। हमारे मछुआरों की सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के सुझाव व्यवहार्य हैं। मैं केन्द्र सरकार पर जोर डालना चाहूंगा कि केन्द्र को लिखित में भेजे गए उनके प्रस्तावों को मूर्त रूप दे। एक सुरक्षा का माहौल बनने से न केवल तमिलनाडु बल्कि श्रीलंका भी राहत की सांस ले सकेगा। आइए हम इतिहास से सबक लें। जब ब्रिटिश सेना मिस्र पर हमला करने वाली थी तब फ्रांसीसी नौसैनिक जहाज मिस्र आया था। मिस्र को ब्रिटिश हमले से बचाने के लिए फ्रांसीसी फ्लोटिला स्वेज नहर की ओर चला गया था। वहां पर फ्लोटिला जैसा एक पुल था। हमें इतिहास की इस घटना से सबक लेना चाहिए। श्रीलंका और भारत, दोनों, देशों के बीच काफी कम फ़ासला है। ये पड़ोसी देश एक-दूसरे के काफी नजदीक है। नावों का एक पुल बनाया जा सकता है। हमारी नौसेना को उसे बचाना चाहिए। यह व्यवस्था व्यवहार्य है। यह श्रीलंकाई जमीन से भारत की ओर बढ़ने वाले शत्रुओं से बचाव में सहायता करेगी। मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार इस पर विचार करे।

पुलिस बल का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। केवल

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आधुनिक हथियारों की आपूर्ति से ही आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। इसकी बजाय पुलिस कर्मियों को एक नया नज़रिया अपनाने के बारे में बताया जाए। उनके दृष्टिकोण में भी बदलाव आना चाहिए। कठोरता को त्याग दिया जाए। अब हम औपनिवेशिक युग में नहीं हैं। यह अपने लोगों को बचाने के लिए हमारी अपनी पुलिस है। आधुनिकीकरण के एक भाग के रूप में पुलिसकर्मियों को आधुनिक सोच रखनी होगी। इस संबंध में उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

कुछ माह पूर्व जब मैंनें 'दार्शनिक जैसा व्यवहार करने वाले' पुलिस बल शब्द का प्रयोग किया था तो मेरे सहयोगियों ने मुझसे पूछा था कि 'पुलिस बल का दार्शनिकीकरण करने' का क्या अर्थ है? कईयों को इसपर आश्चर्य हुआ था। इसका अर्थ है – पुलिसकर्मियों को सभ्य समाज के प्रति सभ्यता से पेश आने योग्य बनाना। वे एक दोस्ताना दृष्टिकोण से लोगों की सेवा करें। असभ्य, कठोर और क्रूरतापूर्ण तरीकों को छोड देना चाहिए। बदलते हुए समय के साथ-साथ हमारी पुलिस को भी बदलना चाहिए। अब समय आ गया है कि उन्हें एक नया रूप दिया जाए, वे नई सोच रखें और उनका नजरिया भी नया हो। हमारा दृष्टिकोण हमारी पुलिसकर्मियों के दृष्टिकोण को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। नई सोच पैदा होनी चाहिए। उन्हें नए और आधुनिक हथियार देना बंद करने की बजाय, पुलिस बल के पास और सभ्य तरीके से बर्ताव करने की आधुनिक प्रशिक्षण तरीका है। हमारी पुलिस बल द्वारा अपनायी गए दृष्टिकोण और रणनीति को बदले जाने की आवश्यकता है। नौजवान विभिन्न चीज़ों और विचाराधाओं की ओर आकर्षित होते हैं। बदलती प्रवृत्ति के साथ हमारी पुलिस को भी अपनी बेहतर छवि बनाने के लिए बदलाव लाना चाहिए। पुलिस द्वारा नौजवानों के साथ बुरे तरीके से व्यवहार किए जाने की बजाय उन्हें सही रास्ते पर चलने का मार्ग निर्देश दिया जाना चाहिए। नौजवानों को नक्सलवाद और उग्रवाद के अन्य रूपों से दूर करने के लिए आर्थिक वृद्धि आवश्यक है। केवल धन से ही देश का भला नहीं होने वाला है। मनोस्थिति में बदलाव होना जरूरी है। मानसिक विकास और बौद्धिक विकास जरूरी है और समाज को इससे लाभ होना चाहिए। हम दावा करते हैं कि हम आर्थिक विकास प्राप्त कर रहे हैं किन्तु हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मानसिक शक्ति और मनोशक्ति कमजोर न हो। हमें बेहतर चरित्रवान लोगों का समाज बनाने हेतु अर्थोपाय विकसित करने चाहिए। बुराइयायें को नीचे के स्तर तक नहीं आने देना चाहिए।

मैं एक-या दो मिनट में अपना भाषण समाप्त करता हूं। मुझे काफी समय बाद बोलने की अनुमति मिली है।

सभापति महोदया, हमनें हाल ही में पुलिसकर्मियों द्वारा फर्जी मुठभेड करने के बारे में सुना है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे सभी पुलिसकर्मी इसका सहारा लेते हैं। ऐसी मात्र एक-दो घटनाएं घटी हैं। हम यह स्वीकार करते हैं कि यह कोई विद्यमान और व्यापक प्रवृत्ति नहीं है। किन्तु मीडिया ने इन छोटी मोटी घटनाओं को भूकम्प जितना प्रभावी बना दिया है। हमारा पुलिस बल सुरक्षित है। इसमें एक-दो व्यक्ति ही बदमाश हो सकते हैं। उनका दिल भी परिवर्तित किया जा सकता है। फिर शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। फिर पुलिस बल गर्व से अपना सिर ऊंचा रख सकती है। पुलिस बल को स्वयं लोगों की नज़रों में अपनी छवि को बदलने हेतु प्रयास करने चाहिए। यह उनकी जिम्मेदारी है। हाल ही में जब श्री कृष्णास्वामी और श्री कुप्पुसामी जैसे मेरे सहयोगी कुछ पुलिसकर्मियों के साथ बातचीत कर रहे थे, हमें यह पता चला कि आसूचना स्कन्ध में कई पद खाली पड़े है। आसूचना पुलिस विभाग का एक महत्वपूर्ण हथियार है। इसलिए मैं गृह मंत्रालय से यह आग्रह करता हूं कि वह इस समस्या के समाधान में सहायता करे। वहां पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। खाली पदों को भरा जाना चाहिए। सभापति महोदया, मुझे अपना भाषण समाप्त करने के लिए एक-दो मिनट और दीजिए। बिगडते अन्तर-राज्यीय संबंध अच्छी बात नहीं है। पलार पर तमिलनाडु और केरल के आंध्र प्रदेश के साथ और कावेरी पर कर्नाटक राज्य के साथ मतभेद चल रहे हैं।

कावेरी मुद्दा एक अंतहीन मुद्दे की तरह काफी समय से लम्बित पड़ा है। इन सभी विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए। स्थायी समाधान किया जाना चाहिए। स्थायी समाधान कहां है। इस बात पर विचार करते हुए, हमारे महान नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा० के० करूनानिधि ने सुझाव दिया है। कि नदियों को आपस में जोड़ने से नदी जल का बंटवारा संबंधी समस्याएं सुलझ सकती हैं। इससे हमें सिंचाई के लिए पानी और पेयजल उपलब्ध होगा। सूखा प्रभावित क्षेत्रों को भी पानी उपलब्ध होगा। देश की सभी नदियों को आपस में जोड़ने से पहले हम प्रारंभिक तौर पर दक्षिण भारत की नदियों को जोड़ सकते हैं। उन्होंने एक अर्थक्षम परियोजना शुरू करने का अनुरोध किया है। उनके अनुरोध और सुझाव पर केन्द्र को अवश्य विचार करना चाहिए। इसके क्रियान्वयन से गरीबी और बेरोजागरी को दूर किया जा सकता है। इससे हम सम्पन्न बनेंगे। हम एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर सकते हैं। बोलने का यह अवसर प्रदान करने हेतु मैं अध्यक्षपीठ का धन्यवाद करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा० सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय सभापति महोदया, हम एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक चर्चा में उसके सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष के कार्यान्वयन के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। जब हम गृह मंत्रालय कहते हैं तो सारे देश की ही बात करते हैं। हमारा यह देश कुछ सालों की विरासत नहीं है, यह सनातन निरन्तरता है। जिसको व्याख्यायित करते हुए कहा गया है– उत्तरं यत समुद्रश्च हिमाद्रिश्चैव दक्षिणं, वर्ष तद भारतनाम भारती यत्र संस्कृति।

यह सारा भारतवर्ष हिमालय से समुद्रपर्यन्त तथा खम्बात से सप्त भगिनि प्रदेश (सैवन सिस्टर्स) तक विस्तारित है। यह सारा संरक्षण करने का काम, सुरक्षित करने का काम हमें ही करना है। जब हम चर्चा करते हैं तो हमेशा याद रखते हैं कि हम कौन पक्ष हैं और इसके कारण से ही वह चर्चा जिस सैद्धान्तिक निष्कर्ष पर पहुंचनी चाहिए, उस पर न पहुंचते हुए वाद-विवाद, प्रतिवाद में बदल जाती है और उसका कोई संवाद हम स्थापित नहीं कर पाते। हमने लोकतांत्रिक पद्धति को स्वीकार किया है और यदि उसे स्वीकार किया है तो उसका मार्गदर्शन करने के लिए भारत का संविधान हमें प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है।

"यह भारत का संविधान, देश का विधि-विधान, इसके प्रावधान, इसी से इसका होगा समाधान और जितने आएंगे रास्ते में व्यवधान, हमें और हमें ही उनको दूर करना होगा।" हमने कहा है:–

[अनुवाद]

"हम भारत के लोग ..."

[हिन्दी]

यह पक्ष नहीं, वह पक्ष नहीं, सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष नहीं, सारा देश काम पर हैं। जो यहां पर है, वतन के काम पर है। इसलिए सारे देश की बात जब हम करते हैं तब हम कहते हैं कि "हम भारत के लोग," प्रियेम्बल में हमने कहा है:–

[अनुवाद]

"हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ..."

सभापति महोदया : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)*

सभापति महोदया : वह इसके लिए सहमत नहीं हैं।

[हिन्दी]

डॉ० सत्यनारायण जटिया : मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं। यह सभ्यता और सौजन्य का तकाज़ा है कि आपकी बारी पर आप बोलें। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : यह बीच में टोकाटोकी नहीं होगी।

डा० सत्यनारायण जटिया : देखिए, फिर हम पक्ष और विपक्ष की बात में आ गए हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : बीच में टोकाटोकी रिकार्ड में नहीं जाएगी। जटिया जी, आप चेयर को संबोधित करिए।

...(व्यवधान)*

डा० सत्यनारायण जटिया : यदि कोई एक विनम्र कोशिश किसी बात को लाने के लिए कर रहा है, हम अपनी-अपनी तरह से पुख्ता हैं, मजबूत हैं। इसलिए मैं यह कह रहा था। कि जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं तो यह हमारे लिए पूजा है, प्रार्थना है। इस प्रार्थना को साकार करने के लिए हमें ही और सिर्फ हमें ही कार्य करना है क्योंकि हमने कहा है:–

"हम भारत के लोग,

"हम, भारत के लोग, भारत को एक (सम्पूर्ण, प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक गणराज्य) बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और (राष्ट्र की एकता और अखंडता)
सुनिश्चित करने वाली बंधुता

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सिम्मलित नहीं किया गया।

इसको स्थापित करने के लिए भारत के संविधान को आत्मअर्पित करते हैं। अब ये सारी बातें मैं याद दिला रहा हूं। आपको याद नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं मानता। आप सबको याद है। आप जानकार हैं, आप सरकार में हैं, आप बरकरार हैं, आप बाखबर हैं, बाकी के सब लोग बेखबर हैं, आपका ही असर है, परंतु कुल मिलाकर हम भी तो इस देश में हैं और इसलिए हमारे अस्तित्व को इंकार करके यह लोकतंत्र चल नहीं सकता और इसलिए हम सब जब यह बात करते हैं तो इन सारी बातों की स्थापना करने के लिए हमें और सिर्फ हमें ही काम करना होगा। हमने फंडामेंटल राइट्स में कहा है:– ''राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।'' हम सब लोगों को जो विधि के समक्ष विधियों के संरक्षण से समानता मिलनी चाहिए, इसको स्थापित करने में हम सब लोग क्या सफल हुए हैं?

अपराह्न 3.00 बजे

और यदि नहीं हुआ है तो उसे करने के लिये हमें जो-जो फिर से उपाय करने चाहिये, वे उपाय करने होंगे क्योंकि आज जिसके पास धन-धान्य हैं, वह समृद्ध हैं, जिसके पास वित्त है, वह समर्थ है। ''यस्यासि वित्तम् स:नर कुलीन:, स बुद्धिमान:, स गुणज्ञ:, स एवं वक्ता, स च दर्शनीय सर्वेगुणा कांचनं आश्रयन्ति'' जो धन-धान्य से भरपूर है, वही समृद्ध और बलवान है। उसमें वे सब गुण आ जाते हैं लेकिन जो गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है। हमारे देश की जनसंख्या 110 करोड़ हो गई है, हमारा ध्यान वहां तक जाना चाहिये जहां तक ये लोग रहते हैं। जो विकास के काम हैं, वे अनायास नहीं सायास होंगे जिनके लिये हम प्रयास कर रहे हैं। हम हर काम की शुरूआत गांधी जी की बात को लेकर करते हैं, हम समाज के अंतिम व्यक्ति की बात को लेकर शुरूआत करते हैं, हम अंत्योदय की बात को लेकर शुरूआत करते हैं लेकिन इन सारी बातों की शुरूआत करने के लिये जो हमें उपाय करने चाहिये, क्या हमने किये हैं? क्या हम समाज के अंतिम आदमी की सुरक्षा का प्रबंध कर पाये हैं? क्या हम इसकी संरक्षा कर पाये हैं? क्या हम उसे शिक्षा, ज्ञान, चिकित्सा, सड़क, बिजली और पानी दे पाये हैं? हमें इन सारी बातों पर समग्र रूप से विचार करना चाहिये। यहां तो सीधे-सीधे गृह मंत्रालय पर विचार हो रहा है परन्तु हम लोग आज शाम को ही सारे बजट को पारित करने वाले हैं। इसलिये हमें इन सारी बातों को समग्र रूप से लेना चाहिये ताकि हम एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुंच सकें।

सभापति महोदया, आज देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की क्या स्थिति है? हमने कहा है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जायेगा। इसलिये उसके साथ असमानता का व्यवहार नहीं किया जा सकता है लेकिन आज हो क्या रहा है? उसे करने के लिये हमारे पास कानून है, विधि-विधान है। उसे ठीक प्रकार से करने के लिये प्रयास कौन करेगा, हमारी सरकार करेगी। यह जागरूकता कौन लायेगा, सरकार लायेगी लेकिन सरकार इसके लिये क्या कर रही है? हमने बजट में इसके लिये क्या प्रावधान किये हैं क्योंकि हर साल बजट में राशि एक मद में कम कर दी जाती है और किसी मद में ज्यादा कर दी जाती है। इस कम-ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह फर्क तब पड़ता है जब इन्सान को इन्सानियत के हक-हुकूक नहीं मिलते। इस फर्क को मिटाना पड़ेगा और इस कमी को दूर करने के लिये हमें उपाय करने होंगे। हम इसका उपाय ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।

सिरा ढूंढता हूं, जिन्दगी का, गर्त्त में हो तो बता दीजिये,
यह पर्दा सा झीना दरमियान है, हटा सको तो हटा दीजिये।

हम लोग अच्छी बातें करते हैं, उद्घोषणायें करते हैं लेकिन हो क्या रहा है? ऐसा लगता है कि हम केवल बातें ही कर रहे हैं। ये किताबों की बातें, ये स्याही के धब्बे हम कारगर नहीं कर पा रहे हैं। ये लफ्जों की गिनती हो गई है, मतलब अगर समझ गये हो तो हमें बता दीजिये। इसलिये हम लोग एक जिन्दगी तलाश कर रहे है, एक स्वतंत्रता की तलाश कर रहे हैं, हम एक आशा की तलाश कर रहे हैं। मैं निराशा की बात नहीं करता हूं। हमारा देश शक्तिमान है, समृद्ध है परन्तु हमें हर उस व्यक्ति तक जाने का उपाय करना होगा। यह सब हम क्यों नहीं कर पाये हैं? हमने उसे करने के लिये क्या-क्या प्रावधान किये हैं?

सभापति महोदया, मेरे पास एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें हर मंत्रालय की जानकारियां हैं। मोटे तौर पर गृह विभाग का अर्थ पुलिस माना जाता है। हम पुलिस की बात समझ लेते हैं। लेकिन सारे काम पुलिस के भरोसे छोड़कर नहीं किये जा सकते हैं। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, यदि जागरूकता का प्रश्न है तो पुलिस की व्यवस्था उसका एक अंग है और पुलिस के माध्यम से हम उन सारी बातों को करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस एक पर्याय हो गई है और अवशेष सो गया है। इसलिये सब को जागरूक करने का काम, सब को सचेष्ट करने का काम क्या होगा? वयम् राष्ट्र जाग्रयाम पुरोहिता। हम तभी इस देश को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। हमारी आंतरिक सुरक्षा और व्यवस्था का प्रबंध जिनको दिया गया है जिनके नाम पर यह प्रबंध लगाया गया है, उन सारे प्रबंधों को करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं और उन्हें कारगर करने के लिये आप क्या प्रयास कर रहे हैं? निश्चित रूप से उसका लेखा-जोखा करने का उपाय हमें करना होगा। यदि हम यह कर पाए तो हमारा काम पूरा होगा। इसलिए इन सारी बातों को करते हुए जिन बातों

[डा० सत्यनारायण जटिया]

की चिन्ता हमें करनी चाहिए, उन सारी बातों की चिन्ता क्या हमने की है? आंतरिक सुरक्षा के बारे में मेरे पास जानकारी है। समय कम होता है इसलिए मर्यादा में ही बातें बोलनी पड़ती हैं। आंतरिक सुरक्षा के संबंध में जो दस्तावेज़ जारी हुआ है, उसमें कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तथा आंतरिक भूमि में आतंकवादी हिंसा तथा सांप्रदायिक हिंसा, आंतरिक सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति के लिए चुनौतियों की मुख्य प्रवृत्ति है और उसको रोकने के हमने क्या उपाय किये हैं। क्या हम उसमें कारगर हुए हैं? यदि नहीं हुए हैं तो इसको कारगर करने के लिए क्या किया जा सकता है? मैं कभी-कभी नहीं समझ पाता हूं कि हम इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी व्यवस्था और प्रणाली होने के बाद भी इन बातों को समर्थता के साथ क्यों नहीं रोक पाए और बराबर हम कह रहे हैं कि पड़ोसी देश से होता है, इधर से होता है, उधर से होता है, किधर से होता है। लोग कहते हैं कि इधर-उधर की बात मत करो। बता कारवां क्यों लुटा? मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आपके नेतृत्व का सवाल है, आपने क्या किया इसका सवाल है और आप यदि कर पाए हैं, तो वाह-वाह, और नहीं कर पाए हैं करिए, परवाह। क्योंकि चलने से राह मिलती है और आप चलेंगे, यदि ठीक प्रकार से प्रबंध करेंगे तो जरूर ठीक हो जाएगा।

जम्मू कश्मीर की चिन्ता का जहां प्रश्न है, वहीं मॉनीटरिंग तंत्र की बात भी कहीं गई है। इसमें जहां-जहां हमारा फेल्योर हैं, हमने देश में कई खतरे मोल लिये हैं। हम सद्भावना के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं, सबको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारा मूल मंत्र यही है—

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
समान: मंत्र: समिति समानी समान: मन: स: चित्तमेषाम्।

सबको जानते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं पर कोई यदि तैयार न हो तो हम क्या करेंगे और इसलिए इन सारी बातों के लिए जो भी आवश्यक है, मॉनीटरिंग तंत्र के लिए जो भी आधुनिक प्रणाली आ गई है, उसको प्रभावशील करने का उपाय हमें करना चाहिए।

5 सितम्बर 2006 को आपकी प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक हुई। उसके जो निष्कर्ष निकले, उनको लागू करने के लिए क्या काम हुआ है। राज्यों की व्यवस्थाएं, पुलिस की व्यवस्थाएं और बाकी व्यवस्थाओं को किस प्रकार की सहायता की जरूरत है, क्या हम पुलिस को वह नहीं दे पाए हैं? कारागार की व्यवस्थाओं में सुधार करने का क्या उपाय हुआ है? कारागार में क्या-क्या चलता है? यह देश के समाचार-पत्रों में आता है। यह क्यों होता है और इसको कैसे रोका जाने वाला है, इन सारी बातों का एक बार भी कोई उत्तर आने वाला है, ऐसा हम नहीं मान रहे हैं। पर इन सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए सरकार की जवाबदेही है और इसलिए इन सारी बातों का सिलसिलेवार जवाब देने का काम सरकार करेगी। परंतु इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कि सरकार सफल हुई है, और सफल हुई है मैं इस बात को नहीं कहना चाहता, किन्तु ऐसा कहना चाहता हूं कि इन सारी बातों के लिए जो प्रयास करना चाहिए, इन सारी बातों के लिए हमें जो कोशिश करनी चाहिए, उसमें सफलता नहीं मिली क्योंकि बहुत ज्यादा समय किसी के पास नहीं होता है। इधर से उधर से कुछ भी होता है। आपने देखा होगा कि इधर बदलते उधर बदलते देर नहीं लगती है और इसलिए मैं कहता हूं कि—

मुख्तसर सी है ज़िन्दगी काम करने के लिए,
वक्त आते हैं कहां से लोग नफ़रत के लिए?

इसलिए नफ़रत की बातों को छोड़कर कुछ काम करने की बात हो जाए तो निश्चित रूप से एक आदर्श राज की व्यवस्था हम कर सकेंगे और जो आदर्श राज की कल्पना हमने की है—

न राज्यं न च राजासीत, न दंडों न च दाण्डिका।
धर्मण्येव प्रजा सर्वे, रक्षतेम स्म परस्परं।

हम परस्पर एक दूसरे की रक्षा करने में समर्थ हो जाएं और ऐसी व्यवस्था करें।

राजभाषा के संबंध में मुझे कहना है अब तक जो पद रिक्त पड़े हैं, उन पर नियुक्ति की जानी चाहिए, उनकी पदोन्नति होनी चाहिए। उनका काम भी चिन्ता के साथ करना चाहिए। अनेक जगहों पर हम जाते हैं तो देखते हैं कि राजभाषा हिन्दी का काम नहीं हो रहा है। उसको भी पूरा करने का काम आप करेंगे। मुझे विश्वास है कि अपने नेतृत्व में आप संभावनाओं की तलाश करेंगे और निश्चित रूप से जो बातें देश के लिए जरूरी हैं, उनको पूरा करने में आप समर्थ होंगे। एक अच्छा क्षितिज देश में बने, इसी शुभ भावना के साथ मैं कहना चाहता हूं—

सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दु:खभागभवेत्।

सभापति महोदया : सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे पांच-पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे तो सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिल पाएगा।

डा० रामेश्वर उरांव (लोहरदगा) : सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है। मैं सबसे पहले आदरणीय सोनिया गांधी जी को धन्यवाद दूंगा, प्रधानमंत्री, श्री मनमोहन सिंह जी और आदरणीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, जिनके नेतृत्व में देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा और नक्सली हिंसा में काफी सुधार हुआ है। मैं सुन रहा था कि कुछ लोग पुलिस की काफी आलोचना कर रहे थे। उन्हें आलोचना करने का अधिकार है। पुलिस एक संगठन है, उसमें अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। लेकिन यह देखना होगा कि आज हमारा जो सभ्य समाज है, क्या पुलिस के बगैर हम अपनी सभ्यता को बचा सकेंगे, शायद यह संभव नहीं है। इसलिए हम पुलिस पर बोलते समय यह अंतर जरूर करें कि इसमें कुछ बुरे तत्व हैं, लेकिन उन बुरे तत्वों को लेकर हम पूरी पुलिस महकमें एवं पूरे पुलिस संगठन को आलोचना का शिकार न करें।

अपराह्न 3.12 बजे

[डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस बजट में 15.5 परसैंट गृह मंत्रालय के खर्च में वृद्धि की है और पुलिस पर लगभग 71 परसैंट है। निश्चित रूप से पुलिस के आधुनिकीकरण में इसका असर होगा, और पुलिस बेहतर होगी, दक्ष होगी और सभ्य समाज को आगे बढ़ाने में कामयाब होगी। इसमें कुछ समस्याएं हैं, हम पुलिस से अपेक्षाएं रखते हैं, पुलिस की भी अपेक्षा समाज से होती है। क्या हम उस पर ध्यान देते हैं, शायद आज तक हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। पुलिस के लोग जगह-जगह विधि-व्यवस्था बनाने के लिए, अपराध रोकने के लिए तैनात होते हैं, लेकिन उनके रहने की व्यवस्था क्या है? वे अगर बाहर रहते हैं तो उनके घर वाले किस तरह रहते हैं? इस बारे में क्या हमने कभी सोचा है? नहीं सोचा है और अगर सोचा है तो जो उनके लिए किया है, वह बहुत कम है। हम मानते हैं कि जब से यू०पी०ए० की सरकार बनी है, माननीय गृह मंत्री जी पुलिस माडर्नाइजेशन में खर्चे बढ़ाए हैं। राज्यों में हाउसिंग, ट्रेनिंग एवं ट्रांसपोर्ट आदि के लिए काफी पैसे दिए हैं। लेकिन क्या राज्य सरकारें इसे खर्च कर पा रही हैं? पुलिस माडनाईज़ हो पा रही है, ऐसा हमें नहीं लगता है। मैं जिस राज्य से आता हूं, वहां की स्थिति ऐसी नहीं है, जिसकी तारीफ की जाए। मैं अगल-बगल के राज्यों को भी देख रहा हूं, वहां की स्थिति भी ऐसी नहीं है किं उनकी तारीफ की जाए। हम जब पुलिस की आलोचना करते हैं तो हमें उनके हालात पर देखना होगा। जैसे आप पुलिस से अपेक्षा करते हैं, पुलिसकर्मी को भी आपसे अपेक्षा है, दोनों तरफ से अपेक्षा होती है, एकतरफा अपेक्षा नहीं चलती है। ये जब वर्दी पहनते हैं तो इनकी हजारों लोगों के बीच मे पहचान हो जाती है। इनका वेतनमान किस तरह निर्धारित किया जाता है? वेतन आयोग की जब रिपोर्ट आती है और पुलिस का वेतनमान जब खोजना पड़ता है तो शायद दिन में भी लालटेन जलाने के जल्दी से नहीं मिलता है। इनका वेतन बहुत ही कम होता है।

सभापति महोदय, अब छ्टा वेतन कमीशन बैठा हुआ है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय की ओर से पुलिस कर्मियों को अच्छे वेतनमान दिए जाने की वकालत की जाए जिससे वे अपने परिवार का जीवनस्तर बेहतर कर सकें और उन्हें भ्रष्ट आचरण करने की जरूरत न पड़े।

महोदय, उनकी हाउसिंग की समस्या बहुत अधिक है। पुलिस कर्मियों को चौबीसों घंटे ड्यूटी पर माना जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है। कि उन्हें घर की जरूरत नहीं है। उनके भी परिवार हैं, उन्हें भी घर की जरूरत है। ब्रिटिश पीरियड में पुलिस कर्मी घर नहीं जाते थे। वे दिन भर ड्यूटी करते थे और रात में बैरकों में सो जाते थे। लेकिन आजादी के बाद, देश में वैलफेयर सरकार के आने के बाद इस धारणा में परिवर्तन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। पुलिस कर्मियों के घरों के लिए केन्द्र सरकार खर्च करती है। राज्य सरकारों में कोई सुधार नहीं हुआ है। वहां 10 से 15 प्रतिशत पुलिस कर्मियों को मकान मिले हैं। दिल्ली की स्थिति अच्छी है। यहां 40 प्रतिशत पुलिस कर्मियों के लिए मकान बने हैं। मेरा गृह मंत्री जी से निवेदन है कि पुलिस कर्मियों को सरकारी मकान दिया जाना बहुत लाजमी है। यह समस्या बहुत गंभीर है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मै इस बात को मानता हूं कि पुलिस स्टेट सब्जैक्ट है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि राज्य सरकारें जो चाहें, वह करें। देश की पुलिस राष्ट्रीय पुलिस है। उसके सभी सदस्य बेहतर जीवन जिएं, इस पर गृह मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए।

महोदय, नक्सलवाद पर बहुत लोग बोले हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक मुद्दा जरूर उठाना चाहता हूं कि सलवा जुडूम के रूप में छत्तीसगढ़ में एक ग्रुप का गठन किया गया है और उसमें लगभग 50 हजार आदिवासियों का कैम्प लगाया गया है। आदिवासी लोग अपना घरबार और खेती-बाड़ी छोड़कर कैम्प का जीवन जी रहे हैं। यह किसलिए, इसलिए कि आंतरिक सुरक्षा बनाई जा सके और नक्सली हिंसा को रोका जा सके। लॉ एंड ऑर्डर राज्यों का सब्जैक्ट है, लेकिन राज्य सरकार अपनी पुलिस को आगे न बढ़ाकर, आदिवासियों को नाममात्र का वेतन देकर उन्हें कैम्पों में रखकर नक्सलवादियों से लड़ने के लिए विवश कर रही है। यह कोई छोटी बात नहीं है। बल्कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सरकार आदिवासियों को सलवा जुडूम के नाम पर आदिवासियों से ही लड़ा रही है। इस प्रकार से देखा जाए, तो उन्हें विस्थापित कर रही है क्योंकि कैम्पों में रहने के कारण उनकी खेती

[डा० रामेश्वर उरांव]

छूट रही है, उनकी संस्कृति छूट रही है। कैम्पों में अखाड़े कहां है, जहां वे मल्लयुद्ध कर सकें। कैम्पों में नगाड़े और ढोल कहां मिलेंगे, जिनकी थाप पर वे नाच-गा सकें? इसका असर उनकी संस्कृति पर पड़ रहा है। अब हम सुन रहे हैं कि अन्य राज्यों की सरकारें भी इसी मॉडल को अपनाने जा रही हैं, यह बहुत खतरनाक स्थिति है। इसलिए मैं आदरणीय पाटिल साहब से अनुरोध करूंगा कि जब वे जवाब दें, तो इस बारे में केन्द्र सरकार के विचारों से सदन को अवश्य अवगत कराएं।

महोदय, मैं तीसरी बात सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कहना चाहता हूं। उसने झारखंड में आदिवासियों का धार्मिक कोड रिलीज नहीं किया। इसके कारण वहां के आदिवासियों ने भारतीय जनगणना आयोग के इस पग का विरोध किया है और वे जनगणना में शामिल नहीं हुए। दूसरी बात यह है कि जनगणना अधिकारियों के लिए इंस्ट्रक्शन्स कुछ ऐसी थीं कि 9 फरवरी से 28 फरवरी तक जो व्यक्ति परिवार के साथ रह रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की गणना की जाएगी। आप जानते हैं कि आदिवासी इलाकों में फरवरी और मार्च के महीनों में स्थिति ऐसी होती है कि वहां के अधिकांश आदमी काम की तलाश में अन्य राज्यों में चले जाते हैं और ऐसे आदिवासियों की संख्या 18 से 20 प्रतिशत होती है। इस प्रकार से यदि देखें, तो छत्तीसगढ़ में 18 से 20 प्रतिशत लोगों की जनगणना ही नहीं हुई। जहां ये आदिवासी अन्य राज्यों में गए, वहां भी उनकी जनगणना नहीं हुई। इस प्रकार इतनी बड़ी पापुलेशन आदिवासी ही नहीं रही, क्योंकि जनगणना में उनकी गिनती न झारखंड में हुई और न अन्य राज्यों में। यह बहुत बड़ी विसंगति है। इसके कारण झारखंड में आदिवासियों का प्रतिशत घट गया है और इसका नतीजा यह हो रहा है कि डीलिमिटेशन में विधान सभा की छः सीटें और लोक सभा की एक सीट घटाई जा रही है, जिसके लिए भारत का जनगणना आयोग दोषी है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि इस पर स्थिति स्पष्ट करें और कम से कम आने वाले दिनों में व्यवस्था हो कि आगे की सेंसस मे ऐसी बात नहीं हो।

अन्त में मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति महोदय, गृह विभाग की मांगों पर चार्च हो रही है और मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

चूंकि गृह विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और जहां रक्षा विभाग के जिम्मे देश की बारी सुरक्षा है, वहीं गृह विभाग के जिम्मे आन्तरिक सुरक्षा का भार सौंपा गया है। वैसे इस देश में काफी लम्बे अर्से से आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद तरह-तरह की घटनाओं से देश परेशान है और हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह कांग्रेस का शासन हो गया, इसलिए परेशानी है, यह लम्बे अर्से से चल रहा है। हालांकि लम्बे समय तक कांग्रेस के लोगों ने इस देश पर शासन किया है। कांग्रेस का ही शासन इस देश पर है, चाहे मिला-जुला है, पर कांग्रेस का ही है। बीच के दिनों में एन०डी०ए० की भी सरकार इस देश में बनी थी और कई सरकारें थोड़े-थोड़े दिनों के लिए इस देश में बनीं। घटनाओं में भी कभी उतार-चढ़ाव, कभी वृद्धि, कभी कभी देश में बराबर देखने को मिल रही है। आतंकवाद की घटनाएं तो देश में कभी-कभी ऐसी स्थिति पैदा कर देती है कि देश के हर कोने के लोग न सिर्फ मर्माहत होते हैं, बल्कि वे बेचैनी में रहते हैं। एन०डी०ए० की भी जब सरकार थी तो कई बड़ी-बड़ी घटनाएं घटी हैं। उस समय तो घटनाएं यहां तक घटीं कि जिस सदन में हम खड़े हैं, आतंकवाद इसके दरवाजे तक पहुंच चुका। अभी कहीं सेना के कैम्प पर हमला, धार्मिक स्थलों पर हमला, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में हमला और अब तो इस स्थिति में भी आतंकवाद पहुंच चुका है कि कश्मीर में आतंकवादी प्रदर्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान के पक्ष में और भारत के खिलाफ नारे भी लगा रहे हैं। यह काफी चिन्ता का विषय है। हम इसका किसी पर दोष मढ़ना नहीं चाहते, हम सिर्फ गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि नरम रुख अख्तियार करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन नरम रुख अख्तियार करने का मतलब होता है कि जो आतंकवादी जमात है, जब इधर से नरम रुख होता है तो उधर से वे गरम रुख अख्तियार करने लगते हैं और जब इधर को सकारात्मक रुख अख्तियार किया जाता है तो उधर से नकारात्मक रुख अख्तियार करने लगते हैं और इसका परिणाम पूरे देश को भुगतान पड़ता है। इसकी गिनती नहीं हो पाएगी कि कितने लोग मारे गये। जो सरकारी आंकड़ों में, सरकारी लिस्ट में आते हैं, उनकी संख्या तो हम लोग भी लाइब्रेरी से लेकर यहां बोल देते हैं कि हां साहब, इतने लोग मारे गये, लेकिन सही आंकड़ा सरकारी कागजों में भी नहीं आ पाता है।

हम तो गृह मंत्री जी से एक निवेदन करेंगे कि गृह मंत्री जी, थोड़ा सा जो वहां पुलिस के जवान या सेना के जवान इन कार्यों में आपने लगाये हैं, आतंकवादियों से लड़ने के लिए, वहां के आम नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए, सिर्फ यह सवाल जम्मू-कश्मीर का नहीं रह गया है, यह धीरे-धीरे हमको लगता है कि बनारस तक तो पहुंच ही गया और बनारस बिहार की सीमा है। अगर बिहार को पार कर गया तो नेपाल तक पकड़ लेगा तो पाकिस्तान से नेपाल तक का यह लगाव इस देश के लिए कभी शुभ संकेत नहीं हो सकता, यह बड़ा खतरनाक संकेत होगा। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि

जिन संगठनों को आपने आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए लगाया है, उनको थोड़ी सी फ्री छूट देनी चाहिए, कारण कि अच्छे काम में हो सकता है कि जो लोग मारे जायें, उनमें एक निर्दोष भी मारा जाये, लेकिन दोषियों को मारने में कहीं भी कोताही करना और ज्यादा नरम रुख अख्तियार करना बहुत मुनासिब नहीं होगा। कारण कि उससे उनका मनोबल बढ़ रहा है और मनोबल बढ़ने का मतलब होता है कि आये दिन कोई न कोई घटना का सामना हम लोगों को करना पड़ता है।

जहां तक नक्सलवाद और माओवाद का सवाल है, अब तो देश के 20 प्रान्त इससे प्रभावित हो चुके हैं। हम यह नहीं कहते हैं कि 20 प्रान्तों के गांव-गांव प्रभावित हो चुके हैं। अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, छत्तीसगढ़ की चर्चा कर रहे थे, उनका ही प्रदेश झारखण्ड है, झारखण्ड की चर्चा उन्होंने की, उत्तर प्रदेश भी उससे प्रभावित हो रहा है। इसने चेन्नई से चलकर बिहार के रास्ते नेपाल में प्रवेश किया है, वैसे ही माओवाद भी नेपाल से प्रवेश कर बिहार के रास्ते इधर आ रहा है। इस समय हमारे देश में बड़ी विषम परिस्थितियां हैं। जिस पुलिस का उपयोग हम नक्सलवाद और माओवाद से लड़ने के लिए करते हैं, हम यह मानकर चलते हैं कि वह पुलिस इसमें सक्षम नहीं है। हालांकि केन्द्र से भी केन्द्रीय पुलिस बल को लगाया गया है। लेकिन राज्यों की पुलिस के जरिए हम नक्सलवाद का सामना नहीं कर सकते हैं। गृहमंत्री जी अगर यह संभव हो, तो राज्यों को निर्देश देना चाहिए कि जिन इलाकों में नक्सलवाद और माओवाद है, चाहे वह कोई भी प्रांत हो, मैं एक प्रांत की चर्चा नहीं करता हूं, वहां एक अलग फोर्स का गठन होना चाहिए और उसे अच्छा प्रशिक्षण देकर आधुनिक हथियारों से लैस करना चाहिए। मैं एक दो घटनाओं के बारे में, जो मैं करीब से जानता हूं, उनके बारे में बताना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि कभी यह पता नहीं चल पाता कि कोई घटना यहां घटने वाली है। इस मामले में हम यह मानकर चलते हैं कि खुफिया तंत्र फेल हो जाता है। आप कई बार अपनी नीति और नीयत के बारे में सदन में बता चुके हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं, राज्यों को किस तरह सहायता कर रहे हैं, मैं उन सब चीजों को यहां दोहराना नहीं चाहता हूं। आप अपने विचार तो व्यक्त करेंगे ही, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि राज्य की पुलिस कभी भी नक्सलवाद और माओवाद से नहीं लड़ सकती है। कभी-कभी दिखाई देता है कि बाजार में भीड़-भाड़ वाले इलाके में वे हथियार रखते हैं और उनकी संख्या एक-दो या दस-बीस में नहीं होती है। वे जब जुटते हैं, तो दो सौ, चार सौ या पांच सौ की संख्या में होते हैं। वे पता नहीं कहां रहते हैं और किधर से हथियार लेकर अचानक हमला कर देते हैं? उस समय उनसे मुकाबला करने में पुलिस सक्षम नहीं हो पाती है। जब तक आप इसके लिए एक अलग से पुलिस बल का गठन नहीं करेंगे और इस आधार पर उसे प्रशिक्षित नहीं करेंगे कि नक्सलवाद और माओवाद से उनको लड़ना है, इसके साथ ही उन्हें आधुनिक हथियारों से लैस नहीं करेंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि हम यह मानते हैं कि जिला पुलिस बल या राज्य पुलिस बल से उन लोगों से मुकाबला करना संभव नहीं है। इसमें देश का कानून भी आड़े आता है। जब कहीं पुलिस अपनी ताकत का प्रदर्शन करती है और ऐसे लोगों पर कानूनी कार्यवाही करती है, दोनों तरफ से काउंटर होता है, लोग मारे जाते हैं, तो इधर से मानवाधिकार का नोटिस पुलिस को पहुंच जाता है। आखिर मानवाधिकार कहां-कहां हम लागू करेंगे? यदि अपराधियों को मारने पर भी हम मानवाधिकार का उपयोग करेंगे, तो पुलिस हिम्मत से काम नहीं करेगी, बल्कि वह नौकरी करने लगेगी। जब वह नौकरी करेगी, तो सिर्फ वेतन लेना और वर्दी पहनकर दिखावे के लिए घूमना भर उसका काम रह जाएगा। विभिन्न तरह के कानून आपने नकेल कसने के लिए बनाए हैं। एक तरफ आज अपराधियों से लड़ने के लिए उन्हें आधुनिक हथियार देंगे और जब अपराधियों पर पुलिस हमला करेगी, अपराधियों पर पुलिस की मार पड़ेगी, और इस तरह उन्हें मानवाधिकार के सामने आना-जाना पड़ेगा, वे जवाब देते रहेंगे, कोई इसमें सस्पेंड होगा, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब चीजों पर आपको गौर करना पड़ेगा और पुलिस को अधिक छूट देनी होगी। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि हमें अपराधियों से लड़ना है, नक्सलवाद और माओवाद से लड़ना है, तो आपको पुलिस को खुली छूट देनी होगी। इसमें दस सही मारे जाएं, तो हो सकता है कि एक गलत भी मारा जाए। अगर गोली चलेगी, तो गलत और सही की पहचान नहीं कर पाएगी। जिनको सही भी कहा जाएगा, कहीं न कहीं उनका भी उनसे लिंक जरूर होगा। भले ही वे हथियार न चलाते हों, हो सकता है कि वे उनके सूचनादाता हों या उनको पैसे की मदद करने वाले हों, उन्हें हथियार पहुंचाने वाले हों, लेकिन वे किसी न किसी रूप से उस लिंक में शामिल रहते हैं, जिनको बाद में निर्दोष घोषित किया जाता है, लेकिन सौ प्रतिशत वे निर्दोष कभी नहीं होते हैं। इसलिए हम यह निवेदन करेंगे कि आप अलग से पुलिस फोर्स का गठन कराइए और उन्हें आधुनिक हथियारों से लैस कराइए। उन्हें मजबूत करिए। आप यह चीज राज्य स्तर पर कराइए। कितनी राज्य सरकारें आपसे निवेदन करेंगी? जितना राज्य सरकार निवेदन करती है, उतनी फोर्स राज्यों को नहीं मिल पाती है, जब जरूरत होती है, तब नहीं मिल पाती है। इसमें थोड़ा विलंब हो जाता है। स्वाभाविक है कि दिल्ली से आग्रह करना और फिर उनका दिल्ली से जाना, इसमें विलंब हो जाता है, इसलिए राज्यों को आप आर्थिक मदद करके वहां पुलिस बल की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, एक और बिन्दु पर चर्चा करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जब भी सदन में सांप्रदायिक तनाव की चर्चा होती है और सदन में ऐसे सवाल उठते हैं, तो दोनों पक्ष से उस पर बात

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

होती है। इसमें गुजरात का प्रकरण कहीं न कहीं से घूमकर आ ही जाता है।

सभापति महोदय, हम आपसे और आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहते हैं कि सदन में जो चर्चा होती हैए उसे सिर्फ देश में ही नहीं देखा जाता बल्कि दुनिया में भी देखा जाता है। जब हम हिन्दु-मुसलमान की चर्चा यहां बराबर अपनी जुबान से करते रहेंगे, तो जो घाव भरा होता है, क्या हम उसे फिर से ताजा नहीं करते। जब चर्चा होती है, उसमें कभी गुजरात की बात आती है। यदि कांग्रेस के सदस्यों की इतनी हिम्मत है तो जब वे गुजरात की चर्चा करते हैं तब भागलपुर की चर्चा क्यों नहीं करते। वह किसके राज में हुआ? भागलपुर में क्या हुआ और वहां के लोग किस स्थिति में हैं, हम उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि जो घाव भरा हुआ है, उसे हम फिर से उधेड़ने का काम करें। लेकिन हम सिर्फ निवेदन करना चाहते हैं कि इस देश में साम्प्रदायिक तनाव नहीं है, साम्प्रदायिक सद्भाव है। यदि आप किसी दल को इंगित करते हैं कि बजरंग दल बहुत बुरा है या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ संगठन बहुत बुरा है या मुस्लिम लीग बुरी है, यदि आप मानते हैं कि वह साम्प्रदायिक तनाव कायम करते हैं, गृह मंत्री जी, हम कहते हैं कि आप उन पर रोक क्यों नहीं लगाते, उन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते। इसका मतलब है कि आप अंदर से कमजोर हैं। आप सिर्फ भाषण देकर देश को बताना चाहते हैं कि फलां साम्प्रदायी है और फलाने की वजह से साम्प्रदायिकता फैलती है। जब आपके मन में यह है कि बजरंग दल की वजह से गड़बड़ी होती है या मुस्लिम लीग की वजह से गड़बड़ी होती है, आप हिम्मत के साथ उन पर प्रतिबंध लगाइए, देश आपके साथ रहेगा। लेकिन आप हिम्मत नहीं दिखाएंगे और भाषण देकर चाहेंगे कि लोगों को दिग्भ्रमित करते रहें, दिग्भ्रमित करने से देश नहीं चलता। इस तरह पोलीटिकल मंच हो जाएगा। पोलीटिकल है, इसलिए पोलीटिकल मंच तो होगा, लेकिन सदन को हर बिन्दु पर पोलीटिकल मंच बनाना हम कहीं से उचित नहीं समझते। इसका कारण है कि यहां इतना साम्प्रदायिक सौहार्द कि अजमेर शरीफ में सिर्फ मुसलमान ही माथा टेकने, चादर चढ़ाने नहीं जाते, यदि गिना जाए तो वहां हिन्दुओं की संख्या मुसलमानों में कम नहीं होती। जिस देश में इस तरह की बनावट है कि जहां मुस्लिम्स के पवित्र स्थान पर हिन्दू माथा टेकते हों और हिन्दुओं के पवित्र स्थानों पर मुसलमान माथा टेकते हों, वैसी जगह पर और वैसे उच्च सदन में साम्प्रदायिकता की चर्चा करना, हिन्दु और मुसलमान की चर्चा करना सूखे हुए घाव को उधेड़ने के समान होगा।

हम एक बात कहकर अपना भाषण समाप्त करेंगे क्योंकि हमने दो आग्रह किए थे। यह हमारा निजी मामला है। देश के एक-एक नागरिक की सुरक्षा का जिम्मा गृह मंत्री के पास है। मेरी सुरक्षा का जिम्मा भी उन्हीं पर है। उन्होंने हमें एक सिपाही दिया था। हमने पत्र लिखा था कि एक सिपाही से बढ़ाकर दो कर दीजिए तो उन्होंने उस एक सिपाही को भी वापिस ले लिया। हम आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि इस पर थोड़ा गौर कीजिए, क्योंकि हम भी सदन के सदस्य के अलावा इस देश के नागरिक हैं और हमारी सुरक्षा का जिम्मा भी आप पर ही है।

भाषा भी आपके जिम्मे है। राजभाषा से लेकर देश की जितनी भाषाएं हैं, उनका विकास और उन्हें समृद्ध करना आपके जिम्मे है। हमने कई बार सवाल उठाया और चर्चा भी की। आपके एक गृह राज्य मंत्री जी, वह अभी सदन में बैठे हुए नहीं हैं, जब हम बोल रहे थे, तब वह शायद बाहर चाय पीने चले गए हैं, उन्होंने इस सत्र के पहले भाग में आश्वासन दिया था कि हम भोजपुरी और राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु बिल लाएंगे। ऐसा माना जाता है कि यदि सदन में कोई मंत्री बोलता है तो वह सरकार की बात होती है और वह गलत नहीं होगी। भले ही राज्य मंत्री जी की बात हो, केबिनेट मंत्री जी ने नहीं कहा हो, इसलिए गड़बड़ हो जाए, लेकिन हम मानते हैं कि राज्य मंत्री कहें या केबिनेट मंत्री कहें, सरकार ने कहा है, सरकार की बात है लेकिन उन्होंने सदन में आश्वासन दिया है। उन्होंने इसी सत्र के लिए कहा था। सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि उन्होंने जो आश्वासन दिया था कि भोजपुरी और राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए अगले सत्र में बिल के रूप में लाएंगे, आप कृपया इसी सत्र में उस बिल को लाने का काम कीजिए। बिल लाने की उम्मीद में हम अपको धन्यवाद देते हैं और सभापति महोदय को भी धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं।

[अनुवाद]

*श्री हितेन बर्मन (कूचबिहार) : महोदय, वर्तमान में हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद है। विशेषकर पूर्वोत्तर में आतंकवाद का बोलबाला है। दिनांक 31 मार्च, 2006 के केन्द्र सरकार की स्थिति पत्र रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2004 में आतंकवादी घटनाओं की संख्या 1234, वर्ष 2005 में 1332 और वर्ष 2006 में 1366 थी। इनकी संख्या में दिन दूनी रात चौगुनी के हिसाब से वृद्धि हो रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी गतिविधियों को उल्फा, के०एल०ओ० और माओवादी

*मूलत: बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

समूहों द्वारा अंजाम दिया जाता है। सिर्फ केन्द्र सरकार आंतरिक सुरक्षा की समस्या से नहीं निपट सकती है। इसे राज्य-सरकारों के साथ मिलकर यह कार्य करना होगा। परन्तु यह पाया गया है कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय से, सरकार द्वारा अपनायी गयी विभिन्न गलत नीतियों की वजह से राज्यों का समान विकास नहीं हो पाया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र देश का सर्वाधिक अविकसित और पिछड़ा क्षेत्र है। इस तर्क के आधार पर, आई०एस०आई जैसे विभिन्न अलगाववादी संगठन अपने हाथ-पांव पसार रहे हैं। वे निर्धन बेरोजगार युवकों को इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। बी०एस०एफ० और सेना हेतु बजट में और अधिक धनराशि आवंटित करना ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ-साथ सामाजिक आर्थिक विकास भी जरूरी है।

हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में भी समस्याएं झेल रहे हैं। यह पूर्णरूप से सिर्फ गृह मंत्रालय का ही नहीं बल्कि विदेश मंत्रालय का भी उत्तरदायित्व है कि वह इस मामले में सामने आए।

मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि आंतकवादियों द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर उत्तरी बंगाल के जिलों जैसे कूचबिहार, जलपाईगुड़ी आदि का प्रयोग प्रवेश-द्वार (कॉरीडोर) के रूप में किया जा रहा है। बांगलादेश से आए घुसपैठिए यहां आतंकवादी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। इस संदर्भ में, मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार इस समस्या से निपटने में विफल रही है। सभी माननीय सदस्यों को यह ज्ञात होना चाहिए कि वर्ष 1958 में जवाहर लाल नेहरू ने 'चितमहल' के संबंध में श्री नून के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया था। भारत के सीमा क्षेत्र में 95 'चितमहल' अथवा 'बांग्लादेश भूमि' है जहां बी०एस०एफ० के जवानों और पुलिस की पहुंच नहीं है। इस प्रकार से आतंकवादी सीमा पर करने आ रहे हैं और वहां रह रहे हैं। इसी प्रकार बांगलादेश के राज्यक्षेत्र में 111 भारतीय 'चितमहल' हैं। ये आतंकवादियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र हैं। अगर 'चितमहल' विनिमय संधि को क्रियान्वित किया जाता तो ये समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। दूसरी बात यह है कि बांगलादेश के साथ हमारे दोस्ताना संबंध हैं और ऐसा निश्चित रूप से लेकिन बांगलादेश हमारे ऊपर अपनी इच्छाओं को थोप रहा है और हमारी सरकार लाचार है।

1974 में जब इंदिरा मुजीब संधि पर हस्ताक्षर किए गए था, तब विनबिधा को भारत को सौंप दिया गया था ताकि बांगलादेश के लोगों को दहग्राम, अलारपता तथा चितमहल आने की अनुमति मिल सके। अब आतंकवादियों द्वारा इस मार्ग का दुरूपयोग किया जा रहा है।

'दक्षिण बेरूबारी प्रतिकूल भूमि' का भी संधि में उल्लेख किया गया था। लेकिन उस प्रतिकूल भूमि के 6 मौजे भारतीय नक्शे में नहीं हैं। माननीय मंत्रीजी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इन समस्याओं से अत्यधिक सावधानी से निपटा जाना चाहिए, नहीं तो इसमें काफी वृद्धि हो सकती है। मेरा मानना है कि संधियों का क्रियान्वयन तत्काल किया जाना चाहिए। सीमा सुरक्षा बल सीमावर्ती क्षेत्रों की रखवाली करता है। बांगलादेश सीमा पर तैनात कार्मिकों को जम्मू एवं कश्मीर से लाया जा रहा है। कश्मीरी आतंकवादियों का सामना करने के लिए वे जिस तंत्र का उपयोग करते हैं, उसी तंत्र का उपयोग बांगलादेशी विद्रोहियों से निपटने के लिए नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि वे अधिकांश बार असफल हो रहे हैं। गश्त भी स्तरीय नहीं है। हम यह भी जानते हैं कि वहां बाड़ लगी हुई है, प्रत्येक एक किलोमीटर पर कंटीले तार लगे हुए हैं; इसके बावजूद मवेशियों के झुंड को अवैध रूप से एक देश से दूसरे देश में ले जाया जा रहा है। ऐसा कैसे संभव है? रात्रि में बी०एस०एफ० के लोग गेट खोलते हैं तथा विद्रोहियों को अंदर आने देते हैं। उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। अंत में मैं यह कहूंगा कि 1992 में तिनबिधा को सौंपने के बाद आप फ्लायओवर की बात कर रहे हैं। भारत सरकार ने निर्माण कार्य के पहले सर्वेक्षण कार्य का आदेश दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पर होने वाले व्यय का वहन कौन करेगा — क्या केंद्र व्यय करेगा अथवा राज्य। मेरा मानना है कि अगर फ्लारओवर का निर्माण किया जाता है तो तिनबिधा की संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। अतः, इस विचार को तत्काल छोड़ दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री हितेन बर्मन, कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं श्री येरननायडु को बोलने के लिए बुला रहा हूं।

(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : महोदय, आज हम गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। अन्य मंत्रालयों की तुलना में यह काफी महत्वपूर्ण एवं प्रमुख मंत्रालय है। देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना गृह मंत्रालय का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जान तथा संपत्ति एवं निजी आजादी की सुरक्षा की गारंटी है। आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बदतर होती जा रही है तथा आंतरिक सुरक्षा की बदतर होती स्थिति पर चिंता व्यक्त करने के लिए कुछ विशेषज्ञ एक मंच पर आ गए हैं तथा बैठक की अध्यक्षता जम्मू एवं कश्मीर वार्ता के लिए भारत सरकार के विशेष सचिव श्री एन०एन० मिश्रा ने की तथा भूतपूर्व विशेष सचिव श्री एम० रमन तथा आसूचना ब्यूरो के भूतपूर्व निदेशक श्री अजीत बरवाल ने अपने विचार व्यक्त किए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सिम्मलित नहीं किया गया।

[श्री किन्जरपु येरननायडु]

पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि देश का एक तिहाई से अधिक हिस्सा किसी न किसी तरह की आंतरिक गड़बड़ी से प्रभावित है तथा 14 राज्यों के 165 जिले माओवादी गति-विधियों से प्रभावित हुए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन, जिसमें आंतरिक सुरक्षा स्थिति पर चर्चा हुई थी, यह सामने आया। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि सीमापार से आतंकवाद देश के भीरत फैल चुका है। सरकार ने यह स्वीकार किया है कि पाकिस्तान अभी भी आतंकवाद तथा आतंकवादी दलों विशेषकर लश्करे-तोएबा तथा जैश-ए- मुहम्मद को, जो पाकिस्तान आई०एस०आई० की मदद से भारत को निशाना बना रहे हैं, अभी भी सहायता दे रहा है एवं उकसा रहा है। यह तथ्य है। यह हमारे देश की तथ्यात्मक स्थिति है।

हमारा 10 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हैं। ग्यारहवीं योजना में हमारा लक्ष्य 10 प्रतिशत वृद्धि का है तथा मेरे अनुसार यह देश की कानून और व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हमारे देश के कई जिलों में आंतरिक अशांति है। किसी क्षेत्र में अतिवाद की स्थिति है तो दूसरे क्षेत्र में हम आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। जम्मू एवं कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ियों को देख रहे हैं। कोई भी वहां पर उद्योग लगाने को इच्छुक नहीं है इसलिए वहां विकास नहीं हो रहा है। अत: यह विषय विकास के साथ जुड़ा हुआ है। भारत सरकार को राज्य सरकार की सहायता से देश में कानून एवं व्यवस्था बनाई रखनी चाहिए। यह सबसे आवश्यक बात है। अन्यथा हमारे लिए लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल होगा। हम ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय के अंतर्गत करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। ये कार्यक्रम निर्धनतम वर्गों तक नहीं पहुंच रहे हैं। अतिवादी और नक्सलवादी गति-विधियों के कारण इन विकास कार्यों का लाभ गांवों तक नहीं पहुंच रहा है। अत: सरकार के अधीन सभी मंत्रालयों को इन योजनाओं को लागू करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए तभी गरीबी का उन्मूलन किया जा सकेगा और योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंच सकेगा और तभी लोग खुश होंगे। केवल तभी लोग आतंकवाद की शरण में जाने से बचेंगे। अत: सरकार को इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। उत्प्रवास के लिए वीजा तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में हाल ही में हमारे एक सदस्य द्वारा उन्हें मानव तस्करी करते समय पकड़ा गया था।

आन्ध्र प्रदेश में टी०आर०एस० का एक विधायक इसमें लिप्त था। उसने न्यायालय के समक्ष समर्पण कर दिया है तथा अब वे न्यायिक रिमाण्ड पर है। अन्य विधेयक तथा पूर्व मंत्री भी इस कार्य में शामिल हैं। भारत सरकार क्या कर रही है? यह शर्मनाक बात है। अब, यदि कोई सांसद का विधेयक अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर जाता है तो वे उसका पासपोर्ट दो या तीन बार देखते हैं। *(व्यवधान)* चाहे कोई भी हो। चाहे वे टी०डी०पी० कांग्रेस या भाजपा के हों, सरकार को उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। भारत सरकार को एक उच्चस्तरीय जांच करवानी चाहिए। सरकार को तत्काल तथा कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। यदि कोई संसद सदस्य या विधायक इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। वीजा आदि जारी करना गृह मंत्रालय का काम है। यह अनुरोध आपके मध्यम से मैं इसलिए ही माननीय गृह मंत्री से कर रहा हूं। ये प्रमाण पत्र कौन दे रहा है? ये बिना सत्यापन किए बिना दस्तावेज देदें तथा बिना फोटो देखे पुलिस अधिकारियों द्वारा दिए जाते हैं। वे इन पासपोर्टों को नकली कैसे कर सकते हैं? वे दूसरे की फोटो कैसे चिपका देते हैं तथा लोगों को भारत से विदेश भेज रहे हैं? *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री येरननायडु, कृपया ब्यौरा न दें।

श्री किन्जरपु येरननायडु : भारत सरकार को इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

मेरा अगला मुद्दा तेलगू भाषा के सम्बन्ध में है। संप्रग सरकार के सत्ता में आने के बाद उसने तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया है। हम यह जानकर प्रसन्न हैं। हमारी मांग है कि कन्नड़ तथा तेलगू जो 2000 वर्ष पुरानी है, को भी ऐसा ही दर्जा दिया जाए। इस सम्बन्ध में हम बार-बार माननीय प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री से अनुरोध करते रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने भी कई बार इस मुद्दे पर पत्र लिखे हैं। हमारा शिष्टमण्डल माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा संस्कृति मंत्री से मिला है। लेकिन आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। अत: भारत सरकार को कन्नड़ तथा तमिल को प्राचीन भाषा घोषित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

जनगणना पर आते हुए मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 2001 की जनगणना में, अल्पसंख्यकों जैसे मुस्लिमों के लिए एक अलग कॉलम था। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने सरकार से अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या के विषय में निर्णय दिया है। अन्य पिछड़ा वर्गों के बारे में कोई विवरण नहीं है। जब राजग सत्ता में थी तो मैंने वर्ष 2001 की जनगणना से पूर्व गृह मंत्रालय से अनुरोध किया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक अलग कॉलम रखें। अब, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संवैधानिक दर्जा, आरक्षण आदि की व्यवस्था है। अन्य पिछड़ा वर्ग में बहुत से समुदाय है। हम उन्हें जाति के आधार पर नहीं बांट रहे हैं। अत: अन्य पिछड़ा वर्ग में बहुत से समुदाय हैं। यदि अगली जनगणना में अलग से कॉलम रख दिया जाए तो अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के बारे में आंकड़े मिल जाएंगें। अत: आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं वह अगली जनगणना के दौरान

जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक अलग कॉलम रखे जैसा कि उसने अल्पसख्यकों जैसे कि मुसलमान, ईसाई आदि के लिए रखा है। इससे भारत सरकार के लिए न्यायालयों को आंकड़े बताना आसान हो जाएगा।

स्वतंत्रता सेनानियों को भुगतान की गई पेंशन के बारे में हमने बहुत बार माननीय मंत्री महोदय से इन मामलों को निपटाने का अनुरोध किया है। स्वतंत्रता सेनानियों के हजारों मामले लंबित हैं। अब वे जंतर मंतर के सामने धरना देने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। कई वर्षों से इस मुद्दे का समाधान नहीं हुआ है। *(व्यवधान)* मैं अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे का यथाशीघ्र समाधान किया जाए, अन्यथा, स्वतंत्रता सेनानियों को अपूर्णनीय क्षति होगी।

सुनामी चेतावनी प्रणाली हेतु हमने वर्ष 2005 में एक कानून बनाया है। यह सुनामी चेतावनी प्रणाली अभी तक स्थापित नहीं की गई है। सरकार को राष्ट्रीय आपदा आंदोलन की नीति तथा सुनामी चेतावनी केन्द्र पर भी विचार करना चाहिए।

तटीय सुरक्षा योजना के बारे में, मैं कहना चाहता हूं कि यह अच्छी योजना है। वर्ष 2005 में यह शुरू की गई थी और 72 पुलिस स्टेशनों की स्थापना की गई थी। परन्तु वहां न तो श्रमशक्ति है और न ही भवन है। हमें नौकाएं आदि खरीदनी हैं। भारत सरकार का उद्देश्य अच्छा है। परन्तु निचले स्तर पर यह कार्य नहीं हो रहा है। भारत सरकार को इन 72 तटवर्ती पुलिस स्टेशनों को सक्रिय बनाने के लिए पहल करनी चाहिए।

अन्य राज्यों की सरकारों ने भारत सरकार से श्रमशक्ति की लागत को भारत सरकार के राजकोष से वहन करने का अनुरोध किया है। राज्यों ने यह अनुरोध इसलिए किया है क्योंकि भारत सरकार पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के प्रयोजनार्थ उनसे अपना धन खर्च करने को कह रही है।

पुलिस बल का आधुनिकीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत से पुलिस अधिकारी कठिन क्षेत्रों में भी दिन-रात कार्य करते हैं। इसलिए, उनका कल्याण भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सभी सुविधाएं प्रदान करनी होगी। हमें अच्छे आवास आदि को प्रदान करने होंगे। हमें उस प्रयोजनार्थ बजट भी निर्धारित करना होगा। आवास हेतु इतनी कम धनराशि से आप पुलिस बल के लिए लाखों मकान नहीं बना सकते। वे कड़ा परिश्रम करते हैं और काम करके आने के बाद वे शांतिपूर्वक सोना चाहते हैं। यही कारण है कि पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 200 करोड़ रु० की धनराशि प्रदान की गई थी जिसे अब बढ़ाकर 600 करोड़ रु० कर दिया गया है। हालांकि हथियार खरीदने, प्रशिक्षण, भवनों आदि के निर्माण के लिए यह धनराशि भी पर्याप्त नहीं है।

महोदय, गृह मंत्रालय बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख मंत्रालय है। संपूर्ण विकास, गृह मंत्रालय पर ही निर्भर करता है। यदि कानून और व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा की स्थितियां ठीक हों तो हम लक्षित विकास को प्राप्त कर सकते हैं। देश तभी उन्नति करेगा और गरीबी का उन्मूलन होगा। यदि आंतरिक सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है, तो इस देश का प्रत्येक नागरिक इस देश में निर्भय होकर घूम नहीं सकेगा। यह ठीक नहीं है। भारत सरकार को कानून और व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और अपराधियों से कड़ाई से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिएं।

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी) : सभापति माहेदय, मैं गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले यह स्वीकार करता हूं कि इस मामले पर लोकसभा में बोलने का मेरा उत्साह काफी कम हो गया है क्योंकि मुझे विपक्ष से काफी हंगामे की आशा थी। दुर्भाग्य से विपक्ष ने अधिकांश अपने युवा वक्ताओं और अनुभवहीन वक्ताओं को उतारा, जोकि सरकार के विरुद्ध बोल नहीं सकते थे और मुझे लगता है कि वाद-विवाद शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया। यह केवल दर्शाता है कि यू०पी०ए० सरकार के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप कि यू०पी०ए० सरकार मामलों को हल्के ढंग से ले रही है, और यू०पी०ए० सरकार मामलों से निपटने में विफल रही है, पूरी तरह से गलत सिद्ध हुए हैं। दुर्भाग्यवश, हालांकि आंकड़े स्वयं बताते हैं कि देश में कानून और व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, विभिन्न मुद्दों पर अलग-अलग दिनों में विपक्ष की जिन आपत्तियों के कारण सभा में व्यवधान आए थे, वे आज शून्य सिद्ध हुई जब गृह मंत्रालय पर संसदीय वाद-विवाद में विपक्ष का कोई नेता उपस्थित नहीं था।

महोदय, 'घर' ऐसी मूलभूत इकाई है, जिससे समाज बनता है। यदि घर में शांति है, यदि घर में एकता है और यदि घर में कोई विभाजन नहीं है तो समाज प्रगति करता है। इसी प्रकार से यदि आंतरिक सुरक्षा की स्थिति शांतिपूर्ण है, तो देश एक रहता है। यदि कोई विघटनकारी तत्व देश के हितों के विरुद्ध कार्य नहीं कर रहे हैं तो आर्थिक विकास, अवसंरचनात्मक विकास तथा अन्य सभी विकास जो कि आवश्यक हैं वे स्वत: ही आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि गृह मंत्रालय अत्यधिक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। मैं कुछ दोहरना नहीं चाहता, परन्तु मैं हमारी चर्चा के दौरान उठे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर टिप्पणी करना चाहता हूं। जहां तक सांप्रदायिक स्थिति का संबंध है, कोई इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि पिछले तीन वर्षों के दौरान इस देश में सांप्रदायिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

अपराह्न 4.00 बजे

कतिपय राजनीतिक शक्तियों द्वारा साम्प्रदायिकता और साम्प्रदायिक तनाव फैलाने के लिए किए गए सभी प्रकार के कोशिशों के बावजूद देश में साम्प्रदायिक सौहार्द बना हुआ है। इसके लिए मैं केन्द्रीय गृह मंत्रालय और हमारे गृह मंत्री को बधाई देता हूं। यह भी एक सच्चाई है।

जहां तक जम्मू और कश्मीर की स्थिति का संबंध है तो इस विषय पर की जा रही चर्चा से यह बात जाहिर हो जाती है कि जम्मू और कश्मीर में हालात पहले से बहुत बेहतर है। गोलमेज वार्त्ताएं चल रही है। बातचीत चल रही है। अब, हमारे सहयोगियों के बीच केवल एक छोटा सा विवाद रह गया है वह विवाद यह है कि क्या वहां से सशस्त्र बलों को हटाना चाहिए अथवा नहीं। इससे हमारी बात सही सिद्ध होती है कि जम्मू और कश्मीर की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में जम्मू और कश्मीर में हालात और बेहतर होंगे। तथा वहां शांतिपूर्ण स्थिति बनी रहेगी। नक्सलवादियों के बारे में, मैं यह महसूस करता हूं कि अभी चिंता के कारण मौजूद हैं। लेकिन इस संबंध में जो सुझाव दिए गए हैं और यह कहकर जो एक प्रकार का तनाव पैदा किया जा रहा है कि नक्सलवादी आन्दोलन उस स्तर तक पहुंच चुका है कि अब इससे निपटना बहुत मुश्किल हो गया है और इसका समाधान निकालना भी मुश्किल है। यह वयापक पैमाने पर तेजी से फैल रहा है। मैं सोचता हूं कि यह सच है कि नक्सलवादियों को कुछ नए समर्थक भी मिल रहे हैं और इसका कारण यह है कि देश में वाम आन्दोलन का नेतृत्व धीरे-धीरे चरमपंथियों के हाथों में आता जा रहा है। मैं महसूस करता हूं कि मेरे वाम मित्रों को चरमपंथियों को इस स्थिति का लाभ उठाने से रोकने के लिए कुछ कड़ी मेहनत से कार्य करना होगा। लेकिन जैसाकि हमारे अधिकतर सदस्यों ने कहा है कि नक्सलवादी समस्या के कानून और व्यवस्था की स्थिति के अतिरिक्त और भी अन्य कारण है।

मैं गृह मंत्रालय और अन्य केन्द्रों द्वारा दिए गए कागजातों को पढ रहा था। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे क्षेत्रों, स्थानों और समुदायों के बारे में गंभीर अध्ययन करने की आवश्यकता है जहां पर नक्सलवाद और नक्सलवादी सोच फैल रही है। मैं समझता हूं कि हमें इसके बारे में गंभीरतापूर्वक अध्ययन करना चाहिए। इसके लिए सरकार द्वारा किसी आयोग अथवा किसी प्रकार के अध्ययन दल का गठन किया जा सकता है ताकि हम और अधिक सामाजिक सुधार कर सकें जैसा हम अब कर रहे हैं।

यह स्वाभाविक है कि मेरा ध्यान उत्तर-पूर्व पर होगा। उत्तर-पूर्व की स्थिति के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर-पूर्व के अधिकतर राज्यों में उग्रवाद की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र शांत है। पूर्व की तुलना में आज त्रिपुरा में भी हिंसा में कमी आई है। मिजोरम में स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण बनी हुई हैं सिक्किम में भी स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। हां, असम से कुछ समस्याग्रस्त क्षेत्र हैं। मणिपुर में भी कुछ समस्याएं है। नागालैंड में एन०एस०सी०एन० के एक-एक धड़े और अन्य समूह के बीच आंतरिक झगडों के चलते कुछ समस्याएं पैदा हुई हैं। जैसाकि असम के बारे में मैंने पहले ही कहा है हमें असम की चिंता है। यही कारण है कि मैं असम पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दूंगा। मैं आशा करता हूं कि जब मैं यह कहता हूं कि हमें बातचीत करनी चाहिए, शांतिपूर्ण वार्त्ताएं करनी चाहिए तथा उग्रवादियों के साथ वार्त्ता करनी चाहिए तो माननीय गृह मंत्री कुछेक बातों पर ध्यान देंगे। लेकिन मेरे पास एक टिप्पणी है जोकि बहुत प्रासांगिक है: इसमें कहा गया है:

> "हमारा यह मानना है कि संघर्ष अपना काम करते रहते हैं अतैव उग्रवादियों का सशस्त्र प्रतिरोध हमेशा किया जाना चाहिए और जब उग्रवाद कमजोर पड़ता है तब बातचीत की और संवैधानिक रियायतों की पेशकश से हुए समझौते कारगर नहीं होते।"

मैं समझता हूं कि इसमें काफी सच्चाई है। जब हम बातचीत की ओर अग्रसर होते हैं तो हमें ऐसी कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए जिससे कि उग्रवादी राष्ट्र विरोधी वातावरण का सृजन करने के लिए इनसे सहानुभूति रखने वाली की मदद ले सके। हाल के दिनों में असम में हमें यह अनुभव रहे हैं। कि कुछ बौद्धिक मंच असम में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में संप्रभुता और जनमत संग्रह संबंधी चर्चा कराने पर विचार कर रहे हैं।

वे ऐसी अवधारणाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिस पर पहले कभी असम में चर्चा नहीं हुई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि गृह मंत्री भी इस सच्चाई से अवगत होंगे। उन्हें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बातचीत की अवधि में उग्रवाद में और उग्रवादियों की भर्ती में और हथियारों में और अधिक बढ़ोतरी न हो। उग्रवादियों और आतंकवादियों को यह बात साफतौर पर बता देनी चाहिए कि अन्तत: उग्रवाद से कुछ भी हासिल नहीं होगा। वास्तव में वहां पर समस्याएं है। कई वर्ष से उनकी उपेक्षा की गई है लेकिन इस सबका समाधान संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। उग्रवाद को पनपने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए।

आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह आतंकवादियों, आतंकवाद से प्रभावित राज्यों और इसी प्रकार नक्सली खतरे से प्रभावित राज्यों की निगरानी की है। यह एक राज्योन्मुख समस्या नहीं है। इसके अंतर्राष्ट्रीय

आयाम हैं। यहां तक कि इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है। दुर्भाग्य से, ऐसी भावना बढ़ती जा रही है और ऐसा आभास हो रहा है कि कदाचित हमारे पास मौजूद वर्तमान संवैधानिक उपबंध, सरकारिया आयोग की सिफारिशें गौर मौजूदा अन्य अन्तर्राज्जीय प्रावधान उन नई समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है, जो कि अंतर्राज्जीय हैं।

मान लीजिए कि कोई राज्य सरकार आतंकवाद से लड़ने के लिए अपना कोई प्रयास नहीं करती, मान लीजिए कि राज्य सरकार उन स्थानों पर कार्रवाई करने में विफल रहती है, जहां व्यापक स्तर पर हिंसा हो रही है, तो गृह मंत्रालय क्या कर सकता है? गृह मंत्रालय निदेश देता है अथवा संविधान के अनुच्छेद 355 अथवा अनुच्छेद 356 को प्रयोग करने की अत्यंत कड़ी कार्रवाई करता है। क्या संसद सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती कि बदलती परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आजकल हम कतिपय अधिक तंत्र ईजाद करें, यह कि हम कतिपय जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित करें, जहां हम सीधे तौर पर केन्द्र से सैन्य टुकडियां भिजवाएं और केन्द्र अपने अर्द्ध-सैनिक बलों के साथ सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर सके? क्या इसे घुसपैठ माना जाए, यह एक वाद-विवाद का विषय है। लेकिन आने वाले दिनों में केन्द्र की ओर से कुछ और कदम उठाए जाने आवश्यक, हो सकते हैं।

सभापति महोदय : आपने अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से रखी है। अब कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री किरिप चालिहा : महोदय, मेरा केवल एक आखिरी मुद्दा और है। कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए।

महोदय, पुलिस और पुलिस सुधार के संबंध में काफी कुछ कहा गया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि पुलिसकर्मियों और पुलिस दल की भर्ती कुछ शैक्षणिक योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए। यह एक आवश्यकता है, यदि हम पुलिस बल में जमीनी स्तर पर सुधार करना चाहते हैं। पुलिस वाले जो कानून और व्यवस्था के कार्य में लगे रहते हैं तथा जो नक्सलवाद और उग्रवाद से जूझते हैं के बीच अन्तर करने की आवश्यकता है और इनके लिए अलग-अलग पुलिस होनी चाहिये। कतिपय विशेष प्रशिक्षित कर्मियों वाले बल की आवश्यकता है जो विशेष कमाण्डों जैसे ही हों।

अंत में, पुलिस आयोग बनाए जाने, उच्च्व पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण और नियुक्ति के बारे में लोगों के एक समूह द्वारा निर्णय लिए जाने के संबंध में सुझाव पर मैं पुरजोर अपनी व्यक्तिगत राय बताना चाहता हूं कि किसी भी हालत में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के प्राधिकार को कम नहीं किया जाना चाहिए। निर्वाचित सरकार का पुलिस और अन्य अर्द्धसैनिक बलों पर सीधे नियंत्रण होना चाहिए।

डा० एच०टी० संगलिआना (बंगलौर उत्तर) : सभापति महोदय, मैं संक्षेप में बोलने का प्रयास करूंगा। मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों को इस शर्त के साथ अपना पूरा समर्थन देता हूं कि मेरे सुझावों को बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया जाएगा, जिनका, मैं समझता हूं कि पुलिस विभाग में 36 वर्ष की लंबी सेवा करने के पश्चात् मैं हकदार हूं।

महोदय, दिनांक 25 के बंगलौर के स्थानीय लोकप्रिय समाचार पत्र ''डेक्कन हैराल्ड'' जो कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, के अनुसार अब अपराधी किसी भी अपराध करने के लिये अंधेरा होने का इंतजार नहीं करते हैं अपितु दिन दहाड़े ही अपराध करते हैं। मुझे भय है कि ऐसी भयावह स्थिति न सिर्फ कर्नाटक अपितु पूरे भारत देश की ही है।

मैं यहां, विपक्ष के संसद सदस्य के रूप में नहीं खड़ा हूं, बल्कि उस व्यक्ति के रूप में जो कि पूर्व पुलिस अधिकारी होने की अपनी शर्मनाक स्थिति को व्यक्त करना चाहता है। जिसने इस देश में पुलिस अधिकारियों की भूलचूक के बारे में सुना है और मैं पूर्व वक्ताओं, अपने सहयोगियों द्वारा लगाए गए ज्यादातर आरोपों को 80 प्रतिशत सही मानता हूं।

यहां व्यापक स्तर पर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम, मैं एक राष्ट्रीय सुरक्षा नीति तैयार किए जाने की सिफारिश करना चाहता हूं, जिसमें सीमा सुरक्षा सहित आंतरिक सुरक्षा शामिल हो, घुसपैठियों से सुरक्षा और माओवादियों तथा नक्सलियों के विरुद्ध सुरक्षा शामिल है। इसके साथ-साथ धार्मिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता के अध्याय भी इसमें सम्मिलित होने चाहिए।

आंतरिक सुरक्षा को बाह्य और आंतरिक दोनों ही शत्रुओं से खतरा हो सकता है, ज्यादातर नाराज लोगों, नाराज नागरिकों से, जैसा कि हम अपने देश में आजकल देख रहे हैं। माओवादी और नक्सली ऐसे भड़के हुए भारत के नागरिक हैं। जिनके साथ विभिन्न प्रकार के अन्याय हुए हैं। ये अत्यंत खतरनाक लोग हैं क्योंकि ये हम लोगों के बीच से ही हैं।

उदाहरण के लिए, पिछले महीने की 23 तारीख को यहां नई दिल्ली में पूर्वोत्तर के छात्रों द्वारा एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया था, जो मणिपुर घाटी के कुछ गांवों में उग्रवादियों द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों के पीड़ितों को अनुग्रह राशि के भुगतान की मांग कर रहे थे। माननीय गृह मंत्री को याद होगा कि मैं उनसे दो बार व्यक्तिगत रूप से मिल चुका हूं और इस संबंध में मैंने अर्ध-शासकीय पत्र भी लिखे हैं तथा मैं पूर्वोत्तर के छात्रों का शिष्टमंडल भी ला चुका हूं।

[डा० एच०टी० संगलिअना]

राज्य का विषय बताकर सहारा लेना बहुत आसान है। परंतु हर बार जब पूर्वोत्तर जैसे स्थानों पर संकट पैदा होता है तो लोगों को यह नहीं पता होता है कि वे सहायता के लिए कहां जाएं, क्योंकि राज्य सरकार पर्याप्त ध्यान नहीं देती है और जब वे दिल्ली आते हैं तो वे उन्हें यह कह कर आसानी से वापस भेज दिया जाता है कि, यह राज्य का विषय है इसलिए इससे, केन्द्र का कोई लेन-देन नहीं है ऐसी स्थिति में इस प्रकार के लोगों अर्थात छात्रों का कल अस्थिरता पैदा करने वाले एजेंटों के द्वारा आसानी से शोषण किया जाएगा, ये ऐजेंट ऐसी स्थितियों और इन लोगों की नाराजगी का फायदा उठायेंगे और उनकी अपने एजेंटों के रूप में भर्ती करेंगे।

इस संबंध में शहर की पुलिस द्वारा 150 छात्रों को गिरफ्तार करके तीन दिन और तीन रात तक तिहाड़ जेल में रखा गया था और उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता तथा दिल्ली पुलिस अधिनियम की सभी सख्त धाराओं को लगाकर उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। मेरे विचार से न्यायसंगत मांग के किए इस प्रकार के शांति प्रिय प्रदर्शनों पर इस प्रकार की पुलिस कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता नहीं है। कल, यदि इन मामलों को वापस नहीं लिया गया तो सभी गिरफ्तार छात्र सरकारी कार्यालयों में रोजगार प्राप्त करने के योग्य नहीं रहेंगे। पुलिस रिकार्ड के कारण वे पासपोर्ट प्राप्त करने के योग्य भी नहीं रहेंगे। इसलिए, मेरा माननीय गृहमंत्री से अनुरोध है कि वह सुनिश्चित करें कि इन सभी मामलों को वापस लिया जाए और इस प्रकार के मामलों में राज्य प्रशासन को परामर्शदात्री ज्ञापन (एडवाइजरी मेमो) अथवा टेलीफोन द्वारा परामर्श देने के लिए कोई तंत्र विकसित करने पर विचार किया जाए।

अनुग्रह राशि का भुगतान ही केवल मुद्दा नहीं है; पीड़ितों को अभी इसका भुगतान किया जाना है और उन्हें अलग-अलग धनराशि का भुगतान किया गया है। चंद्रपुर जिले में बारूदी सुरंग से हुए विस्फोट में लगभग 40 व्यक्ति मारे गए और लगभग इतने ही व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग हो गए। इसी कारण वे शारीरिक रूप से अक्षम हो चुके हैं; उनके हाथ टूट गए हैं। इन लोगों का समुचित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैंने इस संबंध में बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए पूर्व रक्षा मंत्री को पत्र भी लिखा है। परंतु, आज तक, एक भी बारूदी सुरंग को वहां से नहीं हटाया गया है। मैं एक और मामले को सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं।

इस देश में कड़े कानूनों की आवश्यकता है। निसंदेह मौजूदा कानून बहुत अच्छे हैं परंतु ये शत प्रतिशत अच्छे नहीं हैं। पोटा हट चुका है। पोटा दो कारणों से बहुत अच्छा था। एक कारण तो यह था कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के समक्ष दिए गए साक्ष्य को स्वीकार करने का प्रावधान था। दूसरा कारण, जमानत का प्रावधान बहुत कठिन था; जमानत करीब-करीब असंभव थी। परन्तु इस प्रकार का अधिकार नए अधिनियमित कानूनों में नहीं दिया गया है। इस संबंध में गुजरात और राजस्थान सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है जिससे उन्होंने एम०ए०सी०ओ०सी०ए० (मकोका) कहा है उसमें इस प्रकार के उपबंधों को सम्मिलित किया है। परंतु केंद्र सरकार द्वारा आज तक इसकी अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

डा० एच०टी० संगलिअना : महोदय, मैं संक्षेप में बोलूंगा।

दूसरा मुद्दा मैं यह उठाना चाहता हूं कि क्षमा याचिकाओं अथवा आवेदनपत्रों का शीघ्रता पूर्वक निपटान किया जाए। इस सभा को क्षमा याचिकाओं के निपटारे हेतु कानून द्वारा समझौता का तरीका निकाला जाए अथवा समय सीमा निर्धारित की जाए। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक उग्रवादियों, आतंकवादियों दुर्दांत अपराधियों पर अपेक्षित प्रभाव नहीं डाला जा सकता है। इसलिए सुझाव है कि ऐसे मामलों का निपटारा उतना ही शीघ्र होना चाहिए जितना कि जनरल वैद्य के मामले में किया गया था। उस मामले का निपटारा कुछ ही घंटे में कर दिया गया था यह एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है। लोगों में विश्वास पैदा करना जरूरी है, जनता का विश्वास टूटने से खतरा पैदा हो जाएगा।

अपराह्न 4-18 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*]

एक अन्य मुद्दा मैं यह उठाना चाहता हूं कि पूजा के सभी धार्मिक स्थलों पर समुचित सुरक्षा प्रबन्ध किए जायें। इसके अतिरिक्त, इन सभी पूजा स्थलों का उपयोग आध्यात्मिक शिक्षा देने के अतिरिक्त समाजिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाए। इसाइयों की केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं बल्कि सामाजिक शिक्षा प्रदान करने की भी अच्छी प्रथा है जिसमें वे लोगों को क्षमाशीलता, मित्रता, भाईचारे, अहिंसा तथा देश के कानून के प्रति सम्मान जैसे ईसामसीह द्वारा प्रतिपादित जीवन के सिद्धांतों तथा सदगुणों के बारे में बताते हैं। इस प्रकार की सामाजिक शिक्षा सभी धार्मिक संस्थानों में दी जा सकती है यदि गृहमंत्रालय कुशलतापूर्वक अंजाम देता है गैर-सरकारी संगठनों को इसमें शामिल किया जा सकता है। हम उन्हें इस प्रकार के प्रयासों के लिए सूचीबद्ध कर सकते हैं। इन सभी केन्द्रों और संस्थानों का उपयोग लाभदायक रूप में किया जा सकता है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये। मैं अगले वक्ता श्री सर्वानन्द सोनोवाल को आमंत्रित कर रहा हूं।

डा० एच०टी० संगलिअना : मेरे पास एक ही और मुद्दा है। मैं केवल कुछ मिनट ही बोला हूं। मैं सभा में कभी-कभार ही बोलता हूं... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने 12 मिनट से ज्यादा का समय ले लिया है।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : सभापति जी, होम मिनिस्ट्री पर कभी कभी बहस होती है। आप थोड़ा टाइम एक्सटैन्ड कर दीजिए।

[अनुवाद]

डा० एच०टी० संगलिअना : महोदय, हमें भारतीयता पर आपस में प्रतिस्पर्धा करने का आवश्यकता है। मेरे विचार में, अब समय आ गया है कि सभी भारतीयों को आपस में कौन 'अधिक भारतीय' है इसकी प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। हम सभी 'सबसे ज्यादा भारतीय' हो सकते हैं। हम में से कुछ लोग अभी भी यह महसूस करते हैं कि उनके साथ द्वितीय श्रेणी के नागरिकों की तरह व्यवहार होता है। मिजोरम के निवासी डा० संगलिअना जो मिजो भाषाई है और इसाई हैं, को द्वितीय श्रेणी का नागरिक नहीं होना चाहिए। एक हिन्दी बोलने वाला बिहार या उत्तर प्रदेश का निवासी जिसका नाम स्वाभाविक रूप से भारतीय होता है उसे किसी अन्य भाषाई अथवा अन्य किसी धर्मा-व-लम्बी की अपेक्षा अधिक भारतीय नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए, कौन 'सबसे ज्यादा भारतीय' अथवा 'अधिक भारतीय' है इस प्रकार की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का फैसला दैनिक कार्यों, विचारों और शब्दों के आधार पर किया जाना चाहिए। इसीलिए, जब तक हमारे मन एकता की भावना, समानता की भावना नहीं होगी तब तक हम सभी के मन में एक दूसरे के प्रति अनावश्यक रूप से शक की भावना, एक दूसरे के विरूद्ध कुछ करने का भ्रम बना रहेगा... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब, कृपया समाप्त कीजिए।

डा० एस०टी० संगलिअना : ठीक है। क्योंकि मुझे रूकने के लिए कहा गया है इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रुगढ) : सभापति महोदय, आज मैं गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा में केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निपटाए जा रहे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं।

पुलिस विभाग का आधुनिकीकरण स्वागत योग्य कदम है। देश में मौजूदा कानून व्यवस्था और आन्तरिक सुरक्षा को देखते हुए, हमें इस स्थिति से निपटने के लिए कुशल पुलिस बल और सुरक्षा बल की आवश्यकता है। जब हम वास्तविक मुद्दे का समाधान करना चाहते हैं तो केन्द्रीय गृह मंत्रालय को अब तक किये गए उपायों पर ध्यान देना चाहिए कि क्या ये मौजूदा हालातों से संबंधित है अथवा परिणामोन्मुख हैं या नहीं। इसकी पुष्टि की जानी चाहिए क्योंकि पिछले कुछ दशकों में हमने न केवल आम नागरिकों अपितु कुछेक सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों द्वारा दिए गए वक्तव्यों एवं कई तथ्यों और आंकड़ों को भी देखा है। ये आंकड़े देश वासियों को यह बताते हैं कि देश में वर्तमान में 20 मिलियन से ज्यादा अवैध प्रवासी लोग है। नोडल मंत्रालय होने के नाते केन्द्रीय गृह मंत्रालय को इस वक्तव्य के प्रति बहुत अधिक गम्भीर होना चाहिए।

संसद के पिछले सत्र में भी — मैं नहीं जानता गलती से या भ्रमवश-उच्च सदन में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने देश के विभिन्न राज्यों में अवैध प्रवासियों की उपस्थिति से संबंधित कुछ आंकड़े पेश किये थे। हम यह जानना चाहते हैं कि इस स्थिति से निपटने के लिए हमने अब तक और देश में मौजूद उन अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए क्या उपाय किये हैं जिससे कि वास्तविक भारतीय नागरिक सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सुगमता से रह सके और सभ्यता और राजनैतिक अस्तित्व की हमारी वर्षों पुरानी नींव की सुरक्षा भी की जा सके।

उत्तर-पूर्व में असम से संसद सदस्य होने के नाते में असम में अवैध प्रवासियों की उपस्थिति के कुछ ज्वलंत उदाहरणों को अवश्य पेश करूंगा। सीमा पार से बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां आते हैं। वर्ष 1985 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने आन्दोलन कारियों, आल असम स्टूडेंट यूनियन के साथ एक समझौता किया था और अवैध प्रवासियों की समस्या का चिरस्थायी समाधान किया था?

15 अगस्त, 1985 के दिन सुबह के समय उन्होंने देश के लोगों को राष्ट्रीय वचन दिया कि "असम समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं और प्रधान मुद्दा अवैध प्रवासियों से निबटना है और असम समझौते का अक्षरश: कार्यान्वियन करके असम में अवैध प्रवासियों की उपस्थिति की पहचान की जाएगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा।" वह उनका प्रमुख वचन था। और हम सभी ने 15 अगस्त 1985 को स्वतंत्रता दिवस पर उनके वचन को मुक्त ह्रदय से स्वीकार किया था और हमने उस समय उनके वक्तव्य की प्रशंसा की थी। इससे अत्यधिक खुशियां आई थी; देश के उन नागरिकों के चेहरों पर चमक आ गई थी। जो कि भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा में विश्वास रखते हैं।

[श्री सर्वानन्द सोनोवाल]

किन्तु महोदय, इस मुद्दे विशेष पर गत 22 वर्ष के संघर्ष के पश्चात् अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। यहां तक कि इस संप्रग सरकार में भी भारत के माननीय प्रधानमंत्री डा० मनमोहन सिंह ने 5 मई, 2005 को नई दिल्ली में असम समझौते पर एक त्रिपक्षीय वार्ता की थी, और इस बैठक में, माननीय गृह मंत्री श्री शिवराज वि० पाटील, असम के माननीय मुख्यमंत्री तथा अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ यह निर्णय किया गया था कि असम में सदियों से साथ रह रहे वास्तविक भारतीय नागरिकों के संरक्षण के लिए असम में एन०आर०सी० (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स) तैयार किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया था कि दिसंबर, 2006 तक बांग्लादेश के साथ वाली सीमाओं को सील कर दिया जाएगा और एन०आर०सी० तैयार करने का लक्ष्य सितंबर, 2007 का होगा। बैठक में की गई ये प्रमुख वचनबद्धताएं थी।

किन्तु महोदय, मुझे इस सम्माननीय सभा को यह बताते हुए खेद है कि इस संबंध में भी अभी तक किसी भी रूप में कुछ भी सामने नहीं आया है। असम सरकार अभी तक केन्द्र से निदेश प्राप्त करने का इंतजार कर रही है, केन्द्रीय गृह मंत्रालय को इस दस्तावेज को अंतिम रूप देना है। मुझे यह सूचित किया गया है कि एन०आर०सी० की तैयारी का कार्य करने के लिए इस दिशा में अभी तक कोई कार्यविधि तैयार नहीं की गई है।

महोदय, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब हम आधुनिक सुरक्षा प्रणाली के बारे में बात करते हैं और जब हम पुलिस सुधारों के बारे में बात करते हैं, तो सर्वप्रथम हमें इस वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करना चाहिए। यदि हम अपनी सीमाओं की रक्षा करने में असफल होते हैं। यदि हम अपने लोगों की पहचान की रक्षा करने में असफल रहते हैं तो वैश्विक स्तर पर भारतीय लोगों की पहचान का क्या होगा? मुझे माननीय गृह मंत्री से यही बात कहनी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि समूची सुरक्षा प्रणाली पर कार्य करने के साथ-साथ, हमें जो भी बाहरी धमकियां मिल रही हों, पुलिस बल को पूरी दृढ़ता के साथ उन्नत बनाना होगा उन्हें मानसिक तौर पर दृढ़, इस कारण विशेष के प्रति राष्ट्रीय तौर पर प्रतिबद्ध होना होगा ताकि देशवासी उनकी उपस्थिति में सुरक्षित महसूस कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : सभापति महोदय, मैं इस अवसर का उपयोग इस मिथक को दूर करने के लिए करूंगा कि मुस्लिम इस राष्ट्र द्वारा सामना की जा रही समस्या के लिए इस्लामी कट्टरपंथ या मुस्लिम चरमपंथी के रूप में जिम्मेदार हैं। यदि किसी ने गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी हों तो उसने पाया होगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र सभी चरमपंथी गतिविधियों का केन्द्र है। आपके यहां नक्सली समस्या है। अत: इससे स्पष्ट होता है कि देश किन प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रहा है।

गत वर्ष, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नक्सल समस्या के संबंध में 14 बिन्दु रखे गए थे। उससे अगले दिन ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा "हमें एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है।" जहां तक नक्सली समस्या का संबंध है। हमारी पार्टी का यह मत है कि विचारों की कोई स्पष्टता नहीं हैं, और विचारों की कोई एकता नहीं है। यदि विचारों की एकता होती, तो इससे कोई नीति बनती। तब इस नीति से दीर्घावधि और लघु अवधि लाभ प्राप्त होते।

अब, मैं जो कह रहा हूं उसका एक उदाहरण देता हूं, हमारे पास एक कृतिक बल, मंत्रियों का एक अधिकार प्राप्त समूह, आई०एम०जी०, मुख्यमंत्री समन्वय समिति और नक्सल विरोधी सैल है, जो विकास कार्य की निगरानी करते हैं।

क्या किसी ने निष्पादन ऑडिट को देखने का प्रयास किया है? निष्पादन ऑडिट क्या है? क्या किसी ने निष्पादन ऑडिट किया है? कुछ भी नहीं किया गया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपके पास सीमा सड़क संगठन है जिसे अर्धसैनिक संगठन माना जाता है जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क बनाता है। मेरे राज्य का उदाहरण लीजिए। गत 10 वर्षों में जगदलपुर से निजामाबाद की सड़क पूरी नहीं हुई है। जब बी०आर०ओ० को महाराष्ट्र में सड़क बनाने के लिए कहा गया तो उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से उनके लिए आवासीय कॉलोनियों का निर्माण करने के लिए कह दिया।

इस समय वन तथा पर्यावरण अधिनियम विकास ये सबसे बड़ी समस्या है। यदि किसी को एक सड़क बनानी है। तो पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमति नहीं दी जाती। अब, आपके पास बैकवार्ड डिस्ट्रिक्ट इनीशिएटिव है। 2,475 करोड़ रु० दिए गए थे। इसके अलावा आपके पास पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत बी०आर०जी०एफ० के 10,000 करोड़ रु० हैं। विकास कहां हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या इसके बारे में सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है? इस बारे में सरकार की नीति क्या है?

नक्सलवादी विशेष आर्थिक क्षेत्र का विरोध कर रहे हैं जिस से ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। कुछ राजनीतिक दल भी ऐसे हैं जो विशेष आर्थिक क्षेत्र का विरोध करते हैं। वे आदिवासियों के विस्थापन का विरोध करते हैं। ऐसे बहुत से दल भी हैं जो जनजातियों के विस्थापित

होने का विरोध करते हैं। मेरा प्रश्न यह है। क्या कोई राजनीतिक दल उन्हें राजनीतिक मुद्दे पर उन्हें उत्तर दे पाएगा? मैं समझता हूं कि यही सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं आपको आन्ध्र प्रदेश का उदाहरण देता हूं। आंध्र प्रदेश एक प्रमुख उदाहरण है। आंध्र प्रदेश में सभी नक्सलवादियों को मार दिया गया है। जब सभी नक्सलवादी मार दिए गए है तो वहां पर विकास क्यों नहीं हो रहा है? शिकारी कुत्ते तथा और अधिक बटालियनों की तैनाती के सिवाय वहां कोई विकास नहीं हो रहा है। सुरक्षा बलों की तैनाती से इस समस्या के समाधान में कोई सहायता नहीं मिलेगी? गोली के बदले गोली से समस्या का समाधान नहीं होगा। मेरा अगला मुद्दा मुस्लिमों के बारे में है।

मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। कि जब वे उत्तर देने के लिए खड़े होंगे तब मैं माननीय गृह मंत्री से यह जानना चाहूंगा। उन्होंने कहा था "कि ऐसा क्यों है कि मुंबई के मुस्लिमों से उसी प्रकार बर्ताव क्यों नहीं किया जिस प्रकार संजय दत्त से किया जाता है?" जब संजय दत्त की टाडा के बजाए आग्नो अस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्धि की जा सकती है तो मुबई के मुस्लिमों के साथ ऐसा क्यों नहीं किया जाता? ऐसा इसलिए है कि उन्हें भी अवैध आग्नो अस्त्र रखने के आरोप में पकड़ा गया था। इससे इनका दोहरा मापदण्ड स्पष्ट होता है। यह एक घिसीपिटी मानसिकता है जो कि दुर्भाग्यवश न्यायपालिका तथा पुलिस की भी है कि यदि किसी हिन्दू को हथियारों के साथ पकड़ा जाता है, उसे शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दोषी करार दिया जाता है। परन्तु यदि किसी मुस्लिम को ऐसे आरोप में पकड़ा जाता है, तो उसे या तो टाडा अथवा पोटा के अंतर्गत दोषी करार दिया जाता है। हमें यहां इस प्रकार का दिखावा तथा दोहरा मापदण्ड अपनाया जा रहा है।

एक अन्य मुद्दा यह है कि सच्चर रिपोर्ट में यह बताया गया है कि गृह मंत्रालय में केवल 4% मुस्लिम आई०पी०एस० अधिकारी हैं। इस स्थिति में सुधार करने तथा यह सुनिश्चित, करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि मुस्लिमों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए 'रा' (रिसर्च एण्ड अनैलिसिस विंग) में मुस्लिम नहीं है? एस०पी०जी० में मुस्लिम अधिकारी क्यों नहीं है? आपको कौन रोकता है? आप यहां धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। आपको कौन रोकता रहा है? ऐसा क्यों है कि आई०बी० में केवल दो मुस्लिम अधिकारी हैं? मैं यह जानना चाहता हूं। इसका कारण क्या है? यह घिसीपिटी मानसिकता को दर्शाता है कि आप किसी मुस्लिम अधिकारी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। यह विश्वास का प्रश्न है। यू०पी०ए० सरकार का एक मांग का चार्टर है उसका अपना एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम है। तीन वर्ष बाद भी, प्रश्न उठाए जा रहे हैं, तथा मैं यह आरोप लगा रहा हूं कि सरकार का एक नरम रवैया है। आप यही कह सकते हैं। यह इसलिए क्योंकि यदि आप कोई कदम उठाते हैं, तो मुस्लिमों पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया जाता है तथा उनपर राष्ट्र-विरोधी होने का आरोप लगाया जाता है। प्रश्न यह है कि तुष्टिकरण एवं राष्ट्रविरोधी होने का आरोप, मुस्लिमों को कहां ले गया है?

दूसरा मुद्दा बाबरी मस्जिद का है। गृह मंत्रालय ने इस मुद्दे पर एक स्पष्ट नीति क्यों नहीं बनाई कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार के समन्वय से बाबरी मस्जिद के ईद-गिर्द की भूमि लेने का अधिग्रहण करने का प्रयत्न कर रही है। इसका कारण यह है कि मुख्य मामला अबतक लंबित है। क्या यह निर्णय दिया जा चुका है। कि वहां राम मन्दिर बनाया जाएगा? आप एक इस मामले में एक स्पष्ट नीति क्यों नहीं बनाते हैं।

यहां एक अन्य मुद्दा यह है कि गुजरात में क्या हुआ।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री असादुद्दीन ओवेसी : मैं भाषण समाप्त कर रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं। ये आई०पी०एस० अधिकारी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। आप उन पर मुकदमा क्यों नहीं चलाते हैं? आप उनके खातों की जांच क्यों नहीं करते हैं? ऐसे क्यों है कि वर्दी धारी 'सुपारी किलर' बन गए हैं? ऐसे हालात बन रहे हैं। इसके अलावा केवल गुजरात के ही आई०पी०एस० अधिकारी ऐसे नहीं है बल्कि आंध्र प्रदेश के अधिकारी भी ऐसे ही हैं, जहां कांग्रेस की सरकार है। ऐसा कैसे हुआ कि तत्कालीन पुलिसआयुक्त ने अपने कनिष्ठ अधिकारियों को आदेश दिए थे कि आपने उन्हें आंध्र प्रदेश की नम्बर पट्टिका दी। पुलिस अधिकारी, जिन्होंने महाराष्ट्र में सांगली में सोहराब की हत्या की थी, के पास आंध्र प्रदेश की नम्बर प्लेट थी। यहां धर्मनिरपेक्ष सरकार है। यह क्या है? कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ऐसा नहीं हो सकता है।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि गुजरात के पीड़ितों के लिए विशेष पैकेज, जिसकी घोषणा प्रधान मंत्री ने की है, दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अपराह्न 4.35 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

सुश्री महबूबा मुफ्ती (अनंतनाग) : ऑनरेबिल स्पीकर सर, आज होम मिनिस्ट्री की ग्राण्ट्स पर यहां डिस्कशन हो रहा है। यह इण्टरनल सिक्योरिटी के बारे में डिपार्टमेंट है, पर हम समझते हैं कि इण्टरनल सिक्योरिटी से ज्यादा सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात होनी चाहिए, क्योंकि

[सुश्री महबूबा मुफ्ती]

जब तक लोगों में आप कितनी भी फौज लगाइये, कितनी भी पुलिस को रखिये, जब तक हर सिटीजन में सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि उस सिक्योरिटी का कोई फायदा होगा। मैं साथ में यह भी कहना चाहूंगी कि पिछले 2-3 साल में एक तरह से बहुत सारे प्रोवोकेशंस हुए, बहुत ब्लास्ट हुए, पर उसके बावजूद जो एक कम्युनल हारमोनी मेण्टेन की गई है, उसके लिए मैं समझती हूं कि हमारे मुल्क के लोग और जो होम डिपार्टमेंट के डायरैक्शंस हैं, यहां से जो डायरैक्शंस गये, 2004 के बाद एक मैसेज गया, हम समझते हैं कि उससे मुल्क में अमनो-अमान कायम हुआ।

यहां अभी किसी ने फेक एनकाउंटर की बात की। मैं यह बताना चाहूंगी कि एक तरफ हम नोर्थ ईस्ट में कई महीनों से सुन रहे हैं, जम्मू-कश्मीर में सिचुएशन ठीक हो रही है और दूसरी तरफ हम समझते हैं कि हमारी जो पुलिस है, जो पुलिस फोर्स है, उसे स्ट्रेंदन करने की जरूरत है। जो फेक एनकाउण्टर के बारे में पिछले 3-4 दिन से मैंने बहुत शोर सुना, तो यह कोई नई चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल से जब से पंजाब में हालात खराब हो गये, नोर्थ ईस्ट में खराब हो गये, जम्मू-कश्मीर में खराब हो गये तो फेक एनकाउण्टर तो एक नोर्म बन चुका है। जब पता चलता है कि उसमें इन्नोसेंट लोग मारे गये, तो हम शोर मचाते हैं। प्लाजा में, दिल्ली में तो कहीं न कहीं लश्करे तईबा के चार लोग मारे गए लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि कौन लोग मरे। यह तो गुजरात में पता चला कि वे इन्नोसेंट थे, जिसे फेक एनकाउण्टर कह दिया गया। कई बार ऐसा होता है कि एनकाउण्टर के नाम पर न सिर्फ फेक एनकाउण्टर, फेक एनकाउण्टर मीन्स, एक एनकाउण्टर जो इनैक्ट किया जाता है। एनकाण्टर असली होना चाहिए। जैसे जम्मू-कश्मीर में हो सकता है, पर आपके गुजरात में एनकाउण्टर कैसे हो सकता है, यह पूरी तरह फर्जी है। अगर फेक हो, तो इन्नोसेंट को ही पकड़कर मारते हैं। मेरा यह कहना है कि हमारी जो पुलिस है, जहां-जहां जिस स्टेट में हमारी सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, होम मिनिस्ट्री के अपने आंकड़े हैं, हम यह समझते हैं कि पुलिस को ज्यादा स्ट्रेंदन करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में जब हालात खराब हो गये, 1989 से लेकर 1994 तक जम्मू-कश्मीर की पुलिस ने आपरेशंस में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उस वक्त हजारों की तादाद में मिलीटेंट्स थे और जम्मू-कश्मीर के मैजोरिटी लोग उनको सपोर्ट करते थे। पर 1994 से जम्मू-कश्मीर के लोगों ने सोचा कि बन्दूक से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, तो उन्होंने अपना मिजाज चेंज किया और मिलीटेंट्स के खिलाफ हो गये। तब से लेकर जम्मू-कश्मीर की पुलिस को मैनपावर एक्सपर्टाइज़ ट्रेनिंग मिली है और 1994 से लेकर आज तक, 80 से 85 परसेंट आपरेशंस जम्मू-कश्मीर की पुलिस करती है। जो इन्फोर्मेशन मिलती है, उसमें से 90 परसेंट जम्मू-कश्मीर की पुलिस को मिलती है, सिक्योरिटी फोर्सेज़ उनको असिस्ट करती हैं। मेरा यह कहना कि अगर हमारी जम्मू-कश्मीर की पुलिस पिछले 1994 से लेकर आज तक 80 परसेंट आपरेशंस मिलिटेंसी के फाइट करती है, तो इसमें क्या बुरा है कि अगर ग्रेजुअल तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज को वहां से विथड्रा करके जम्मू-कश्मीर की पुलिस में लद्दाख से, जम्मू से और कश्मीर से एक लाख नौजवानों को धीरे-धीरे भर्ती करके, जम्मू कश्मीर के सिविलियन एरियाज़ से, हम बोर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोर्डर से फोर्स हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिविलियन एरियाज़ में जो एजडीशनल ट्रुप्स गये थे, 1989 में हालात खराब होने के बाद गये थे। उनके विदड्राल की बात कर रहे हैं।

दूसरी बात, मणिपुर में एक हादसा हुआ था, तब होम मिनिस्टर ने एक कमेटी सैट-अप की थी कि वह कन्सीडर करे कि जो वहां सिक्योरिटी फोर्सेज़ के पास स्पेशल पावर्स हैं, उनको रिवोक करने की बात आई। होम मिनिस्टर साहब को मालूम होगा कि 2-3 महीने पहले उस कमेटी की रिपोर्ट भी आई है। उस कमेटी में एक रिटायर्ड आर्मी जनरल भी मैम्बर हैं। उन्होंने यह रिकमेण्ड किया है कि ये लाज़ ड्रिकोनियन हैं, ये हमारी सिटीजंस के राइट्स को इन्फ्रींज करते हैं, इनको नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूं कि अगर यह चीज मणिपुर के लिए ठीक है, तो होनी चाहिए। वहां आलरेडी इम्फाल और 20 किलोमीटर के अन्दर (विदिन) स्पेशल पावर्स लागू नहीं होती हैं, तो मैं समझती हूं कि यहां एक फेक एनकाउण्टर की बात है, शायद आप लोगों को याद होगा कि आज से दो महीने पहले लास्ट ईयर कश्मीर में 6 लोग एक फेक एनकाउण्टर में मारे गये। वे बहुत ही मासूम लोग थे और एक उनमें से रेहड़ी पर अपना सामान बेचते थे। उनमें से एक पुलिस ने मारा और 5 सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार दिये और उसके बाद उनके चेहरे मश्क कर दिये गये। उनके चेहरे मसल कर पाकिस्तानी जतलाना बड़ा आसान हो जाता है। अगर आप उन्हें पाकिस्तानी जतलाकर मिलिटेंट्स को मारेंगे, तो आपको पैसा भी ज्यादा मिलेगा और प्रमोशन भी जल्दी मिलेगी। मैं समझती हूं कि हम ऐसे जम्हूरी मुल्क में रहते हैं, जिसकी कद्र पूरी दुनिया में की जाती है। मेरा यह मानना है कि जो जम्मू-कश्मीर के लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं या नार्थ-ईस्ट के लोगों के, मणिपुर के लोगों के या आसाम के लोगों के राइट्स हैं और अगर वहां सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, तो इसके साथ-साथ उनके सिविलियन राइट्स को भी रेस्टोर करने की जरूरत है। मेरी गुजारिश है कि यह श्रेय आपकी सरकार यू०पी०ए० को जाता है, वहां कोलेशन सरकार को जाता है। जहां सिचुएशन इतनी इंप्रूव हो गयी है कि आज हम डंके की चोट पर डिमांड करते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने अच्छा काम किया और उनका ग्रेजुअल रिडक्शन विदड्राल होना चाहिए, इसके साथ ही वहां की इंटरनल सिक्योरिटी लोकल पुलिस को दी जानी चाहिए।

محترمہ محبوبہ مفتی (اننت ناگ): جناب آنریبل اسپیکر صاحب آج ہوم منسٹری کی گرانٹس پر یہاں ڈسکشن ہو رہا ہے۔ یہ انٹرنل سیکیوریٹی کے بارے میں ڈپارٹمنٹ ہے، پر ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنل سیکیوریٹی سے زیادہ سینس آف سیکیوریٹی کی بات ہونی چاہئے، کیونکہ جب تک لوگوں میں آپ کتنی بھی فوج لگائیے کتنی بھی پولس کور کھیے جب تک ہر سٹزن میں سینس آف سیکیوریٹی نہیں ہوگی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سیکیوریٹی کا کوئی فائدہ ہوگا۔ میں ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ پچھلے 2/3 سال میں ایک طرح سے بہت سارے پرووکیشن ہوئے، بہت بلاسٹ ہوئے، پر اس کے باوجود جو ایک کمیونل ہارمونی مینٹین کی گئی ہے، اس کے لئے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک کے لوگ اور جو ہوم ڈپارٹمنٹ کے ڈائرکشنس ہیں یہاں سے جو ڈائرکشنس گئے، 2004 کے بعد ایک میسیج گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ملک میں امن وامان قائم ہوا۔

یہاں ابھی کسی نے فیک انکاؤنٹر کی بات کی۔ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ایک طرف ہم نارتھ ایسٹ میں کئی مہینوں سے سن رہے ہیں جموں کشمیر میں سچویشن ٹھیک ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پولس ہے، جو پولس فورس ہے، اسے سٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے۔ جو فیک انکاؤنٹر کے بارے میں پچھلے 3/4 دنوں سے میں نے بہت شور سنا، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ میرے خیال سے جب سے پنجاب میں حالات خراب ہوگئے نارتھ ایسٹ میں حالات خراب ہوگئے، جموں وکشمیر میں حالات خراب ہوگئے تو فیک انکاؤنٹر تو ایک نارم بن چکا ہے۔ جب پتہ چلتا ہے کہ اس میں انوسینٹ لوگ مارے گئے، تو ہم شور مچاتے ہیں۔ پلازہ میں، دہلی میں تو کہیں نہ کہیں لشکر طیبہ کے 4 لوگ مارے گئے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کون لوگ مرے۔ یہ تو گجرات میں پتہ لگا کہ وہ انوسینٹ تھے جسے فیک انکاؤنٹر کہہ دیا گیا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انکاؤنٹر کے نام پر نہ صرف فیک انکاؤنٹر، فیک انکاؤنٹر مینس، ایک انکاؤنٹر جو ان۔ ایکٹ کیا جاتا ہے۔ (एनकाउंटर असली होना चाहिए।) ~~The encounter should be a natural one.~~ جیسے جموں کشمیر میں ہو سکتا ہے، پر آپ کے گجرات میں انکاؤنٹر کیسے ہو سکتا ہے۔ (यह पूरी तरह फर्जी है।) ~~That is totally fake.~~ اگر فیک ہو تو انوسینٹ کو ہی پکڑ کر مارتے ہیں۔ میرا یہ کہنا ہے کہ ہماری جو پولس ہے، جہاں جہاں جس اسٹیٹ میں ہماری سچویشن امپروو ہو رہی ہے، ہوم منسٹری کے اپنے آنکڑے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولس کو زیادہ سٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے۔ جموں کشمیر میں جب حالات خراب ہوگئے، 1989 سے لیکر 1994 تک جموں کشمیر کی پولس نے آپریشنس میں حصہ نہیں لیا، کیونکہ اس

وقت ہزاروں کی تعداد میں ملیٹینٹس تھے اور جموں کشمیر کے میجورٹی کے لوگ ان کو سپورٹ کرتے تھے۔ پر 1994 جموں و کشمیر کے لوگوں نے سوچا کہ بندوق سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے اپنا مزاج بدلا اور ملیٹینٹس کے خلاف ہو گئے۔ تب سے لیکر جموں کشمیر کی پولس کو مین پاور ایکسپرٹائز ٹریننگ ملی ہے، اور 1994 سے لیکر آج تک 80 سے 85 پرسینٹ آپریشنس جموں کشمیر کی پولس ہی کرتی ہے۔ جو انفورسمینٹس ملتی ہے، اس میں سے 90 پرسینٹ جموں کشمیر کی پولس کو ملتی ہے۔ سیکیورٹی فورسز ان کو اسسٹ کرتی ہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ اگر ہماری جموں کشمیر کی پولس پچھلے 1994 سے لیکر آج تک 80 پرسینٹ آپریشنس ملیٹینسی کے فائٹ کرتی ہے، تو اس میں کیا برا ہے کہ اگر گریجول طریقے سے سیکیورٹی فورسز کو وہاں سے ودڈرا کر کے جموں کشمیر کی پولس میں لداخ سے، جموں سے اور کشمیر سے ایک لاکھ نوجوانوں کو دھیرے دھیرے بھرتی کر کے، جموں و کشمیر کی سویلین ایریاز سے۔ ہم بارڈر کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بارڈر سے فورس ہٹانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم سویلین ایریاز میں جو ایڈیشنل ٹروپس گئے تھے، ان کے ودڈرال کی بات کر رہے ہیں۔

دوسری بات، منی پور میں ایک حادثہ ہوا تھا، تب ہوم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی سیٹ اپ کی تھی کہ وہ کنسیڈر کرے کہ جو وہاں سیکیورٹی فورسز کے پاس اسپیشل پاورس ہیں ان کو ریوک کرنے کی بات آئی۔ ہوم منسٹر صاحب کو معلوم ہوگا کہ 3-2 مہینے پہلے اس کمیٹی کی رپورٹ بھی آئی ہے۔ اس کمیٹی میں ایک ریٹائرڈ آرمی جنرل بھی ممبر ہے۔ انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ یہ لا ڈریکونین ہے، یہ ہمارے سٹزنس کے رائٹس کو انفریز کرتے ہیں ان کو نہیں ہونا چاہئے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ چیز منی پور کے لئے ٹھیک ہے، تو ہونی چاہئے۔ وہاں آل ریڈی امپھال اور 20 کلو میٹر کے ودن اسپیشل پاورس لاگو نہیں ہوتی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں ایک فیک انکاؤنٹر کی بات ہے۔ شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ آج سے دو مہینے پہلے لاسٹ ایئر 6 لوگ ایک فیک انکاؤنٹر میں مارے گئے۔ وہ بہت ہی معصوم لوگ تھے اور ریہڑی پر اپنا سامان بیچتے تھے۔ ان میں سے ایک پولس نے مارا اور پانچ سیکیورٹی فورسز نے مار دیئے اور اس کے بعد ان کے چہرے مسل دیئے گئے۔ ان کے چہرے مسل کر پاکستانی جتلانا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اگر آپ انہیں پاکستانی جتلا کر ملیٹینٹ کو ماریں گے تو آپ کو پیسہ بھی زیادہ ملیگا اور پرموشن بھی جلدی ملے گی۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہم ایسے جمہوری ملک میں رہتے ہیں، جس کی قدر پوری دنیا میں کی جاتی ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جو جموں کشمیر کے لوگوں کے

فنڈامینٹل رائٹس ہیں یا نارتھ ایسٹ کے لوگوں کے، منی پور کے لوگوں کے، آسام کے لوگوں کے رائٹس ہیں اور اگر
ں پچویشن امپروو ہو رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے سویلین رائٹس کو بھی ری اسٹور کرنے کی ضرورت
میری گزارش ہے کہ یہ شرئے آپ کی سرکار کو جاتا ہے، وہاں کی کولیشن سرکار کو جاتا ہے، وہاں پچویشن اتنی امپروو ہو گئی
ہے کہ آج ہم ڈنکے کی چوٹ پر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سیکیوریٹی فورسز نے اچھا کام کیا اور ان کا گریجول ریڈکشن ووڈرال
ہونا چاہئے، اس کے ساتھ ہی وہاں کی انٹرنل سیکیوریٹی لوکل پولس کو دی جانی چاہئے۔

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मंत्री महोदय 5 बजे उत्तर देंगे। हमारे पास 20 मिनट शेष है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अधिक समय देने का कोई प्रश्न नहीं है। यह समय भी समाप्त हो रहा है। 19 ऐसे सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं। मेरे लिए सभी को बोलने के लिए समय देना संभव नहीं है। मुझे खेद है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर माननीय सदस्य चार मिनट में अपनी बात समाप्त कर देंगे, तो मैं अन्य सदस्यों को भी समय दे सकता हूं।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकापुरा) : महोदय, मैं इस सीट से बोलने, के लिए आपकी अनुमति चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं। सुबह से मैंने इस सभा के प्रत्येक सदस्य की बात सुनी है। सभी सदस्य काफी प्रतिबद्धता और दिलचस्पी के साथ बोले हैं। मैं सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच कोई अंतर नहीं करती हूं। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा, नक्सलवाद, साम्प्रदायिकता तथा उग्रवाद जैसे मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करती हूं। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि इस समय अपने बजट को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है इसलिए इस वर्ष के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। कुल मांग में से 24 प्रतिशत पूंजीगत व्यय जैसे सी०पी०एम०एफ० के लिए रिहायशी तथा कार्यालय भवन, सी०पी०एम०एफ० तथा दिल्ली पुलिस, के लिए मसीनरी, उपस्कर मोटर वाहन, सीमा पर बाड़ लगाने, सड़कों के निर्माण, भारत-बांगलादेश तथा भारत-पाक सीमाओं पर फ्लड-लाइट लगाने , तटीय सुरक्षा तथा सीमा पर हाई-टेक निगरानी उपस्कर लगाने, और भारत-चीन सीमा पर अवसंरचना के विकास तथा सीमा चौकियों के निर्माण के लिए है। पुलिस अनुदान के अंतर्गत पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनाओं की सहायता करने, सुरक्षा-सम्बद्ध व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता देने तथा आरक्षित बटालिनों के लिए है। यह सब उग्रवाद, नक्सलवाद तथा साम्प्रदायिक ताकतों की कारगर ढंग से नियंत्रित करने के लिए है, जो साम्प्रदायिक हिंसा फैलाती हैं।

मैं आज सुबह अपने भाई श्री सैयद शाहनवाज हुसैन की बात सुनकर आश्चर्यचकित हुई। पहले वक्ता के रूप में उन्होंने उग्रवाद के मुद्दे को मूल्य-वृद्धि से जोड़ दिया। यह ऐसा देश है जिसमें 100 करोड़ से अधिक लोग एकजुट रहते हैं। इस देश की ताकत विविधता में एकता में निहित है। हमारे यहां सैकड़ों संस्कृतियां तथा सैकड़ों भाषाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद आज तक हमने एकता को कायम रखा है। प्रत्येक घटना-के हिसाब से हम स्थिति को अलग करके नहीं देख सकते; हमें इस समस्या पर समग्रतापूर्वक ध्यान देना। केवल तभी हम यह महसूस करेंगे कि जनसंख्या क्या है तथा नक्सलवाद अथवा उग्रवाद की अपराध दर कितनी है।

उदाहरणार्थ, यदि हम नक्सलवाद की समस्या देखें तो मुख्यत: छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा तथा आंशिक रूप से मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य इससे प्रभावित हैं। मेरे राज्य में भी कुछ घटनाएं हुई हैं। अगर मैं यह बात इस तरह से कहूं तो नक्सलवाद ने 55 जिलों को प्रभावित किया है। इस समस्या के समाधान के लिए अकेले छत्तीसगढ़ में 33,000 जवानों की लगभग 33 बटालियनें भेजी गई जिससे यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार इस समस्या के समाधान के प्रति काफी गंभीर है। पुलिस-स्टेशन-वार लगभग 500 पुलिस स्टेशन इससे प्रभावित, थे। अत: हम सामान्य तौर पर यह नहीं कह सकते कि पूरा देश इससे प्रभावित है।

मैं आश्वस्त करती हूं और मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि डा० मनमोहन सिंह के नेतृत्व तथा श्रीमती सोनिया गांधी के मार्गनिर्देश के अंतर्गत यू०पी०ए० सरकार के हाथों में यह देश काफी सुरक्षित है। हमारे गृह मंत्री श्री शिवराज पाटील निस्संदेह एक उत्कृष्ट सांसद हैं तथा वे यह जानते हैं कि इस विषय से दृढ़तापूर्वक किस प्रकार निपटा जाए। मेरे भाई श्री शाहनवाज हुसैन को चिंतित नहीं होना चाहिए। सुबह उन्होंने कहा कि माननीय मंत्रीजी को आतंकवादियों में भय पैदा

[श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश]

करना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से उनमें भय पैदा करे; आतंकवादियों के दिलों में कार्रवाई के माध्यम से भय पैदा किया जा सकता है, जो कि वे कर रहे हैं।

कृपया देश में नक्सवाल की घटनाओं की दर पर गौर करें।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश : इन घटनाओं में कमी हुई है, लेकिन हताहतों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है क्योंकि 47 प्रतिशत घटनाएं सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में ही होने की सूचना प्राप्त हुई है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश : महोदय, मुझे दो मिनट और बोलने दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश : महोदय, केंद्र सरकार इसमें राजनीति करने के बजाए राज्यों की मदद कर रही है। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि सरकार ने सांप्रदायिकता के मुद्दे को किस प्रकार सम्भाला है। राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश सांप्रदायिकता से ग्रस्त हैं, लेकिन हमें मामले का राजनीतिकरण करने के बजाय केंद्र-राज्य संबंध को बनाए रखना है। सांप्रदायिकता को रोकने के लिए केंद्र सरकार हर प्रकार से मदद कर रही है।

जहां तक जम्मू-कश्मीर का संबंध है, मेरे विचार अपने साथियों से भिन्न हैं। जैसे-जैसे राज्य में स्थिति में सुधार हो रहा है हम सुरक्षा बलों की संख्या कम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हम अपने सुरक्षा बलों को कैंप में रखकर राष्ट्रीय सुरक्षा में ढील देने का खतरा मोल नहीं ले सकते हैं तथा आंतकवादियों के हाथों में राष्ट्रीय एकता नहीं खो सकते हैं। अत:ए यू०पी०ए० सरकार इस देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस देश की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से मैं खुश हूं।

मैं अनुदानों का समर्थन करती हूं।

श्री डब्ल्यू वांग्यू कोन्याक (नागालैण्ड) : महोदय, मुझे बोलने का समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं केवल कुछ ही मिनट का समय लूंगा। मैं गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन वर्ष 2007-2008 अनुदानों की मांगों का निम्नलिखित शर्तों के साथ समर्थन करता हूं।

गृह मंत्री महोदय यह अच्छी तरह जानते हैं कि उनका मंत्रालय, भारत सरकार और एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) और एन०सी०सी०एन० (के०) बीच वार्ताओं पर बहुत धनराशि खर्च कर रहा है। परन्तु अब भारत सरकार के लिए लोगों को इन वार्ताओं के संबंध में ताजा स्थिति की जानकारी देने का यह उपयुक्त समय है। निवेश किया गया है, परन्तु इसके कुछ परिणाम भी निकलने चाहिएं। वे देश के अत्यंत वरिष्ठ राजनेता हैं। पुलिस बल आदि के आधुनिकीकरण सहित कई काम किए गए हैं, परन्तु उनका नागालैण्ड राज्य में परिणाम शून्य है।

1957 में इस शर्त के साथ ग्राम गॉंडों (वी०जी०) का सृजन किया गया था कि यदि कोई भूमिगत व्यक्ति मारा जाता है, तो ग्रामीण व्यक्ति को लाइसेंस के साथ एक हथियार दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा यह शर्त रखी गई थी। नागालैण्ड सरकार ने कई बार पूरे राज्य में ग्राम गॉंडों के प्रावधान की मांग की है, परन्तु एन०डी०ए० शासन काल से लेकर यू०पी०ए० सरकार के शासनकाल तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

हमारे देश में तीन समूह हैं। पहला आतंकवादियों का है, दूसरा अतिवादियों अथवा नकसलियों का है तथा तीसरा समूह वह है, जो अपने अधिकारों की मांग करता है। अतिवादियों या नक्सलवादियों या आतंकवादियों की श्रेणी के अंतर्गत नागालैण्ड को वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि सन् 1932 से, भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले से, यह मांग की जा रही है। अत: मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से आतंकवादियों, नक्सलवादियों, अतिवादियों तथा अपने अधिकारों की मांग करने वाले लोगों के बीच फर्क करने का अनुरोध करता हूं।

भारत सरकार और एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) तथा एन०एस०सी०एन० (के०) के बीच 1997 से वार्ता चल रही है, परन्तु उसका कोई परिणाम नजर नहीं आता। मैं वर्तमान गृह मंत्री पर ही आरोप नहीं लगा रहा हूं। मेरा मानना है कि भारत सरकार हमें दूसरे दर्जे का नागरिक मानती है और वह हमारे मामले को बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है। हम अतिवादी नहीं हैं क्योंकि हम केवल अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं।

यह सभा देश की सबसे बड़ा और उच्चतम मंच है जहां से हम सरकार चलाते हैं।

सरकार की ओर से कम-से-कम मंत्री महोदय को खुले दिल से आगे आकर इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। यहां अरूणाचल प्रदेश से दो सदस्य बैठे हैं। हम अरूणाचल प्रदेश की समस्या की बात करते हैं। यह समस्या किसने उत्पन्न की है? नागाओं ने यह समस्या उत्पन्न की है। क्योंकि भारत सरकार नागाओं की समस्या को

सुलझा नहीं पाई है इसलिए यह जंगल की आग की तरह फैल रही है। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय तथा भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह नागालैंड के मामले में और अन्य मामलों में अंतर करें तथा इसे गंभीरत से लें।

श्री तापिर गाव (अरूणाचल पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां से बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, परन्तु हर रोज नहीं।

श्री तापिर गाव : माननीय अध्यक्ष माहेदय, मैं गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग सं० 50 से 54 तथा 94 से 98 के बारे में कुछेक मुद्दे उठाना चाहता हूं। चूंकि आपने मुझे अधिक समय नहीं दिया है, अतः मैं सीधे उन मुद्दों पर आता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हमेशा ऐसा ही करना चाहिए।

श्री तापिर गाव : महोदय, मैं गृह मंत्रालय संबंधी संसदीय स्थायी समिति का सदस्य रहा हूं। इस समिति में हमने पुलिस बल के आधुनिकीकरण के मुद्दे और पुलिसकर्मियों को नवीनतम प्रौद्योगिकी, हथियार, गोली बारूद, वाहन तथा प्रशिक्षण प्रदान करने के बारे में चर्चा की है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लिए आवास एक गंभीर समस्या है, जिसपर माननीय गृह मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए क्योंकि पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लिए उपलब्ध आवास का प्रतिशत केवल 11 है। हमें इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए।

राज्य पुलिस बलों को आधुनिक बनाया जाना चाहिए। इन सभी बातों से निपटने के लिए आसूचना ब्यूरो के कार्मिकों को पूरी तरह सुसज्जित तथा प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। हम राज्य पुलिस तथा दिल्ली पुलिस को 303 राइफलें देकर ए०के०-47 राइफले इस्तेमाल करने वाले अतिवादियों का मुकाबला करने के लिए नहीं कह सकते। सीमा प्रबंधन के मुद्दे के अतिरिक्त हमें इस मुद्दे पर भी ध्यान देना होगा।

अब मैं नक्सलवादियों, जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्या के प्रमुख मुद्दों पर आता हूं। जम्मू और कश्मीर का मुद्दा एक अलग मुद्दा है। नक्सली समस्या को पिछले पचास वर्षों की कांग्रेस सरकार ने उत्पन्न किया है। नक्सलवाद, झारखण्ड, उड़ीसा और बिहार क्षेत्र के जनजातीय लोगों के प्रति कांग्रेस सरकार द्वारा पचास वर्षों तक अनुसरण की गई गलत नीतियों का परिणाम है। नक्सलवाद के मुद्दे से निपटने के लिए हमें केवल बंदूक की नोक का सहारा नहीं लेना चाहिए बल्कि हमें सामाजिक, आर्थिक विकास पर ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जन्म स्थान का प्रतिनिधित्व करता हूं। इसलिए मुझे आप की ओर से भी समर्थन मिला है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याएं भी कांग्रेस सरकार ने ही पैदा की हैं। नागालैंड के मेरे एक सहयोगी ने अभी-अभी अपनी बात कही है। हैदर के समझौते से लेकर 1975 की शिलांग समझौते तक भारत सरकार नागा लोगों को यह आश्वासन देती आ रही है कि इन समझौतों से कुछ-न-कुछ हल निकलेगा। मौजूदा स्थिति के लिए अब कौन जिम्मेवार है? भारत सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही हैं और वह नागाओं के मुद्दे का समाधान करने के लिए अपेक्षित राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखा रही है। इसीलिए, यह समस्या पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में फैल रही है। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह नागा मुद्दों का समाधान करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाए। ऐसा हो जाने पर, पूर्वोत्तर क्षेत्र के मुद्दों का कुछ हद तक समाधान हो जाएगा।

आप अनेक वार्ताएं कर रहे हैं। इन वार्ताओं का परिणाम युद्धविराम की अवधि का विस्तार मात्र है। वर्ष 1997 से लेकर आज तक, आप नागा मुद्दे के संबंध में युद्धविराम की अवधि का विस्तार करते आ रहे हैं। इस सरकार से मेरा यह विनम्र निवेदन है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई जाए और एक सही समाधान निकाला जाए। तभी हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति बहाल कर सकते हैं।

एक बात है काफी गंभीर है, जिसे मैं आपके समक्ष हर बार उठाता हूं और वह पूर्वोत्तर क्षेत्र में राजनीतिक हस्तियों ओर अंडरवर्ड के बीच राजनीतिक गठजोड़ के बारे में है। यदि मैं सत्य कहूंगा, तो माननीय मंत्री जी आहत महसूस कर सकते हैं*...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया उसका उल्लेख मत कीजिए। मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है। उस उल्लेख को हटा दिया जाए।

श्री तापिर गाव : पूर्वोत्तर क्षेत्र में राजनीतिक दलों का गठजोड़ तोड़ा जाना चाहिए। मणिपुर में भी ऐसी ही स्थिति है। इसलिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र में भूमिगत लोगों से निपटने के लिए यदि हम अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस को लगा रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हम लोगों को हाथी पर सूंड से नहीं, बल्कि पूंछ से नियंत्रण करने के लिए लगा रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस प्रकार की प्रक्रिया से बचा जाना चाहिए। मुझे कुछ ही बातों का उल्लेख करना है।...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण लिखित में दे सकते हैं।

श्री देवव्रत सिंह।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सिम्मलित नहीं किया गया।

श्री तापिर गाव : माननीय मंत्री जी ने लिखित रूप में इस सभा को आश्वासन दिया है कि वे 31 मार्च, 2007 तक भारत-बंग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा कराने जा रहे हैं। आज सुबह मैंने वहां काम करने वाले कर्मचारियों से संपर्क किया है। ... *(व्यवधान)* ज्यादातर स्थानों पर लगाई गई बाड़ गिर चुकी है। अतः, वे बाड़ लगाने के इस कार्य को कब तक पूरा कराएंगे? यह अत्यधिक चिन्ता का विषय है। यह एक कष्टदायक मुद्दा है जिससे उत्तर-पूर्व क्षेत्र में अशांति उत्पन्न हो रही है। एक और बात ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह उनका प्रथम भाषण है। हमें उनकी बात सुननी चाहिए। पिछले पांच मिनट से आप यही कह रहे हैं एक और बात। ऐसा लगता है कि आप असम के प्रति मेरी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं।

... *(व्यवधान)*

श्री तापिर गाव : 1994-1998 के बीच अनुदानों की मांगें ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मुझे खेद है।

... *(व्यवधान)*

श्री तापिर गाव : दमन और दीव का राजस्व संग्रहण है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप पूर्व से पश्चिम की ओर चले गए हैं। और भाषण नहीं। अगली बार।

... *(व्यवधान)*

श्री तापिर गाव : दादरा व नगर हवेली में 3,078 करोड़ का संग्रहण हुआ है। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह उनका प्रथम भाषण है। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

... *(व्यवधान)*

श्री तापिर गाव : लेकिन गृह मंत्रालय ने 77.78 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। अतः दादरा व नगर हवेली के साथ ऐसा अन्याय नहीं किया जाना चाहिए। इनके लिए और धनराशि भी आवंटित की जानी चाहिए ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

... *(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री देवव्रत सिंह (राजनन्दगांव) : अध्यक्ष महोदय, आज मैं माननीय शिवराज पाटिल जी द्वारा प्रस्तुत गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे पवित्र सदन में मुझे पहली बार बोलने का अवसर मिला है। मैं आपके माध्यम से सदन में अपनी बात रखना चाहूंगा। आज इस देश का जो राजनीतिक वातावरण है, वह राजनीतिक वातावरण हमारे देश की आन्तरिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। आज जब हम पूरे देश के राजनीतिक परिदृश्य को देखते हैं तो दो बातें स्पष्ट दिखती हैं कि हमारी जो व्यवस्था बनी है, उसमें आन्तरिक कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे राज्यों पर रहती है। बहुत से राज्यों में आन्तरिक सुरक्षा की समस्या है, कई राज्यों में तो गृहयुद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। हम जब उस पर चर्चा करते हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती है कि हमारे संविधान में जो प्रावधान हैं, उनमें संघीय व्यवस्था स्थापित की गयी है। इस व्यवस्था में केन्द्र और राज्य के अधिकार अलग-अलग हैं और केन्द्र को कुछ कनकरेंट पावर्स दी गयी हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है कि हमारी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जैसे साम्प्रदायिक सद्भाव को लेकर, आन्तरिक सुरक्षा को लेकर, जो किसी एक राज्य की समस्या नहीं हैं, बल्कि वे कई राज्यों की समस्याएं है। जब हम समीक्षा करते हैं, उसके लिए कमेटी बनाते हैं तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। अगर संघीय व्यवस्था की बात करें, तो विश्व के सबसे बड़े संघीय राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका में भी केन्द्र और राज्यों की अलग-अलग व्यवस्था है। लेकिन वहां एक एफ०बी०आई० नामक संस्था है जिसके पास ओवरराइडिंग पावर्स हैं। एफ०बी०आई० एक केन्द्रीय एजेंसी है, जो दो राज्यो के बीच की इस तरह की समस्याओं को देखती है। आज हमारे देश में भी एक ऐसी ही केन्द्रीय एजेंसी की आवश्यकता है जो दो या अधिक राज्यों में किसी भी प्रकार से आन्तरिक सुरक्षा का कोई मामला आने पर अपनी रूपरेखा बनाकर कार्य कर सके। इसके लिए अगर संविधान में संशोधन करना पड़े जिससे हम केन्द्र और राज्यों की पावर्स से ऊपर एक संस्था का निर्माण कर सकें जो दो या अधिक राज्यों की सीमाओं में उठने वाली ऐसी समस्याओं पर कार्य कर सके तो ऐसा संशोधन करना निश्चित रूप से अच्छा कदम होगा।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सिम्मलित नहीं किया गया।

अपराह्न 5.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, जब हम गृह विभाग की बात करते हैं, तो मैं सबसे पहले डा० मनमोहन सिंह जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी और आदरणीय पाटिल जी को बधाई देना चाहूंगा कि विगत तीन सालों में देश में अमन-चैन, साम्प्रदायिक सद्भाव और भाईचारे का वातावरण बना है और आम आदमी के मन में केंद्र सरकार के प्रति जागरूकता आई है और वह समझता है कि मेरे लिए सुरक्षा और संरक्षण यह सरकार देगी। आप आंकड़ों को देख लें। ये आंकड़े लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ अर्थात मीडिया के हैं। चाहे 'इंडिया टुडे' हो या 'आउटलुक' हो, उनके द्वारा किए गए सर्वे से यह बात पता चलती है कि देश में सद्भावना और शांति का वातावरण बना है और इससे देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने राज्य की बात कहना चाहूंगा। कई सदस्यों द्वारा छत्तीसगढ़ में व्याप्त नक्सलवाद समस्या के बारे में चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना है। उसकी धरती के गर्भ में सोना है, हीरा है, कोयला है, लोहा है, बॉक्साइट आदि खनिज सम्पदाएं हैं और धरती के ऊपर बेरोजगारी है, परेशानी है और गरीबी है। यह जो विसंगति है, यह जो असमानता बनी हुई है, इससे नक्सलवाद पनपता है। मैं यह कहना चाहता हूं, क्या ऐसा कारण है कि हमने क्यों नहीं राष्ट्रीय स्तर पर इस बात पर बहस की कि नक्सलवाद केवल उन्हीं क्षेत्रों में पनप रहा है जहां आदिवासी रहते हैं, जहां जंगल हैं, जमीन है और अथाह खनिज सम्पदा है। अगर टाटा या एस्सार को इन क्षेत्रों में कोई प्लांट लगाना होता है, तो फौरन उसकी अनुमति मिल जाती है, लेकिन अगर किसी आदिवासी को एक झाड़ भी काटनी होती है तो वह उम्र भर नहीं काट सकता।

अध्यक्ष महोदय, मैंने नक्सलवाद को करीब से देखा है, क्योंकि मेरा क्षेत्र भी इससे प्रभावित है। इसलिए इसे अलग चश्मे से देखने की जरूरत है। जहां हम असम की, जम्मू-कश्मीर की या अन्य राज्यों में अलगाववाद की समस्या की बात करते हैं, तो उसे इस नजरिए से नहीं देखा जा सकता, जो समस्या नक्सलवाद क्षेत्रों की है। अगर पुलिस के माध्यम से ही यह समस्या दूर करने की बात है, तो पाटिल जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने हमारे राज्य में 35 बटालियन पुलिस फोर्स की भेजी हैं और कई लोगों को एस०पी० बना दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सलवा जुडूम के नाम पर वहां जो गति-विधियां चल रही हैं, उसे रोकने की आवश्यकता है। वहां जो राज्य सरकार काम कर रही है, उसके पास न कोई नीति है और न ही समस्या को हल करने की नीयत है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं। कृपया इसका जिक्र न करें।

[हिन्दी]

श्री देवव्रत सिंह : अगर बन्दूक के माध्यम से यह समस्या हल हो जाती तो फिर हमें पोटा हटाने की जरूरत नहीं थी और वहां कोई जन सुरक्षा अधिनियम की जरूरत नहीं थी। वहां आजकल लोगों को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह कोई एक राज्य की समस्या नहीं है, यह छः राज्यों की समस्या है। केन्द्र के स्तर पर जो समन्वित प्रयास हो रहे हैं, अगर कोई नई नीति नही बनाई जाएगी, तो वे प्रयास ज्यादा सफल नहीं होंगे।

गुजरात, असम, जम्मू-कश्मीर की जो व्यवस्था है, उसमें कहीं न कहीं पूरे देश के आदमी को प्रभावित किया है। हम इस बात को कह सकते हैं कि जम्मू-कश्मीर एक परिवार, एक आम आदमी के तौर पर आप वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। अब तो वैष्णों देवी जाने के लिए दो-दो मार्ग बना दिए गए हैं, जिससे यात्रियों को जाने में कोई तकलीफ न हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन अपनी बात जल्दी समाप्त करने की कोशिश करें। आप जो कुछ कह रहे हैं, मैं पूरी तरह उसकी प्रशंसा करता हूं और मैं आपको बोलने के लिए अधिक समय दे रहा हूं। लेकिन मुझे खेद है कि मैं आपका भाषण छोटा करने की कोशिश कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री देवव्रत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संरक्षण में कहना चाहूंगा कि आज हमारे देश में अल्पसंख्यक वर्ग में जागरूकता आई है और वह इस सरकार की नीतियों के कारण अपने आपको सुरक्षित महसूस करने लगा है। अगर अगर आजादी के 60 वर्ष बाद भी देश के अल्पसंख्यकों में यह विश्वास पैदा नहीं होता है कि यह देश हमारा नहीं है तो यह तकलीफ वाली बात है। लेकिन अब स्थिति में काफी सुधार हो रहा है।

गृह मंत्री जी ने 1861 के पुलिस माडल एक्ट में परिवर्तन करने का प्रयास किया है, हालांकि उसमें राज्यों का उन्हें पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पा रहा है, फिर भी मैं समझता हूं कि उनके इस प्रयास से पुलिसिंग व्यवस्था मजबूत होगी। मैं इसके लिए निवेदन करना

[श्री देवव्रत सिंह]

चाहूंगा कि केन्द्र सरकार को प्रयास करना चाहिए कि एक नई व्यवस्था संविधान संशोधन के माध्यम से लागू हो सके। एक ऐसी केन्द्रीय संस्था का निर्माण हो और राज्य सरकार अगर काम नहीं करना चाहे तो इस पर ध्यान दिया जा सके।

माननीय गृह मंत्री जी को मैं इस बात पर भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पेंशन की दर में जो वृद्धि की है, सैनिकों का सम्मान किया है, वह बहुत ही सराहनीय बात है। साथ ही मैं इसके लिए भी उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि भारत-पाक सीमा और भारत-बंगलादेश सीमा में बाढ़ और रोशनी के लिए जो पैसा दिया, वह उनकी संवेदनशीलता को उजागर करता है। एक निवेदन मैं और करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय पहचान-पत्र योजना में 10 करोड़ रुपये का जो प्रावधान किया गया है, वह बहुत कम है, उसमें वृद्धि होनी चाहिए ताकि देश का हर नागरिक अपना नया पहचान-पत्र प्राप्त कर सके। देश में अमन-चैन-भाईचारे को मजबूत करने और अलगाववादी शक्तियां जो उग्रवाद फैलाना चाहती हैं, उन शक्तियों को दबाने और कुचलने का काम करके पूरे देश में अमन का वातावरण बनाया है, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रथम भाषण के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मुझे खेद है कि मुझे आपको बात समाप्त करने की हियायत देनी पड़ रही है। मैं ऐसा करने के लिए मजबूर हूं।

यदि किसी माननीय सदस्य के पास लिखित भाषण है, तो वह उसे सभा पटल पर रख सकता है।

[हिन्दी]

श्री मोहन एस० डेलकर (दादरा और नागर हवेली) : सर, मैं दो मिनट में अपने सजैशन्स देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अगले बजट में।

श्री मोहन एस० डेलकर : केवल सजैशन्स सर।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माफ करें। हम इस पर पहले ही छः घंटे तक चर्चा कर चुके हैं।

[हिन्दी]

आप अपने सजैशन्स लिखकर भेज दीजिएगा।

[अनुवाद]

***श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल** (दमन और दीव) : महोदय, मैं आपके सामने संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव की वार्षिक योजना का आकार निर्धारित करने के बारे में एक रोचक स्थिति रखना चाहता हूं। यद्यपि, पिछले कुछ वर्षों से इस संघ राज्य क्षेत्र की राजस्व प्राप्तियों में निरंतर वृद्धि हो रही है, फिर भी योजना के आकार के आबंटन में उतनी वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 2002-2003 में निवल प्राप्तियां 116.16 करोड़ रुपये थी; जबकि योजना का आकार 44.38 करोड़ रुपये था। इसी प्रकार वर्ष 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 में आबंटित योजना आकार की तुलना में संबंधित राजस्व प्राप्तियां क्रमशः 145 करोड़ रुपये और 45 करोड़ रुपये, 214 करोड़ रुपये और 53 करोड़ रुपये, 286 करोड़ रुपये, और 59 करोड़ रुपये, 327 करोड़ रुपये और 64 करोड़ रु० थीं; जो यह दर्शाता है कि पिछले कुछ वर्षों से राजस्व प्राप्तियों की तुलना में वार्षिक योजना आकारों में वृद्धि नहीं हुई है और यह अंतर बहुत अधिक ही नहीं बल्कि वर्ष-प्रतिवर्ष बढ़ता भी जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप पूंजीगत आस्तियों के सृजन की दिशा में पर्याप्त निवेश नहीं किया गया है। चूंकि इस संघराज्य क्षेत्र में तेजी से औद्योगिकीकरण हो रहा है, जिसके कारण शहरीकरण और अवसंरचना पर दबाव में वृद्धि हो रही है, इसलिए अवसंरचना के बड़े पैमाने पर विकास और प्रशासन द्वारा शुरू किए गए अन्य अपेक्षित सामाजिक-आर्थिक कार्यकलापों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वास्तविक योजना आबंटन किया जाना चाहिए। जब तक कुछ वर्षों के भीतर पर्याप्त निवेश नहीं किया जाता है तब तक मौजूदा वास्तविक अवसंरचना चाहे वे सड़कें, पुलों, विद्युत और जल आपूर्ति, निकासी आदि हो या सामाजिक अवसंरचना, चरमरा जाएगी। इसी प्रकार जनता की बढ़ती अपेक्षाकाओं को पूरा करने के लिए पुलिस एवं कानून और व्यवस्था, स्वास्थ्य रक्षा, शिक्षा समाज कल्याण कार्यकलापों जैसी अन्य सेवाओं को भी सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

चूंकि पिछले वर्षों में आबंटित योजना आकार बहुत कम रखे गए हैं, इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि आगामी वर्षों के योजना आकारों का निर्धारण करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की राजस्व प्राप्तियों के अतिरिक्त भौतिक और सामाजिक अवसंरचना उपलब्ध कराने हेतु आवश्यकताओं को मानदंड के तौर पर लिया जाए। आप मुझसे सहमत होंगे कि जब तक हम तत्काल सुधारात्मक कदम नहीं उठाएंगे और संघ राज्य क्षेत्र के योजना आकार में समानुपातिक वृद्धि नहीं करेंगे, तब तक न तो नई पूंजीगत आस्तियों का सृजन होगा और न ही मौजूदा आस्तियों से फायदा होगा तथा ऐसे परिदृश्य में इस संघ राज्य क्षेत्र का आगे का विकास रुक जाएगा और सामाजिक-आर्थिक स्थिति बिगड़

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

जाएगी। अतः, मैं विनती करता हूं कि जैसा कि गृह मंत्रालय से पहले ही अनुरोध किया जा चुका है संघ राज्य क्षेत्र के वार्षिक योजना आकार में पर्याप्त वृद्धि की जाए।

महोदय, मुझे यहां यह बात जोड़ने की अनुमति दी जाए कि गृह मंत्रालय के प्रशासन के अधीन दमन और दीव में जिला पंचायतें और नगरपालिकाएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और सभी विकास और विकासोन्मुखी गतिविधियां तेजी से चल रही हैं। लेकिन केन्द्रीय बजट अनुदान संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव की विकास आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं। इसलिए, इस विकासशील संघ राज्य क्षेत्र के लिए बजट अनुदान, संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव के विभिन्न क्षेत्रों में विकासत्मक संबंधी गतिविधियों के लिए धनराशि की आवश्यकता के अनुरूप बढ़ाया जाए। दूसरे, संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव में वैट वापसी प्रणाली व्यापारिक-समुदाय को नुकसान पहुंचा रही है। सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में वैट की वापसी 30 से 90 दिनों के भीतर की जाती है और दिल्ली में तो यह वापसी 30 दिन के भीतर ही कर दी जाती है। इसलिए, संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव में भी वैट की वापसी 30 दिन के भीतर की जाए।

महोदय, होटल और आतिथ्य उद्योग संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव के विकास में मुख्य भूमिका निभाता आ रहा है। लेकिन होटल उद्योग पर 12% कर लगाया गया है, जो इसके विकास को बाधित कर रहा है। इसलिए इस कर को घटाकर 4% किया जाए।

अन्त में, मैं संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर अपनी चिन्ता व्यक्त करना चाहूंगा। उद्योगों में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। केन्द्र सरकार को इस संघ राज्य क्षेत्र में कानून और व्यवस्था प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिएं।

मैं उम्मीद करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव के व्यापक लोक हित में, मेरे द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार किया जाएगा।

***श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा** (बोब्बिली) : महोदय, मैं वर्ष 2007-2008 के लिए गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं।

मैं संप्रग सरकार को कानून व्यवस्था की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए और देश में शांति एवं सौहार्द बनाने के लिए बधाई देती हूं।

चूंकि मैं आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र की रहने वाली हूं इसलिए मैं सबसे पहले देश के तटीय क्षेत्रों में अवसंरचना को सुदृढ़ करने, गश्त लगाने और निगरानी के लिए 2005 में आरम्भ की गई तट सुरक्षा योजना के बारे में कहूंगी। इसका उद्देश्य सीमा पार की अवैध गतिविधियों एवं आपराधिका कृत्यों को रोकने और विफल करने का है। मैं गृह मंत्रालय को सुचारू आवाजाही के लिए तटीय पुलिस स्टेशनों की स्थापना के लिए तटीय राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए धन्यवाद देती हूं। यदि गृह मंत्री जी आंध्र प्रदेश में तटीय पुलिस स्टेशनों एवं भवनों के निर्माण कार्यों का ब्यौरा दें तो मैं उनकी आभारी रहूंगी। सभी राज्य सरकारें चाहती हैं कि राज्यों के सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए जनशक्ति संबंधी व्यय केन्द्र वहन करे। मुझे आशा है कि गृह मंत्री इस पर उचित रूप से विचार करेंगे।

यह बताया गया है कि गश्ती नौकाओं की खरीद में विलंब हो रहा है। मुझे विश्वास है कि मंत्रालय शीघ्रतिशीघ्र उन नौकाओं की खरीद कर लेगी।

यद्यपि संसद ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में अधिनियमित कर दिया था फिर भी बहुत कुछ किये जाने की जरूरत है। आपदा प्रबंधन की चक्रवात जोखिम समाधान परियोजना के लिए इस योजना के अंतर्गत लगभग 20 करोड़ रुपये आबंटित किये गए हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि इस प्रयोजनार्थ आंध्र प्रदेश को कितनी राशि प्रदान की गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ने भूकम्प-रोधी नये भवनों एवं इमारतों के निर्माण के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं किन्तु इंजीनियरों एवं वास्तुकारों को अभी प्रशिक्षित किया जाना है। मंत्रालय को इस पर ध्यान देना चाहिए।

आपदा प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति अभी तैयार की जानी है। मैं मंत्रीजी से अनुरोध करती हूं कि इस नीति को शीघ्र से शीघ्र तैयार किया जाए। इसी प्रकार, सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना संबंधी कार्य को पूरा किया जाना शेष है। भगवान करे कि कोई आपदा न आए। किन्तु हमें किसी भी अनहोनी घटना के होने से पहले इसको स्थापित कर देना चाहिए।

मैं नक्सलवाद के बारे में भी कुछ शब्द कहना चाहती हूं। नक्सलवादी गतिविधियां और अधिक राज्यों में फैलती जा रही है। आशंका है कि इनके संबंध आई०एस०आई० से हैं। मैं इन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार और भारत सरकार को बधाई देती हूं। मैं राज्य के पुलिस बल के आधुनिकीकरण और उन्हें हथियारों से सुसज्जित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए धन्यवाद देती हूं। निस्संदेह, यह सामाजिक-आर्थिक समस्या है। कुछ नक्सलवादियों ने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया है और सरकार

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

[श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा]

ने उनका पुनर्वास भी कर दिया है। कुछ को स्वरोजगार भी प्रदान किया गया है। मुझे विश्वास है कि सतत एवं प्रभावशाली पुलिस कार्यवाही के साथ तथा एकीकृत कमांड फोर्स के साथ त्वरित सामाजिक-आर्थिक नक्सलवाद की समस्या का समाधान किया जा सकता है। मैं यह महसूस करती हूं कि सरकार इसी एकीकृत कमांड फोर्स पर ध्यान दे रही है।

कारावासों के आधुनिकीकरण के बारे में, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि कितने राज्यों ने आबंटित धनराशि का तत्परता से उपयोग नहीं किया है। हम सभी यह जानते हैं कि कारावासों की स्थिति दयनीय है। कारावासों में सुविधाओं में सुधार एवं उन्नत किये जाने की जरूरत है। इस संबंध में, मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि आरोपी को न्यायालय में लाने से बचने के लिए कारावास और न्यायालय के बीच वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा मुकादमा चलाया जाए। यह सुविधा आंध्र प्रदेश की कुछ जेलों में पहले से ही मौजूद है। गृह मंत्रालय इसको सम्पूर्ण देश में भी अपना सकते हैं।

मैं गृह मंत्री महोदय के ध्यान में 1908 से 1936 के कुछ पुराने अधिनियमों को समाज की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निरस्त करने का अनुरोध करती हूं। वे इन पुराने अधिनियमों को समाप्त करने के लिए एक समिति का गठित करें।

आंध्र प्रदेश में जब भी कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वह कानून की गिरफ्त से बचने के लिए तत्काल ही पड़ौसी राज्य में चला जाता है। ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए कुछ संघीय कानून होने चाहिए। मैं सोचती हूं सरकार इस पर विचार करेगी।

सरकार को देश में विशेषकर उन स्थानों पर जहां महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है और महिलाओं द्वारा अपराध ज्यादा है; वहां और अधिक महिला पुलिस स्टेशनों की स्थापना पर ध्यान देना चाहिए। आरम्भ में, गृह मंत्री प्रत्येक लोकसभा के संसदीय क्षेत्र में महिला पुलिस स्टेशन स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं। मैं यह भी सुझाव देती हूं कि पुलिस बल में अधिक से अधिक महिलाओं की भर्ती की जानी चाहिए।

वैश्वीकरण को देखते हुए, महिलाओं पर अपराधों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

हाल ही में, हमने इसे दिल्ली और बैंगलोर में देखा है महिलाएं कॉल सेंटरों में प्रतिकूल समयावधि में कार्य कर रही है। जब वे अपनी आजीविका अर्जन के लिए बाहर जाती है तो सरकार को उनकी जीवन रक्षा के लिए अनिवार्य कदम उठाने चाहिए महिलाओं पर अत्याचार दूर करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक को शीघ्र से शीघ्र पारित किया जाए। मुझे आशा है कि सभी राजनैतिक दलों के नेता मेरी बात को गम्भीरतापूर्वक सुन रहे हैं।

आपना भाषण पूरा करने से पहले मुझे विश्वास है कि संप्रग अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधीजी के कुशल नेतृत्व में गृह मंत्री के कुशल नेतृत्व में गृह मंत्री जी देश में शान्तिए सौहार्द और खुशहाली बनाए रखने के लिए हर सम्भव प्रयास करेंगे। ऐसा हमने पिछले तीन वर्षों में देखा है।

***श्री टी०के० हमजा** (मंजेरी) : मैं वर्ष 2007-08 के लिए गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं देश में कानून और व्यवस्था के प्रशासन के संबंध में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्व देश के विभिन्न भागों में विभिन्न समस्याएं उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। बम विस्फोटों और सांप्रदायिक उपद्रवों की भी सूचना मिलती है। हमें बार-बार घोर अपराधों जैसे अपहरण, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार और बलात्कार के पश्चात हत्या, लाभ के लिए हत्या की चिंताजनक रिपोर्टें सुनाई देती है। ये सभी हर रोज बढ़ रहे हैं। हमें इस स्थिति का सामना करने के लिए उपचारात्मक उपायों के बारे में सोचना है।

इन अपराधों के विरूद्ध निवारक तथा सुधारक कार्रवाई की जानी चाहिए। भारत में पुलिस बल की प्रणाली ब्रिटिश राज से चली आ रहा है। अर्थात् इसकी प्रकृति साम्राज्यवादी है। ब्रिटिश राज ने पुलिस का प्रयोग जनता को कुचलने के लिए किया। स्वतंत्रता के पश्चात पुलिस में सुधार के लिए कोई सफल प्रयास नहीं किया गया। इस स्थिति से निबटने के लिए पुलिस मैन्युअल को उचित रूप से संशोधित तथा पुनः अनुसूचित किया जाना है। जांच एवं सुनवाई की प्रक्रिया का नवीनीकरण किया जाए। वर्तमान में दण्ड प्रक्रिया संहिता में विचाराधीन कतिपय संशोधनों के प्रस्ताव स्थिति से निबटने के लिए अपर्याप्त है। वर्तमान कानूनी एवं प्रक्रियात्मक स्थिति में अपराधी कानून के पंजे से वित्तीय, राजनीतिक तथा धार्मिक प्रभाव से बच सकता है और निरपराध को प्रतिशोध तथा स्वार्थपूर्ण अभिप्राय के कारण फंसाया और दोषी सिद्ध किया जा सकता है।

हम अपने देश में; गुजरात तथा केरल के मराड में सांप्रदायिक उपद्रवों और सांप्रदायिक हिंसा के साक्षी हैं। उन घटनाओं में भी पुलिस की अभिवृत्ति मदद करने की नहीं थी। बेस्ट बेकरी और शाहिरा शेख का मामला अच्छा उदाहरण है। आज भी हम यह चिंताजनक समाचार प्राप्त करके शर्म महसूस करते हैं कि गुजरात में आतंकवाद के कारण एक शराफुद्दीन शेख और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

यह पता चला है कि महिला के साथ बलात्कार करके उसकी निर्दयता से हत्या कर दी गई। अब इस अपराध के लिए तीन आई०पी०एस० अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। उनका मामला यह था कि शेख और उसकी पत्नी मुठभेड़ में मारे गए। ऐसी झूठी मुठभेड़े बार-बार हो रही है।

एक अन्य उदाहरण यह है कि लॉ कॉलेज में एक विधार्थी की वरिष्ठ छात्रों द्वारा बलात्कार के पश्चात हत्या कर दी गई। वह एक आई०पी०एस० अधिकारी का पुत्र था। उसके विरुद्ध एक सारहीन मामला दर्ज किया गया। जेसिका लाल का मामला भी भिन्न नहीं है जिसमें आरोपी हरियाणा के नेता (मंत्री) का बेटा था। हम केरल में अब्बाया के मामले को 15 वर्षों से खींच रहे हैं जिसमें दोषियों को कथित रूप से धार्मिक हस्ती के साथ संबंधित बताया गया है।

माननीय गृह मंत्री जी कृपया याद करें कि सांप्रदायिक हिंसा का सामना करने के लिए एक विस्तृत विधेयक लाने का संप्रग का वादा था। नि:संदेह कम्यूनल वॉयलेन्स (प्रीवेंशन, कंट्रोल एंड रीहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स) बिल, 2006 पर चर्चा लंबित है। संप्रग सरकार के 3 वर्ष बीत चुके हैं और अब हमारे पास केवल दो वर्ष हैं। मुझे नहीं पता कि यदि इसी गति से काम चलेगा तो हम विधेयक को पारित एवं कार्यान्वित कर सकते हैं या नहीं।

महोदय, एक शब्द आपदा प्रबंधन के बारे में भी, जो कि गृह मंत्रालय का विषय है।

हमारा देश अपनी भू-जलवायु संबंधी स्थिति के कारण प्राकृतिक आपदाओं से असुरक्षित है। कुल भूमि का लगभग 60% भूकंप प्रवण है, लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर बाढ़ प्रावण है, कुल क्षेत्र का लगभग 8% तूफान प्रवण है और कुल क्षेत्र का लगभग 68% सूखे के प्रति संवेदनशील है। हाल ही में सूनामी ने, जिसने भारत के, पांच तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर आघात किया है, ने हमारी असुरक्षाओं को और उजागर किया है। इसके अतिरिक्त मानव निर्मित आपदाएं जो कि आतंकवादी गतिविधियों में पारंपरिक शास्त्रों का नाभिकीय, जैविक तथा रासायनिक पदार्थों का उपयोग करने के कारण पैदा हो सकती है, भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरे के तौर पर उभरी हैं।

समुद्री कटाव और भू-स्खलन भी पहाड़ी क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं।

आपदा की स्थिति में बचाव, राहत और पुनर्वास उपायों का मूल उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है। केन्द्र सरकार प्रमुख विपदाओं के मामले में वित्तीय एवं संभार तंत्र सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों को अनुपूरित करती है।

***डा० के०एस० मनोज** (अलेप्पी) : महोदय, गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

चूंकि गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा, केन्द्र-राज्य संबंध, पुलिस सुधार, सीमा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन संबंधी मामलों से निपटता है, इसलिए मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करना उचित है। तथा मैं सरकार को मांगें चर्चा हेतु प्रस्तुत करने और पारित करने के लिए बधाई देता हूं।

आंतरिक सुरक्षा विभाग

आंतरिक सुरक्षा के खतरों को देखते हुए मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार केन्द्रीय पुलिस बल मजबूत करने का है और क्या केन्द्रीय पुलिस बल में भर्ती पर कोई रोक लगा रखी है। यदि ऐसा है तो इस रोक को जल्दी से जल्दी से हटाया जाय और बढ़ते हुई खतरों को देखते हुए नयी भर्ती की जाय। इस संबंध में मैं मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि 1982 में जब एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था तब दिल्ली पुलिस में काफी संख्या में भर्ती की गई थी तथा यह भर्ती सभी राज्यों में हुई थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस में कोई भर्ती नहीं हुई है। महोदय, 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन को देखते हुए मैं मंत्री महोदय से दिल्ली पुलिस सहित विभिन्न केन्द्रीय पुलिस बलों में भर्ती करने का अनुरोध करता हूं।

पुलिस सुधार के संबंध में हाल में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कतिपय टिप्पणियां की थीं तथा राज्य में पुलिस के कार्यकरण के बारे में राज्य सरकारों से राय मांगी गई थी। ऐसा लगता है कि न्यायपालिका कानून और व्यवस्था आयोग को अपने कार्यक्षेत्र के दायरे में लाने का प्रयास कर रही है। महोदय, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, केरल सहित कई राज्य सरकारों ने राज्य प्रशासन से राज्य पुलिस को अलग करने के मामले पर अपनी असहमति तथा असंतोष व्यक्त किया है। मैं इस संबंध में सरकार का निर्णय जानना चाहता हूं। जहां तक मानवाधिकारों के उल्लंघन का संबंध है, पोटा कानून को निरस्त करने सहित सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाने के बावजूद इस देश में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। महोदय, श्री अब्दुल नजर मदानी जो केरल के रहने वाले हैं तथा जिन्हें गिरफ्तार करके 10 वर्ष पूर्व जेल भेज दिया गया, वह अभी भी जेल में हैं लेकिन उनके मामले में कोई विचार नहीं किया जा रहा है। मानवाधिकार उल्लंघन का यह एक उदाहरण है। इस मामले को सभा में कई बार उठाया गया। लेकिन इस भारतीय नागरिक को न्याय दिलाने के लिए सरकार

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

[डा० के०एस० मनोज]

द्वारा कोई कार्रवाही नहीं की गई। मैं आपसे इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

हम स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम लड़ाई का 150वां वर्ष मना रहे हैं। कई क्षेत्रीय स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा माना गया। पुनप्र – आदाव संग्रामए कप्पूव या जेटिंगने संग्राम को स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा माना जाता है। लेकिन पुनप्र-आदाव संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानी नहीं माना जाता है। उनमें से कुछ ही लोग जीवित हैं तथा मुझे आश्चर्य होता है कि वे कितने वर्ष जिंदा रहेंगे। मैं माननीय मंत्री से उन्हें उनकी मृत्यु से पहले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। जहां तक जनगणना का संबंध है, देश के अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षणिक स्थिति के संबंध में सच्चर समिति ने कहा है कि विभिन्न संप्रदायों की सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षणिक स्तर को धार्मिक रूप देने के बजाए इसका यथार्थ पता लगाने की जरूरत है। माननीय न्यायालय द्वारा हाल की टिप्पणियों तथा फैसलों की भी यही मांग है। महोदय, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना बहुत कठिन तथा तिथि का निकालना भी कठिन है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से समूचे देश में जन्म तथा मृत्यु का कंप्यूटरीकरण करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

हाल में माननीय गृह मंत्री तथा बाद में माननीय रक्षा मंत्री ने टिप्पणी की कि हमारे तटवर्ती क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों की संभावना बहुत होती है। लेकिन तटीय निगरानी के लिए उपलब्ध सुविधा पर्याप्त नहीं है। हाल में तमिलनाडु से हमारे मछुआरे श्रीलंका की जलसेना द्वारा पकड़ लिए गए, उनमें से पांच को गोली मार दी गई। हाल में एक अज्ञात जहाज अलप्पागत्रे तट की जल सीमा में देखा गया। लेकिन इसे न तो तटरक्षकों ने रोका, न जल सेना ने रोका और न ही पुलिस द्वारा इसे रोका गया। तटरक्षकों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। जब भी तटरक्षक बल तथा जल सेना में भर्ती की जाय तो मछुआरा समुदाय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए या उनके लिए भर्ती का विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। तटरक्षा को मजबूत बनाने के लिए और तटीय कानून स्टेशन स्थापित किए जाने चाहिए।

सीमा सुरक्षा बल तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस जैसे सुरक्षा बलों को आधुनिक हथियार तथा गोला बारूद देकर मजबूत बनाना चाहिए तथा भारतीय सेना के समान वेतन-भत्ते देकर और अन्य कल्याणकारी उपाय करके मजबूत बनाना चाहिए।

जहां तक आपदा प्रबंधन का संबंध है, हमने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 भी पारित किया है लेकिन इसके लिए अभी संस्थागत इकाईयां राज्यों तथा जिलों में स्थापित की जानी है।

महोदय, सुनामी पीड़ित लोगों का पुनर्वास कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। योजना आयोग द्वारा दिए गए कुछ दिशानिदेश राज्य के अनुकूल नहीं हैं। सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के प्रभावी ढंग से कार्यान्वियन के लिए राज्य को समुचित संसाधन मुहैया कराए जाने चाहिए। आतंकवादियों के पास अति आधुनिक हथियार होते हैं। अतएव, आतंकवाद से निपटने के लिए हमारी पुलिस बल को मानव संसाधन तथा शस्त्रों से आधुनिकीकृत तथा मजबूत बनाया जाना चाहिए। पुलिस बल की श्रम शक्ति को विश्व स्तर तक बढ़ाया जाए।

अंत में, राष्ट्र विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों की अद्वितीय/विशिष्ट सेवाओं को मान्यता प्रदान करता है। हमारी साठ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है लेकिन एक भी किसान को गणतंत्र के अवसर पर पद्म पुरस्कार से पुरस्कृत नहीं किया गया। अतएव: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि किसी एक किसान को पद्म पुरस्कार देने के लिए विचार करें इससे लाखों किसानों का मनोबल बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

***श्रीमती सी०एस० सुजाता** (मवेलीकारा) : गृह मंत्रालय देश तथा लोगों के जीवन और समस्याओं के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित एक सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यह मंत्रालय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा मंत्रिपरिषद् के चुनावों से संबंधित कार्य करता है। गृह मंत्रालय राज्यपाल, उपराज्यपाल की नियुक्ति का कार्य भी करता है। केन्द्र-राज्य संबंध तथा अन्तर्राज्यीय संबंध, देश में जनगणना कार्य, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रबंधन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, राजभाषा अधिनियम से संबंधित उपबंधों का कार्यान्वियन, साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखना तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, देश की जनता के लिए मानवाधिकार सुनिश्चित करना, शरणार्थियों तथा विस्थापितों को राहत प्रदान करना तथा उनका पुनर्वास करना, भारत में विदेशियों के प्रवेश को विनियमित करना, स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन तथा अन्य लाभ देना, मादक द्रव्यों के सेवन और अवैध व्यापार को रोकना तथा इसका मुकाबला करना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का उन्नयन और कार्यान्वियन आदि कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जिनकी जिम्मेदारी मंत्रालय के ऊपर है तथा इसके साथ ही इस मंत्रालय को पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने, इसके विकास और सीमा पर बाड़ लगाने जैसे कुछ महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं।

---

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

मैं केरल, और देश की सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहती हूं। केरल में एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक समुद्र तट है और हाल ही में यह समुद्र तटीय क्षेत्र हथियारों की तस्करी और अन्य खतरनाक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति संवेदनशील हो गया है।

इससे हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। इस बात पर विचार करते हुए मैं निवेदन करती हूं कि इस क्षेत्र को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में सभी मौजूदा समुद्र तटीय पुलिस सुविधाओं का उन्नयन किया जाये और जहां आवश्य हो वहां नये पुलिस थाने स्थापित किए जाएं। केंद्र द्वारा स्पीड बोड सहित पर्याप्त परिवहन सुविधाएं, आधुनिक हथियार, पर्याप्त धनराशि और आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध कराई जाए।

यह दुर्भाग्य की बात है कि पुन्नुपरा व्यालोद स्वतंत्रता संग्राम और केरल के अन्य आन्दोलनों में भाग लेने वालों के साथ स्वतंत्रता सेनानी पेंशन और अन्य सुविधाएं देने के मामले में सैतेला व्यवहार किया जा रहा है क्योंकि ये संग्राम 60 वर्ष से पहले हुए थे। स्वभाविक रूप से पेंशन के दावें में से कम का ही निपटान होगा कम परन्तु बात यह है कि किसी मामूली तथा अनुचित आधार पर देशभक्तों को पेंशन नहीं दी जाती है हालांकि यह मुद्दा संसद में कई बार उठाया गया है। अतः मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि वह केरल के संसद सदस्यों, जो इन संग्रामों से जुड़े हुए हैं, तथा गृह मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों की गृह मंत्री की उपस्थिति में एक बैठक कराई जाए और इस मामले को सुलझाने के संबंध में विशेष और अंतिम निर्णय लिया जाए।

प्राकृतिक आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्नों के महत्व को देखते हुए इन्हें अधिक गम्भीरता से लिया जाए। यदि सरकार संबद्ध विधान को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करना चाहती है तो इसके लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित श्रमशक्ति की आवश्यकता होगी। जो अधिक ज्ञान और वचनबद्धता से इन स्थितियों में हस्तक्षेप करे यदि हम ऐसा चाहते हैं तो इसके लिए आपदा प्रबंधन में कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करना आवश्यक है। यदि इस पर कोई निर्णय लिया जाता है तो मैं यह सुझाव दूंगी कि ऐसे संस्थान की स्थापना केरल में की जाए।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इस विधेयक में समुद्री कटाव तथा भूस्खलन को आपदा के भाग के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

मैं यह कहना चाहती हूं कि भारत के पूरे तटीय क्षेत्रों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में क्रमशः समुद्री कटाव तथा भू-स्खलन के कारण हर साल गम्भीर आपदाएं आती हैं। मैं इसीलिए यह अनुरोध कर रही हूं। क्योंकि यदि इस अधिनियम में संशोधन नहीं किया जाता तो इन आपदाओं से पीड़ित लोगों को इस विधान के अंतर्गत लाभ नहीं मिल पाएगा।

मैं आशा करती हूं कि अनुदान प्रदान करते हुए मंत्री जी मेरे सुझावों पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे।

***श्री कीरेन रिजीजू** (अरूणाचल पश्चिम) : माननीय महोदय, गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महोदय मैं केवल निम्नलिखित तीन मांगें करूंगा:

1. अरूणाचल प्रदेश की पुलिस को प्रशिक्षण और आधुनिक हथियारों की खरीद तथा पुलिस कार्मिकों को बेहतर सुविधा हेतु एक वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता है।

2. देश में चरमपंथियों और राजनेताओं के गठजोड़ की न्यायिक जांच होनी चाहिए। भारत सरकार और एन०एस०सी०एन० के विभिन्न गुटों के बीच शांति वार्ता में तेजी लाई जानी चाहिए।

3. मेरी निजी सुरक्षा को भी खतरा है। मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह स्वयं इस मामले को गंभीरतापूर्वक देखें और राज्य पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेश दें।

अंत में, लम्बे समय से भोटी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल करने उचित की मांग को पूरा किया जाए। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, लाहोल स्पीति, उत्तराखण्ड, दार्जिलिंग, सिक्किम के कुछ क्षेत्रों तथा अरूणाचल क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में यह भाषा बोली जाती है। मैं केन्द्र सरकार से तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने का पुरजोर आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री सुकदेव पासवान** (अररिया) : महोदय, आज गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों की चर्चा पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। देश के लगभग 20 प्रदेश उग्रवाद से प्रभावित हैं। बिहार, यू०पी०, झारखंड, आंध्र प्रदेश, आसाम इत्यादि प्रदेशों की पुलिस के पास अंग्रेजों के जमाने के हथियार हैं। जबकि उग्रवादियों के पास अत्याधुनिक हथियार और नए-नए उपकरण हैं। लेकिन प्रदेश की पुलिस को जब तक आधुनिक हथियार और उपकरण नहीं दिए जाते, जब

---

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

[श्री सुकदेव पासवान]

तक प्रदेश पुलिस उग्रवाद से मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो पाएगी। उग्रवाद के लिए देश और प्रदेश में जो कानून हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए ठोस कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। लचर कानून से न तो देश और न ही प्रदेश का भला होगा।

महोदय, माओवादी पड़ोसी देशी नेपाल की सरकार में शामिल हैं। माओवाद से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश आदि बुरी तरह से प्रभावित हैं। वे वहां पर पुलिस के कैंपों पर हमला करके और उनकी हत्या करके हथियार लूटकर ले जाते हैं। नेपाल की सीमा से बिहार में प्रवेश करके पाकिस्तानी आतंकवावदी भारत में आते हैं और देश में बड़ी-बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। यह संयोग है कि भारत-नेपाल सीमा अररिया के जोगबनी इलाके से होकर गुजरती है। इसलिए सीमा पर अधिक चौकसी रखे जाने की आवश्यकता है।

महोदय, कुछ दिनों पूर्व आसाम में उल्फा उग्रवादियों द्वारा हिंदीभाषी लोगों का सामूहिक नरसंहार किया गया।. . .** तो देश में एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा और उग्रवादियों का मनोबल गिरेगा। बिहार में एस०एस०बी० को सीमावर्ती इलाके में लगाया गया है, जो पर्याप्त नहीं है। इस इलाके में अविलंब और फोर्स भेजी जाए, ताकि नेपाल से भारत में माओवादी और पाकिस्तानी आतंकवादी प्रवेश न करे सकें।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटील) : श्रीमन्, आज की चर्चा में राष्ट्रीय-भाषा को प्रोत्साहित करने का मुद्दा विशेष रूप से उठाया गया। इसमें देखा गया कि कुछ सदस्यों को छोड़कर करीब-करीब 80 प्रतिशत से अधिक सदस्यों ने राष्ट्रीय भाषा में अपने विचार प्रकट किये। इसीलिए मैं भी अपने विचार राष्ट्रीय भाषा में प्रकट करने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत अच्छी चर्चा हुई और बड़ी संजीदगी से चर्चा हुई। जो कुछ भी कहा गया उसमें राजकीय अभिनिवेश बहुत कम था और यह ढूंढ़ने का प्रयास था कि सच्चाई क्या है, कहां पर हम गलती कर रहे हैं और उन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है? इस बात को ध्यान में रखकर ही सभी सदस्यों ने अपने विचार यहां प्रकट किये। दूसरी बात जो यहां देखने को मिली, वह यह है कि जो पहले सत्रों में, इस मंत्रालय की मांगों पर विचार-विमर्श हुआ था, उन मुद्दों के इस चर्चा में दोहराया नहीं गया। उन मुद्दों पर जो चर्चा हुई, उसका आशय ध्यान में रखकर दूसरे आवश्यक मुद्दे यहां पर उपस्थित किये गये और चर्चा बड़ी शांति से हुई। जो लोग बोले, उन्होंने चर्चा समाधान-कारक की। यह एक प्रशंसनीय बात है और इसके लिए सारे सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस चर्चा में एक आम मुद्दा आंतरिक सुरक्षा के संबंध में उपस्थित किया गया।

यह बहुत ही प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, नैचुरल है और जो भी विचार प्रकट किए गए, वे भी किसी को चोट पहुंचाने के लिए या किसी पर टीका टिप्पणी करने के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए, बल्कि और ज्यादा सुधार करने के लिए प्रस्तुत किए गए। बहुत सारे प्रशंसा के फूल भी हमारी सरकार को दिए गए और बहुत सी ईंटें भी हमारी फैंकी गईं। जब फूल दिए जाते हैं, तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है और जब ईंट फैंकी जाती हैं, तो हम और ज्यादा सतर्क हो जाते हैं तथा ज्यादा अलर्ट हो कर उस काम को करने का प्रयास करते हैं। दोनों चीजों के लिए भी हम माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

जम्मू-कश्मीर का प्रश्न चर्चा में आया, लेकिन उतने परिणाम में सामने नहीं आया, जितना कि पहले आया करता था। इसका एक कारण यह भी है कि वहां कि परिस्थिति सुधर रही है। परिस्थिति सुधरने का कारण यह भी है कि वहां की आज की सरकार और पहले की सरकार ने भी सब लोगों को साथ में रखकर अच्छा वातारण बनाने की कोशिश की है। इसके साथ-साथ हमारी सीमाओं की सीमाबंदी भी परिस्थिति में सुधार का एक कारण है। तीसरा प्रमुख कारण यह है कि वहां के जो अलग-अलग राजनैतिक पक्ष हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की और मुझे भी चर्चा करने का मौका मिला। इसके बाद राउंड टेबल तीन कांफ्रेंसिस हुई। इससे एक दिशा प्राप्त हुई, जो लोगों को एक जगह पर लाने में मददगार हुई। मैं मानता हूं कि सभी प्रश्नों को हल करने में इसका प्रयोग अंत में जरूर हो सकेगा। इन कांफ्रेंसिस के होने से सबसे अच्छी बात हुई कि सबको साथ में लेकर चर्चा की गई। इस वजह से वहां की परिस्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है। और इस बात के लिए सारे देश ने हम लोगों की सराहना की है। मैं इससे ज्यादा इस बात पर और कुछ नहीं कहना चाहूंगा और मैं समझता हूं कि कुछ ज्यादा कहने की जरूरत भी नहीं है।

उत्तर-पूर्व प्रांत की भी चर्चा बहुत संक्षेप में कुछ सदस्यों ने की। उत्तर-पूर्व के हमारे प्रांतों को पहले सात बहनें माना जाता था, आज आठ प्रांत हो गए हैं। इनमें से एक-दो जगहों पर स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक जरूर है। इनमें से एक जगह पर स्थिति कुछ कम चिंताजनक लगती है, यहां भी ध्यान रखना जरूरी है, मगर बाकी सभी प्रांतों में परिस्थिति बहुत ही अच्छी है, यह बहुत खुशी की बात है। यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका कारण है कि सौहार्द से, अपनेपन से वहां के प्रश्नों को हल करने की कोशिश की गई। वहां की सरकारों और

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

वहां के लोगों ने समझदारी से काम लिया और यह मान लिया कि झगड़ा करके, रक्तपात करके किसी भी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। उन्होंने मान लिया कि समस्या का समाधान केवल बातचीत से ही हल किया जा सकता है। वहां जो चर्चाएं हो रही हैं, वहां के लोगों के साथ जिन्होंने बंदूके हाथ में ले ली थीं, उनसे चर्चा करके समस्या का समाधान शांतिपूर्वक करने में बहुत मदद मिली है। वे समस्याएं पूरी तरह से हल हो गई हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, कोई भी ऐसा नहीं कहेगा, मगर इन चर्चाओं से मदद जरूर मिली है। केंद्र सरकार ने भी वहां की आर्थिक परिस्थिति को सुधाने के लिए जो 24 हजार करोड़ रुपयों की मदद की है, उससे भी परिस्थिति में सुधार आया है। वहां की जनता को कहा गया कि आपके सुख-दुख में पूरा देश हमेशा शामिल रहेगा, इस बात से भी फायदा हुआ है।

एक बात की चर्चा बहुत बड़े पैमाने पर, आंतरिक सुरक्षा की, नक्सलवाद के बारे में हुई। इसके संबंध में भी मैं कहना चाहूंगा कि इसकी चर्चा हमारी मीडिया में बहुत होती है, हमारी संसद में भी बहुत होती है और जब-जब हम लोग मिलते हैं, तो नक्सलवाद की समस्या की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया जाता है। यह बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई गलती नहीं है। अगर हमें कुछ समझना है और कुछ सुधारना है तो यह चर्चा अंत में जरूर मदद करेगी। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन प्रांतों में नक्सलवाद बढ़ रहा है या प्रांतों में जो बढ़ता हुआ नक्सलवाद था, यह आज किस प्रकार का है, यह देखना जरूरी है। आंध्र प्रदेश एक ऐसा प्रदेश था जहां कल तो नक्सलवाद बड़े पैमाने पर था। लेकिन अब वहां नक्सलवाद पूरी तरह से कम नजर आता है। इसके अतिरिक्त दो-तीन प्रांत हैं जहां नक्सलवाद बढ़ा है और इसकी वजह से हमें नक्सलवादी समस्या जटिल नजर आ रही है। नक्सलवादी समस्या के बारे में कुछ लोगों ने अपने विचारों में चिंता व्यक्त की है। उन प्रांतों को पूरी तरह से दोष देना सही नहीं होगा, अगर एक जगह पर ताकत लगाई जाती है तो वे दूसरी जगह पर चले जाते हैं और अगर दूसरी जगह तैयारी न हो तो वहां तैयारी करने में भी समय लग जाता है। अगर हम इन दो-तीन प्रांतों को हटा दें तो बाकी प्रांतों में नक्सलवाद की समस्या बहुत कम नजर आती है। ये दो-तीन प्रांतों में कम से कम 50 से 60 प्रतिशत तक नक्सलवाद की समस्या नजर आती है। इस दृष्टिकोण से देखें तो हमें पता चलेगा कि वहां की समस्या इतनी गंभीर नहीं है जितनी बताई जाती है, इसका मतलब वह गंभीर नहीं है, ऐसा हम पूरी तरह से नहीं कह रहे हैं लेकिन इतनी गंभीर नहीं है जितनी बताई जाती है। पहले कभी-कभी पूछा जाता था लेकिन इस बार नहीं पूछा गया है कि आपकी इस बारे में नीति क्या है? हमारी जो नीति है इसके बारे में इस सदन में और दूसरे सदन में दो-दो घंटे तक सरकार की ओर से चर्चा करके बताया गया है और उसके बाद हमारी जो नीति इस प्रश्न को हल करने की है उसके बारे में लिखित रूप से पुस्तक के रूप में भी दिया है और चर्चा की है। जब भी हमें मौका मिलता है इसे हम देते हैं कि हमारी नीति किस प्रकार की है, उसके बारे में यहां चर्चा नहीं हुई। लेकिन थोड़े अंश में कहा गया कि आपने इसे हल करने में क्या मदद दी है इसलिए हम बताना चाहते हैं और मैं थोड़ा संक्षेप में जाकर इस विषय के बारे में बताना चाहता हूं। नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए 33 बटालियन्स, पैरामिलिट्री फोर्सिस के दिए गए, 33 बटालियन्स का मतलब होता है करीब 33,000, अधिकारी और पोलीज बल एक छोटा सा सैन्य उनको दिया। इसके बाद 29 इंडियन रिजर्व बटालियन खड़ा करने की इजाजत दी है। पहले 13 करोड़ रुपए दिए जाते थे और अब 20 करोड़ रुपए एक बटालियन के लिए दिए जाते हैं। 120 करोड़ में से 50 करोड़ खास प्रांतों को रिइम्बर्स करने के लिए दिए जाते हैं। सुरक्षा संबंधित व्यय के अंतर्गत नक्सल प्रभावित राज्यों को 50 करोड़ रुपये दिए गए। 114 आर्म्ड वेहिकल दिए गए हैं। आर्म्ड वेहिकल पुलिस को मिलने चाहिए, इसके बारे में सरकार में चर्चा हुई, डिफेंस मिनिस्ट्री के सारे साथियों ने बहुत मदद की और 114 आर्म्ड वेहिकल दिए गए हैं और दूसरे आर्म्ड वेहिकल्स भी दिए जाएंगे। इसका उपयोग पुलिस को खुद की रक्षा करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए होगा। जो सिपाही वहां जाते हैं, उनका जो नुकसान होता है, जो जख्मी हो जाते हैं उनको वापिस लाने के लिए हैलीकॉप्टर की व्यवस्था की है और हैलीकॉप्टर हॉयर करने के लिए भी परमिशन दी है। नक्सल प्रभावित राज्यों में पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 427.50 करोड़ रुपये दिए गए। वर्ष 2006-07 में इतनी बड़ी रकम उनको दी है।

[अनुवाद]

डि० माइनिंग उपकरण हेतु वर्ष 2006-07 में पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित राज्यों को 100 करोड़ रुपये की विशेष निधि दी गई। माइन्स वहां रखे जाते हैं तथा साथ ही वहां अत्याधुनिक हथियार और दूरसंचार उपकरण भी रखे जाते हैं। और नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए पिछड़े जिलों के अंतर्गत 2475 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।

[हिन्दी]

सिर्फ हथियार पर ही मुनस्सर नहीं होना है। बल्कि वहां की आर्थिक परिस्थिति भी सुधरे और वह परिस्थिति बैकवर्ड एरियाज में जल्दी से सुधरे, इसलिए उन्हें इतनी बड़ी रकम दीजिए और प्लान में हम जो उन्हें मदद कर रहे हैं, यह रकम उससे अलग है, उससे ज्यादा है ये सारी चीजें संक्षेप में बताने की मैंने कोशिश की है।

[श्री शिवराज वि० पाटील]

अध्यक्ष महोदय, जब यहां पर चर्चा हुई तो तीन प्रकार के विचार आंतरिक सुरक्षा के संबंध में कुछ साथियों के द्वारा रखे गये। कुछ लोगों ने कहा कि आपकी पालिसी अपीजमैंट की है। आप आतंकवाद पर नरमी का रूख अपना रहे हैं। जबकि हम चाहते थे कि हम टैरिरिस्ट्स को टैरिरिस्ट्स पद्धति से ही कंट्रोल करें। टैरिरिस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हमारा रवैया भी थोड़ा सा टैरिरिस्ट्स के जैसा ही होना चाहिए, डराने के जैसा होना चाहिए। वह हमें कह रहे थे कि आप गोली से मदद करो, गोली से काम लो। जबकि दूसरे विचार में कहा गया कि सिर्फ गोली से काम नहीं चलेगा, आपको बोली का भी उपयोग करना पड़ेगा। सिर्फ गोली नहीं, बोली का भी उपयोग कीजिए और तीसरे विचार में लोगों ने कहा कि सिर्फ गोली और बोली से ही काम नहीं चलेगा. उनके सही प्रश्नों को भी आपको हल करना पड़ेगा। यदि उनके जमीन के प्रश्न हैं तो वे आपको हल करने पड़ेंगे, यदि उनके बेकारी के प्रश्न हैं तो वे आपको हल करने पड़ेंगे, यदि उनके रहने के घर के प्रश्न हैं तो वे प्रश्न हल करने पड़ेंगे और जो ट्रांसफर के प्रश्न हैं, वे हल करने हैं। ये बातें हमसे कही गईं। ये तीनों विचार यहां आये। किसी ने हमें कहा कि आप नरम है, किसी ने हमें कहा कि आप गरम है। जबकि हम उन्हें कह रहे हैं कि न हम नरम हैं, न हम गरम हैं, हम केवल संतुलित हैं और जो आवश्यक है, वह करेंगे। उससे कम भी नहीं करेंगे और उससे ज्यादा भी नहीं करेंगे और जो करेंगे इन लोगों को दुश्मन मानकर नहीं, बल्कि भटक कर गलत रास्ते पर गये हुए यहां के ही बाशिंदे हैं, यह समझकर हम कुछ करेंगे, करने में हम गलती नहीं करेंगे, मगर करते समय शैतानी रवैया हम नहीं अपनायेंगे, यह मैं आपको कहना चाहता हूं। यह कहा गया है कि क्या हम लोग भगवान हैं, एकाएक पूछा जाता है कि क्या आप शैतान हैं। हम कहना चाहते हैं कि न हम भगवान हैं और न ही शैतान हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से भगवान के रूप में भी नहीं है और पूरी तरह शैतान के रूप में भी नहीं है। वह इंसानियत के रूप में इसके ऊपर अमल करेगी और उसे हल करने की कोशिश करेगी। सबको आर्थिक, सामाजिक और राजकीय न्याय देने की कोशिश होगी। उसके साथ-साथ समझ को बदलने की कोशिश होगी और उसके साथ-साथ यदि जरूरत पड़ी और हमें हथियार का उपयोग करना पड़ा तो वह करना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। पुलिस का काम यही होता है, अच्छे लोगों की सुरक्षा करना और बुरे लोगों को कंट्रोल में लाना पुलिस का काम होता है और जब अच्छे लोगों की सुरक्षा करने के लिए कंट्रोल में लाने का प्रयास किया जाता है तो दोनों तरफ से कभी-कभी उन्हें थपेड़े पड़ते हैं और यह बहुत बुरा लगता है। इस मिनिस्ट्री में काम करते-करते मैंने बहुत दफा देखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर जो पूर्व गृह मंत्री जी बैठे हैं, उन्हें भी कभी-कभी ऐसा अनुभव हुआ होगा। मैं बताना चाहता हूं कि कुछ दिनों में हमारे पास बहुत सारे लैटर्स आते हैं। हमको लैटर्स लिखकर उन बहनों और माताओं को भेजना पड़ता है, जिन्होंने अपनी पति, भाई या बेटे को खोया है और उन्हें कहना पड़ता है कि देखो हम आपके दुख में शरीक हैं। यहां बैठकर दस्तखत करके हम वहां दुख में शरीक होने की बात करते हैं। जब हम अपने सैन्य की चर्चा करते हैं तो जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है, उनकी जो डिबेट शुरू होती है, वह उनके द्वारा देश के लिए किये गये कामों को सैल्यूट करते हुए डिबेट करते हैं। क्या हम होम मिनिस्ट्री की मांगों की चर्चा करते समय इसका जिक्र नहीं करेंगे जिन भाइयों ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, अपने प्राणों की आहुति दी है, क्या उनके सामने नतमस्तक होने की बात नहीं करेंगे और उस पार्लियामैन्ट में बैठकर हम कभी-कभी उन्हें गालियां दें, जिस पार्लियामैन्ट को बचाने के लिए अपनी और अपने घरवालों की परवाह नहीं करते हुए पुलिस के लोगों ने अपनी जान की आहुति दी है। इसे हम कैसे भूल सकते हैं। जहां अच्छे लोग हैं, वहां बुरे लोग भी हो सकते हैं मगर जहां अच्छे लोग हैं, उन्हें तो भूल जाए और जहां बुरे लोग हैं, उन्हें हमेशा के लिए याद करना ठीक नहीं है हम सब लोगों में अच्छे और बुरे लोग हैं। वैसे ही पुलिस में भी अच्छे और बुरे लोग हो सकते हैं। सारे क्षेत्र में अच्छे और बुरे हो सकते हैं। लेकिन जो अच्छे हैं, उनके सामने हम जरूर सिर झुकाएंगे और जो बुरे हैं, उनके खिलाफ हम जरूर कानूनी कार्रवाई करेंगे।

एक अन्य बात जो मैं कहना चाहूंगा, वह साम्प्रदायिक सौहार्द की बात है। यह बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे देश में साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखने के लिए जो मानसिकता होनी चाहिए, वह है। यहां के मनुष्य के मन में एक ऐसा विचार है कि हम सारे भाई हैं। इसमें धर्म कुछ नहीं होता। हम सारे एक हैं, यह भावना है और इस भावना की वजह से और हम सब लोगों की नीतियों की वजह से, साम्प्रदायिक सौहार्द, साम्प्रदायिक समझदारी, कम्युनल हार्मनी कायम रखने की यहां कोशिश की गई है और उसका फल हमें नजर आता है। लेकिन उसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह कोशिश भी कुछ अपने लोगों की, कुछ बाहर के लोगों की, कुछ गलतफहमियां करने वाले लोगों की और कुछ ऐसे समझने वाले लोगों की है कि जब तक कुछ लोगों को हम दूर नहीं करते, तब तक हमारी शक्ति नहीं बढ़ती। इसलिए इस साम्प्रदायिक सौहार्द को तोड़ने-फोड़ने की कोशिश यहां जरूर की जा रही है और उसका हमें डटकर तथा समझदारी से मुकाबला करना होगा। प्रांत की सरकार को भी मुकाबला करना होगा और केन्द्र की सरकार भी इस मामले में गलती नहीं करेगी

क्योंकि जब तक साम्प्रदायिक सौहार्द हमारे देश में नहीं बना रहता, हम अपने देश की एकता और सुरक्षा को बनाए नहीं रख सकते। मगर जो रिकार्ड है, मैं सारे आंकड़े आपको यहां नहीं दे रहा हूं और खासकर इसलिए नहीं दे रहा हूं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमने प्रिंट करके आपके हाथ में दिये हैं। सारे आंकड़े कोट करके मैं आपका समय जाया नहीं करना चाहता।

एक बात जिसका चर्चा के दौरान यहां बहुत जिक्र किया गया है, वह पुलिस सुधार की है। पुलिस सुधार की चर्चा बहुत दिनों से चल रही है। उसकी चर्चा हमारे लॉ कमीशन के लोगों ने की है। उसके लिए पुराने सालों में खासकर कुछ अलग कमीशंस अपाइंट किये गये थे ओर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी उसके अंदर जजमेंट दी है। यह जजमेंट आने के पहले हमने पुलिस सुधार के लिए एक कमेटी अपाइंट की थी, पुलिस सुधार की रिपोर्ट भी उसी समय आई जिस समय वह जजमेंट आया और उस जजमेंट के अंदर भी पुलिस सुधार के संबंध में जो सूचनाएं दी गईं थीं, वे भी दी गई हैं। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि पुलिस सुधार होना आवश्यक है, यह सबने माना है और पुलिस सुधार हम जरूर करेंगे। पुलिस सुधार हम कानून बदलकर करेंगे, हम पुलिस को अच्छी ट्रेनिंग देकर करेंगे, हम पुलिस को अच्छे ढंग की मानसिकता बनाकर देंगे और पुलिस सुधार हम उनको सुविधा देकर, उनका मोराल बढ़ाकर करेंगे। उसके अंदर जो भी सुझाव माननीय सदस्यों की ओर से या अन्य पक्षों की ओर से और अन्य लोगों की ओर से जो इसमें जानकारी रखते हैं, वह हम जरूर करने की कोशिश करेंगे।

इस संबंध में एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारी एक कोशिश है जो कि क्रिमिनल जस्टिस करने की हमारी पुरानी पद्धति थी, उसके अंदर भी सुधार करने की हम यहां चर्चा कर रहे हैं। एक बात जो हमें नज़र आती है, वह यह है कि आज के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में किसी ने अगर कोई गुनाह किया है तो उसे पकड़ना और उसे सजा देना, उसी हद तक आज का कानून बना हुआ है। यह माना जाता है कि ऐसा होने पर जो विक्टिम है, उस विक्टिम को पूरी तरह से मदद मिल जाएगी। उसे शायद ऐसा होने पर एक प्रकार का समाधान मिल जाता है कि मेरे प्रति जिसने अन्याय किया था, उसको सजा मिल गई। अगर उसकी पूरी जिन्दगी इसमें सुधरती नहीं है। हमारे आज के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर अगर कोई चीज नहीं है तो वह यह है कि जो विक्टिम है, जो सफर कर रहा है, जिसका नुकसान हुआ है, उसके नुकसान की भरपाई कैसे हो? उसको कम्पनसेशन कैसे दिया जाए, यह कल्पना आज मान्य नहीं है। अरब देशों के अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत भारी सजा दी जाती है मगर वहां पर भी यह कहा गया है कि अगर विक्टिम को कमपनसेशन देने से उसका समाधान होता है तो उसको कमपनसेशन देकर भी न्याय करना चाहिए। हमारे यहां की पुरानी पद्धति में भी अगर किसी का नुकसान हुआ है तो उसको कमपनसेशन देने की जो कल्पना है, उस कल्पना को मान्य करना चाहिए।

हमने उसके लिए एक कमेटी अपाइंट की है जो इस बात को देख रही है। हमारे भारत में क्रिमीनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें नया ढांचा किस प्रकार से तैयार हो, उसके लिये एक ड्राफ्ट आया है जिसे हम आप सब के विचार के लिये सदन के सामने लायेंगे। उस कमेटी के लिए ज्यूरिस्ट्सए जजेज, लायर्स, पॉलिटिशियन्स, सामाजिक कार्यकर्ता और एन०जी०ओज़० के साथ विचार करके नये क्रिमीनल जस्टिस सिस्टम की कल्पना को साकार करने के लिये प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष जी, होम मिनिस्ट्री को एक चीज और करनी पड़ती है और वह है फैडरेल स्ट्रक्चर को कायम रखना। उसमें किसी प्रकार का कोई बिगाड़ न हो, केन्द्र और राज्यों के संबंध अच्छे रहें, उसके लिये होम मिनिस्ट्री की तरफ से प्रयास किया जाता है। केन्द्र-राज्य संबंधों के लिये पहले सरकारिया कमीशन बनाया गया था। हमारे संविधान में इसके लिए प्रावधान है। उसमें अमरीकन, कैनेडियन, आस्ट्रेलियन कांस्टीटयुशन्स की अच्छी बातें ली गई हैं। उसके लिए एक कमेटी अपाइंट की गई थी। यहां भी हम फिर से कर रहे हैं। मुझे सदन को यह बताते हुये खुशी हो रही है कि मेरे ख्याल से इन दिनों केन्द्र और राज्यों के संबंधों में ऐसी कोई बात नहीं है और आपस में काम करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। राज्य पहले से समझदारी से काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कई चीजों के लिये राज्यों को कहना पड़े कि यह करिये। फिर भी संबंध अच्छे रहे हैं। इसे पुनर्विचार करने के लिये केन्द्र राज्यों के लिये एक कमीशन बनाये जाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इस संबंध में एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारी नेता ने इस मामले में हमारी काफी मदद की है।

अध्यक्ष जी, जहां तक आपदा प्रबंधन का सवाल है, इसकी कल्पना आज से 10 साल पहले की गई थी जिसके बारे में हम विचार कर रहे थे। दूसरे देशों में भी इस संबंध में विचार हो रहा था लेकिन वे देश आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हमने हिम्मत करके एक मत से कानून बनाया, और यह ग्रुप बनाया जो आज काम कर रहा है। यह आपदा प्रबंधन ग्रुप आपदा आने के पहले और उसके आने के बाद, जो करना जरूरी होता है, या उसे किस प्रकार से कर सकते हैं, बताता है। जब आपदा आती है, उस डिजास्टर में किस प्रकार से क्या करना चाहिये, यह कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत जरूरी काम है, देशव्यापी है। इस पर बहुत दिनों तक काम करना पड़ेगा, मैनपॉवर देनी पड़ेगी और दूसरी चीजें भी देनी पड़ेगी। जब नेचुरल डिजास्टर

[श्री शिवराज वि० पाटील]

आ रही हो या मनुष्य के द्वारा आपदा लाई गई हो, उसका किस प्रकार मुकाबला कर सकते हैं, यह जरूर बता सकती है। मुझे खुशी है कि इसमें जो सदस्य काम कर रहे हैं, जो चेयरमैन या दूसरे सदस्य काम करे रहे हैं, हम लोगों से रोजाना कहते हैं कि हमनें जो काम किया है वह देखिए और आप हमारी मदद कीजिये। हमें यह सब उनसे कहने की जरूरत नहीं होती है। हम कहते हैं कि आप हम पर प्रेशर डाल रहे हैं। उनका कहना है कि काम आगे बढ़ रहा है। इसलिये इसका समाधान हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, एंटी-टैररिस्ट्स एक्टीविटीज़ के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम होना चाहिये, यह माना गया है। यहां तक कि यू०एन० में इस विषय पर विचार हुआ है, एग्रीमेंट हुये हैं। इस मामले में भारत ने उनकी मदद करने की कोशिश की है। हमने करीब-करीब 30 देशों के साथ एक्ट्राडीशन ट्रीटी की है, लीगल आस्पैक्ट्स से को-आपरेशन ट्रीटी की है। जब लोग बाहर से आते हैं तो हमें कहते हैं कि इसके अंदर को-आपरेशन करना चाहिये और हम कहते हैं कि हम जरूर इसके अंदर को-आपरेशन करेंगे। यह को-आपरेशन किस प्रकार से करना चाहिये, इस तरह का विचार हम उनके सामने रखते हैं। यह विचार हम आपके सामने भी रखना चाहते हैं। शायद उसमें सुधार करने की जरूरत हो तो आप हमें बता सकते हैं। एक विचार यह है कि जो पैसा बाहर से आतंकवादियों को दूसरे देशों से पहुंचाया जाता है, उस पर रोक लगनी चाहिये। दूसरा, जो इंटैलीजैंस मालूमात हैं, वह दोनों देशों के बीच में शेयर होनी चाहिये। तीसरा, अगर इस काम के लिये एक देश से दूसरे देश में हथियार भेजे जा रहे हैं तो उसे रोकने की कोशिश होनी चाहिये। इनमें पहली दो बातों के लिये उनके ऊपर पूरी तरह से समझदारी है। मगर जो आखिरी बात है, उसके ऊपर पूरी तरह से समझदारी बदकिस्मती से नहीं हो रही है, और वह करना बहुत ज़रूरी है। आज एक खुशी की बात है कि संसार के सारे लोग यह मान रहे हैं कि आतंकवाद को अगर कंट्रोल में लाना है तो एक दूसरे को सहकार करना बड़ा ज़रूरी है। मैं यह कहना चाहूंगा अंत के कुछ मुद्दों पर कि एक बात तो यह है कि सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था का जो काम है, वह केवल सरकार की मदद से पूरी तरह से अच्छी तरह से हो सकेगा, ऐसा समझना कि सर्वसाधारण या व्यक्ति नहीं कर सकता, ऐसा समझने के जैसा ही है। इसलिए इस काम में सरकार, समाज, व्यक्ति तथा एन०जी०ओज़ को भी मदद करनी ज़रूरी है। उस दृष्टि से भी हमने कदम उठाए हैं और इसलिए प्राइवेट सिक्यूरिटी रेगुलेशन एक्ट बनाया है और प्राइवेट डिटैक्टिव रेगुलेशन बनाने जा रहे हैं। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि जो सुरक्षा का काम है, निर्भयता बढ़ाने का जो काम है, यह भयरहित मनुष्य को बनाने का जो काम है, वह बाहर की वस्तुओं से अंदर नहीं आएगा। कितनी भी फोर्स लगाएं कितनी भी पुलिस लगाकर वह काम नहीं होगा। वह अंदर से आना ज़रूरी है। यह निर्भयता अंदर से आने वाली बात है। जैसे आनन्द अंदर से आता है, उसी प्रकार निर्भयता भी अंदर से आ सकती है। बाहर की चीज़ें तो मदद कर सकती हैं। अगर हमारे मन में शांति और निर्भयता न हो तो हमारे घर में भी शांति और निर्भरता नहीं होगी। यह घर में नहीं होगी तो यह प्रांत में नहीं होगी, प्रांत में नहीं होगी तो यह देश में नहीं होगी और देश में नहीं होगी तो संसार में नहीं होगी। यह अंदर से आने वाली जो बात है, उसको बढ़ाने के लिए शिक्षा के माध्यम से, जीवन की ओर देखने के दृष्टिकोण के माध्यम से किस प्रकार से करना चाहिए, इसका भी विचार हो रहा है। हमें लगता है कि इसमें जो यश प्राप्त होगा, बहुत धीमी गति से होगा, मगर जरूर इसमें यश प्राप्त होगा और वह जो यश प्राप्त होगा, वह बहुत अच्छा यश होगा। इससे ज्यादा मेरी दृष्टि से यहां पर कहने की ज़रूरत नहीं है।

एक बात जो मुझे बोलनी ज़रूरी है और अगर समय कम होता तो मैं खत्म कर देता। मगर मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे गृह मंत्रालय के अनुदानों की जो मांगें हैं, उसमें हमने पिछले साल से 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की है। 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी काफी होती है। पिछले साल कुछ कम प्रमाण में हमने बढ़ोतरी की थी लेकिन उसके पहले साल में हमने करीब 20 प्रतिशत बढ़ोतरी की थी। एक अहम बात यह है कि पुलिस के लिए हमने करीब-करीब 18-19 हज़ार करोड़ रुपये दिये हैं। 18-19 हजार करोड़ रुपये में इस साल की बढ़ोतरी 18 प्रतिशत की है। हमारा प्रयास हमेशा के लिए रहा है कि दो विषय हमें चर्चा में लाने चाहिए। एक विषय यह है कि हमारी सिक्यूरिटी कैसे अच्छी रहे, हमारी सुरक्षा कैसे अच्छी हो और दूसरा विषय यह है कि हमारी उन्नति और प्रगति कैसी हो। खुशकिस्मती की बात है और अच्छी बात है कि हमने आज तक डैवलपमैंट पर ज्यादा महत्व दिया और पैसा हम दे रहे थे। मगर सुरक्षा पर हमने उतना लक्ष्य शायद इन कुछ दिनों में नहीं दिया था। मगर अब इसके लिए समय आया है जब हम सुरक्षा पर भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : काफी अच्छा काम कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, मेरे विचार से मैं आपनी बात जारी रख सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात जारी रखें।

श्री शिवराज वि० पाटील : मैंने सोचा कि मैं ज्यादा समय ले रहा हूं।

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : आप ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कुछ माननीय सदस्य थोड़ी बैचनी दिखा रहे हैं। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय का बजट है।

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, मैं यह कहने का प्रयास कर रहा था कि लोगों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ और अधिक धनराशि प्रदान करना आज हमारे लिये अनिवार्य हो गया है।

इस मुद्दे पर सरकार में, संसद में और कुछ हद तक संसद से बाहर भी चर्चा की गई है और सौभाग्य से हरेक ने राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक धनराशि प्रदान करने के लिए सहमति जताई है। अब, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 18,000 करोड़ रुपये से थोड़ी ज्यादा धनराशि प्रदान की गई है।

मुझे इस सभा को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस मुद्दे को मुख्यमंत्रियों के साथ भी उठाया गया था। हम विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों के साथ बैठके करते आ रहे हैं और लगभग सभी बैठकों में हमने यही मुद्दा उठाया है कि अब तक हम विकासात्मक क्रियाकलापों पर काफी धन खर्च करते रहे हैं, किन्तु अब वह समय आ गया है कि जब पुलिस को सुदृढ़ बनाया जाए और इस प्रयोजनार्थ जो तंत्र बनाया गया है उसे आधुनिकीकृत और सुदृढ़ किया जाए और उसे धनराशि प्रदान की जाए।

मुझे यह बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि कुछ राज्य सरकारों ने इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है। मुझे बताया गया है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में उन्होंने और अधिक धनराशि प्रदान कर दी है; बिहार में भी वे अधिक धनराशि प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं और अन्य स्थानों पर भी वे अधिक धनराशि प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं और इससे पुलिस बल मजबूत होगा।

महोदय, हम पुलिस को कैसे सुदृढ़ बना सकते हैं? सर्वप्रथम, भारत में पुलिस और जनसंख्या का अनुपात बहुत-ही प्रतिकूल है। इस संबंध में मेरे पास आंकड़ें हैं। कुछ देशों में 150 व्यक्तियों पर एक पुलिस कर्मी है और कुछ देशों में 300 नागरिकों के लिए एक पुलिस कर्मी है। पाकिस्तान में भी, लगभग 500 से 600 व्यक्तियों पर एक पुलिस कर्मी है। किन्तु भारत में लगभग 800 लोगों पर एक पुलिस कर्मी है। यह अनुपात बहुत ही प्रतिकूल है जनसंख्या तो बढ़ रही है। किन्तु पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ नहीं रही है।

महोदय, यह सच है कि इस प्रयोजनार्थ हमें प्रौद्योगिकी का उपयोग करना होगा। इस प्रयोजनार्थ केवल व्यक्तियों के ही उपयोग पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल भी अनिवार्य है, किन्तु भारत की के मामले में, जहां प्रत्येक वर्ष 1½ से 2 करोड़ जनसंख्या बढ़ जाती है, यह पर्याप्त नहीं है। इसी के अनुपात में यदि पुलिस कार्मियों की संख्या नहीं बढ रही है तो उनके लिए अपना कार्य करना बहुत कठिन हो जायेगा। उनकी ड्यूटी भी बढ़ती जा रही है। प्रत्येक वर्ष हम संसद में और राज्य सरकारें राज्य विधान सभाओं में ऐसे कानून पारित करती आ रही है, जिसमें दण्डात्मक प्रावधान होते हैं और इन्हें पुलिस को क्रियान्वित करना होता है, यदि इन दण्डात्मक प्रावधानों को क्रियान्वित करना है, यदि राजनीतिक क्रियाकलापों में वृद्धि हो रही है, यदि सीमा पार से कुछ लोग हमारे देश में घुसपैठ कर रहे हैं और यदि वैध अथवा गैर-कानूनी कारणों से लोग आन्दोलन कर रहे हैं, यदि आतंकवाद को नियंत्रित करना है और यदि उन्हें दिन-रात आराम किये बिना किसी विलम्ब के कार्य करना है, तो उनसे बहुत अच्छे परिणामों और कुशलता की आशा करना बहुत कठिन है।

यही वह मुद्दा है, जिसका कुछ माननीय सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लेते हुए उल्लेख किया है। सौभाग्य से, इस सभा में हमारे साथ दो भूतपूर्व पुलिस आयुक्त हैं। उन्होंने पुलिस को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी बताया था। सभी पुलिसकर्मियों को आवास सुविधाएं उपलब्ध करवाना हमारे लिय सम्भव नहीं हो पाया है। हम लगभग 15 प्रतिशत परिवारों को आवास सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, किन्तु हम ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए हैं। निश्चय ही यह 15 प्रतिशत से थोड़ा कम है, किन्तु यह निर्णय लिया गया है कि यह आंकड़ा 25 प्रतिशत तक पहुंच जाना चाहिए। यद्यपि यह भी पर्याप्त नहीं है और उनके लिए 25 प्रतिशत परिवारों को आवास सुविधाएं प्रदान भी पर्याप्त नहीं है।

कभी-कभी हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि वे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और जब वे आत्महत्या कर रहे हैं, तो उन्हें सुविधाएं भी प्रदान करना आवश्यक है। इसलिए, एक ओर तो हमें पुलिस कर्मियों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिन्होंने देश की एकता और अखण्डता के लिए अपनी जिन्दगी कुर्बान की है। हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए, अर्ध-सैनिक बल अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तैनात हैं। कई बार यह बात समझ नहीं आती कि अर्धसैनिक बल देश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में शामिल नहीं है; राज्य पुलिस ही इसमें शामिल होती है। अर्धसैनिक

[श्री शिवराज वि० पाटील]

बल मुख्यत: अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तैनात किए करता हैं और अर्धसैनिक बल बड़ी घटनाओं को सम्भालने, कुछ लोगों द्वारा शुरू की गई बड़ी-बड़ी गतिविधियों की देख-रेख करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ लोगों द्वारा शुरू किये गए आतंकवाद और हिंसा तथा उसे फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकारों को सौंप जाते हैं। किन्तु ये सीधे तौर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने अथवा मामलों की छानबीन में शामिल नहीं होते हैं। किन्तु कई बार लोगों को यह लगता है कि अर्धसैनिक बल इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। अर्धसैनिक बल अलग उद्देश्य के लिए होते हैं। वे अर्धसैनिक बल कहलाते हैं। वे राज्य की पुलिस नहीं है। वे यह कार्य नहीं करते। जब कभी उनसे यह काम करने के लिए कहा जाता है, तो वे यह काम करते हैं। लेकिन वे इस कार्य के लिए नहीं हैं। वे किसी दूसरे कार्य के लिए होते हैं। यदि हम इन बातों को समझते हुए इसका समुचित मूल्याकंन करें, तो हम समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने और वहां शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखने में उनके योगदान का मूल्यांकन कर सकते हैं।

महोदय, मेरा माननीय सदस्यों से केवल यही अनुरोध है कि वे कृपया उन कठिनाईयों को समझें, जिनमें पुलिस इस देश में काम कर रही हैं। हमें मालूम है कि वे कहां गलतियां करते हैं और उनके रवैये और व्यवहार में कहां सुधार किए जाने की गुंजाइश है। सरकार और पुलिस अधिकारियों का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य है कि वे इन खामियों को दूर करें। लेकिन यदि हम पुलिसकर्मियों का अपेक्षित आदर नहीं करते और अपनी जान न्यौछावर करने के बावजूद भी यदि हम उनका सम्मान नहीं करते तो हम उनके प्रति अन्याय नहीं कर रहे हैं तथा इससे हमें कोई मदद नहीं मिलेगी।

मैं सभा को पुलिसकर्मियों विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में हम उनके लिए एक बात जो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके के बारे में बताना चाहता हूं। आज हमारी सीमाओं पर आई०टी०बी०पी०; एस०एस०बी० और बी०एस०एफ० के पास है और ये बल वहां तैनात हैं। आई०टी०बी०पी० के जवान 18,000 फूट की ऊंचाई पर तैनात हैं, जहां ऑक्सीजन भी आसानी से उपलब्ध नहीं है। कुछ अधिकारियों ने मुझे बताया कि यदि वे वहां एक वर्ष तक रह जाते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी आयु तीन वर्ष कम हो जाती है इसीलिए उन्हें वहां से हटाकर दूसरे स्थानों पर तैनात करना आवश्यक हो जाता है।

सौभाग्य से हमें दी गई इस सलाह और वित्त मंत्री सहित हमारे नेताओं और हमारी सरकार तथा हर किसी द्वारा दिए गए समर्थन से हमारे लिए आई०टी०बी०पी० में 20 और बटालियनें बना पाना संभव हो पाया है। इसी तरह एस०एस०बी० में भी हम 22 और बटालियनें बना रहे हैं। उन्हें अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात किया जाएगा और हम सी०आर०पी०एफ० की संख्या में भी वृद्धि कर रहे हैं। निस्संदेहए यह निर्णय पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लिया गया था और हम इस निर्णय पर कायम हैं और इसकी संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन हम इन्हें अति आधुनिक सुविधाएं दे रहे हैं।

एक आधुनिक सुविधा जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, वह यह है कि इन्हें बख्तरबंद वाहन देना है। तत्पश्चात हम इन्हें छापामार, युद्धपद्धति, वन-युद्ध पद्धति और ऐसी सभी बातों का प्रशिक्षण दे रहे हैं। यदि ऐसा किया जाता है, तो हमारे लिए यह कार्य समुचित तरीके से करना संभव हो जाएगा। महोदय, भारत में यही पुलिस है। मैं राज्य सरकारों से यही कहता आ रहा हूं कि देखिए, आप केवल केन्द्र सरकार पर ही निर्भर न रहें। अब हमने उन्हें इंडियन रिजर्व की 50 बटालियनें बनाने की अनुमति दे दी है और हमने उनसे इंडियन रिजर्व की 20 और बटालियनें बनाने के लिए कहा है। इस सरकार ने उन्हें और अधिक धनराशि भी दी है। उन्हें और अधिक धनराशि इसलिए दी गई है ताकि वे आरंभ में ये बटालियनों बना सकें। लेकिन, यदि वे ऐसा नहीं करते, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए राज्य सरकारों को इंडियन रिज़र्व की बटालियनें बनानी होंगी, यदि वे इंडियन रिजर्व की बटालियनें बनाते हैं, तो यह बहुत उपयोगी होगी। इंडियन रिज़र्व की बटालियनें बनाने के पीछे सिद्धान्त यह है कि बटालियनें बनाई जाएंगी और उन्हें अन्य राज्यों में भेजा जाएगा और अन्य राज्य इसके लिए भुगतान करेंगे। छत्तीसगढ़ में एक बटालियन नागालैंड से आई है। मुझे वहां के सभी अधिकारियों और सरकार ने यह बताया है कि नागा बटालियनों ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इस बटालियन ने उन्हें दी गई अन्य बटालियनों से बेहतर काम किया है। उन्हें अपनी जान गवानी पड़ी। यह बात सराहनीय है और यही हमारी ताकत है। नागालैंड् से आए लोगों ने छत्तीसगढ़ में भाई-बहनों की रक्षा के लिए वहां अपनी जान गवानी पड़ी है। यह बात सराहनीय है। हम यही करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

एक अन्य मुद्दा जिस पर कई बार लम्बी चोड़ी चर्चा कर चुके हैं, वह यह है कि हमें उन कतिपय परिस्थितियों में क्या करना चाहिए जिनमें किसी राज्य सरकार के लिए वहां की स्थिति को व्यवस्थित और नियंत्रित कर पाना मुश्किल हो जाता है। कुछ राजनीतिक दलों, नेताओं, विधिवेत्ताओं और न्यायधीशों ने भी यह कहा है कि हमारे संविधान के विद्यमान उपबंधों के अंतर्गत, अनुच्छेद 355 के अधीन भारत सरकार के लिए राज्य सरकारों के पास सुरक्षा बल भेजना सम्भव है। कुछ लोगों ने कहा है कि भारत सरकार के लिए अनुच्छेद 356

और अन्य उपबंधों के अंतर्गत सुरक्षा बल भेजना सम्भव नहीं है। राज्य सरकार के पास तभी सुरक्षा बल भेजे जा सकते हैं, जब, इस प्रयोजनार्थ प्रयोजनार्थ केवल अनुरोध किया गया हो, अन्यथा वहां सुरक्षा बल नहीं भेजे जा सकते। इस मुद्दे पर काफी चर्चा की गई है। उन्होंने कहा है कि संविधान में इस तरह के कुछ उपबंध क्यों किए जाएं, जिनके माध्यम से ऐसा कुछ किया जा सके। एक सुझाव यह दिया गया था कि मान लीजिए कि किसी राज्य का कोई जिला प्रभावित हो जाता है और राज्य सरकार के लिए इस स्थिति पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है, तो केन्द्र सरकार राज्य सरकार से उस स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए कह सकती है; संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन ऐसे निर्देश दे सकती हैं। यदि निर्देशों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह बहुत अच्छी बात होगी। यदि उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता, तो पुन: ऐसे निर्देश दिए जा सकते हैं। यदि तीसरी और चौथी बार भी वे उन निर्देशों को स्वीकार नहीं किया जाता, तो केन्द्र सरकार, यदि संसद की बैठक चल रही हो, संसद की अनुमति से, केवल उन्हीं जिलों में अपने सुरक्षा बल भेजकर वहां की स्थिति को नियंत्रण में कर सकती है। यदि संसद की बैठक नहीं हो रही हो, तो वहां तत्काल सुरक्षा बल भेजे जा सकते हैं और संसद की बैठक आरंभ होने के तुरन्त बाद उस मामले को संसद के ध्यान में लाया जा सकता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए हम यही प्रक्रिया अपना रहे हैं। किसी जिले में किसी प्रकार की आशांति के कारण राज्य में सरकार को भंग करने अथवा इसे हटाने और पूरे राज्य से सरकार के हटाने के बजाए संविधान में संशोधन करके यदि इसकी अनुमति दी जा सकती है, तो यह बेहतर होगा। लेकिन भारत सरकार इस संबंध में काफी सतर्क रही है। यदि मुझे गलत न समझा जाए और यदि मेरी बातों का गलत अर्थ न निकाला जाए, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री, मेरे सहयोगियों और मंत्रिमंडल ने यही निर्णय लिया है कि यह एक, ऐसा मुद्दा है, जिसका केन्द्र और राज्य के बीच सर्वसम्मति बनाकर समाधान किया जा सकता है। इस मुद्दे पर एक पक्षीय कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए और इस मुद्दे पर जब तक पूरी सहमति या सर्वसम्मति बन जाए, चाहे वह सर्वसम्मति किसी भी ढंग से बने तब तक इस संबंध में कदम न उठाए जाएं, अन्यथा इससे स्थिति में सुधार लाने में मदद नहीं मिलेगी बल्कि इससे समस्या पैदा होगी जिससे बचा जाना चाहिए।

इसलिए यही एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए, लेकिन मैं यह बात फिर दोहराना चाहता हूं – देश में लोगों के बीच यह गलत संदेश न देने के लिए – कि यह एक अत्यंत नाजुक मुद्दा है; इस पर हर किसी के साथ चर्चा करने और सर्वसम्मति बनाने के बाद विचार किया जा सकता है। यदि इस मुद्दे पर सर्वसम्मति नहीं बन पाती है, तो भारत सरकार इस संबंध में एकपक्षीय कार्यवाही नहीं करेगी। भारत सरकार इस मुद्दे पर सर्वसम्मति बनने पर उसी के अनुसार कार्यवाही करेगी।

महोदय, मैंने ऐसा ही किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं एकाध अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। आज उनसे बहुत अधिक प्रश्न पूछे गए हैं।

अब, श्री के० येरननायडु।

श्री किन्जरपु येरननायडु : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने भाषण में तीन मुद्दे उठाए हैं। पहला मुद्दा यह है कि यह जानने का कोई तंत्र नहीं है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या कितनी है। 2011 की अगली जनगणना में हमें अल्पसंख्यकों और ईसाइयों के कॉलम के समान अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी एक कॉलम रखना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यापक अर्थ है, जिसमें सभी समुदाय शामिल हैं। केवल तभी आप उच्चतम न्यायालय के समक्ष आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं। यही मुद्दा है।

दूसरा मुद्दा मानव तस्करी से संबंधित है। हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा राजनयिक पासपोर्टों का दुरूपयोग किया गया। समाचार-पत्रों में बड़ी-बड़ी खबरे छप रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इससे समस्या से किसी प्रकार निपटेगी; इसकी जांच किस प्रकार से की जाएगी और इन सब गलत बातों को किस प्रकार से रोका जाएगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पासपोर्ट के सभी मामले ...

श्री किन्जरपु येरननायडु : तीसरा मुद्दा स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन से संबंधित है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री नायडु, बस एक सैंकड रूकिए। आप अधीर हो रहे हैं। क्या आप अध्यक्ष की बात भी नहीं सुन सकते हैं? आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं आपको अनुमति दूंगा। कृपया सुनिए।

इस मुद्दे पर हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि हम इस मुद्दे पर सभी नेताओं से अलग-अलग चर्चा करेंगे। यह एक बहुत गंभीर मामला है। हम इस पर विचार करेंगे। कृपया अब उन्हें किसी बात के लिए मजबूर मत कीजिए क्योंकि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा।

अब आप अपना स्पष्टीकरण जारी रख सकते हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु : तीसरा मुद्दा स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी तीन साल से परेशान हैं। माननीय गृह मंत्री महोदय को इस मुद्दे की जानकारी है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे का यथाशीघ्र निपटान करें।

अध्यक्ष महोदय : 'एमपी लैड्स' के बारे में आपके क्या विचार हैं?

(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा) : महोदय कृपया, मुझे एक स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

अब, श्री कीरेन रिजीजू बोलें।

[हिन्दी]

श्री कीरेन रिजीजू (अरूणाचल पश्चिम) : महोदय, गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करते हुए आंतरिक सुरक्षा की तरफ जब हम ध्यान देते हैं, तो कुछ कम्युनिटी सेंटीमेंट्स छूट जाते हैं। मैं इस संबंध में गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हिन्दुस्तान के जो छः राज्य हैं – लद्दाख, हिमाचल का लाहौल स्पीति और उत्तराखंड का कुछ एरिया, दार्जिलिंग, सिक्किम और अरूणाचल का कुछ हिस्सा, यहां जो कम्युनिटीज हैं, वे भोटी भाषा को, कई सालों से एट्थ शिड्यूल में लाने की डिमांड कर रहे हैं। आप अगर अभी इसका जवाब नहीं दे सकते, तब भी मेरा आपसे अनुरोध है कि कम से कम आप जब भोजपुरी और राजस्थानी को शामिल करने जा रहे हैं, तब इसके साथ-साथ आप इसे भी नजरंदाज मत करिएगा, यही मेरी आपसे दरख्वास्त है।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : मेरा भी एक क्लेरिफिकेशन है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब और स्पष्टीकरण नहीं अब, माननीय गृह मंत्री बोलेंगे।

श्री शिवराज वि० पाटील : जनगणना के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है। सरकार को यह निर्णय करना है। कि इस मामले को किस तरह निपटाया जाए। विगत में इस संबंध में कुछ निर्णय लिए गए थे। अब हमें यह विचार करना होगा कि इसके बारे में किस तरह नई नीति अपनाई जाए। इसके अलावा, इस समय जो कुछ भी कार्यवाही की जा रही है उसके परिणाम जनगणना पूरी होने के कुछ समय पश्चात मिलेंगे, तुरंत नहीं। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसमें पर कुछ कानूनी अड़चने हैं कोई न कोई समाज के एक वर्ग विशेष का होने का दावा करता है। प्रश्न यह है कि इसे तथा अन्य बातों को कैसे सिद्ध किया जाए। ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार के विचाराधीन है। सरकार इस पर न तो सकारात्मक और न ही नकारात्मक उत्तर दे रही है। रही है वह इस पर विचार कर रही है।

जहां तक स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन का संबंध है। कांग्रेस पार्टी के नेता और सरकार के कहने पर हमने स्वतंत्रता सेनानियें की पेंशन काफी बढ़ा दी है।

जहां तक आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों का संबंध है, उनके बारे में मैं कुछ बातें जानता हूं। चूंकि मैं उस्मानिया विश्वविद्यालय का छात्र था इसलिए मैं हैदराबाद के मराठवाड़ा क्षेत्र की कुछ बातें जानता हूं। मैंने सरकार के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया, माननीय प्रधानमंत्री तथा सरकार के अन्य सदस्यों ने उसे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और ज्यादा से ज्यादा सख्या में लोगों को पेंशन देने की अनुमति दे दी।

सायं 6.00 बजे

किंतु मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस मुद्दे पर निर्णय लेते समय समिति के सदस्यों और अधिकारियों द्वारा कुछ गलतियां की गई और यह मामला उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के समक्ष है। ऐसे अनेक मामले न्यायालयों में लंबित हैं। हम एक अन्य समिति गठित करके इस समस्या का समाधान करने और इस पर गौर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं जानता कि दिए गए विनिर्णय का विरोध किए बिना इस समस्या का समाधान स्पष्ट रूप से किस प्रकार किया जाएगा। किन्तु फिर भी हम इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई न कोई कार्यवाही अवश्य करेंगे।

जहां तक भाषा संबंधी मुद्दे का संबंध है, मैं इसके बारे में कोई वादा नहीं करूंगा। किन्तु हम इस मुद्दे पर संविधान के दायरे में रहकर किसी से भी इच्छुक व्यक्ति से इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगे सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ-2 में गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 50 से 54 तथा 94 से 98 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त करने वाले वर्ष

में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ-4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.03 बजे

सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत शेष अनुदानों की मांगे (गिलोटीन)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदानों की शेष मांगें सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:—

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ-2 में निम्नलिखित मंत्रालयों विभागों से संबंधित निम्नलिखित मांगों के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त करने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ-4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

(1) कृषि और मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 से 3

(2) कृषि और ग्रामीण उद्योग से संबंधित मांग संख्या 4

(3) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 5 और 6

(4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 7 और 8

(5) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 9

(6) कोयला मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 10

(7) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 11 और 12

(8) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 13 से 15

(9) कंपनी कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 16

(10) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 17 और 18

(11) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 19

(12) रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 20 से 27

(13) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 28

(14) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 29

(15) पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 30

(16) विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 31

(17) वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 32, 33, 35, 36 और 38 से 44

(18) खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 45

(19) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 46 और 47

(20) भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 48 और 49

(21) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 55

(22) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 56 से 57

(23) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 58

(24) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 60 और 61

(25) खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 63

(26) अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 64

(27) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 65

(28) अप्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 66

(29) पंचायतीराज मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 67

(30) संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 68

(31) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 69

(32) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 70

(33) योजना मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 71

(34) विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 72

(35) लोक सभा से संबंधित मांग संख्या 74

(36) राज्य सभा से संबंधित मांग संख्या 75

(37) उपराष्ट्रपति के सचिवालय से संबंधित मांग संख्या 77

(38) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 78 से 80

(39) पोत परिवहन, सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 84 और 85

(40) लघु उद्योग से संबंधित मांग संख्या 86

(41) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 87

(42) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मांग संख्या 88

(43) सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 89

(44) इस्पात मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 90

(45) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 91

(46) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 92

(47) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 93

(48) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 99 से 101

(49) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 102

(50) महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 103

(51) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 104

लोकसभा द्वारा वर्ष 2007-2008 के लिए स्वीकृत अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या और मांग का शीर्षक		दिनांक 16 मार्च, 2007 को सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों की राशि		सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4	5	6
कृषि मंत्रालय					
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	12,87,40,00,000	13,60,00,000	43,63,51,00,000	67,90,00,000
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	4,03,32,00,000	–	20,56,68,00,000	–
3	पशुपालन और डेयरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	1,90,70,00,000	2,97,00,000	9,53,50,00,000	14,83,00,000

1	2	3	4	5	6
कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय					
4	कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	1,84,39,00,000	89,00,000	10,09,93,00,000	4,42,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग					
5.	परमाणु ऊर्जा	3,56,44,00,000	2,65,15,00,000	21,01,01,00,000	18,88,86,00,000
6.	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	2,37,86,00,000	3,90,87,00,000	11,89,30,00,000	19,76,32,00,000
रसायन और उर्वरक मंत्रालय					
7	रसायन और पैट्रोरसायन विभाग	33,08,00,000	9,75,00,000	1,65,42,00,000	48,75,00,000
8	उर्वरक विभाग	40,90,60,00,000	9,45,00,000	2,04,52,97,00,000	47,23,00,000
नागर विमानन मंत्रालय					
9	नागर विमानन मंत्रालय	79,26,00,000	10,33,00,000	3,96,34,00,000	1,31,67,00,000
कोयला मंत्रालय					
10	कोयला विभाग	48,00,00,000	5,00,00,000	2,40,00,00,000	25,00,00,000
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय					
11	वाणिज्य विभाग	3,14,62,00,000	1,17,83,00,000	15,73,08,00,000	5,89,17,00,000
12	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	80,58,00,000	—	5,32,88,00,000	—
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय					
13	डाक विभाग	12,06,22,00,000	38,70,00,000	60,31,07,00,000	1,93,52,00,000
14	दूरसंचार विभाग	9,07,50,00,000	29,00,00,000	45,37,50,00,000	1,66,00,00,000
15	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2,42,66,00,000	13,17,00,000	12,14,34,00,000	65,83,00,000
कम्पनी कार्य मंत्रालय					
16.	कम्पनी कार्य मंत्रालय	23,17,00,000	2,50,00,000	122,83,00,000	52,50,00,000
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय					
17	उपभोक्ता मामले विभाग	39,29,00,000	5,75,00,000	1,96,45,00,000	28,75,00,000
18	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	43,52,50,00,000	62,70,00,000	2,17,62,50,00,000	3,13,50,00,000

1	2	3	4	5	6
संस्कृति मंत्रालय					
19	संस्कृति मंत्रालय	1,46,61,00,000	8,33,00,000	7,36,00,00,000	41,67,00,000
रक्षा मंत्रालय					
20	रक्षा मंत्रालय	11,44,18,00,000	1,30,25,00,000	57,20,90,00,000	6,51,26,00,000
21	रक्षा पेंशन	24,41,46,00,000	—	1,22,07,29,00,000	—
22	रक्षा सेवा-थल सेना	58,62,98,00,000	—	2,93,14,90,00,000	—
23	रक्षा सेवा-नौसेना	11,74,79,00,000	—	58,73,95,00,000	—
24	रक्षा सेवा-वायु सेना	17,38,14,00,000	—	86,90,68,00,000	—
25	रक्षा आयुध फैक्ट्रियां	11,91,52,00,000	—	—	—
26	रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास	5,33,70,00,000	—	26,68,53,00,000	—
27	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	—	69,76,27,00,000	—	3,48,81,33,00,000
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय					
28	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	2,06,45,00,000	25,73,00,000	10,32,25,00,000	128,64,00,000
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय					
29	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	97,70,00,000	6,64,00,000	5,16,74,00,000	2,66,87,00,000
पर्यावरण और वन मंत्रालय					
30	पर्यावरण और वन मंत्रालय	2,52,99,00,000	3,51,00,000	12,64,96,00,000	17,54,00,000
विदेश मंत्रालय					
31	विदेश मंत्रालय	6,71,28,00,000	1,26,54,00,000	30,03,10,00,000	6,32,68,00,000
वित्त मंत्रालय					
32	आर्थिक कार्य विभाग	5,81,04,00,000	75,87,00,000	29,05,19,00,000	379,33,00,000
33	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	9,53,80,00,000	67,25,63,00,000	47,70,01,00,000	3,36,28,13,00,000
35	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण	62,62,37,00,000	—	3,13,11,83,00,000	—
36	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	—	60,00,00,000	—	3,00,00,00,000

1	2	3	4	5	6
38	व्यय विभाग	24,00,00,000	—	1,20,00,00,000	—
39	पेंशन	12,17,92,00,000	—	60,89,62,00,000	—
40	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	2,03,08,00,000	35,00,000	10,15,41,00,000	1,76,00,000
41	राजस्व विभाग	7,50,49,00,000	25,00,000	51,23,88,00,000	1,22,00,000
42	प्रत्यक्ष कर	3,12,00,00,000	1,75,00,000	12,09,51,00,000	8,72,00,000
43	अप्रत्यक्ष कर	2,81,63,00,000	23,37,00,000	14,08,17,00,000	1,16,83,00,000
44	विनिवेश विभाग	67,00,000	5,50,33,00,000	3,33,00,000	27,51,67,00,000
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय				
45	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	38,05,00,000	5,00,00,000	1,90,25,00,000	25,00,00,000
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय				
46	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	26,40,26,00,000	85,27,00,000	1,36,30,37,00,000	6,40,32,00,000
47	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	85,48,00,000	—	4,78,40,00,000	—
	भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय				
48	भारी उद्योग विभाग	47,58,00,000	1,04,76,00,000	2,37,92,00,000	5,23,82,00,000
49	सरकारी उद्यम विभाग	2,41,00,000	—	12,02,00,000	—
	गृह मंत्रालय				
50	गृह मंत्रालय	1,28,05,00,000	11,78,00000	6,37,72,00,000	58,90,00,000
51	मंत्रिमंडल	34,21,00,000	5,56,00,000	1,71,06,00,000	27,80,00,000
52	पुलिस	24,11,59,00,000	7,54,97,00,000	1,20,57,96,00,000	37,74,84,00,000
53	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	1,69,26,00,000	3,24,00,000	8,46,27,00,000	16,21,00,000
54	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	2,59,12,00,000	12,00,00,000	12,95,64,00,000	60,00,00,000
	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय				
55	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	78,86,00,000	94,00,000	4,25,28,00,000	4,67,00,000

1	2	3	4	5	6
मानव संसाधन विकास मंत्रालय					
56	बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग	53,05,70,00,000	—	2,82,29,52,00,000	—
57	उच्च शिक्षा विभाग	15,34,75,00,000	17,00,000	7,673,75,00,000	83,00,000
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय					
58	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	2,30,99,00,000	40,31,00,000	11,60,77,00,000	2,49,81,00,000
श्रम और रोजगार मंत्रालय					
59	श्रम और रोजगार मंत्रालय	3,14,96,00,000	1,16,00,000	15,75,32,00,000	5,81,00,000
विधि और न्याय मंत्रालय					
60	निर्वाचन आयोग	2,42,00,000	—	12,08,00,000	—
61	विधि और न्याय	1,36,00,00,000	1,00,000	6,80,97,00,000	2,00,000
खान मंत्रालय					
63	खान मंत्रालय	55,70,00,000	9,24,00,000	2,78,49,00,000	46,17,00,000
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय					
64	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	22,80,00,000	11,67,00,000	4,20,03,00,000	58,33,00,000
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय					
65	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	94,78,00,000	10,71,00,000	4,73,87,00,000	53,54,00,000
अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय					
66	अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	6,67,00,000	1,67,00,000	33,33,00,000	8,33,00,000
पंचायती राज मंत्रालय					
67	पंचायती राज मंत्रालय	7,95,08,00,000	—	39,75,42,00,000	—
संसदीय कार्य मंत्रालय					
68	संसदीय कार्य मंत्रालय	1,02,00,000	—	5,08,00,000	—
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय					
69	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	55,96,00,000	4,75,00,000	2,64,92,00,000	23,76,00,000

1	2	3	4	5	6
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय				
70	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	4,78,56,00,000	–	23,89,25,00,000	–
	योजना मंत्रालय				
71	योजना मंत्रालय	20,30,00,000	1,25,00,000	1,01,52,00,000	6,25,00,000
	विद्युत मंत्रालय				
72	विद्युत मंत्रालय	8,13,99,00,000	1,68,37,00,000	40,69,92,00,000	8,41,91,00,000
	राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय				
74	लोकसभा	45,20,00,000	–	2,25,98,00,000	–
75	राज्यसभा	18,16,00,000	–	90,81,00,000	–
77	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	26,00,000	–	1,27,00,000	–
	ग्रामीण विकास मंत्रालय				
78	ग्रामीण विकास मंत्रालय	72,24,64,00,000	–	3,61,23,22,00,000	–
79	भूमि संसाधन विभाग	2,50,63,00,000	–	12,53,15,00,000	–
80	पेय जलापूर्ति विभाग	12,60,29,00,000	–	63,01,45,00,000	–
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय				
81	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	2,85,56,00,000	12,32,00,000	14,27,82,00,000	61,58,00,000
82	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	3,16,98,00,000	2,00,000	15,84,92,00,000	8,00,000
83	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	1,15,78,00,000	–	5,78,92,00,000	–
	नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय				
84	नौवहन विभाग	1,85,25,00,000	98,25,00,000	9,26,25,00,000	491,25,00,000
85	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	20,00,15,00,000	2112,40,00,000	1,00,03,75,00,000	1,05,62,08,00,000
	लघु उद्योग मंत्रालय				
86	लघु उद्योग मंत्रालय	98,07,00,000	–	4,87,34,00,000	–

1	2	3	4	5	6
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय					
87	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	3,22,36,00,000	20,83,00,000	16,11,79,00,000	1,04,17,00,000
अंतरिक्ष विभाग					
88	अंतरिक्ष विभाग	3,79,52,00,000	2,63,48,00,000	18,97,59,00,000	13,17,45,00,000
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय					
89	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	3,05,82,00,000	3,10,00,000	15,29,10,00,000	15,52,00,000
इस्पात मंत्रालय					
90	इस्पात मंत्रालय	14,08,00,000	—	71,42,00,000	65,00,00,000
कपड़ा मंत्रालय					
91	कपड़ा मंत्रालय	468,53,00,000	54,25,00,000	23,42,67,00,000	2,71,23,00,000
पर्यटन मंत्रालय					
92	पर्यटन मंत्रालय	65,10,00,000	85,50,00,000	3,25,52,00,000	5,20,50,00,000
जनजाति कार्य मंत्रालय					
93	जनजाति कार्य मंत्रालय	32,62,00,000	5,84,00,000	1,75,11,00,000	29,18,00,000
विधान-मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र					
94	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,87,84,00,000	1,36,14,00,000	9,39,18,00,000	6,80,76,00,000
95	चंडीगढ़	1,98,39,00,000	31,96,00,000	9,91,96,00,000	1,59,80,00,000
96	दादरा और नगर हवेली	1,53,02,00,000	6,52,00,000	7,65,12,00,000	32,60,00,000
97	दमन और दीव	59,81,00,000	7,60,00,000	2,99,05,00,000	38,02,00,000
98	लक्षद्वीप	53,66,00,000	27,58,00,000	2,68,32,00,000	1,37,90,00,000
शहरी विकास मंत्रालय					
99	शहरी विकास मंत्रालय	167,36,00,000	757,74,00,000	8,33,26,00,000	9,12,26,00,000
100	लोक निर्माण कार्य	132,29,00,000	59,67,00,000	6,61,43,00,000	2,98,35,00,000
101	लेखन-सामग्री और मुद्रण	29,42,00,000	11,00,000	1,4[illegible],07,00,000	54,00,000

1	2	3	4	5	6
जल संसाधन मंत्रालय					
102	जल संसाधन मंत्रालय	123,34,00,000	6,86,00,000	7,29,67,00,000	34,29,00,000
महिला और बाल विकास मंत्रालय					
103	महिला और बाल विकास मंत्रालय	975,50,00,000	—	48,77,50,00,000	—
युवा मामले और खेल मंत्रालय					
104	युवा मामले और खेल मंत्रालय	125,54,00,000	4,46,00,000	6,27,67,00,000	22,33,00,000
	कुल राजस्व/पूंजी	7,14,86,11,00,000	20,619,94,00,000	35,33,11,00,00,000	10,16,03,11,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदानों की शेष मांगों को पारित किया जाता है।

अध्यक्ष के लिए भी किसी विशेष अनुदान की व्यवस्था होनी चाहिए।

सायं 6.06 बजे

विनियोग (संख्यांक-2) विधेयक, 2007* — पुरःस्थापित

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2007-2008 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2007-2008 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक के विचारार्थ प्रस्ताव पर चर्चा करेगी।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2007-2008 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2007-2008 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गये।

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

---

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 28.4.2007 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा सोमवार, 30 अप्रैल, 2007 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 30 अप्रैल, 2007/10 वैशाख, 1929 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/26/20/2007 (एन०)
232

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।